राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का 21 वां दिवस [संख्या 13

सोमवार

दिनांक 26 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

वन रेंजों में अवैध कटाई

301. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन खण्ड (क) खेरवाड़ा (डैया अम्बास) (ख) पानरवा (ओडा उपरेटा) (ग) झाडोल (सरका घाटी ओगणा) (घ) कोटड़ा (सुबरा-सुवरी) (ङ.) कुम्भलगढ़ (सागेटी) (च) गोगुन्दा (नाल मोरवी) में विभाग द्वारा कटाई की गई? यदि हां, तो कब? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त 6 रेंजों में भारी अवैध कटाई हुई है जिससे विभाग को लाखों रुपये का घाटा हुआ है? यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त रेंजों की कटाई के सम्बन्ध में जांच करवाने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1979-80 से लगाकर दिसम्बर, 1983 तक उक्त रेंजों में 1885 अवैध कटान के मामले पंजीबद्ध किये गये जिनमें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में यह बताया कि 1979-80 से लेकर अब तक अवैध कटाई के 1885 मामले पंजीकृत किये गये। मंत्री महोदय, आप यह मानते हैं कि जो अवैध कटाई के केसेज हुए वह इससे भी कई गुना अधिक हुए होंगे, जो पंजीकृत नहीं हुए। क्या यह सच है कि इतनी अवैध कटाई 6 रेंजों में हुई है? आपने इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जितने भी केसेज अवैध कटाई के ध्यान में आये हैं उन सब के खिलाफ कार्यवाही की है। जैसा आपने बताया कि कई पकड़ में नहीं आये, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अधिकारियों के बारे में पूछ रहे हैं, जहां अवैध कटाई हुई है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : दूसरा सवाल जो पूछा है, क्या कार्यवाही की गई? उस सम्बन्ध में निवेदन है कि 9 अधिकारियों, जो इसमें लिप्त पाये गये, के खिलाफ कार्यवाही की गई है। आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। जो कार्यवाही होती है वह हमेशा बड़े लोगों को छोड़ कर छोटे-मोटे आदमियों के खिलाफ इल्जाम लगा कर होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस केटेगरी के आदमी हैं?

दूसरा, 1885 केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं इन रेंजों के, आपने क्या उसके बाद कोई दल वहां पर नियुक्त किया है, जो यह देखे कि अवैध कटाई कहां हुई, और उसको जांच डिटेल में करे?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है उनमें मोखा के भैरोंसिंह उपनिरीक्षक हैं। उनको निलम्बित कर आरोपित किया गया है। आबा में प्रेम सिंह, रक्षक के खिलाफ कार्यवाही की गई। श्री जंग बहादुर, वन रक्षक को आरोप पत्र दिया गया है। खण्ड सोकेडी बिशनसिंह, वन सहायक को आरोप पत्र दिया गया है। इसी तरह कोटडा में श्री तावड़िया, सहायक वनपाल को आरोप पत्र देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पानरवा में रणजीतसिंह, श्यामसिंह, वन संरक्षक को नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया है। कोटडा में श्री राम भरोसे लाल, सहायक वन रक्षक, भैरूलाल, वन संरक्षक को नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिये गये हैं। कुम्भलगढ़ के अधीनस्थ अजमेरा सिंह, वन सहायक रक्षक को आरोप पत्र दिया गया है। एक दोषी गोगुन्दा रेंज में पाया गया है उसको आरोप पत्र दिया गया है।

जहां तक उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है, जो भी अवैध कटाई के मामले पाये गये हैं, कार्यवाही हुई है। बड़े लोगों के खिलाफ नहीं की गयी और छोटे लोगों के खिलाफ की गई है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि वह हमें उनके बारे में बतायें, हम जांच करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह था कि जो 1885 केस पिछले 5-6 सालों में रजिस्टर्ड हुए उनमें से कोई पांच प्रतिशत पकड़े गये जिसमें छोटे लोग ही पकड़े गये। इनके द्वारा कटाई सम्भव नहीं है, क्योंकि जब तक बड़ी पार्टियां, जिन्होंने अपना यह व्यवसाय बना रखा है, नहीं काटेंगे तब तक छोटों की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। इसकी शिकायत पहले भी की गई थी आपके विभाग में और आपको, लेकिन आज दिन तक वहां जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बड़े अधिकारी दोषी नहीं हैं, यह मानना न्यायोचित नहीं है।

दूसरा आपने जवाब दिया कि 1885 केस रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें से कितनों को सजा मिली और कितनों पर जुर्माना हुआ, बताया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 1885 मामले जो पकड़े गये उनमें से 1323 मामलों को कम्पाउंड किया गया, एक लाख छियासी हजार रु. और पिच्चानवे पैसे वसूल किये गये, बाकी में से कुछ के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप स्पष्ट तौर से दे सकें, ऐसे इलाकों में बड़े आदमियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है तो हम जांच कराने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : मैं यह जानना चाहता हूं कि 1885 केस दर्ज हुए हैं उनमें से कितने ऐसे केस हैं जिनमें लकड़ी, पेड़ काट कर बैलगाड़ियों द्वारा या ट्रकों से लाये गये ? इसका तात्पर्य यह है....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। विस्तृत सूचना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछें।

श्री कटारिया, अगर कुछ पूछना चाहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, अधिकारियों के नाम बता दिये, क्या राज्य सरकार की मंशा है कि इन अवैध कटाई में लिप्त अधिकारियों को चार्ज शीट देकर जांच कराई जायेगी ? आसपास जो ठूंठ खड़े हैं वह लाखों की संख्या में हैं। आप उनकी गिनती करवायें जिससे पता चल सके कि दोषी लोग कितने हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही करें, तब जाकर डर पैदा होगा कि अवैध कटाई नहीं करनी चाहिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो जांच की गई है उसमें किसी अधिकारी की बात नहीं आई है। लेकिन आप कोई इत्तला दें तो जांच कराने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसके अलावा वहां के ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार को लिखा है और विभाग को लिखा है कि अवैध कटाई हो रही है इसको रोका जाय। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। कितने ही लाखों रुपयों का माल होता है। 60-60 गधों पर लकड़ी रोज सुबह आती है बाजारों में बिकने के लिए; फिर भी विभाग वाले कोई कार्यवाही नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न मंत्री महोदय से है, क्या यह सच है कि यह सारा बन रेंज क्षेत्र आदिवासी इलाके में आने के कारण उदयपुर प्रापर के जो आदमी हैं और जिन पर गुण्डागर्दी के केसेज चल रहे हैं

(५)

(श्री सी. पी. जोशी)

ऐसे लोगों की कनाइवेन्स से कटाई हो रही है। ऐसी स्थिति में वहां पर कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़े और आदिवासियों के साथ जुल्म न होकर कटाई रूके, इसके लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है, यह बताया जाये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अवैध कटाई की जहां तक समस्या है इसके बहुत से कारण हैं कि क्यों हो रही है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो भी हमारी सामर्थ्य है उसके अतिरिक्त भी पुलिस और रेवेन्यू विभाग दोनों को पावर्स दी हुई है कि अगर इस तरह की कोई सामूहिक अवैध कटाई हो और बड़े पैमाने पर कोई ग्रूप गैंग आपरेट कर रहा हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। जो मैंने 1885 केसेज की बात कही है वह साबित करती है कि विभाग इस बारे में कार्यवाही करता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा सम्बन्ध है, उदयपुर में वासू मर्डर केस हुआ, क्या मंत्री महोदय जानकारी रखते हैं कि उस आदमी के पीछे यही गैंग काम कर रहा है?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय न लें। अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा : वन विभाग वाले बिलकुल काम नहीं कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह आ गया है, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों को ही दोषी ठहराया जाता है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल।

(व्यवधान)

कृपया।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों को ही दोषी ठहराया जाता है और आदिवासी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल।

खण्डार मुख्यालय पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलना

302. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील खण्डार मुख्यालय पर राज्य सरकार आबादी को देखते हुए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का इरादा

(श्री चुन्नीलाल)

रखती है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी) : जी नहीं। फिलहाल खण्डार तहसील मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार नहीं है। राज्य सरकार की नीति ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की है तथा जहां किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां औषधालय खोलने की है।

श्री चुन्नीलाल : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नवीन औषधालय खोलने के लिए आपने कोई क्राइटेरिया तय किया है कि किन किन स्थानों पर खोलेंगे ? जहां तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति, हायर सैकण्डरी स्कूल या दस हजार की आबादी तक है वहां औषधालय नहीं दे सकते तो किस स्तर पर देना चाहते हैं ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए कुछ नार्म्स बने हुए हैं, जो इस तरह से हैं : ग्रामीण स्तर पर निःशुल्क भवन की व्यवस्था, 2000 की कम से कम आबादी हो, 8 किलोमीटर की परिधि में चिकित्सा सुविधा नहीं हो और पंचायत समिति में पहले से 10 औषधालय से कम हों।

(व्यवधान)

मैंने पहले ही खोलने का तरीका बता दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : इस समय जो औषधालय खोले गये हैं क्या इसी क्राइटेरिया के तहत खोले गये हैं ?

श्री दिनेश डांगी : करीब करीब इसी क्राइटेरिया में आते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे पास सूचना यह है कि आपने जो नार्म्स तय किये हैं उसमे 70 प्रतिशत नहीं आते और अपनी मर्जी से बिना नार्म्स की परवाह किये औषधालय खोले हैं, क्या यह सही है ?

श्री दिनेश डांगी : यह बिलकुल असत्य है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : बिलकुल शत प्रतिशत सत्य है।

श्री अध्यक्ष : श्री सैणचा।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, क्या यह सही है कि 40 घरों की आबादी पर भी आपने राजस्थान सरकार की सेवाओं के अधिकारियों के इशारे पर कोई औषधालय खोला है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न, माननीय सदस्य। श्री चुन्नी लाल।

श्री चुन्नीलाल : तहसील खण्डार में चिकित्सा सुविधा के लिए कोई भी चिकित्सालय नहीं है इसलिए ग्रामों से आए दिन लोगों को तहसील खण्डार में आना पड़ता है वहां कभी डाक्टर रहता है कभी नहीं रहता है। इसलिए आयुर्वेदिक औषधालय खोलना अति आवश्यक है। क्या

(श्री चुन्नीलाल)

मंत्री महोदय तहसील खण्डार मुख्यालय पर औषधालय खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष इस तहसील व पंचायत समिति खण्डार के ग्राम दौलतपुरा में खोला है, वहां अब संख्या 10 पूरी हो गयी है।

श्री चुन्नीलाल : लेकिन खण्डार को भी समस्या है।

श्री दिनेश डांगी : वहां पहले ही एलोपैथी डिस्पेन्सरी है और रोगी शैयाओं की भी सुविधा उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरजा राम।

उरमूल डेयरी / डेयरी फैडरेशन दुग्ध जिला बीकानेर

303. श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले तीन सालों से उरमूल डेयरी / डेयरी फैडरेशन दुग्ध जिला बीकानेर कितने लाभांश में चली आ रही है ? कृपया मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उरमूल डेयरी / डेयरी फैडरेशन बीकानेर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या अनुसूचित जाति / जनजाति का निर्धारित आरक्षण कोटा रोस्टर प्रणाली के मुताबिक भरा हुआ है ? यदि हां, तो कितना ? नहीं, तो क्यों ? कृपया कार्यरत स्टाफ की पिछले पांच वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बीकानेर उरमूल / डेयरी फैडरेशन द्वारा पिछली नियुक्तियां दिनांक 12-5-83 को पद ग्राम प्रसार कार्यकर्त्ता एवं लिपिकों की भर्ती की गई क्रमशः :

(क) कुल कितने-कितने पदों की भर्ती की गई ?

(ख) क्या इन पदों की भर्ती हेतु जिला नियोजन कार्यालय, बीकानेर से सूचियां मांगीं ?

(ग) क्या समाज कल्याण विभाग, बीकानेर से अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई थी ?

(घ) विज्ञापन अखबार में प्रकाशित कराने का क्या औचित्य था ?

राज्य मंत्री, दुग्ध विकास (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., बीकानेर के गत तीन वर्षों के लेखों का अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है। अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं।

(2) उत्तरी राजस्थान सहकारी संघ लि. बीकानेर में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। वर्तमान में 12 अधिकारी / कर्मचारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं। वर्ष 1982 में कार्यरत

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

स्टाफ की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. द्वारा दिनांक 12-5-83 को आयोजित साक्षात्कार में केवल ग्राम प्रसार कार्यकर्त्ताओं के पद पर ही भर्ती की गई है। इस रोज लिपिकों की भर्ती नहीं की गई।

(क) केवल 20 पदों पर।

(ख) जी हां। लेकिन वांछित योग्यता वाले उम्मीदवारों को वहां से साक्षात्कार हेतु नहीं भेजा गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) वांछित योग्यता के उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें अत: अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।

श्री सुरजा राम टाक : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि डेयरी फैडरेशन और उरमूल डेयरी का लाभ-हानि का जो लेखा जोखा है वह पिछले तीन सालों से पूरा नहीं हुआ है। आडिट रिपोर्ट तैयार नहीं है। आडिट रिपोर्ट तैयार नहीं होने से हिसाब-किताब में कोई भी अनियमितता हो सकती है। इसलिए मंत्री जी इसका लेखा जोखा बतायें। जिस डेयरी संयंत्र के खोलने में इतने करोड़ रुपये लगे हुए हैं उसके हिसाब-किताब का पता नहीं है।

दूसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि डेयरी फेडरेशन में करीब 28 अधिकारी हैं और कर्मचारी 103 हैं। उनमें से 8 और 4 याने 12 आदमी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो 10 पर्सेन्ट भी नहीं बैठता है। अतः आप बतायें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पदों की संख्या नहीं बढ़ाने का क्या औचित्य है? इतने दिन हो गये हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यही स्थिति उरमूल डेयरी में भी है। इसका क्या औचित्य होगा? हर साल पद बढ़ते हैं और आरक्षित कोटा नहीं बढ़ा है और 40 प्रतिशत रोस्टर प्रणाली के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसका जवाब दिलायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य महोदय ने लेखा जोखा के बारे में पूछा है। उसमें अकाउन्ट्स की गड़बड़ियां इसलिए नहीं हो सकतीं कि हमारे आडिटर वहां रहते हैं और उसको देखते रहते हैं। मैंने स्वयं भी कहा कि जितनी जल्दी आडिट रिपोर्ट आ जाय उतना ही उचित है। 1978-79 और 1979-80 का तो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आडिट कर रहे हैं। तीन पार्टियों को बुलाकर कहा है कि आप अपने पूरे स्टाफ को लगाकर अकाउन्ट्स का आडिट करवायें।

दूसरे, माननीय सदस्य ने जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फरमाया है, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हमने लगातार इस बारे में प्रयास किया है। हमने 20 के अपाइंटमेंट लैटर इश्यू किये, पांच के रोक दिये। उनके लिए दुबारा विज्ञापन निकाला। हमारे पास कुल आवेदन पत्र 12-5-83 को 253 आये। इन 253 में दो अनुसूचित जनजाति के प्रार्थना पत्र आये जो हमारी वांछित योग्यता पूरी नहीं करते थे। ऐसी सूरत में हमने इन जगहों को खाली रखा। फिर अखबारों में विज्ञापन निकाला। सितम्बर, 83 में दुबारा निकाला। तब हमको कुल 429 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें अनुसूचित जाति के 11 व अनुसूचित जन जाति के 4 प्रार्थना पत्र थे। हमने 5 की नियुक्ति कर दी। माननीय सदस्य से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले में सहयोग करें और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भिजवाने की बात करें। निश्चित रूप से हम निर्धारित कोटा पूरा करना चाहते हैं।

श्री सुरजा राम टाक : इस के बारे में नहीं पूछा था। मैंने प्रश्न के भाग "2" के बारे में पूछा था, "उरमूल डेयरी / डेयरी फेडरेशन बीकानेर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या स्टाफ में अनुसूचित/जाति जनजाति का निर्धारित आरक्षण कोटा रोस्टर प्रणाली के मुताबिक भरा हुआ है ?" प्रसार कार्यकर्ता एक छोटा सा पद है इसके लिए अखबार में पब्लिसिटी करवाई, इसकी क्या जरूरत थी ? बीकानेर के अन्दर 30 हजार लड़कों का रजिस्ट्रेशन है। आपने न तो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से लिस्ट मंगवाई और न ही समाज कल्याण विभाग से लिस्ट मंगवाई। विज्ञापन करके जिले के लोगों में से न लेकर बाहर से लेना पड़ा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से लिस्ट मंगाई थी, यह मैंने उत्तर दिया है। हमें वांछित योग्यता वाले लड़के नहीं मिले।

श्री सुरजा राम टाक : समाज कल्याण विभाग से लिस्ट मांगी कि नहीं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके बारे में उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : वांछित योग्यता का प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट रूप से सवाल पूछा है, रोस्टर प्रणाली का पालन किया गया है या नहीं, इसका उलंघन करने की कोशिश की गई है ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग 150-250 के करीब वजीफा देता है। इसके लिए प्रत्येक एम्प्लायर को कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग जिनको इस तरह का वजीफा देता है उनको सबसे पहले भर्ती किया जाये। इसलिए उन निर्देशों के आधार पर समाज कल्याण विभाग से जिनको वजीफा दिया जा रहा है उन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम मंगवाकर आपने उनको भर्ती किया या नहीं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पांइंट

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पूछा है उसके बारे में निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग से इस प्रकार की सूची मंगाना या उनको भर्ती करने का प्रश्न नहीं आता क्योंकि उसमें यह योग्यता रखी है कि तीन साल सोसाइटी के सैक्रेटरी का कार्य करने का अनुभव रखता हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे सामने प्राब्लम है, रोस्टर प्रणाली हम लागू करना चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि जो प्रार्थना पत्र हमें मिले उनमें एस. सी., एस. टी के व्यक्ति वांछित योग्यता नहीं रखते थे। उसके बाद और कोई आल्टरनेटिव नहीं था, जगह खाली रखी गई। दुबारा विज्ञापन किया गया और जो भर्ती किये हैं वे एस. सी. के भर्ती किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री सुरजा राम टाक : जिनको तीन साल से 5 साल तक का अनुभव था उनको भी नहीं लिया गया। इसकी आप जांच कराइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो माननीय सदस्य ने कहा कि दो तीन आये उनको भर्ती नहीं किया गया, मैंने पूर्व में बताया कि कुल 429 प्रार्थना पत्र आये थे जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के....

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : उन्होंने पूछा है पांच साल के अनुभव वालों को नहीं लिया।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूं। उसके बाद जो भी शंका रह जायेगी, उसका भी समाधान करूंगा।

एक माननीय सदस्य : उसको घुमा क्यों रहे हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपसे इस बारे में निवेदन कर रहा था, उसके लिए टाइप जानना कम्पलसरी था लेकिन उनको टाइप नहीं आती थी....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न। समय न लें, कृपया।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, उनको टाइप नहीं आती....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अगला प्रश्न। श्री सुखलाल सैंणचा।

श्री हीरालाल आर्य : ××××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : अंकित नहीं हो रहा है, इससे मतलब नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अंकित न हो।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री सुखलाल सैणचा।

रायपुर, सोजत तथा जैतारण क्षेत्र की सड़कें

304. **श्री सुखलाल सैणचा** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने रायपुर, सोजत तथा जैतारण के किन किन गांवों में कौन-कौन सी सड़कें मंजूर की हैं एवं कौनसी सड़कें मंजूर करना प्लान में है ?

(2) इस समय इन क्षेत्रों में कहां पर कितनी कितनी राशि के कार्य चालू हैं ?

(3) क्या (1 वर-गीरी (2, पीपलिया से कुशलपुरा, 3) पीपलिया से दौनड़ी वाया चन्डावल स्टेशन होकर बगड़ी तक डामर रोड बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) वर्तमान में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। भविष्य में प्लान में स्वीकृत होने वाली सड़कें अभी विचाराधीन हैं।

(2) इन क्षेत्रों में जिन सड़कों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इन सड़कों को पाली जिले के मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है। मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने पर धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यों को हाथ में लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : जोर से तो बोलो, समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री सुखलाल सैणचा : क्या इसे अब अगले सत्र में लेने का विचार है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया और जैसा कि प्रश्न के खण्ड (3) में उत्तर दिया गया है, इन सड़कों को पाली जिले के मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है। यह मास्टर प्लान के प्रारूप में दी हुई हैं और धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 305,

श्री जनार्दनसिंह गहलोत

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

अगला प्रश्न । श्री दाऊदयाल जोशी । श्री हीरालाल आर्य ।

कोटा जिले में नये पुलिस थानों की व्यवस्था

306. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में इस वर्ष कितने नये पुलिस थानों की स्थापना कहां-कहां करने का निर्णय हुआ था ?

(2) उनमें से कितनों की स्थापना कर दी गई व बाकी स्थानों पर स्थापना न करने के क्या कारण रहे ?

(3) भविष्य में कब तक ये पुलिस थाने स्थापित कर दिये जायेंगे ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) कोटा जिले में इस वर्ष 4 थानों की, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी, रेलवे कालोनी एवं दीगोद में स्थापना करने का निर्णय हुआ था ।

(2) इनमें से विज्ञान नगर, दादाबाड़ी एवं रेलवे कालोनी में थानों की स्थापना दिनांक 15-8-83 को हो चुकी है । केवल दीगोद में उचित भवन की सुविधा न मिलने के कारण थाने की स्थापना नहीं हो पाई है ।

(3) उचित भवन के प्रयास जारी हैं । सुविधा उपलब्ध होते ही दीगोद में थाना स्थापित कर दिया जावेगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उचित भवन की व्यवस्था करने हेतु कब-कब कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दीगोद में चौकी का कार्यालय कायम है और अमला भी मौजूद है । उसी में एक्सटेन्शन् करने की बात चल रही थी । इसी बीच में जिलाधीश कोटा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें इस बात का सुझाव दिया गया है कि दीगोद के स्थान पर सीमलीया में थाना स्थापित किया जाय । सीमलिया ही इसके लिये उचित स्थान रहेगा क्योंकि वहां पर 12 मील की दूरी पर थाना पड़ता है । सीमलिया के अन्दरूनी भाग में सड़कें होने से अधिक लाभकारी और उचित रहेगा । अन्तिम निर्णय होते ही इस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि दीगोद में भवन है और सीमलिया में भी है । मुझे समझ में नहीं आ रहा है सीमलिया और दीगोद दोनों में भवन उपलब्ध है, मगर थाने न होने के कारण यहां किस प्रकार की व्यवस्था होगी । अभी सीमलिया में डी. आई. जी. के सामने ही तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और सुल्तानपुर में एक मुस्लिम बालिका की हत्या कर दी गई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसी 22 तारीख को 16 वर्ष की एक लड़की की हत्या कर दी गई और दूसरी 6 वर्ष की लड़की को भी मारा गया है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अलग प्रश्न नहीं है। शांति-व्यवस्था रखने के कभी प्रयास हुए हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे दीगोद में भवन उपलब्ध है और सड़क भी है, यह महत्वपूर्ण स्थान भी है, तहसील हैड क्वार्टर है, सैन्ट्रल प्लेस है इसलिये एक थाना वहां भी होना चाहिए। पिछले एक साल से जिलाधीश महोदय ने वहां कहा है कि खोल दिया जायगा। इस तरह की घटनायें सीमलिया में होती हैं इसलिये, अध्यक्ष महोदय, वहां आस पास के लोगों की मांग है। इसके बावजूद अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। नम्बर एक।

नम्बर दो, छठी पंचवर्षीय योजना में पीपल्दा के अयाना क्षेत्र में पुलिस स्टेशन खोलने का प्रावधान था। आपने वहां भी अभी तक नहीं खोला है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : अभी तक भी वहां थाना खोलने की व्यवस्था नहीं की गई है। अब कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दीगोद और सीमलिया दोनों स्थानों पर कहां स्थापित किया जायगा इसकी एक माह में व्यवस्था हो जायगी। मैं, माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। प्रश्न आया तब ही मैंने इसे देखा है, अब एक माह में किसी भी हालत में चाहे दीगोद में, वहां के स्थानीय अधिकारियों से पूछने पर या सीमलिया में, दोनों में से एक स्थान पर अवश्य खोल दिया जायगा। अगर सीमलिया में खोला जायगा तो दीगोद में चौकी कायम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 307

श्री राम प्रसाद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

अगला प्रश्न। श्री भगवानदास शास्त्री। श्री कैलाश मेघवाल।

बनास नदी पर बीसलपुर बान्ध निर्माण की योजना

308. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर एवं अजमेर जिले के प्रमुख नगरों की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक स्थायी निदान एवं टौंक जिले में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये पेयजल एवं सिंचाई की मिली-जुली बनास

(श्री भगवान दास शास्त्री)

नदी पर बीसलपुर डेम निर्माण की 91 करोड़ रुपये की योजना बनाई जाकर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थी? यदि हां, तो कब? कृपया प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है और छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे सम्मिलित नहीं किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि 91 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि में से 71 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग और 20 करोड़ रुपये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को वहन करने हैं?

(4) क्या इन जिलों की विकट पेयजल समस्या को देखते हुए राज्य सरकार केवल पेयजल योजना का ही अलग से निर्माण करने का विचार रखती है?

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां, यह सही है कि बीसलपुर बान्ध की एक मिली जुली योजना स्वीकृति हेतु योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग को माह मई, 1982 में भेजी गई थी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उल्लेखित मुख्य-मुख्य आंकड़ों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के बजट प्रस्तावों में नई वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये रखी गई एक करोड़ रुपये की राशि में से इस परियोजना का योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है।

(3) जी हां, योजना के आंकलन के अनुसार 70 करोड़ 30 लाख रूपया सिंचाई विभाग को तथा 21 करोड़ 22 लाख रुपया जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को वहन करना होगा।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री भगवान दास शास्त्री: क्या यह सही है कि बीसलपुर बान्ध के लिये 70 करोड़ 38 लाख रुपया सिंचाई विभाग द्वारा और 21 करोड़ 22 लाख रुपया जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा खर्च करने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जो पूछा है वह यह है, "जयपुर एवं अजमेर जिलों के प्रमुख नगरों की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक निदान एवं टौंक जिले में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये पेयजल एवं सिंचाई की मिली जुली बनास नदी पर बीसलपुर डेम निर्माण की 91 करोड़ रुपये की योजना बनाई जाकर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थी? यदि हां, तो कब? कृपया प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।"

आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का विवरण दिया है वह पूरा नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति मांगी है ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट सेन्ट्रल कमीशन को भेजी गई है जो चार वाल्यूम में है । मेरे पास चार वाल्यूम की प्रतिलिपि तैयार करा कर सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं था । वैसे भी जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट टैक्निकली स्वीकृत नहीं हो जाती है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के हेर फेर बीच में हो जाते हैं इसलिये उसकी प्रति को यहां पर रखने की कोई उपादेयता भी नहीं रह जाती है । इसलिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुख्य मुख्य आंकड़े हो हैं वे सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिये है ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में कोई भी बृहद या मध्यम सिंचाई योजना नहीं ली जायगी, क्या यह जानकारी राज्य सरकार को है नम्बर एक ?

दूसरा सवाल है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिन बृहद और मध्यम सिंचाई योजना की योजना आयोग ने स्वीकृति दी है क्या उसमें बीसलपुर योजना को सम्मिलित नहीं किया गया है ? पिछली बार लोक सभा में 9 सितम्बर को यह ज्वाब दिया गया था कि बीसलपुर योजना को सम्मिलित नहीं किया गया है, नम्बर 2 ।

तीसरा सवाल, माननीय राज्यपाल महोदय पधारे थे तब अजमेर जिले की बीसलपुर योजना के बारे में उन्हें बताया गया है, जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय पधारे तब भी अजमेर जिले की पेयजल समस्या को हल करने के लिये उन्होंने बीसलपुर योजना के लिये आशवासन दिया था । माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय भी बीसलपुर योजना को पेयजल समस्या हल करने का आधार मानते हैं । इस योजना से सिंचाई के लिये तो टौंक जिले में पानी आयगा परन्तु पेयजल की दृष्टि से अजमेर जिले की समस्या इसके बिना हल नहीं हो सकती है । ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या पेयजल योजना की समस्या हल करने के लिये इस पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने बहुत सारे सप्लीमेंट्री पूछ लिए इसलिए मैं उलझ गया । अध्यक्ष महोदय, सिचाई विभाग का प्रगति प्रतिवेदन सदन के माननीय सदस्यों को मिल गया होगा । 1984-85 के लिए जो नयी परियोजनाए ली जानी हैं उनमें बीसलपुर बांध योजना का नाम उल्लिखित है ।

आपके सप्लीमेन्ट्री नम्बर दो के बारे में निवेदन है, सिक्स्थ प्लान के अन्दर बीसलपुर बांध योजना के बारे में लोक सभा में क्या प्रश्न पूछ लिया गया, मुझे उसकी जानकारी नहीं है ।

अजमेर में, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन जरूर दिया होगा । क्योंकि प्रोस्पेक्टिव पोपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जयपुर और अजमेर का ही नाम नहीं है बल्कि इस

(श्री परसराम मदेरणा)

योजना से ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी और सरवाड़, किशनगढ़ आदि में पानी देने का प्रश्न है। इससे ही इन शहरों को पानी मिल सकता है इसलिए यह एक मिली जुली योजना है।

पीने के पानी के लिए अलग से योजना बनाने हेतु जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है तो यह न तो तकनीकी दृष्टि से और न आर्थिक उपादेयता की दृष्टि से उपयुक्त है, इसलिए मिली जुली योजना बनी है। यह सेन्ट्रल वाटर कमीशन को भेजी गयी है। इसके 4 तारीख को आक्षेप किये थे और 5 तारीख को आक्षेपों का उत्तर दे दिया था। आक्षेपों के जल्दी उत्तर भेजने से मुझे विश्वास है कि सैंट्रल वाटर कमीशन और प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति इस पर प्राप्त हो जायगी।

श्री भगवान दास शास्त्री : योजना किस वर्ष और किस माह में भेजी ?

श्री परसराम मदेरणा : 9 मई, 1982 को भेजी गयी। इस योजना का बहुत बड़ा इतिहास है। यह योजना भूतपूर्व राजाओं के वक्त से शुरू हो गई थी। इससे केकड़ी और जयपुर स्टेट को पानी दिये जाने का प्रश्न था लेकिन इस पर कोई सहमति उस वक्त नहीं हो सकी। इस योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 दफा भेजी गयी है। अभी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी गयी है वह मई, 1982 में भेजी गयी है।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि जिस प्रगति विवरण का आपने हवाला दिया है उसमें आपने एक करोड़ रुपये का प्रावधान नयी योजनाओं के लिए किया है जो प्रारम्भिक कार्यों के खर्चे में आ जायेगा। मेरा पूछना है कि क्या छठी पंचवर्षीय योजना में नयी योजनाएं नहीं ली जा रही हैं क्योंकि आप फार्मुलेशन की बात कर रहे हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह लेटेस्ट स्टेज पर चल रही है और उसमें इस योजना को सम्मिलित करने का निर्णय नहीं लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, यह राज्य सरकार की जानकारी में होना चाहिए। अभी तक यह स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में ऐसी बहुत सी जगह होंगी जिनकी पापूलेशन बढ़ने की वजह से पानी की समस्या खड़ी होगी। अगर यह योजना सातवीं योजना में सम्मिलित नहीं होगी तो यह आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में इन नगरों में पानी की विकट समस्या को हल करने का आपके पास क्या हल है ?

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह योजना सिंचाई और जलप्रदाय दोनों के लिए मिली जुली योजना है। वर्षों से यह सरकार के पास विचाराधीन है। लम्बे समय से विचाराधीन पड़ी इस योजना के बारे में मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी अजमेर, नसीराबाद और केकड़ी आदि का बताया तो उनके लिये तो यह योजना है ही इसके साथ जयपुर के लिये भी है, यह बहुत अच्छा है लेकिन हम कहते हैं कि 40 साल से

(श्री चतुर्भुज)

योजना विचाराधीन है। आज भी अजमेर और नसीराबाद को पानी दे रहे हैं लेकिन उसके पास 6 पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी नहीं है। अभी 85-86 का जिक्र आया तो क्या जनता को पानी देना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के बाद 6 पंचायतों में पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह अलग से प्रश्न है। इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक बात।

श्री कैलाश मेघवाल : बीसलपुर योजना से तो सम्बन्ध है। इसे यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने अलग से प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : इसको अन्य तरीके से उठायें।

श्री परसराम मदेरणा : आप आसन को सम्बोधित करें।

आज जो पानी अजमेर को जा रहा है उससे केकड़ी के पास पानी का लेवल नीचे चला गया है। यदि बांध नहीं बनेगा तो पानी और नीचे चला जायगा। अजमेर (पूर्व) से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आशंकाए व्यक्त की हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बन रहा है और उस प्रारूप में शायद इसको नहीं लिया जाय क्योंकि भारत सरकार यह कह सकती है....

(व्यवधान)

आप भये 20 प्रश्न पूछिये।

आप यह सोच कर कह रहे हैं कि स्कीम के लिए कोई एण्ड नहीं है। हमारी योजना का आकार बहुत सीमित है और आने वाले वर्ष में सिमटकर बहुत छोटा हो जायेगा। उस वक्त क्या करेंगे, लोग प्यासे मर जायेंगे, यह काल्पनिक है। मैंने जो प्रगति रिपोर्ट दी है उसमें इस बात का उल्लेख है। राज्य सरकार निश्चित रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना में मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में इसको सम्मिलित करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : बजट भाषण में यह कहा गया है कि प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कार्यवाही न थोपें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में ऐसा कहा गया है लेकिन....

श्री अध्यक्ष : कृपया सहयोग दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन कोई परियोजना नहीं ली जायेगी।

भवानी मंडी एवं सुनेल नगरपालिका को दी गई अनुदान राशि

309. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले की भवानी मंडी एवं सुनेल नगर पालिकाओं को सन् 1980 से 1983 तक कितनी कितनी अनुदान राशि दी गई तथा वह राशि किस किस मद में खर्च की गई तथा कितनी शेष है ? कृपया नगर पालिकावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : नगर पालिका भवानी मण्डी एवं सुनेल को दी गई अनुदान राशि कब एवं कहां कितनी खर्च कर दी गयी तथा कितनी शेष है, इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि किस-किस मद में राशि व्यय की गयी ? यह तो आपने बताया ही नहीं। यह भी तो बतायें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर जो सूचना रखी है उसमें जो नोट दिया है उसमें दोनों नगरपालिकाओं को दी गई समस्त अनुदान की राशि कर्मचारियों के वेतन के पेटे खर्च की गयी तथा विशेष अनुदान राशि विकास कार्यों पर खर्च की गयी है। अब कोई राशि शेष नहीं है। यह नोट लगा हुआ है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : किस-किस विकास कार्य पर खर्च कर ली है ? मैंने केवल वेतन का नहीं पूछा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिये गये विशेष अनुदान की राशि की एक लम्बी सूची है जिसके अन्दर है 1980-81 में भवानी मण्डी नगर पालिका में नाली निर्माण के लिए 22695 रुपये दिये गये। हरिजन कालोनी में विकास हेतु 9853 रुपये 1981-82 में दिये। अध्यक्ष महोदय, 1982-83 में वी शेप की नाली सरकारी कुओं के पास वार्ड नम्बर 11....

श्री अध्यक्ष : यह सब लिखा हुआ है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो बताया है वह असत्य है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बालचन्द आर्यवीर : वहां हरिजन बस्तियों में प्रकाश तक की व्यवस्था नहीं है। पिछले वर्ष हुए कवि सम्मेलन में नगरपालिका ने हजारों रुपये खर्च किये जब कि मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि विकास कार्यों में खर्च कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कमला भाई।

धरियावद क्षेत्र की वन भूमि पर काबिज व्यक्ति

310. **श्री कमला भाई मीणा** (लसाड़िया) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या फोरेस्ट रेन्ज धरियावद में वन भूमि पर आदिवासी लोग वर्षों से नाजायज काश्त करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या सरकार उक्त लम्बे अर्से के नाजायज कब्जों का आदिवासी लोगों के पक्ष में नियमन करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जी हां। फोरेस्ट रेन्ज धरियाघाद में 178 आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना दर्ज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सुना नहीं। एक बार और।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : (1) जी हां। फोरेस्ट रेन्ज धरियावद में 178 आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना दर्ज है।

(2) प्रचलित राज्यादेशानुसार एक जनवरी, 1971 से पूर्व के अनधिकृत कब्जों का नियमन किया जा सकता है, जिसके नियमन हेतु कार्यवाही की जा रही है

श्री कमला भाई मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 174 नाजायज कब्जे आदिवासियों ने कर रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवला पंचायत में वन विभाग की भूमि पर तीन सौ व्यक्ति सन् 61 से काश्त करते आ रहे हैं। पंचायत पारेल के एक सौ आदिवासी नाजायज काश्त करते आ रहे हैं। पंचायत दातलीया के सौ व्यक्ति हैं जो सन् 68 से नाजायज काश्त करते आ रहे हैं। पंचायत चरी के दो सौ व्यक्ति हैं, पंचायत कोटड़ा के 150 व्यक्ति हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 850 व्यक्ति कई वर्षों से फारेस्ट विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जे करते आ रहे हैं। ये कब्जे दर्ज नहीं है जब कि, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 178 बताये हैं। तो क्या यह सही है कि 850 व्यक्ति सन् 68 से फोरेस्ट विभाग की भूमि पर नाजायज काश्त करते आ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? उनके कब्जे हटाने हैं या रखने हैं ?

श्री कमला भाई मीणा : रेगुलेराइज कराने हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर नाजायज कब्जे क्यों कह रहे हैं ?

श्री कमला भाई मीणा : उत्तर में नाजायज कब्जे किए हुए लिखा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार 178 व्यक्तियों के नाजायज कब्जे हैं। उनका नियमन करने के लिए भी कार्यवाही की गई है। इसमें से 99 कब्जे 1-1-71 के पहले के पाए गए हैं। उनका नियमन करने की कार्यवाही की जा रही है। बाकी जो दूसरे थे जो 1-1-71 के पहले के नहीं पाए गये हैं यानि 1-1-71 के बाद के हैं, ऐसे 79 कब्जे हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य जो 850 बता रहे हैं मेरी सूचना के अनुसार

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

इतने कब्जे नहीं है। अगर मेरे को गलत सूचना दी गई है, तो घरियावद से सम्बन्धित जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने गलत सूचना दी है मैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, घरियावद में 850 कब्जे माननीय सदस्य ने बताये हैं और मंत्री महोदय ने कहा कि केवल 99 कब्जे 1-1-71 के पहले के हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या विभाग के किसी अधिकारी को विधायक महोदय के साथ भेज कर मौके पर जो वास्तविक कब्जे हैं उनकी जांच करायेंगे और उनका नियमन करने की कार्यवाही करेंगे?

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इस तरह के कब्जों की सूचना आपके पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रैक्टिकल बात है कि घरियावद क्षेत्र में आदिवासियों के बीस-बीस साल से कब्जे हैं, उनके घर बने हुए हैं, उनके कुएं खुदे हुए हैं। आज की तारीख में भी वहां पर जाकर देखा जा सकता है लेकिन मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है कि कितने नाजायज कब्जे हैं....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : मंत्री महोदय से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मौके पर जितने भी नाजायज कब्जे हैं क्या उनका नियमन कर दिया जायगा? यदि हां, तो कब तक कर दिया जायगा, यह बता दें?

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1971 के बाद के जो इस प्रकार के कब्जे हैं उनका नियमन करने की कार्यवाही की जावेगी? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने घोषणा भी की है?

श्री अध्यक्ष : मांगीलाल आर्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों के जंगलात पर कब्जे की एक जगह की समस्या नहीं है, पूरे के पूरे अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में और पाली जिले के देसूरी क्षेत्र में इस तरह की जटिल समस्या है। आदिवासी वहां पर सदियों से बसे हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या आप इस तरह का सर्वे कराने का कोई कार्यक्रम करेंगे जिससे कि इस तरह के जो कब्जे हैं जंगलात के अन्दर, उनका सर्वे कराकर उनका नियमन किया जा सके?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा सत्र में इस प्रकार के प्रश्न पर मुख्य मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि जो 1-1-71 के पूर्व के कब्जे हैं उनका नियमन एक कमेटी बनाकर करने

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

की कार्यवाही की जायेगी। उसके अनुसार विभाग ने कार्यवाही की। 1971 से पूर्व के कब्जे पाए गए उनकी संख्या 1723 थी। इनमें से 22-3-84 तक 1672 मामलों में मौके का निरीक्षण करके जांच की जा चुकी है। 710 मामले ऐसे पाये गये हैं जो कि 1-1-71 के पूर्व के नहीं हैं बल्कि 71 के बाद के पाए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री कमला भाई मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है........

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 311 बहुत अहम है होमियोपैथिक बोर्ड का। राजवंशी जो इसके........

श्री अध्यक्ष : किसी अन्य तरीके से उठायें अगर महत्वपूर्ण है तो।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजवंशी, जो इसके अध्यक्ष हैं, ने हजारों रुपये खाकर कानून को ताक में रख दिया है। वे होमियोपैथिक बोर्ड के कानून को मानने को तैयार नहीं हैं और ऐसे लड़कों को एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति दे देते हैं जिन्होंने साल भर में एक क्लास अटेण्ड नहीं की। ऐसे लड़कों को परीक्षा में बिठा दिया गया है पैसे खाकर........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : इसको स्थगित ही करवा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से उठायें, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जावें।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : इसको स्थगित ही करवा दें, साहब, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मेरा फिर निवेदन है कि यह बहुत ही अहम् प्रश्न है। इसको स्थगित करवा दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री पीरूराम।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 मार्च, 1984)

राजस्थान फीडर पर खारा लिंक सिस्टम

145. श्री पीरूराम (टीबी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान फीडर पर आर. डी. 559 पर बना खारा लिंक सिस्टम को क्या सरकार नीचा करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब और कितना नीचा करना चाहती है?

(2) क्या सरकार इसको नीचा करके खारा सिस्टम में 55 क्यूसेक पानी डालने की स्वीकृति देने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में राजस्थान फीडर का जल स्तर खारा सब ब्रांच के जल स्तर से

(श्री परसराम मदेरणा)

लगभग ढाई फीट नीचा है। अतः खारा लिंक सिस्टम के रेगुलेटर के क्रेस्ट के लेवल को नीचा किया जाना अनुपयोगी होगा।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में आर डी 559 पर जो खारा लिंक सिस्टम है वह राजस्थान नहर का फीडर है। यह लिंक सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि वहां के काश्तकारों को पानी मिल सके। यह मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान फीडर से 55 क्यूसेक पानी कभी नहीं मिलने वाला है। जब काश्तकारों को पानी नहीं मिल सकता तो फिर यह लिंक सिस्टम क्यों बनाया गया है? यहां के दस-पन्द्रह हजार काश्तकारों की 50-60 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसमें आर 55 क्यूसेक पानी चलाना है तो इसको नीचा करना ही पड़ेगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि यह सम्भव नहीं है। तो यह कब सम्भव होगा, मंत्रीजी यह फर्मावें।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान फीडर के आर डी 559 पर जो लेवल है वह, जैसा मैंने कहा करीब करीब फ्लोर से ढाई फीट नीचा है। राजस्थान फीडर का लेवल 559 आर डी पर 632 फीट है प्लिंथ लेवल से और यह फ्लोर बना हुआ है 535 पर वह 41 फीट पर बना हुआ है। फीडर बना हुआ होने पर पानी नीचा है। उसके करने से तो वह अब तीन फीट करें ऊंचा जब जाकर वहां पानी आएगा और पूरा का पूरा साइट पर करना पड़ेगा। इसके लिए सम्भावना जब बन सकती है कि राजस्थान फीडर में पानी 633 फीट पर है और राजस्थान फीडर का फुल सप्लाई लेवल 641.41 है। उस लेवल पर जब पानी चलेगा तो अपने आप क्रेस्ट से पानी ऊपर आ जाएगा और राजस्थान नहर का पानी खारा लिंक पर से निकाल दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, यह 10-15 हजार काश्तकारों का प्रश्न है, इससे 50-60 बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती हैं। अगर तीन फीट नीचा करके पानी दे दिया जावे तो इन इन गांवों को लाभ मिलेगा, खाराखेडा, गुड़िया, सालीवाडा, बसीर, मलरखेडा, दौलतपुरा, सावूआएा यहां के करीब पचास साठ हजार बीघा भूमि सिंचाई से वंचित हो रही है। आस-पास में सब जगह पानी मिल रहा है और इनको पानी नहीं लग रहा है। मेरा यह निवेदन है कि इसको तीन फीट नीचे कर दिया जावे तो यहां पानी मिल सकता है। पानी का जहां भराव है वहं मेरे ख्याल से ऐसा है कि आज पश्चिमी राजस्थान में नहर से 10 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं चला, अगर चल जाता है तो अधिकारियों की गाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाती है, कहीं टूट न जाय। यह जो 600 पाइन्ट और कुछ बताया है, मेरे ख्याल में यह होने वाला नहीं है। वहां काश्तकार इस बारे में काफी शिकायतें करते है। यह जो वहां रेगुलेटर बनाया है वहीं पर पानी नहीं दिया जा रहा है, पिछली विधान सभा में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था ....

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फीडर के पानी का हिस्सा भाखरा सिस्टम के लिये नहीं है और आप इस साइफन से पानी डालना चाहते हैं तो शेयर नहीं है वह, इसलिये जब लेवल ही राजस्थान फीडर का नीचा है और पानी जा नहीं सकता तो क्रेस्ट को मोड़ने का प्रश्न नहीं है। जब कभी फुल लेवल होगा आपकी अगली फसल के लिये जब इंटेंसिटी कम होगी तो पानी का सदुपयोग किया जा सकता है लेकिन आज 633 फीट के ऊपर पानी राजस्थान फीडर में चल रहा है तो क्रेस्ट करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

दी मेवाड़ शुगर मिल लि., भूपालसागर क्षेत्र में गन्ने का विक्रय

14**1**. **श्री त्रिलोकसिंह** (फतेहपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है जिसके तहत दी मेवाड़ शुगर मिल लि., भूपालसागर क्षेत्र के किसान अपना गन्ना कहीं भी अन्य जगह ले जाकर बेच नहीं सकते ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह मिल किसानों को समय पर गन्ने की कीमत देने में असफल रही है ?

(3) क्या सरकार इस तरह के कानून को समाप्त करने का विचार रखती है ?

(4) क्या मिलों द्वारा गन्ने की कीमत कृषकों को समय पर नहीं देने के विरुद्ध सरकार कोई दण्डात्मक कानून बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी हां

(2) जी हां। जिला प्रशासन के पास इस प्रकार की कुछ शिकायतें आई हैं।

(3) जी नहीं।

(4) शुगर केन कंट्रोल आर्डर में दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्व में ही प्रावधान है।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे, क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा कोई अध्यादेश निकाला है कि भूपालसागर मिल क्षेत्र के किसान अपने गन्ने को दूसरी जगह नहीं बेच सकते ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश तो नहीं निकाला है लेकिन शुगर केन कंट्रोल आर्डर के तहत एक आदेश जरूर निकाला है जिसके तहत भूपालसागर क्षेत्र के कुछ इलाकों के किसानों को इस बात के लिये पाबन्द किया है कि उन्हें 75 प्रतिशत गन्ना मिल को देना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरी जगह बेच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह : क्या यह बात सही है कि भूपालसागर शुगर मिल गन्ना खरीदने में असफल रही है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई शिकायत जिला प्रशासन में राज्य सरकार को नहीं मिली है।

श्री त्रिलोक सिंह : क्या सही है कि भूपालसागर क्षेत्र के किसानों के गन्ने की कीमत का 50 लाख रुपया शुगर मिल में बकाया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है कि 50 लाख बकाया है। साल 80–81 में कुछ नहीं, 81–82 में कुछ नहीं, 82–83 में कुछ नहीं 83–84 में 23-3-84 को रु. 27,78,528·77 पैसा किसानों का बकाया है।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने आदेश निकाला है, यह भूपालसागर मिल 1956 से लगाकर आज तक इस मोनोपोली को काम में ले रही है। आप कह रहे हैं कि थोड़े क्षेत्र को पाबन्द कर रखा है। मेरा निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ जिले और उदयपुर के आधे क्षेत्र को पाबन्द कर रखा है जब कि उनकी केपेसिटी नहीं है गन्ना उठाने की। 1956 में जो हालत थी उससे पच्चीस गुना गन्ना ज्यादा होता है फिर भी यह मोनोपोली दे रखी है। यह आदेश निकालने का आपका क्या मंतव्य है ?

श्री भूपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आंकड़ा बताया है कि 1981 से कुछ भी देना बाकी नहीं है लेकिन 81 का 82 में पेमेन्ट करते हैं 82 का 83 में पेमेन्ट करते हैं........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भूपाल सिंह : अभी अर्ज करना है, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी की यदि 20 गाड़ियों की रकम बकाया है तो एक गाड़ी का पेमेन्ट देते हैं। क्या सरकार बकाया राशि का ब्याज दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि किसानों को मालिक द्वारा जो बिल दिये जाते हैं उनमें एक हरा और एक असली होता है तो मरा हुआ गन्ना मान कर किसानों का शोषण किया जाता है। दूसरा, क्या यह सही है कि आज मिल के पैरने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है इसलिए गन्ना नहीं बिक रहा है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, इस मोनोपोली के कारण से किसानों को केवल 17 रुपये क्विं. के हिसाब से गन्ना बेचना पड़ रहा है जब कि अन्य स्थानों पर 22, 23 और 24 रुपये क्विं. का मूल्य है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया। लम्बा न करें। भाषण नहीं होगा। उत्तर दीजिये मंत्री जी।

श्री अमरचन्द (गंगरार) अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भूपालसागर शुगर मिल में जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि गन्ना नहीं लेते, यह प्राब्लम नहीं

(श्री अमरचन्द)

है। गन्ना किसानों ने समय पर नहीं उठाने के कारण देना बन्द कर दिया है। दूसरा, शुगर मिल एक बड़ा प्लांट हो गया है, अब उनको आने वाले समय में भी गन्ना नहीं मिल पायेगा। दूसरी मुद्दे की बात यह है कि यह जो आपने आंकड़ा दिया है यह डुप्लीकेट है। आप वास्तविक आंकड़े मंगाने की व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस नोटिफिकेशन का सवाल है इस तरह का नोटिफिकेशन जो तीन गन्ना मिलें हैं—गंगानगर, केशोराय पाटन और भूपालसागर, सभी के लिए प्रचलित है। जो सेन्ट्रल एक्ट है, वी. सी. एक्ट के तहत जो शुगर मिल कंट्रोल आर्डर निकाला गया है भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया करीब-करीब सारे भारतवर्ष में प्रचलित है।

जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या ब्याज दिलाने का प्रावधान किया जायेगा तो इस बात का प्रावधान है शुगर केन कण्ट्रोल आर्डर के तहत कि यदि 14 दिन की अवधि में मिल के गेट पर डिलीवरी के बाद पेमेन्ट नहीं होता है तो 14 दिन के पश्चात् 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का चुकारा करना पड़ेगा। पिछले सालों में जो पेमेन्ट हुआ है उसमें ब्याज का चुकारा कहीं नहीं किया गया है। हमने क्लेक्टर को निर्देश दिये है कि 23–3–84 को जो पौने तीन लाख बकाया थे उनका मय ब्याज के चुकारे की व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाये।

इस संदर्भ में जिलाधीश द्वारा वहां के संचालक, जो मेनेजमेंट है उसको 21-3-84 को नोटिस दिया जा चुका है कि आपने शुगर केन कण्ट्रोल के आर्डर के तहत नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए क्यों नहीं आपका प्रोसीक्यूशन किया जाय। शुगर केन कण्ट्रोल आर्डर के तहत मेंडेटरी प्रोविजन है, श्रीमान्, इसलिए नोटिस देना भी आवश्यक है। इस बात की, जब यह प्रश्न आया तो साथ ही जांच पड़ताल की गई, और जिलाधीश से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने इसके बारे में भेज दी है। सरकार इसके बारे में उनको निर्देश देने जा रही है कि उन किसानों को चुकारा मय ब्याज के करने की व्यवस्था करें। अगर मिल उनका पेमेन्ट करने से चूकता है तो नियमान्तर्गत प्रोसीक्यूशन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री शिवदानसिंह आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दें उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, किसानों का मूल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार का जो पैसा बकाया है उसका ब्याज दिलायेगी ? मंत्री महोदय, इसका उत्तर दें किसानों का जो पैसा बाकी है उसका ब्याज देंगे या नहीं ?

श्री त्रिलोक सिंह : यह घोर अन्याय है।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि यह कानून खत्म किया जाये। क्या यह पाबन्दी हटायी जायेगी ताकि किसान जहां चाहे वहां अपना माल बेच सके ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।
अल्प सूचना प्रश्न। श्री मेघवाल।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इसका ब्याज देंगे या नहीं ?

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : इनको क्या मालूम कि गन्ना किस तरह से पैदा होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपने काफी कुछ कह दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल।

अल्प काल सूचना प्रश्न

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन

(1) **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री मोहनलाल सुखाड़िया के दिवंगत होने पर उनकी स्मृति को स्थायित्व देने हेतु उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम "मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय" रखने का अधिनियम विधानसभा द्वारा पारित किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नाम को इस विद्यालय के एक प्रशासनिक आदेश दिनांक 4 जनवरी, 1984 द्वारा "सुखाड़िया विश्वविद्यालय" में बदल दिया गया है ?

(3) यदि हां, तो क्या यह परिवर्तन प्रशासनिक आदेश से किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी हां। विधान सभा द्वारा सितम्बर, 1982 में विधेयक पारित कर उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम "मोहनलाल

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सुखाड़िया विश्वविद्यालय" परिवर्तित कर दिया गया।

(2) जी नहीं। विश्वविद्यालय के नये नाम को अलग-अलग संस्थाएं/केन्द्र अलग अलग नाम से सम्बोधित कर रहे थे जैसे मो. ला.सु. विश्वविद्यालय। मो.ला. सुखाड़िया विश्वविद्यालय/एम. एल. एस. यूनिवर्सिटी। इस प्रकार वास्तविक नाम की विकृति हो रही थी तथा विश्वविद्यालय के नाम की अभिव्यक्ति में एकरूपता नहीं थी। अत: विश्वविद्यालय ने व्यवहार एवं बोलचाल की दृष्टि से यह निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय को "सुखाड़िया विश्वविद्यालय" नाम से सम्बोधित किया जा सकता है ताकि नाम की अभिव्यक्ति में एकरूपता हो।

3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री का जो जवाब आया है वह आपके सामने है। मैं लेजिस्लेटिव प्रोपराइटी के आधार पर एक सवाल करना चाहता हूं। प्रश्न के खण्ड (3) का जो जवाब दिया गया है, इस बार फिर एक संशोधित विधेयक, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के नाम से पेश किया गया है इस विधान सभा में और इसी विधान सभा में एक आर्डिनेन्स का अधिनियम बना उसमें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नाम था। मेरा सवाल करने का कारण यह था कि क्या इस तरह जो लेजिस्लेटिव प्रोपराइटी है, जो नाम विधान सभा तय करती है अधिनियम में, उसको एक साधारण प्रशासनिक आदेश से "सुखाड़िया विश्वविद्यालय" किया जा सकता है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जितने भी प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे वह सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम से दिये जायेंगे। जितनी भी प्रशासनिक कारस्पान्डेंस हो रही है वह सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम से हो रही है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय नाम की कोई संस्था या विश्वविद्यालय इस विधान सभा द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। मैं चाहता हू कि लेजिस्लेटिव प्रोपराइटी के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, आप भी नोट लें और माननीय राज्य मंत्री महोदय यह बतावें कि इसे क्यों सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम से पुकारा जा रहा है। आपने स्वयं यहां जो बिल पेश किया है वह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम से किया है। क्या प्रशासनिक आदेश से मोहनलाल शब्द को ओमिट कर सकते हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता ने श्री सुखाड़िया जी को सम्मान और आदर उनकी सेवाओं और उनके कार्य को देखते हुए दिया। उसी के आधार पर मंत्रिमण्डल ने दिनांक 2-2-1982 को एक निर्णय लिया जिसके अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय के स्थान पर रखने का निर्णय किया गया। इसके बाद 26 जुलाई, 1982 को उदयपुर विश्वविद्यालय

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नाम परिवर्तन अध्यादेश, 1982 जारी कर इस विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर किया गया। इसके पश्चात् अध्यादेश का स्थान उदयपुर विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक, 1982 ने लिया। उसके द्वारा इसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर रखा गया। व्यवहार में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अनेकानेक संस्थाएं, जैसा मैंने अभी आपको मूल प्रश्न के उत्तर में बताया था, कुछ मो. ला. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, कुछ एम. एल. एस. यूनिवर्सिटी और कुछ लोग मो. ला. सु. विश्वविद्यालय के नाम से इसको पुकार रहे थे। नाम में एकरूपता रहे....

श्री अध्यक्ष : यह कानून बनने के बाद यह सब समस्याएं हल होकर एक नाम निश्चित कर दिया गया था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नाम में परिवर्तन नहीं किया गया है। अब भी इसकी मोहर ओरिजिनल लेटर पेड में आपको दिखा सकता हूं जिसमें इसका नाम "मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर" ही है। सिर्फ उन्होंने प्रशासनिक कार्य की दृष्टि से एब्रीविएशन के रूप में इस्तेमाल करने के लिये यह किया है।

श्री अध्यक्ष : लिखित में तो कम से कम सही विवरण होना चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमको मालूम हुआ हमने विश्वविद्यालय को निर्देश दिये हैं कि अभिव्यक्ति में भी इसी तरह से हो जिस तरह का नाम हमने विधान सभा में निश्चित किया है, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर। इस तरह का नाम इस्तेमाल करें। यह निर्देश जारी कर दिये हैं। जहां तक अभिव्यक्ति का सवाल है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जे. एन. यू. कहते हैं। नाम परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री त्रिलोक सिंह : यह आप लोगों की जागीर नहीं है। अकेला सुखाड़िया राजस्थान में नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

इसका नाम उदयपुर विश्वविद्यालय होना चाहिए, सुखाड़िया या मोहनलाल सुखाड़िया नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

करौली उप खण्ड में सड़क निर्माण कार्य

305. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

कृषि उपज मण्डी हिण्डौन के अन्तर्गत करौली उप खण्ड में किन-किन स्थानों पर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है और किन किन पर काम चालू है तथा यह काम कब तक पूरा हो सकेगा ?

उत्तर

सड़कों के लिए निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। दो सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष तीन पर टेन्डर आदि की कार्यवाही प्रगति पर है। विस्तृत सूची स्थान आदि की सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष सड़कों का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भव हो पायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

स्वास्थ्य केन्द्र रूपवास में बैड्स की व्यवस्था

307. श्री रामप्रसाद (रूपवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बैड्स की कमी के कारण राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, रूपवास में सुचारु रूप से मरीजों का इलाज नहीं हो पाता, जिससे वहां के मरीजों को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या सरकार वहां की जनता की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, रूपवास को 25 बैड्स का अस्पताल करने का प्रावधान रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।

(2) फिलहाल रूपवास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनैतिक व्यापार के स्थानों पर छापे

386. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर शहर व जिलों में अनैतिक व्यापार के कहां कहां और कितने अड्डों के अस्तित्व की जानकारी राज्य सरकार को है ?

(2) उनमें से राज्य सरकार ने कब कब कहां कहां छापे मारे और उनमें से कितनों के केस अदालतों को सुपुर्द किये ?

(3) क्या जयपुर जिले की पंचायत श्री राम की नांगल के ग्राम चतराला, चाकसू

(श्रीमती विद्या पाठक)

के ग्राम तीतरिया, बीलवा से चाकसू तक की टौंक रोड पर अनेकों ऐसे अड्डों के कारण नागरिकों को हो रही असुविधा की शिकायत राज्य सरकार को है ?

(4) यदि हां, तो उक्त समस्या के स्थायी हल निकालने के लिये राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर शहर में 11 अनैतिक व्यापार के अड्डों की जानकारी मिली थी। अन्य स्थानों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

(2) सूचना संलग्न है।

(3व4) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासन सतर्क है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अवैध हथियार निर्माण के कारखाने

387. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में कहां-कहां अवैध हथियार बनाने के कारखाने पकड़े गए ?

(2) ऐसे कारखानों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) इन कारखानों में किस-किस प्रकार के हथियारों का निर्माण किया जाना पाया गया ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित हैं।

(2) वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अजमेर नगर में जुआ एवं सट्टे की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी

388. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह शिकायत है कि अजमेर नगर में जुआ एवं सट्टे की अपराधिक प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और इसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं। जब भी इस सम्बन्ध में सूचना मिलती है आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में पड़ी घड़ियां

389. **श्री छीतरलाल आर्य** (ग्रटरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित "उपहार" में विक्रयार्थ रखी गई घड़ियों में से कुछ ऐसी भी हैं जो आरम्भ से लेकर अब तक नहीं बिकी हैं? यदि हां, तो उनके मूल्य व अन्य विवरण दें।

(2) क्या यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि "उपहार" में असली के स्थान पर नकली घड़ियां रख दी जाती हैं?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर का आडिट

390. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर एवं उसकी जयपुर स्थित विभिन्न इकाइयों का आडिट किस सहकारी वर्ष तक पूरा हो चुका है?

(2) क्या प्रत्येक वर्ष की आडिट रिपोर्ट में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों अथवा आक्षेपों की सभी की पूर्तियां कर दी गई हैं अथवा कुछ की कर दी गई हैं व कुछ की बाकी हैं? वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर एवं उसकी सभी इकाइयों का वर्ष 1979-80 तक का आडिट कार्य पूरा हो चुका है।

(2) आडिट रिपोर्ट में उठाये गये आक्षेपों एवं प्रतिकूल टिप्पणियों की पूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :–

वर्ष 75-76 :

वर्ष 75-76 तक के आडिट एतराजात की पूर्ति रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

वर्ष 76-77 व 77-78

वर्ष 76-77 व 77-78 के "अ" भाग के आक्षेपों की पूर्ति रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। किन्तु कई महत्वपूर्ण आक्षेपों की पूर्ति करना अभी शेष है।

वर्ष 78-79 व 79-80

वर्ष 78-79 व 79-80 के आक्षेपों की पूर्ति रिपोर्ट संस्था से प्राप्त नहीं हुई हैं।

राजस्थान हाथकरघा परियोजना मण्डल, जयपुर

391. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(1) राजस्थान हाथ करघा परियोजना मण्डल जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में अब तक किस-किस स्थाई, अस्थाई, वर्कचार्ज के पद पर किस-किस को किस प्रक्रिया से नियुक्त किया गया ? कृपया संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसी काल में कई सेवा निवृत्त लोगों को भी मण्डल की सेवा में रखा गया है ? यदि हां, तो किस-किस को किस-किस कारण से किन-किन शर्तों पर ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 व 1983-84 में मण्डल के अस्थाई पदों के लिए एवं दैनिक वेतन पर जिन-जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई उसकी सूची साथ में संलग्न है। सूची में जिस प्रकिया से नियुक्ति की गई वह भी दर्शाई गई है।

(2) जी नहीं, केवल एक कर्मचारी श्री हर्ष चन्द गोधा को सेवा निवृत्ति के पश्चात् दिनांक 1-2-84 से दो माह के लिए अंग्रेजी शीघ्रलिपिक के पद पर, अन्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त शीघ्रलिपिक उपलब्ध न होने के कारण तदर्थ रूप से रखा गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

स्वरोजगार योजना

393. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु बनाई गई "स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों ने फार्म भरे हैं ? कृपया जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करावाने हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से कितने लोगों को ऋण स्वीकृत करने के बावजूद भी ऋण उपलब्ध नहीं करवाया गया है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत दिनांक 21-3-84 तक कुल 80564 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 21-3-84 तक विभिन्न बैंकों द्वारा 11963 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) स्वीकृति के मामलों में से 6479 व्यक्तियों को बैंक द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है। 5484 शेष मामले बैंकों के विचाराधीन हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

(32)

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में 20 सूत्री कार्यक्रम में उपलब्धि

394. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा क्षेत्र में 20 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों के क्या लक्ष्य थे ? उपरोक्त लक्ष्यों में अभी तक कितने भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ? सूचना संपूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिमि नागौर व मूण्डवा में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

भीलवाड़ा जिले के समाचार पत्रों को विज्ञापन

395. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के किन-किन समाचार पत्रों को वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में कितने-कितने विज्ञापन किस-दर पर दिये गये ?

(2) विज्ञापन किस-किस संस्थान के हैं, किस-किस साईज के हैं तथा किस-किस तिथि को जारी किये गये ? कृपया सविवरण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची "क" संलग्न है।

(2) सूची "ख" संलग्न है।

(सूचियों हेतु कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

हनुमानगढ़ (गंगानगर) सब-जेल भवन का निर्माण

396. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में हनुमानगढ़ जं. में 14.50 लाख रुपये की लागत पर 26-9-1978 तक सब-जेल भवन बनकर तैयार हो जाने का कार्यक्रम था ? यदि हां, तो अब तक इस पर कितनी राशि व्यय हुई है तथा कब से व किन कारणों से भवन अधूरा पड़ा है ?

उत्तर

राज्य सरकार के आदेश संख्या प।(20) कारा/75 दिनांक 20-12-77 द्वारा हनुमानगढ़ जं., जिला गंगानगर में भवन निर्माण हेतु 14.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। भवन निर्माण कराये जाने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। अब तक इस भवन पर कुल रु. 13, 16,447 व्यय हुए हैं। भवन निर्माण कार्य के लिए भवन व पथ निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की गयी है। वांछित राशि

(श्री देवीसिंह भाटी)

की स्वीकृति के अभाव में निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 से अपूर्ण है। भवन निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु 14.18 लाख रुपये की और आवश्यकता है। राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए जैसे जैसे राशि उपलब्ध होगी तदनुसार कार्य कराया जा सकेगा।

टोंक में भू-जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य

397. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टोंक जिले में भू-जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कितनी अतिरिक्त सिंचाई किन-किन साधनों से की जा सकती है एवं अतिरिक्त सिंचाई पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा इसके लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। भारत सरकार के पत्र क्रमांक कोनफ. ।डी.एस.(जी. डब्ल्यू)/73 दि. 17 सितम्बर, 1973 जिसमें सर्वेक्षण रिपोर्टों को अतिगोपनीय माना जाने का प्रावधान है, के संदर्भ में प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(2) सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब तक लगभग 2,800 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा लगभग 31,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की और सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अतिरिक्त सिंचाई पर होने वाला व्यय किसानों द्वारा कितना काम करवाया जावेगा और किस वर्ष में करवाया जावेगा, से संबंधित होने की वजह से सही प्रकार से अनुमान लगाना संभव नहीं है। राज्य सरकार किसानों को बैंकों से उनकी क्षमता के अनुसार ऋण दिलाने की व्यवस्था कर सकती है तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के किसानों को नियमानुसार अनुदान भी देने की व्यवस्था कर सकती है।

प्रतापगढ़ व अरनोद के कुओं पर ब्लास्टिंग कार्य

398. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लघु कृषक विकास अभिकरण चितौड़गढ़ द्वारा तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के आदिवासियों के कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करने के लिए वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 एवं 1983-84 के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी थी एवं इसके विपरीत कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कृपया वर्षवार एवं तहसीलवार ब्योरा सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में विभाग को दी गई राशि से काफी कम व्यय हुआ है? यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

(1) लघु कृषक विकास अभिकरण चितौड़गढ़ द्वारा तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के आदिवासियों के कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करने के लिए वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 के लिये आवंटित राशि एवं व्यय का वर्षवार एवं तहसीलवार ब्यौरा परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) जी, हां। राशि लघु विकास अभिकरण द्वारा माह जून में जमा करायी गई थी तथा वर्षा के कारण कार्य चालू नहीं रखा जा सकता था। इसके लिए अधिक कार्य अग्रिम रूप से लेने हेतु सम्बन्धित आदिवासियों से सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) के लिये नल योजना

399. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ गांव के लिए नल योजना स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या नल योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ? यदि हां, तो कार्य की क्या प्रगति है तथा कब तक कार्य पूर्ण किया जाकर जनता को पानी मुहैया करा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि सज्जनगढ़ नल योजना के अन्तर्गत मजदूरों से कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो क्या मजदूरों को चुकारा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? व अब कब तक चुकारा किया जावेगा ?

(4) क्या सरपंच द्वारा मजदूरों के मुगतान कराने के संबंध में कोई शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, बांसवाड़ा जिले के गांव सज्जनगढ़ के लिए पुनर्गठित जल योजना स्वीकृति की गई है।

(2) जी हां, इस योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन का कार्य एवं नये स्रोत का कार्य पूर्ण हो चुका है केवल विद्युत कनेक्शन होना बाकी है। इसके लिए आवश्यक धन राशि विद्युत विभाग को जमा करादी गई है। आशा है माह अप्रेल, 84 में विद्युत कनेक्शन मिल जावेगा एवं इस स्रोत से जनता को जल वितरण शीघ्र प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं, सज्जनगढ़ नल योजना के लिए विभागीय स्तर पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। ठेकेदारों द्वारा जो कार्य किया गया था उसका भुगतान विभाग द्वारा ठेकेदार को किया जा चुका है।

(4) जी नहीं।

मोरेल बांध पर कार्यरत कर्मचारी

400. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हंसराज शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि मोरेल बांध पर एक वर्ष से कोई काम नहीं चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा बांध पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि बिना काम भी एक वर्ष तक मोरेल बांध पर 180 कर्मचारी उसी स्थान पर रहते रहे हैं ? यदि हां, तो उनको वहां पर रखने का क्या कारण था ?

(3) क्या बिना कार्य एक वर्ष तक बांध पर लगे कर्मचारियों की सेलरी का भुगतान विभाग द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उनको एक वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा है ?

(4) बांध की साइट पर स्टाफ से कार्य नहीं लिये जाने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मोरेल बांध के लिये 16 नियमित कर्मचारी एवं 103 कार्य प्रभारी कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। मोरेल बांध पर कुल 16 नियमित कर्मचारी एवं 103 कार्य प्रभारी कर्मचारी हैं जो बांध की सुरक्षा रख रखाव हेतु कार्यरत हैं व अधूरे कार्यों को पूरे कराने में सर्वे, बोरिंग, तकमीनों फाइनल बिल इत्यादि कार्य करवाने में लगे हुए हैं।

(3) बिना कार्य के किसी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया है। अतः बिना कार्य के कर्मचारियों को वेतन दिये जाने पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(4) बांध की साइट पर स्टाफ से कार्य लिया जा रहा है एवं कर्मचारी विभिन्न कार्यों पर कार्यरत हैं। कार्य नहीं लिये जाने का कथन सही नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सोम कामला अम्बा डेम (डूंगरपुर) का निर्माण

401. श्री भंवर लाल शर्मा (हवा महल) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोम कामला अम्बा डेम डिवीजन डूंगरपुर द्वारा इस बांध के (Spillway Portion) भाग प्रथम व द्वितीय के निर्माण का ठेका वर्ष 1978-79 में दे दिया गया था ? यदि हां, तो कितने-कितने रुपयों में किस रेट पर दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा कार्य करने में शिथिलता एवं ढिलाई के कारण एग्रीमेंट के क्लाज 2 एवं 3 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिचाई विभाग, उदयपुर द्वारा पारित किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस ठेके में सन्निहित (Divide walls) के निर्माण कार्य को ठेकेदार से औपचारिक रूप से वापस लेने के पहले ही जान बूझकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु उसके नये टेण्डर आमन्त्रित कर लिये गये हैं जिससे एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन होने से सरकार ठेकेदार से नया ठेका देने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को वसूल नहीं कर सकेगी ?

(श्री भंवर लाल शर्मा)

(4) नये ठेके की क्या रेट्स व शर्तें हैं तथा इससे विभाग को पुराने ठेके की तुलना में कितना अधिक खर्च करना पड़ेगा ?

उत्तर

(1) सोम कामला अम्बा डेम डिवीजन डूंगरपुर द्वारा इस बांध के स्पील-वे के भाग प्रथम व द्वितीय के निर्माण के ठेके क्रमश: वर्ष 1979-80 एवं 1978-79 में राशि रुपया 3,83,486/- व 44,63,592/- जो कि 20.75 व 20 प्रतिशत अबाऊ "जी" शिड्यूल की दर से थे, आवंटित किये गये।

(2) जी हां।

(3) सक्षम अधिकारी द्वारा किन्हीं विशेष कारणों की वजह से डिवाइड वाल के कार्य को स्पील-वे भाग प्रथम व द्वितीय के निर्माण के ठेकों में से विथड्रा करने के प्रस्ताव दिनांक 11-2-81 को भेजते हुए डिवाइड वाल के कार्य की निविदाएं आमन्त्रित करने की कार्यवाही की गयी थी। परन्तु स्वीकृत प्राप्त नहीं होने पर इन प्राप्त निविदाओं का कोई भी ठेका मंजूर नहीं किया गया। इस तरह की गई कार्यवाही से अतिरिक्त खर्च को वसूल करने में कठिनाई आना संभावित नहीं है।

(4) उपरोक्त आमन्त्रित निविदाओं के तहत कोई ठेका नहीं दिया गया है अत: अधिक व्यय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सोम कामला अम्बा परियोजना द्वारा मशीनरी की खरीद

402. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोम कामला अम्बा परियोजना डिवीजन डूंगरपुर द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से लगाकर इस वित्तीय वर्ष तक प्रति वर्ष कितने-कितने रुपयों की क्या-क्या मशीनरी खरीदी गई है ?

(2) इस मशीनरी के खरीद करने के बाद कौन-कौन सी मशीन कब-कब कितनी-कितनी काम में ली गई और कौन-कौन सी मशीन अभी तक बिना काम आये स्टोर में पड़ी हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोम कामला आम्बा परियोजना बांध डूंगरपुर का कार्य वर्ष 1976-77 एवं नहर का कार्य वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ हुआ। कार्य प्रारम्भ होने से अब तक जो मशीनरी प्रोक्योर की गई उसका वर्षवार ब्योरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इस परियोजना पर कोई भी मशीन बिना काम में आये स्टोर में नहीं पड़ी है। समस्त मशीनरी का उपयोग परियोजना पर आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। सिचाई विभाग के अन्य खण्डों को भी आवश्यकता पड़ने पर मशीने किराये पर दी गई हैं। प्रत्येक मशीन अब तक कितने घण्टे/कि. मी. चली है इसका ब्योरा परिशिष्ट "अ" कालम 6 में दर्शाया गया है।

(ब्योरे हेतु कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

उदयपुर नगर के लिये ड्रेनेज व सीवरेज योजना

403. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मालाराम)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के लिए निर्मित की जा रही ड्रेनेज एवं सीवरेज योजना के निर्माण की जांच अभी तक क्वालिटी कन्ट्रोल डिवीजन द्वारा नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों और यदि कराई गई है, तो कब व उसके क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि अन्दर की ट्रेंक्स पर सीमेन्ट एवं कंकरीट से कराई जाने वाली चुनाई एवं लाइनिंग का रेश्यो 1:3 निर्धारित है और आर. सी. सी. ह्यूम पाइप भी टैस्टेड क्वालिटी के होने चाहिये जबकि चुनाई व लाइनिंग 1:10 व 1:8 के रेश्यो से कराई जा रही है तथा आर.सी.सी. ह्यूम पाइप भी अनटैस्टेड ही काम में लिये जा रहे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में क्वालिटी कन्ट्रोल का कोई खण्ड स्थापित नहीं है।

(4) यह सही नहीं है कि ट्रेन्च (खाई) की सीमेन्ट कंकरीट व चुनाई तथा लाइनिंग 1:3 के अनुपात निर्धारित है। सीमेन्ट कंकरीट की निर्धारित अनुपात 1:4:8 व कुछ स्थानों पर 1:5:10 है तथा इसी अनुपात में स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य कराया गया है व कराया जा रहा है। चुनाई में सीमेन्ट मोरटार का अनुपात 1:6 निर्धारित है व कार्य भी इसी अनुपात में कराया गया है। आर. सी. सी. ह्यूम पाइप का निरीक्षण समय समय पर फैक्ट्री में जाकर अभियन्ताओं द्वारा किया जाता रहा है व सही पाइप ही प्रयोग में लिये गये हैं।

(3) कार्य का निरीक्षण एवं जांच समय-समय पर विभागीय वरिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा की जाती रही है व अलग से जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

गुलशेर खां फिटर द्वारा की गई शिकायतों की जांच

404. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान के मुख्य अभियन्ता ने अपने पत्र दि. 16-12-83 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अजमेर को नगर उपखण्ड भीलवाडा के श्री गुलशेर खां फिटर प्रथम की ओर से दिनांक 6-7-83, 7-7-83, 28-8-83, 13-9-83, 3-10-83, 22-10-83 एवं सम्पूर्ण प्रिन्टेड नोट में की गई शिकायतों के प्रत्येक बिन्दू की जांच श्री गुलशेर खां फिटर प्रथम को साथ लेकर करने के आदेश दिये थे ?

(2) यदि हां, तो वह जांच कब प्रारम्भ की गई एवं इसके क्या परिणाम रहे ? कृपया सभी शिकायतें व प्रिन्टेड नोट तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(श्री रंगजी मीणा)

(2) अभी जांच चल रही है। शीघ्र ही जांच पूर्ण कर तथ्यों से अवगत करा दिया जावेगा।

अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग सर्कल अजमेर में सीमेन्ट का क्रय

405. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधीक्षण अभियन्ता सिचाई विभाग सर्कल अजमेर में वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में सर्कल, विभिन्न खण्डों एवं उपखण्डों द्वारा कितनी-कितनी सीमेन्ट किस-किस सीमेन्ट फैक्ट्री से क्रय कर मंगाई गई थी और इसका कहां-कहां पर भण्डारण किया जाकर वितरण किया गया ?

(2) इस सीमेन्ट को फैक्ट्री से भण्डारों पर या सीधे साइट पर लाने में प्रत्येक वर्ष में कितना परिवहन खर्च आया और यह परिवहन व्यय किस प्रक्रिया से तय कर कितनी-कितनी राशि किस किस परिवहन कम्पनी को कितनी-कितनी सीमेन्ट लाने की चुकाई गई है ?

(3) इस क्रय की गई सीमेन्ट में से कितनी-कितनी किस-किस निर्माण कार्य में ली जा चुकी है, कितनी-कितनी किस-किस साइट पर बिना प्रयोग पड़ी है और कितनी कितनी किस-किस भण्डार में रखी हुई है ?

(4) क्या इन वर्षों में क्रय की गई सीमेन्ट के होते हुये भी वर्ष 1983-84 में और सीमेन्ट खरीदी गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

उत्तर

(1) कृपया परिशिष्ट I देखें।

(2) कृपया परिशिष्ट II देखें।

(3) कृपया परिशिष्ट III देखें।

(1) कृपया परिशिष्ट 4 देखें।

(परिशिष्टों के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

भरतपुर शहर की गंदगी का निराकरण

406. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर शहर में व्याप्त गन्दगी और सफाई की दुर्व्यवस्था के कारण सड़कों पर व मोहल्लों में पानी का भराव एवं शहर के मध्य स्थित किले की नहर सुजान गंगा की दुर्दशा से शहर के निवासियों के नारकीय जीवन को सुधारने हेतु सरकार ने कोई योजना स्वीकृत की है अथवा विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या व उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सुजान गंगा नहर, भरतपुर में से जलकुम्भी निकालने व शहर की सफाई के लिए स्थानीय नगर परिषद प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को लिखित में अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार द्वारा परिषद् के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या भरतपुर शहर में व्याप्त भीषण गन्दगी के वास्तविक निराकरण हेतु सरकार ने भरतपुर के लिए कोई सीवरेज

(श्री राज बहादुर) और ड्रेनेज योजना स्वीकृत की है अथवा विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) भरतपुर शहर के मध्य स्थित सुजान गंगा नहर का सम्बन्ध केन्द्रीय पुरातत्व विभाग से है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अनुरोध पर 94.4 लाख की एक योजना स्वीकृत की है जिससे सुजान गंगा नहर का जीर्णोद्धार एवं दीवारों की मरम्मत की जा सके। इस योजना के तहत वर्ष 83-84 में 5 लाख रु. का आवंटन किया गया है। वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) सुजान गंगा से पानी खाली कर रहा है। नहर की सफाई नगर परिषद् अपने उपलब्ध साधनों से नित्य प्रति कर रही है।

(2) नगर परिषद् भरतपुर द्वारा सुजान गंगा नहर से जलकुम्भी निकालने हेतु स्वायत्त शासन विभाग को दो लाख रु. के अनुदान हेतु निवेदन किया गया था लेकिन वह स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) भरतपुर शहर के लिए एक सीवरेज योजना तैयार की जा रही है।

बहरोड़ क्षेत्र में हैण्ड पम्पों का खोदना

407. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्राम कान्हावास बस स्टेन्ड, मांदन बस स्टेन्ड, ग्राम रामसिह बस स्टेन्ड और ग्राम मोहलड़िया के प्राथमिक विद्यालय एवं बहरोड़ नगरपालिका वार्ड नं. 10 हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

जी हां, कान्हावास बस स्टेण्ड पर एक, मांदन बस स्टेन्ड पर एक, रामसिहपुरा बस स्टेण्ड पर एक एवं मोहलड़िया प्राथमिक विद्यालय पर एक हैण्ड पम्प निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हरिजन बस्ती बहरोड़ वार्ड नं. 10 में पाइप लाइन बिछाई जा रही है, जिससे सार्वजनिक नलों के माध्यम से शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

बोरिया सिंचाई योजना का निर्माण

408. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में बोरिया सिचाई योजना का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो बांध से कितने खातेदार कृषक एवं कितने राजस्व भूमि के कब्जेधारी कृषक प्रभावित हुये ?

(2) प्रभावित खातेदार व कब्जेधारी कृषकों को किस दर से मुआवजा दिया जाना है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ में बोरिया सिंचाई योजना का निर्माण कार्य चल रहा है। इस बांध से 33 कृषक खातेदार प्रभावित हुये जिनकी 209 बीघा 16

(सिंचाई मंत्री)

बिस्वा भूमि डूब में आती है। इसके अतिरिक्त राजकीय भूमि के दो खातों की 344 बीघा भूमि डूब में आती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 553 बीघा 16 बिस्वा भूमि डूब में आती है।

(2) इस बांध से प्रभावित कृषकों को उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान, भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जो दरें निर्धारित की गई उसी दर से किया जा रहा है।

यू. एस. एड के तहत प्रोजेक्ट

409. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में यू. एस. एड. से कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं ? इन पर कितनी धनराशि आवंटित की गई ? क्या इस राशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ प्रोजेक्ट पर पृथक डिवीजन स्थापित करने की आवश्यकता है ? इसके अभाव के कारण ही धन राशि का उपयोग नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो डिवीजन स्थापित करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में यू. एस.एड. से दो प्रोजेक्ट, सांगोद तहसील में सावन भादों व किशनगंज तहसील में विलास चल रहे हैं। वर्ष 83-84 में बजट व खर्च का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	आवंटित राशि	खर्चा जनवरी, 84 तक
1— सावन भादों प्रोजेक्ट	35 लाख	22.08 लाख
2—विलास प्रोजेक्ट	60 लाख	33.83 लाख

आवंटित राशि का उपयोग मार्च, 84 तक कर लिया जावेगा।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मण्डावा की दवाओं का दुरुपयोग

410. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मण्डावा (जिला झुन्झुनू) में चिकित्सालय की दवाओं को जमीन में गाड़ने एवं उसके बेचान करने की शिकायत पर चिकित्सक के विरुद्ध जांच की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सक के विरुद्ध जनता द्वारा की गई शिकायत जांच में सही पाई गई और चिकित्सालय में जमीन में गड़ी हुई दवाइयां बरामद हुई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। डाक्टर शंकर लाल स्वामी के विरुद्ध प्राप्त इस तरह की शिकायत की जांच की गई थी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(जांच रिपोर्ट हेतु परिशिष्ट 18 देखें)

जिला बांसवाड़ा में चल चिकित्सा योजना के तहत चिकित्सा सुविधा

411. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में चल चिकित्सा योजना के तहत घर-घर जाकर कितने मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई ?

(2) इसमें कितने मरीजों को ग्रामीण क्षेत्र में तथा कितने मरीजों को शहरी क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध हुई, अलग-अलग ब्यौरा दें।

(3) इस कार्यक्रम के तहत कितने रुपयों की दवा का वितरण दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में किया गया ?

(4) जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में इस योजना के तहत डाक्टरों की टोलियां किन कारणों से नहीं गई ? यदि दूरस्थ इलाकों में टोलियां गई तो किन-किन पंचायत समिति क्षेत्रों में कितने-कितने दिन ये कैम्प लगे, अलग-अलग ब्यौरा प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में चल चिकित्सा योजना के अन्तर्गत घर घर जाकर दिनांक 2-11-82 से 15-3-84 तक कुल 10,207 मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

(2) उक्त योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होने के कारण शहरी क्षेत्रों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई।

(3) रु. 5000/- के बजट प्रावधान के विपरीत चालू वर्ष में रु. 20,000/- की दवाइयां आवश्यकतानुसार दी गई हैं।

(4) इस योजना के अन्तर्गत डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। चल चिकित्सा योजना के तहत पंचायत समिति क्षेत्रों में पृथक से कैम्प लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

ग्राम देवगढ़ की डिस्पेन्सरी

412. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1982-83 में "प्रयास" नामक संस्था को जो देवगढ़ ग्राम में है, रामपुरिया तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की राजकीय डिस्पेन्सरी को किन आधारों से "प्रयास" नामक संस्था को चलाने के लिए दी तथा संस्था को रामपुरिया डिस्पेन्सरी हेतु तेईस हजार रुपया किस प्रयोजनार्थ दिया गया है ? राजकीय डिस्पेन्सरी को उक्त संस्था को हस्तान्तरण के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 1982-83 से ही यह डिस्पेन्सरी बन्द पड़ी है ?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(3) डिस्पेन्सरी राजकीय भवन में चल रही है अथवा व्यक्तिगत ?

उत्तर

(1) जी हां। दिसम्बर, 1982 में प्रसारित एक राज्य आदेश द्वारा देवगढ़ में स्थित "प्रयास" नामक स्वयं सेवी संस्था को प्रतापगढ़ तहसील के तीन ग्राम पंचायत के चौदह ग्रामों में एक प्रयोगात्मक आधार पर समुचित उत्तम एवं प्रभावशाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय व्यय की राशि का अनुमानित अनुदान दिया गया था। इसमें रामपुरिया डिस्पेन्सरी पर होने वाला 23,000/– रु. का वार्षिक वित्तीय प्रावधान भी सम्मिलित था।

(2) जी हां। संस्था को अनुदान स्वीकार करने के पश्चात् राजकीय डिस्पेन्सरी विभाग द्वारा नहीं चलाई जा रही है।

(3) उपरोक्त निर्णय के अनुसार डिस्पेन्सरी के लिए निर्मित भवन भी उक्त संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में डिस्पेन्सरी सहित सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं चलाने का दायित्व संस्था पर है। इन कार्यों के लिए विभागीय अनुदान जनजाति विकास आयुक्त के माध्यम से देय है।

ग्राम गेंता एवं घुलर में डिस्पेन्सरी खोलना

413. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनसंख्या एवं क्षेत्र की स्थिति तथा आवश्यकता को देखते हुए गेंता एवं घुलर में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने की मांग वहां की जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार जनहित को मद्देनजर रखते हुए गेंता एवं घुलर में डिस्पेन्सरी की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम गेंता पंचायत समिति इटावा में डिस्पेन्सरी खोलने हेतु मांग की गई थी। ग्राम घुलर हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) पंचायत समिति इटावा में राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार न्यूनतम से ज्यादा चिकित्सा संस्थायें स्वीकृत हैं। प्रा. स्वा. केन्द्र-एक, डिस्पेन्सरी-4 व एडपोस्ट-2। समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

मेडिकल सर्विसेज सोसायटी

414. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की अनुमति बिना किसी लाभ-हानि के आधार पर मेडिकल सर्विसेज सोसायटी नामक किसी संस्था को सस्ते व उचित मूल्य की दवाइयां बेचने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी, जो हर वर्ष अपने हिसाब का अंकेक्षण कर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करे ? यदि हां, तो मान्यता कब दी गई व संस्था अब किस अवस्था में है ?

(श्री राजबहादुर)

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के विभागीय व विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उक्त संस्था से क्रय की जाने वाली औषधियों के मूल्य को राज्य सरकार ने पुनर्भरण योग्य मानकर कोई आदेश प्रसारित किये थे अथवा निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब व क्या तथा क्या अभी इसका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या एफ. 6(5) चि. स्वा/69 ग्रुप-2 दिनांक 2-9-69 व पत्र संख्या एफ. 16 (5) चि. स्वा/69 ग्रुप-2 दिनांक 16-1-71 के द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्रांगण में लाभ हानि रहित सस्ते व उचित मूल्य की दवाइयां बेचने हेतु मेडिकल सर्विसेज सोसायटी को अनुमति प्रदान की गई थी जो अपने हिसाब का अंकेक्षण कर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है। संस्था अब सन्तोषजनक स्थिति में है।

(2) विभागीय व विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मेडिकल सर्विसेज सोसायटी जयपुर से क्रय की जाने वाली औषधियों के मूल्य पुनर्भरण योग्य मानने के क्रम में कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये। न ही कोई निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 22 (5) चि. स्वा/74/ ग्रुप-2 दिनांक 3-5-76 के अनुसार केवल राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा संचालित औषधियों की दुकानों को मान्यता प्रदान करने के फलस्वरूप अन्य सभी औषधियों की दुकानें पुनर्भरण के क्रम में अमान्य हो गई हैं।

शेष प्रश्न पैदा नहीं होता।

कागदीवाड़ा कच्ची बस्ती के अस्वीकृत दावे

415. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कागदीवाडा कच्ची बस्ती की अन्तिम स्वीकृत/अस्वीकृत दावों की सूची जारी की जा चुकी है ? यदि हां, तो स्वीकृत/अस्वीकृत दावों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस्ती के कुछ सर्वेधारी/असर्वेधारी मकानों के दावे विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किन-किन के कब से और इन दावों का कब तक निपटारा कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि यहां के नागरिक बस्ती को शीघ्र सुनियोजित ढंग से बसाने का जे. डी. ए. से अनुरोध कर रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक बस्ती नियमित न करने का क्या कारण है ? अब कब तक सुव्यवस्थित ढंग से बसा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि कागदीवाड़ा बस्ती में 80 प्रतिशत पक्के मकान हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस बस्ती को यथास्थान नियमित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां, । प्राधिकरण के द्वारा कच्ची बस्तियों को व्यवस्थित ढंग से बसाने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 20-10-83 को प्राधिकरण के अधिकारियों ने बस्ती वासियों से बस्ती को सुव्यवस्थित ढंग से बसाये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया एवं बस्ती वासियों की सहमति प्राप्त की गई । बस्ती का प्लेन टेबल सर्वे करवा लिया गया है तथा योजना मानचित्र तैयार किया जा रहा है । शीघ्र ही बस्ती को योजनाबद्ध ढंग से बसाने के प्रयास जारी हैं ।

(4) जी नहीं । प्रश्न के भाग 3 में स्पष्ट कर दिया गया है कि योजना मानचित्र तैयार किया जा रहा है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

सीकर नगर में दमकल व्यवस्था

416. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर परिषद् में दमकल न होने से नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(2) क्या नगर परिषद्, सीकर दमकलें खरीदने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और इस पर कितनी लागत आयेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । इस पर करीब 3 लाख रुपये की लागत आवेगी । नगर परिषद्, सीकर ने अपने बजट वर्ष 1984-85 में इसका प्रावधान किया है ।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा बैंक में राशि जमा न कराना

417. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों, न्यासों आदि को यह निर्देश जारी किये हुए हैं कि वे अपनी निश्चित जमा पूंजी (फिक्स्ड डिपोजिट) सहकारी बैंकों या अधिक ब्याज देने वाले बैंकों में रखें ?

(2) क्या नगर सुधार न्यास, अजमेर ने अपनी निश्चित जमा राशि (फिक्स्ड डिपोजिट) सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सहकारी बैंकों या अधिक ब्याज देने वाले बैंकों में न रखकर कम ब्याज देने वाले बैंकों में रखी है और न्यास को हानि पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो यह हानि कितनी हुई और इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या एक्शन लेगी ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यासों की अधिशेष निधियां सरकार के पास ब्याज वाले निक्षेप रूप में निक्षिप्त कराये जाने के आदेश हैं ।

(2) नगर सुधार न्यास द्वारा अपनी जमा राशि सहकारी बैंक एवम् राष्ट्रीयकृत

(राज्य मंत्री, नगर आयोजन)

बैंक दोनों में जमा कराई जाती हैं। न्यास को सहकारी बैंक एवम् राष्ट्रीयकृत बैंक की विविध प्रणाली से जो सुविधा मिलती है उससे न्यास को हानि नहीं रहती है।

शिव मंदिर, अजमेर का निर्माण कार्य

418. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् के अधीन दौलतबाग (सुभाष बाग) में शिव मन्दिर का निर्माण कराया गया था और इस निर्माण कार्य की पूरी देखरेख व नियन्त्रण नगर परिषद् के अधिकारियों के हाथ में था ?

(2) यदि हां, तो यह मन्दिर बनाने की पहल किसके द्वारा की गई और इसके निर्माण की स्वीकृति कब किसके द्वारा जारी की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मन्दिर के निर्माण हेतु नागरिकों से चन्दा भी इकट्ठा किया गया था ? यदि हां, तो वह चन्दा किस-किस के द्वारा कितना-कितना इकट्ठा किया जाकर किसके पास जमा किया गया था ? क्या उसकी रसीदें दी गई थीं ? कृपया चन्दा देने वालों के नाम व कुल एकत्र राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद् द्वारा भी इस मन्दिर के निर्माण में आर्थिक सहयोग, निर्माण सामग्री का सहयोग और देखरेख व निर्माण करने हेतु कर्मचारी लगाये गये ? यदि हां, तो कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या मन्दिर निर्माण के हिसाब का आडिट हो चुका है और मन्दिर निर्माण हेतु खरीद की गई सामग्री का भी लेखा-जोखा किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मन्दिर बनाने के लिए पुजारी एवं अन्य भक्तजनों ने निवेदन किया था एवं निर्माण की स्वीकृति दिनांक 11-11-70 को तत्कालीन आयुक्त/प्रशासक द्वारा दी गई।

(3) नगर परिषद् द्वारा मन्दिर के निर्माण हेतु चन्दा इकट्ठा नहीं किया गया।

(4) जी नहीं। मन्दिर निर्माण हेतु केवल 177 बोरी सीमेन्ट दी गई एवं देखरेख नगर परिषद् के कर्मचारियों द्वारा की गई थी।

(5) जी नहीं। मन्दिर निर्माण हेतु केवल 177 बोरी सीमेन्ट नगर परिषद् द्वारा दी गई थी। इसका आडिट आक्षेप उठाया था एवं जवाब दिए जाने के बाद आडिट आक्षेप निरस्त हो गया है।

नगरपालिका, सांचोर द्वारा दुकानों की नीलामी

419. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, सांचोर, जिला जालोर ने बस स्टेन्ड के लिये रिजर्व जमीन में से 78 दुकानों के निर्माण की योजना बनाकर नीलामी की थी और नीलामी की अन्तिम बोली लगाने वालों के नाम नीलामी छूटने पर उन्होंने तत्काल एक चौथाई रकम नगरपालिका में जमा करा दी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना का विरोध होने पर जिलाधीश जालोर द्वारा जांच की गई और नीलामी को निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो यह निरस्ती कब की गई और क्या निरस्ती के बाद एक चौथाई जमा राशि जमाकर्ताओं को लौटा दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। परन्तु मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण चौथाई राशि नहीं लौटाई गई हैं।

बीकानेर जिले में उपनिदेशक द्वारा निबटाये गये मामले

420. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग ने अपने परिपत्र संख्या एफ. 7-(187) एल. एस. जी./58/12-211 दिनांक 1-1-80 द्वारा बीकानेर जिले में उपनिदेशक द्वितीय स्थानीय निकाय, जयपुर को मनोनीत किया था कि वे नगर परिषद्/नगरपालिका के भ्रमण करेंगे एवं नियमन के मामले मौके पर निबटायेंगे ? यदि हां, तो उन्होंने गत तीन वर्षों में जाकर किस-किस नगरपालिका से सम्बन्धित कितने मामले निबटाये ?

उत्तर

जी हां। परन्तु उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आदेश संख्या एफ. 7-(187) एलएसजी/58/5345 दिनांक 28-6-80 के द्वारा कार्यालय में व्यस्तता के कारण उप निदेशक की देखरेख में नियमन सम्बन्धी अधिकार प्रशासक नगर परिषद्, बीकानेर को दिये गये। इसलिए गत तीन वर्ष में उप निदेशक द्वारा नियमन सम्बन्धी मामले नहीं निपटाये गये हैं।

अलवर विकास न्यास के न्यासियों को सूटकेस

421. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर विकास न्यास द्वारा न्यासियों एवं अधिकारियों को बढ़िया किस्म के सूटकेस वितरित किये गये ?

(2) यदि हां, तो सूटकेस किस फर्म से, किस मेक के एवं किस साइज के खरीद किये गये एवं इस पर न्यास ने कितनी राशि खर्च की ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि नगर विकास न्यास, अलवर ने न्यासियों एवं अधिकारियों को बढ़िया किस्म के सूटकेस वितरित किये हैं। यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा न्यासियों एवं अधिकारियों को ब्रीफकेस आवश्यक गोपनीय पत्र आदि के रखरखाव हेतु सुरक्षा की दृष्टि से दिये गये हैं।

(2) नगर विकास न्यास, अलवर की बैठक दिनांक 28-2-83 के निर्णय की अनुपालना में मैसर्स गोपीनाथ एण्ड सन्स, रोड नं. 2, अलवर से 19 (उन्नीस) ब्रीफकेस "वी. आई. पी. ब्रीफकेस 18" माप के क्रय किये गये हैं। तथा इन ब्रीफकेसों को क्रय करने हेतु कुल 6895.45 पै. व्यय हुए हैं।

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के सर्वे

422. **श्री राम कंवार बैरवा** (फागी) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में जो लोग 1971 से लेकर 1983 तक बसे हुए हैं लेकिन उन्हें सर्वे नम्बर नहीं मिल पाया है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार कच्ची बस्ती में लम्बी अवधि से रह रहे लोगों का पुनः सर्वे करवा कर उन्हें नियमित रूप से बसाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर शहर को प्राधिकरण क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में 1-1-81 से पूर्व तक निवास करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिलाधीश, जयपुर द्वारा वर्ष 1971 एवं वर्ष 1981 में किया गया है एवं सर्वे नम्बर अंकित किये गये हैं।

(2) कच्ची बस्ती के वासियों का पुनः सर्वे कराने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि वर्ष 1981 में सर्वे कराया जा चुका है।

राष्ट्र मरु उद्यान की स्वीकृत धनराशि

423. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्र मरु उद्यान की स्वीकृति धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई और किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई ? कृपया विगतवार सूची सदन की मेज पर रखे ?

(2) उक्त योजना के तहत कितने क्षेत्रफल में व किस-किस जगह तारबन्दी कर दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय मरु उद्यान के कार्यों हेतु स्वीकृत हुई धनराशि में से जनवरी, 1984 तक 73, 98, 457 रुपये व्यय

(वन राज्य मंत्री)

किये गये है। विगतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

चम्बल नदी घाटी परियोजना (भू-संरक्षण) की योजनायें

424. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल नदी घाटी परियोजना (भू-संरक्षण) कार्यालय बेगूं में कब से कार्यरत है ?

(2) उक्त कार्यालय का कार्य क्षेत्र क्या है एवं उनके क्या-क्या उद्देश्य हैं ? आज तक उन्हें प्रतिवर्ष कितना ब्याज मिला है, उनकी क्या योजनाये हैं ?

(3) उक्त कार्यालय में भू-संरक्षण अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या उक्त पद रिक्त होने से कार्य की गति धीमी हुई है ? यदि हां, तो उक्त पद की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) चम्बल नदी घाटी परियोजना (भू-संरक्षण) का कार्यालय नवम्बर, 1971 से स्थापित है।

(2) इस कार्यालय का कार्य क्षेत्र चम्बल नदी का जल ग्राह्य क्षेत्र है। इसमें आरोली क्षेत्र जिला भीलवाड़ा तथा तहसील बेगूं एवं प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। इस परियोजना का उद्देश्य चम्बल नदी पर बने बहुमूल्य बांधों, गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर को मिट्टी के भराव से रोकना तथा इनके जल ग्राह्य क्षेत्र में सघन वन लगाना तथा घास पैदा कर पानी बहाव की गति कम कर भूमि का कटाव रोकना है। प्रतिवर्ष के बजट एवं भौतिक लक्ष्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, भू-संरक्षण अधिकारी बेगूं का पद दिनांक 28-2-82 के बाद दोपहर से रिक्त है।

(4) जी नहीं। उक्त पद का अतिरिक्त कार्य भू-संरक्षण अधिकारी कोटा के पास है। तथा पद की शीघ्र पूर्ति कर दी जावेगी।

(सूची के लिये परिशिष्ट 21 देखें)

राज्य में पशुओं की चराई दर

426. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(सुश्री पुष्पा जैन)

(1) राजस्थान के किस-किस क्षेत्र में भेड़ बकरी व अन्य पशुओं की चराई की क्या क्या दरें निर्धारित हैं? ये कब से लागू हैं?

(2) राजस्थान में अनुमानत: कितने पशुओं की सरकारी जंगलों में चराई होती है और उस आधार पर चराई शुल्क के रूप में कितनी राशि जमा होनी चाहिये?

(3) यदि चराने वाले पशुओं की संख्या के आधार पर चराई शुल्क से होने वाली आय के अनुपात में वास्तविक आय कम होती है, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राज्य के प्रत्येक वन क्षेत्र में चराई की दरें भिन्न-भिन्न समय से भिन्न भिन्न निर्धारित हैं। क्षेत्रवार प्रचलित दरों की सीमाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य के वनों में चरने वाले पशुओं की अनुमानित संख्या उक्त सूची में दर्ज है जो सदन के पटल पर रख दी गई है। इस आधार पर चराई शुल्क से लगभग 12 लाख रुपये राजस्व प्राप्ति होनी चाहिए।

(3) जी नहीं, वास्तविक आय उक्त अनुमान से कम नहीं होती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

तहसील बेगूं के कार्यरत औषधालय

427. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बेगूं में कहां-कहां आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत है?

(2) इस वर्ष 1983-84 में तहसील बेगूं में कहां आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का इरादा है?

(3) क्या तहसील बेगूं की भौगोलिक स्थिति, आबादी व दूरी व सड़क यातायात के अभावों को देखते हुए आयुर्वेद औषधालय व्यवस्था पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या इन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार वर्ष 1984-85 में कहां-कहां औषधालय और खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ़ में संचालित आयुर्वेद औषधालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में तहसील बेगूं में निम्न स्थानों पर औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई है:—

1–मेखपुरा

2–बस्सी

(3) जी नहीं। आगामी वर्ष 1984-85 में राज्य में 200 औषधालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अभी यह निश्चित

(श्री घनश्याम जैन)

नहीं है कि औषधालय कहां-कहां खोले जावेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

आयुर्वेद नर्स कम्पाउन्डर प्रशिक्षण केन्द्रों में सीटें

428. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद नर्स कम्पाउन्डर प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर तथा जोधपुर में प्रशिक्षणार्थियों की कितनी सीटें निर्धारित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार प्रशिक्षण हेतु भर्ती किए जाने वाले छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन केन्द्रों में कुछ छात्रों का नामीनेशन राज्य सरकार द्वारा भी किया जाता है ?

(4) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में कितने-कितने छात्रों को राज्य सरकार द्वारा नामजद किया गया और नामजद करने का क्या आधार था ? कृपया नामजद छात्रों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) वर्तमान में दोनों ही जगह 50-50 सीटें निर्धारित हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) वर्ष 1983-84 में दोनों प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार 10 प्रतिशत छात्रों को नामजद किया गया है, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है तथा मेरिट से चयनित छात्रों के प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होने से राज्य सरकार द्वारा 17 छात्रों को नामजद किया गया है। जोधपुर केन्द्र इसी वर्ष 3 दिसम्बर, 1983 से प्रारम्भ हुआ है और इसी कारण विशेष परिस्थिति में केवल इसी वर्ष 1983-84 के लिए अतिरिक्त मनोनयन किया गया है। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कार्य

429. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में वर्ष 1980 से 1983 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कितने पंचायत भवन, स्कूल, टांके, औषधालय बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 1980 से 1983 तक कितने कार्य सम्पूर्ण किये गये और कितने अधूरे रहे ? सूची पंचायत समितिवार मय पंचायत के सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने ऐसे टांके बनाये गये जिनमें पानी नहीं ठहरता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जैसलमेर जिले में वर्ष 1980 से 1983 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत पंचायत भवन, स्कूल, टांके, औषधालय बनाये गये हैं उसकी सूची परिशिष्ट "क" व "ख" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1980 से 1983 तक जितने कार्य पूर्ण किये गये व अधूरे रहे, सूचना परिशिष्ट "क" व "ख" में उपलब्ध है जो सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत बनाये गये सभी टांकों में पानी न ठहरने की कोई शिकायत नहीं है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

ग्राम करावना व दुधालिया में पशु चिकित्सालय खोलना

430. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में करावना तथा दुधालिया अच्छे कस्बे हैं? जिसके आस-पास 20-30 ग्राम और भी स्थित हैं किन्तु वहां पशु चिकित्सा सुविधा नहीं है। क्या सरकार उक्त स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां।

पशु चिकित्सालय डग द्वारा इन गांवों एवं आस-पास के गांवों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा करादी जाती है। जो कि पशु चिकित्सालय डग की 10 किलोमीटर की परिधि में आते हैं।

वर्ष 84-85 में नये पशु चिकित्सालय स्थापित करने हेतु प्रावधान न होने के कारण फिलहाल इन स्थानों पर चिकित्सा संस्था का खोला जाना संभव नहीं है।

कठूमर मंडावर स्वीकृत सड़क मार्ग पर लिंक सड़क का निर्माण

431. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) व **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कठूमर से मण्डावर स्वीकृत सड़क मार्ग पर मिसिंग लिंक रोनीजायान से रेल्वे स्टेशन घोसराना तक सड़क निर्माण के लिए टेण्डर स्वीकृत किये जा चुके हैं? यदि हां, तो सड़क निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

जी हां।

बजट में आवश्यक प्रावधान में कमी होने के कारण कार्य अभी हाथ में नहीं लिया जा सका है।

बूंदी जिले में स्वीकृत सड़कें

432. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई ? निर्वाचन क्षेत्रवार स्वीकृत सड़कों की सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बूंदी की एक भी सड़क स्वीकृत नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी में वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्रवार सड़कों की सूची [प्रपत्र-"क"] सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

जिला भीलवाड़ा में एन. आर. ई. पी. स्कीम में स्वीकृत सड़कें

433. **श्री बंशी लाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भीलवाड़ा में इस वर्ष कौन-कौन से सड़क कार्य एन. आर. ई. पी. तथा रेगूलर में कितनी-कितनी लागत के किस-किस तिथि को सरकार ने स्वीकृत किये ?

(2) यह कार्य किन मापदण्डों के आधार पर स्वीकृत हुये ?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में इस वर्ष अभी तक एन. आर. ई. पी. एवं रेगूलर में कोई सड़क कार्य स्वीकृत नहीं किये गये।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

लालसोट तहसील की सड़कों का अधूरा कार्य

434. **श्री रामसहाय सोनड़** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

लालसोट तहसील में जिन निम्न सड़कों पर पत्थर व मोहरम का कार्य पूर्ण हो चुका है उन पर डामर व रोडी नहीं बिछाने के क्या कारण हैं और अब इन पर कब तक बिछा दी जावेगी:—

1. राजौली से डीगो गोल पिपलाज माता तक सड़क।
2. मण्डावरी से खुरा वाया महारिया बगड़ी तक।
3. बिलोना से खटवा रोड।
4. जमात लालसोट से निर्झरना-श्यामपुरा होती हुई झापदा तक।
5. रामगढ़ पचवारा से वाया विदरखा-मालावास-तूंगा तक।

उत्तर

इन सड़कों के कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क की स्वीकृति होने

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

के कारण डामर एवं रोडी नहीं की गई। इन कार्यों को जिले के मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है। धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

रणजीतपुरा से बरसलपुर (बीकानेर) सड़क पर डामरीकरण

435. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार 20 वर्ष पूर्व बनाई गई जिला बीकानेर की पाकिस्तान की सीमा पर तहसील कोलायत में ग्राम रणजीतपुरा से ग्राम पंचायत मुख्यालय बरसलपुर की 18 किलोमीटर कंकरीट की सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इस कार्य को बीकानेर जिलों के मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य हाथ में लिया जावेगा।

टोंक में सूत्र संख्या एक के तहत कार्य

436. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 1 'अधिक सिंचाई और अधिक उपज' के लिए टोंक जिले में क्या-क्या प्रयास किये गये ?

(2) उक्त जिले में वर्ष 1980-81 से अब तक विभिन्न वर्षों में कितनी सिंचाई और कितनी उपज बढ़ाई गई ? कृपया तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में अधिक सिंचाई हेतु गत दो वर्षों में मासी, सूथरा, सिरोही, सहोदरा एवं श्योदानपुरा योजना पर कार्य करवाया गया एवं अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई।

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न कृषि क्रियायें की गई जैसे बीज व खाद वितरण, पौध संरक्षण उपाय, शुष्क खेती की तकनीकी का अनुसरण, प्रशिक्षण व भ्रमण पद्धति के अन्तर्गत किसानों को नियमित रूप से तकनीकी ज्ञान का संचार, गांवों में शुष्क खेती के शिविरों का आयोजन करना, लघु व सीमान्त कृषकों को खाद, बीज व पौध संरक्षण औषधियों के लिए अनुदान देना, दलहन व तिलहन की फसलों के लिए पौध संरक्षण कार्यों के लिए अनुदान देना, इत्यादि-इत्यादि कार्य किया गया। जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई।

(2) टोंक जिले में वर्ष 1980-81 से अब तक विभिन्न वर्षों में बढ़ाई गई सिंचाई और उपज का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

कृषि उपज मंडी (नागौर) द्वारा निर्मित सड़कें

437. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1981 से 1984 तक कृषि उपज मण्डी समिति नागौर के क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गईं ? उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

स्वीकृत सड़कों की पंचायत समितिवार सूचना निम्न प्रकार से है। इन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

नाम पंचायत समिति	स्वीकृत सड़क का नाम	व्यय
नागौर	बसवानी से कुमारी	6,00,568.69
जायल	जायल ग्राम से प्राइमरी स्कूल तक	2,47,702.84
मुण्डवा	फिरोजपुरा से नागौर	1,46,372-60

सांगानेर स्थित सब्जी मण्डी

438. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 से सांगानेर, स्थित सब्जी मण्डी को नगरपालिका ने मुख्य बाजार से हटा कर मात्र शिशु कल्याण केन्द्र के प्रवेश द्वार के सामने लगाना आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वहां सब्जी मण्डी के कारण सीलन, मक्खियों, कीचड़ व गन्दगी अधिक होने से माताओं व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसकी शिकायतें स्थानीय नागरिकों ने, उक्त डिस्पेन्सरियों के डाक्टरों व जिला चीफ मेडिकल आफिसर ने भी की है ?

(3) यदि हां, तो इतने विरोध के बावजूद वहां से उक्त सब्जी मण्डी को क्यों नहीं हटाया गया और अब कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि मुख्य बाजार में वाहनों के आवागमन, मण्डी की भीड़ एवं आने जाने वालों की भीड़ के कारण रास्ता अवरुद्ध हो जाता था तथा एक्सीडेन्ट आदि होने का डर रहता था।

(2) कीचड़ व गन्दगी आदि के बारे में शिकायत है। नगरपालिका द्वारा प्रतिदिन सफाई कराई जाती है।

(3) स्थानाभाव के कारण सब्जी मण्डी को नहीं हटाया जा सका है। अब भूमि अवाप्त कर अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का नगरपालिका द्वारा विचार किया जा रहा है।

कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड व रानी के तहत सब-यार्ड

439. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड व रानी के तहत सब-यार्ड कितने बनाये जाने प्रस्तावित है ?

(2) सब-यार्ड बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई व क्या की जानी है ?

(3) कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड व रानी के तहत जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक कितनी सड़कें स्वीकृत की गई ?

(4) कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड व रानी के पास वर्तमान में बचत की कितनी धनराशि उपलब्ध है एवं इसके खर्च के लिए क्या प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति सोजत-रोड व रानी के तहत क्रमश: तीन व एक सब-यार्ड बनाया जाना प्रस्तावित है।

(2) सब-यार्ड सोजतसिटी में भूमि प्राप्त हो चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। अन्य सब-यार्डों हेतु भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होते ही सब-यार्डों के निर्माण कार्य कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।

(3) मण्डी समिति सोजत रोड के क्षेत्र में कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई है। मन्डी समिति रानी के क्षेत्र में दिनांक 3-1-83 को दो सड़कें क्रमश: सम्पर्क सड़क खीवाड़ा से सिवास होकर धनेड़ी पिलोवनी 3 कि. मी. व ज्वाली से नदाणा भटान (डामर की) 2 कि. मी. स्वीकृत की गई हैं।

सूचना सदन के पटल पर परिशिष्ट-1 के द्वारा रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की कानून व्यवस्था निरन्तर खराब होने के विषय में,

(2) सर्व श्री हीरालाल आर्य, बालचन्द आर्यवीर, छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 20 मार्च को कोटा नगर में कुछ लुटेरों द्वारा चार व्यक्तियों की हत्या करने के विषय में,

(3) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 21 मार्च की रात्रि को लदान हाउस, शिकारियों का मोहल्ला, जयपुर स्थित एक किरायेदार के रूई के गोदाम का ताला तोड़कर मकान मालिक द्वारा सामान ले जाने की घटना के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से नया बाजार, अजमेर में रामगोपाल रूपनारायण सर्राफ की दुकान से सोने व चांदी के जेवर की चोरी के विषय में,

(5) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर उद्योग द्वारा नगरपालिका क्षेत्र सवाईमाधोपुर को एग्रीमेन्ट के अनुसार पीने का पानी न देने के विषय में,

(6) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा तहसील के मंगरोप ग्राम के पास बनास नदी पर किसानों के विरोध के बावजूद बांध बनाने का निर्णय लिये जाने के विषय में,

(7) सुश्री पुष्पा जैन व श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 मार्च को ग्राम मून्धड़ पंचायत मैनसार, तहसील नोखा में निर्माणाधीन एक कुएं के मलवे से दो मजदूरों के दब जाने के विषय में,

(8) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से रांगड़ी चौक बीकानेर में दहेज के लालच में श्रीमती कमला शर्मा की गत 16 मार्च को की गई हत्या के विषय में,

(9) सर्व श्री गोपाल पचेरवाल, रघुवीर सिंह कौशल, दाऊदयाल जोशी, हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 25 व 26 मार्च की मध्य रात्रि को रंग बाड़ी रोड, कोटा पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा महेश अग्रवाल के परिवार पर हमला और एक बच्ची की हत्या के विषय में,

(10) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बालोतरा कस्बे में रंगाई-छपाई के कारखानों से होने वाले जल प्रदूषण के विषय में,

(11) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 अक्टूबर, 1983 को ठाकुरदास सिंधी निवासी—खैरथल की लड़की को दहेज के लालच में जयपुर में उसके ससुराल वालों की ओर से गायब कर देने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 29 फरवरी को जयपुर नगर में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बांटे गये पट्टों में अनियमितता होने और उनके कब्जे पट्टाधारियों को न मिलने के विषय में,

(2) सर्वश्री दाऊदयाल जोशी, हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा स्थित चम्बल विकास विभाग के टूट जाने से कर्मचारियों की छंटनी किये जाने की आशंका के विषय में,

(3) सर्वश्री चाव खां, त्रिलोकसिंह, महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में यूनानी तिब्बी कालेज के छात्रों के आन्दोलन के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

ये स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं। माननीय सदस्य इन्हें अन्य माध्यम से उठा सकते हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री भगवानदास शास्त्री : दिसम्बर, 1983 में दयानन्द कालेज अजमेर के छात्र प्रदीप चौधरी की हत्या,

(2) सर्वश्री हंसराज शर्मा व चुन्नी लाल : ग्राम-भगवतगढ़, जिला सवाईमाधोपुर में नसबंदी करते समय एक महिला की मृत्यु,

(3) श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा नगर विकास न्यास द्वारा मास्टर प्लान का उल्लंघन कर जमीन को खुर्द-बुर्द करने के विषय में,

(4) श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यालय इटावा से हटाये जाने के विषय में,

(5) श्री दाऊदयाल जोशी : मुखोत कस्बा, जिला कोटा में एक पागल महिला के साथ बलात्कार की घटना के विषय में,

(6) श्री मेघराज तावड़ : उदयपुर के थाना गोवर्धन विलास के अन्तर्गत ग्राम टीड़ी निवासी प्रभूलाल की हत्या,

(7) श्री बंसीलाल पटवा : भीलवाड़ा निवासी अशोक सिंघी का अपहरण व हत्या और बनेड़ा ग्राम की एक वृद्ध महिला की हत्या,

(8) श्री हीरालाल आर्य : राजस्थान ताप बिजली कोटा के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन व धरना दिये जाने के विषय में,

(9) श्री हरीश शर्मा व श्री हीरालाल आर्य : पंचायत समिति खैराबाद, जिला कोटा के विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की अध्यापिकाओं को परेशान किये जाने के विषय में,

(10) श्री मेघराज तावड़ : ग्राम रुपावटी, थाना-रानीवाड़ा, जिला जालौर, निवासी श्रीमती रंमू की हत्या,

(11) श्री महावीर प्रसाद : ग्राम पंचायत बहड़, तहसील निवाई, जिला टौंक में नदी के पेटे में आई जमीन पर काश्त करने पर काश्तकारों के विरुद्ध अतिक्रमण के मामले दर्ज करने के विषय में,

(12) श्री मालाराम : मई 1982 में की गई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बाद कर्मचारियों को वेतन न चुकाने के विषय में,

(13) श्री घनश्याम तिवाड़ी : तहसील बानसूर, जिला-अलवर में एक अज्ञात बीमारी से एक परिवार के 6 सदस्यों की मृत्यु के विषय में,

(14) श्री महावीर प्रसाद : टौंक तहसील की ग्राम पंचायत वजीरपुरा के डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा न देने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री हरीश शर्मा, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य, श्री बालचन्द आर्यवीर : सिंचित क्षेत्र कोटा से हटाये गये कर्मचारियों को राजस्थान नहर परियोजना में जैसलमेर भेजने पर उन्हें नियुक्ति न देने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है और इन पर निर्णय बाद में लिया जायेगा।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आज फिर कोटा के अन्दर ऐसा वातावरण बना हुआ है, वहां पर लुटेरों ने....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पुलिस उन लुटेरों से मिली हुई है, पुलिस का पहरा होते हुए भी....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर): मेरे दो प्रस्ताव पुलिस के खिलाफ थे, उनका कोई जवाब नहीं आया। पुलिस के खिलाफ जो भी प्रस्ताव आता है वह गायब हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे उन दोनों प्रस्तावों का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : विद्यार्थियों की पिटाई के बारे में थे, उसमें ताकीद दुबारा कर दी गई है। आज प्रातः आते ही मुझे ज्ञान था कि उस विषय को आप जरूर उठायेंगे। इस सम्बन्ध में शीघ्रातीशीघ्र सूचना मंगवायी जा रही है।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : कोटा में लगातार हत्याएं हो रही हैं। आज और हत्या कर दी गई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : मेरा निवेदन है कि कोटा के अन्दर हत्याएं लगातार हो रही हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : पुलिस अधीक्षक, कोटा हत्यारों से मिलकर मर्डर करा रहा है, लूटपाट करा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। माननीय सदस्य, यदि किसी स्थगन प्रस्ताव में सूचना प्राप्त हुई या नहीं हुई, अनावश्यक रूप से देरी हो रही हो या अतिआवश्यक अन्य कोई विषय है तो कृपया मुझसे अलग से मिलें, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : रोजाना हत्याएं हो रही हैं, रोजाना लूटपाट हो रही है।

श्री हरीश शर्मा : सवाल बहुत गम्भीर है। पुलिस अधीक्षक हत्यारों से मिलकर मर्डर करा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं। आप धैर्य रखें। एक एक माननीय सदस्य को एक एक मिनट के लिए बात कहने का मौका दे सकता हूं अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं। मैं जो व्यवस्था दूं कृपया उनका पालन करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। एक गम्भीर घटना कठूमर तसहील में एक ग्राम में हुई जहां 70 परिवार हरिजनों के जला कर राख कर दिये गये हैं....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : चारों तरफ अन्धकार मचा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रक्रिया के नियम हैं, इस प्रकार के दुर्भाग्य की बात कई दफा हो जाती हैं, तो ऐसे विषयों को अपने सदन में लेने की प्रक्रिया है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : 295 के तहत आपकी इजाजत से उठाया है।

श्री हीरालाल आर्य : कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो यह निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसके बारे में निवेदन है कि मैंने अखबार, हिन्दुस्तान में पढ़ा है कि कठूमर के पास एक ग्राम में 70 परिवार हरिजनों के जलकर राख हो गये....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय मंत्री जी, क्षमा करेंगे, यह विधिवत् प्रश्न उठाया नहीं गया है। इस प्रकार से तत्काल प्रश्न ले लिये जायेंगे तो सदन का संचालन करना कठिन होगा। इस तरह का प्रस्ताव आने दें फिर माननीय सदस्य को और आपको भी अवसर देंगे।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के लोग....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : सरकार आज ही बयान दे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आज भी यहां पर हत्याएं हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : वास्तव में शून्यकाल हो गया है, न मैं कुछ समझ पा रहा हूं और न ही कुछ सुन पा रहा हूं, न कार्यवाही का संचालन हो रहा है।

कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

(श्री ग्रध्यक्ष)

मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन कर दिया कि यदि ग्रापको किसी तरह की शिकायत है तो ग्राप में से एक व्यक्ति कह दें....

श्री हरीश शर्मा : मेरा नाम पुकारा है।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह कोटा जिले का दुर्भाग्य है कि गांवों के लोग या शहरों के लोग पुलिस के ग्रधिकारियों से मिले हुए हैं। लुटेरों से, ग्रपराधियों से मिले हुए हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुल मिलाकर जो घटनायें हो रही हैं ग्रासन के भी ध्यान में हैं ग्रौर....

(व्यवधान)

उसके बारे में सरकार से वक्तव्य दिला देंगे। इस तरह से चर्चा नहीं होगी....

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : एक दिन की बात नहीं है जिस तरह से घटनायें हो रही हैं....

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : कब जवाब देंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जिस ढंग से वहां पर हत्याएं हुई हैं....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : मैं ग्रापकी भावनाग्रों को समझ गया हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ....यह शर्म की बात है....

श्री ग्रध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। मैं ग्रापके ग्राशय को समझ गया हूं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था ग्रौर सरकार ने विश्वास दिलाया था कि पुलिस के 4 ग्रादमी गये हैं। उसके बाद कोटा में ग्राई. जी. पी. गये ग्रौर पुलिस के डायरेक्टर गये लेकिन....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। भाषण नहीं होगा। ग्रासन ने व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भाषण नहीं दिया जा रहा है।

हमारे साथ में ग्रन्याय हो रहा है। कोटा का जन-जीवन ग्रस्त-व्यस्त हो चुका है। हर ग्रादमी, जो कोटा से निकलने वाला है, निकल नहीं सकता है। पता नहीं मंत्री महोदय की जुबान क्यों बंद हो गयी है। हम पूरा कोग्रापरेट करने को तैयार हैं हमारे से ग्राप क्या ग्राशा करते हैं? हम कन्धे से कन्धा मिलाकर इन गुण्डों का

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

आपके साथ मुकाबला करने को तैयार हैं। आप चुप क्यों हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय राज्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे कोटा में लूट मची हुई है ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : आपको अधिकार नहीं है राज करने का। आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सब बातें आ गयी हैं। राज्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो न्याय चाहते हैं। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। लगातार 5 दिन से वहां पर हत्यायें हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, धीरज रखें। कृपया बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : लड़की को उछाल कर फेंक दिया उससे वह नहीं मरी तो उसको कुल्हाड़ी से मार कर फेंक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, और आप में कुछ मानवता होगी तो....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ समय न लें। माननीय सदस्य, गृह राज्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों ने जिस खेदजनक दुर्घटना की तरफ आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह अपने आप में दुखद घटना है। पहली घटना जो....

(व्यवधान)

आप सुनें तो सही....

श्री नाथूसिंह : रोज हो रही है।

(व्यवधान)

पुलिस की मिलीभगत नहीं होती तो इस तरह के काण्ड नहीं होते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें। उत्तर दे रहे हैं।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे प्रातःकाल सदन प्रारम्भ होने से पहले माननीय जोशी जी मिले। काफी उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी....

श्री दाऊदयाल जोशी : उस चर्चा के समय माननीय पशुपालन मंत्रीजी ने कहा कि समस्या हल हो सकती है × × ×

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × × तो भी ठीक हो सकती है...

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : × × × तब आपको मालूम पड़ेगा। अगर आपके बस की बात नहीं है तो पुलिस को हटा लें। कोटा की जनता स्वयं सब सम्भाल लेगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × × का क्या मतलब है?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य स्वयं इस तरह के अपशब्द कहते हैं। उनको जब कोई कहता है तो उनको भी नाराजगी होती है....

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री हैं आपको थोड़ा और धीरज रखना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसी आपकी आज्ञा। अध्यक्ष महोदय, मुझसे कहा माननीय जोशी जी ने....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो बड़ी × × × की बात है। इस तरह का व्यवहार करते हैं....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप मंत्री जी को ताड़ना दें जिससे कि आइन्दा सदस्यों के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, भाषा पर स्वयं इनको भी संयम रखना होगा....

श्री अध्यक्ष : दोनों को।

श्री यदुनाथ सिंह : क्षमा मांग लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वे मांगें तो मैं मांग लूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : वे किस बात की मांगें?

श्री बालचन्द आर्यवीर : कहा तो आपने है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अपनी बात तो कह दें और दूसरों की बात सुनें नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपने उनको गाली दी है। आपके दोस्तों ने दी है। गाली कैसे देंगे आप?

× × × अभिव्यक्ति, शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गाली किसने दी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा, पागलखाने भेज दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उन्होंने कैसे कहा कि....

(व्यवधान)

गाली उन्होंने दी है।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : आपको सुनना होगा क्योंकि आप जनता के हित के लिये काम नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति बर्दाश्त नहीं होगी।

श्री दुलाराम : उनका तात्पर्य × × × से नहीं था × × × से था।

श्री अध्यक्ष : मैं इस सारी कार्यवाही को देखकर उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री जयदेव प्रसाद इंदौरिया (रतनगढ़):जैसा व्यवहार विपक्ष अपने प्रति चाहता है, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ये ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 25.3.84 को, अध्यक्ष महोदय, रात्रि के समय 8.30–8.45 के बीच में एक दुर्घटना हुई जिसमें दस साल की बच्ची की लूटपाट कर हत्या कर दी गयी कोटा के अन्दर। अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः काल मुख्य मंत्रीजी ने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था। उसके बारे में उनको निर्देश दिया गया और कोटा के अन्दर यहाँ से एडिशनल फोर्स भेजी गयी। इस समय कोटा के अन्दर पूरी बटालियन में जो कमी थी वह पूरी कर दी गयी है। इन्टेंसिव पेट्रोलिंग आफिसर्स को यहां से कोटा के अन्दर डेप्लाय किया जा रहा है, श्रीमन्। साथ में यह भी तय किया गया है कि छः आदमियों का जो गैंग है इसके बारे में जो भी व्यक्ति हमें, पुलिस को या सरकार को सूचना देगा, पकड़वाने में अगर उसका कोई सुराग देगा तो प्रति व्यक्ति जो गैंग में छः हैं 10-10 हजार रुपये इनाम दिया जायगा। हम जनता का भी सहयोग चाहते हैं इसलिये यह किया गया है। मुझे खेद है कि इस प्रकार की दुर्घटना हुई है। हम और अधिक सक्रियता के साथ इन्तजाम करेंगे। माननीय सदस्य ने जोरखेड़ा के बारे में कहा था कि वहां पर कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। वहाँ पर भी एक आर.ए.सी. का पोस्ट कायम कर दिया गया है। माननीय सदस्य, कोटा-बारां रोड के ऊपर इंटेंसिव पेट्रोलिंग का इन्तजाम किया गया है। यहाँ से सी. आई. डी. के कुछ अधिकारियों, गुप्तचरों को भेजा गया ताकि इस मामले का और पता लगायें। दुर्घटना हुई है, सरकार को दुःख है। इसके अन्दर पूरा प्रयत्न सरकार कर रही है, पुलिस के अधिकारी सक्रियता से जुटे हुए हैं। हमको भी चिन्ता है कि एक दुर्घटना के बाद ऐसी दूसरी खराब दुर्घटना हुई जिसमें एक मासूम बच्ची की जान गयी।

× × × अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इस समय तो केवल दुख ही प्रकट कर सकता हूँ। आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को इस बात के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि मुजरिमों को पकड़ने के अन्दर और कोटा जिले के अन्दर शान्ति व्यवस्था कायम करने के अन्दर सरकार ने कोई कोर कसर उठा नहीं रखी है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह: कोटा क्षेत्र के जो विधायक हैं, अभी बैठ जाता हूं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। मैं उनके सुझाव भी आमंत्रित करूंगा। अगर इसके बारे में उनका कोई सुझाव हो तो कृपया देने की कृपा करें। हमको सहयोग करें जिससे कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ने में सरकार को सहायता मिल सके। और भी कोई सुझाव हों जिससे कि इस मामले के अन्दर लोगों को रिलीफ मिल सके उसके बारे में सुझाव दें। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस बारे में चर्चा करने के लिये अभी तैयार हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, हर सदस्य अभी यह जानकारी करना चाहता है कि आपने जब इतने बड़े-बड़े अधिकारियों को वहां भेज दिया, इन्तजाम करने के लिये कह दिया, उस महिला ने अधिकारी से जो सुरक्षा के लिये कहा, उनसे मदद मांगी थी वे अगर मदद दे देते, अगर गोली चला देते तो निश्चित रूप से उस बच्ची को बचाया जा सकता था। जब उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो उनको वहां भेजने से, निर्देश देने से····

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्या, यह महत्वपूर्ण घटना है इसलिये मैं इस पर विधिवत सरकार से वक्तव्य दिलाऊंगा। सभी घटनाएं उसमें आ जायेंगी, उस समय जितने भी पक्ष हैं, उन्होंने ढील दी है या और भी कुछ है, इन सभी पर विचार हो जायगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : इस प्रकार की घटना घट गयी और सरकार चुप बैठी है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इनकी बहुत ही शीघ्र जानकारी प्राप्त करके सरकार से बयान दिलाऊंगा। यदि कहीं कोई कमजोरी रही है, यदि सरकार के प्रबन्ध में कहीं ढील है या कोई और बात है तो माननीय सदस्यों को भी पूर्ण अवसर देंगे ताकि इस पर चर्चा हो सके। तत्काल इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती। आज बहुत लम्बी कार्य सूची है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपील करता हूँ।

अगला विषय है····

(व्यवधान)

ऐसी सूचनाएं देने में....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

सभी पक्ष बाद में आयेंगे।

कृपया, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। मंत्रीजी से मिल लीजिये तत्काल कुछ चाहते हैं तो। आर्डर, आर्डर बैठ जायं। आज समय न लें। कृपया बैठ जायं।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था तो दे दी कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जायगा। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों के अन्तर्गत एडजार्नमेंट मोशन्स की प्रक्रिया निर्धारित है। उस प्रक्रिया में आपको यह निर्णय लेना है कि कोई मामला इस तरह का है, गम्भीर है क्या और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है? अब आपने तो अनुमान लगा लिया होगा कि कोटा क्षेत्र में किस प्रकार का आतंक है। उस आतंक की जानकारी माननीय सदस्य जो कोटा से आये हैं ने स्थगन प्रस्ताव से दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार का है जिसको कार्यवाही में तुरन्त लिया जाना चाहिये, उस पर तुरन्त....

श्री अध्यक्ष : कल इस पर वक्तव्य दिलायेंगे। समाप्त करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम 121 के अन्तर्गत श्री अमीन खां, सदस्य विधान सभा, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में जलप्रदाय योजनाओं को नियमित रूप से बिजली नहीं मिलने से जल को संकट की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

इस प्रकार का एक प्रस्ताव मेरे पास काफी समय बाद आया था लेकिन मेरे ध्यान में माननीय सदस्य लाये हैं हेमाराम, उनको भी अवसर दिया जायगा। संक्षेप में अपनी बात कहने का कष्ट करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक फाइनेन्शियल कमेटी के सम्बन्ध में अंतिम नामिनेशन फाइल करना था।

एक माननीय सदस्य : वह तो आ गया।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ गया। मेरे पास नहीं आया था इसलिये।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आज आपने विनियोग विधेयक इसमें लिया। अनुपूरक अनुदान वर्ष 1983-84 पर विचार नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष : कल जैसा तय किया गया था, अनुदान की मांगें प्रस्तुत हो जायंगी उसके बाद में जैसा कि तय हुआ था, उन पर डिसकशन और एप्रोप्रियेशन बिल पर डिस्कशन दोनों का टाइम साथ होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज के अजेन्डा में तो था ही नहीं। आज का तो परसों के दिन का है जो 23 तारीख को स्थगित किया गया था।

श्री अध्यक्ष : आप तो साथ रखवाना चाहते थे न दोनों दिन का, दोनों मांगों का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों मांगों का साथ नहीं था, अलग दिन था इसके लिये।

श्री अध्यक्ष : उस दिन आधा तो था गैर सरकारी दिवस। तो वह तो शुक्रवार को होता है। थोड़ा ज्यादा बैठ जायेंगे। आज तो भाषण होने हैं।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हेमाराम जी के प्रस्ताव के बाबत मुझे कोई सूचना नहीं है, न अजेण्डा में इस तरह का कोई आइटम है।

श्री अध्यक्ष : वह की वह बात है, नयी बात नहीं है इसलिए कृपया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर-जैसलमेर जिले में जलदाय योजना को नियमित रूप से बिजली न मिलने से उत्पन्न पेयजल संकट।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, बिजली की हम लोग बाड़मेर सब-डिवीजन के रेगिस्तानी इलाके में कोई जरूरत महसूस नहीं करते हैं। 1969-70 में फेमिन के तहत बाड़मेर जिले के रेगिस्तानी सब-डिवीजन में 3-4 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं। उसमें कोई 40-45 गांव थे, जिसमें शिव तहसील के 22 गांव थे। उस वक्त डीजल के जनरेटर सेटों से इन क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को चलाया जाता था, जिस से ज्यादा लोगों को असंतोष नहीं था। पिछले दो तीन सालों में राज्य सरकार की मार्फत भारत सरकार ने डी. आर. ई. पी. के तहत बाड़मेर जिले में 14 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाएं स्वीकृत कीं। उसमें से जलदाय विभाग ने काफी योजनाओं के तहत गांवों में टकियां बना दीं, पाइप लाइन खींच लीं और कुछ जगह पर तो पेयजल की योजनाओं को चलाने के लिए पी.एच.ई.डी. ने अपनी सैपरेट लाइनें विद्युत विभाग से लीं। अब पेयजल की योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए विद्युत का जो अभाव है, उस से तमाम योजनाओं में जिस तरह से जितना पानी मनुष्यों और पशुओं को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है और हर योजना में इससे दखल होता है। मिसाल के तौर पर, मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से उण्डू 115 किलोमीटर है, शिव तहसील हैड क्वार्टर पर 33 के. वी. का सब-स्टेशन है, और बिजली

(श्री अमीन खां)

विभाग की सन् 1980 की स्वीकृति है, लेकिन उसके बाद से आज तक 33 के. वी. का ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया है, 11 के. वी. का ट्रान्सफार्मर है। उसके नतीजतन बाड़मेर से उण्डू तक और शिव से.........

(12.51 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

दिजणीयाणी, जैसलमेर जिले के गांव हैं, जहां 20 गांवों की पेयजल योजनाओं, दिजणियाणी—धाजली—स्कीम का नाम हैं, उसको, सभापति महोदया, पानी सप्लाई करना पड़ता है। शिव से 60 किलोमीटर की दूरी की लाइन है 11 के० वी० की। शिव में एक आदमी विद्युत विभाग का रखा हुआ है दिजणियाणी—धाजली स्कीम को चलाने के लिए। बिजली में जब फाल्ट आता है तो जैसलमेर जिले का पी. एच. ई. डी. जैसलमेर जिले के ए. ईएन. विद्युत को इत्तला करता है। जैसलमेर जिले का ए. ईएन. शिव में उस आदमी को खबर करता है कि बिजली नहीं जा रही है दिजणियाणी-धाजली स्कीम को चलाने के लिए, तो कम से कम 60 किलोमीटर में वह आदमी तीसरे दिन तक पता लगा सकता है कि इस योजना की इस बिजली में फलां जगह गड़बड़ है। उसके बाद में कम से कम दो दिन में बिजली की लाइन को ठीक करता है। जिसका नतीजा यह होता है कि एक बार उस लाइन में गड़बड़ होने से 5 दिन तो स्कीम को बन्द करना पड़ता है। 5 दिन स्कीम में जब पाइप लाइनों में पानी नहीं पहुंचता है तो जगह जगह पानी के अभाव में लोग पानी की पाइप लाइन तोड़ देते हैं। महीने में लगातार 15 दिन बिजली बंद रहती है।

इसी तरह से बाड़मेर से ग्राद 115 किलोमीटर दूरी की लाइन है, जहां बाड़मेर से रामसर 33 के.वी. की लाइन है, 33 के.वी. का सब स्टेशन है, जिसकी स्वीकृति 1980 से है। मगर आज तक रामसर पर 11 के.वी. का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है, 33 के.वी. का का नहीं है। जिससे तुड़बी, गडरा रोड, राणासर, खुडाणी, और खाणयाणी इन गांवों में ट्यूब-वैल और पंप-मोटर सही रूप में नहीं चल सकती हैं क्योंकि 11 के.वी की लाइन इतनी लम्बी रहने के कारण वोल्टेज समय समय पर नहीं आता है।

इसी प्रकार यह बाड़मेर से ग्राम का तालाब 110 किलोमीटर है। वहां भी 11 के.वी. चलती है। मेरा निवेदन यह है मंत्री महोदय से कि बाड़मेर जिले को इस वक्त 3.6 मेगावाट बिजली दे रहे हो, उसमें से 3 मेगावाट तो मात्र पी.एच.ई.डी. की जरूरत है। इस वक्त बिजली की आपकी लोकल सप्लाई के कारण से पी.एच.ई.डी. को कुल मिलाकर 16 घण्टे की स्कीम चलनी चाहिए लगातार, अगर कोई गड़बड़ नहीं होती है किन्तु 10 घण्टे से ज्यादा भी ट्यूब-वैल, पम्प मोटर को चलाने के लिए पावर नहीं मिलती है। जब कोई गड़बड़ होती है तो अभी 132 के.वी. का ट्रान्सफारमर बाड़मेर का करने के बाद, 132 के.वी. की लाइन चलाने के लिए एक तो ट्रक है विद्युत विभाग के पास और एक जीप है। 33 के.वी. और 11 के.वी. लाइन जो 865 गांवों में है, में

(श्री ग्रमीन खां)

ग्रगर कहीं बिजली की गड़बड़ होती है तो पी.एच.ई.डी. वाले खबर देते हैं। तो विद्युत विभाग के पास कोई साधन नहीं है ताकि वह ग्रादमी जाकर उस लाइन को संभाल सके ग्रौर ठीक कर सके। पी.एच.ई.डी. वालों को उनको गाडी देनी पड़ती है, पी.एच.ई.डी. का काम छोड़ कर साथ जाते हैं मजबूरी में तब 3–4 दिन में जाकर ठीक करते हैं। कुल मिलाकर, सभापति महोदया, इसमें कोई ग्रसच्चाई की बात नहीं कहता, हकीकत यह है कि महीने में 15–20 दिन बिजली नहीं मिलने के कारण पेयजल योजनाग्रों के लिए बिजली हर वक्त गांवों में नहीं जाती है। 15 दिन में नहीं पहुंचने के कारण गर्मियों में लोग जगह जगह पाइप लाइन तोड़ देते हैं। एक बार जब वह स्कीम बंद होती है तो 10 दिन उसको ठीक करने में लग जाते हैं। ऐसी हालत में मेरा यह सुझाव है, मंत्री महोदय, 1980 से जो 33 के.वी. का सब-स्टेशन सैंक्शंड है, जहां पेयजल योजनाग्रों के लिए 14 करोड़ की भारत सरकार की स्वीकृति है, मुझे यह शंका है कि विद्युत के 33 के.वी. के ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था ग्रगर सही नहीं की जायेगी तो भारत सरकार का जो धन स्वीकृत किया हुग्रा है, वह लैप्स हो जायेगा। जो योजनाएं चल रही हैं उनको ही पी.एच.ई.डी. कभी पूरा नहीं कर सकता है, ग्रौर ग्रागे जो वर्क करना है वह वर्क हाथ में नहीं ले सकते।

मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, साहूग्राम–सलाड़िया योजना है, एक करोड़ 52 लाख की योजना है, उसका सोर्स है खानियाणी गांव। डिजाइन के ग्रनुसार उन्होंने 8 ट्यूब वैल पी.एच.ई.डी. को दिये हैं उस स्कीम को सुचारु रूप से चलाने के लिए, जिनमें से 2 ट्यूब वैल में एक साल लगातार कोशिश करने के बाद कनेक्शन हुग्रा। 6 ट्यूब वैल में ग्रभी तक कनेक्शन नहीं मिले हैं। ग्रगर उन 6 ट्यूब वैल्स को कनेक्शन नहीं मिलेगा तो 35 गांवों में, साहूग्राम–सलाड़िया हर हालत में, चाहे पी.एच.ई.डी. कितनी ही कोशिश करले, योजना से 2 गांवों को भी पानी नहीं पहुंच सकता। सारी योजनाग्रों पर जो पैसा खर्च हुग्रा वह बेकार हो जायेगा। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि 33 के.वी., रामसर के स्थान पर सब-स्टेशन को 33 के.वी. का ट्रान्सफार्मर लगाया जाय।

(1.00 म.प.)

शिव तहसील हैडक्वार्टर सन् 1980 से 33 के.वी. का ट्रान्सफार्मर स्वीकृत हुग्रा वह भी 11. वी. का चला रहे हैं। वहां ग्राप 33 के. वी. ट्रान्सफार्मर लगवा दें।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि साहुपदमसिंह बायतू पंचायत समिति को 33 के. वी. की ग्रार. ई. सी. की स्कीम के तहत 31 मार्च, 1983 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य था, वहां भी ट्यूबवैल्स ग्रौर पेयजल की योजनाग्रों को कनेक्शन है। साहुपदमसिंह का 1983 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य था पर ग्राज 1984 तक भी नहीं हुग्रा जिससे साहुपदमसिंह उतरण की 59 लाख रुपये की पेयजल की योजना है वह भी प्रारम्भ नहीं कर सके हैं।

इसी प्रकार दूसरा मेरा यह निवेदन है कि ग्राप ग्रौर जिनयाणी के बीच 25 किलोमीटर का फासला है ग्रौर बीच में ग्रासाड़ी नलकूप है वहां पी. एच. ई. डी. ने डिमान्ड की है, जिनयाणी से 80 किलोटीमर

(श्री ग्रमीन खां)

शिव से बिजली की लाइन ली है। बीच में कहीं न तो पी. एच. ई. डी. की डिमान्ड है ग्रौर न कोई गांव की डिमान्ड है, तो शिव का ग्रादमी जैसलमेर पी. एच. ई. डी. को इत्तिला देने के लिये तीन दिन में भी नहीं पहुंच सकता है जिससे नियाणी की स्कीम महीने में 15 दिन बन्द रहती है। गडरा रोड ग्रौर ग्राप के बीच में 8 ट्यूब वैल्स साउथ ग्राम पलाडिया योजना चलाने के लिये, खारिणयाणी ग्रौर रामसर खड़ीन चलाने के लिये, राणासर में नलकूप चलाने के लिये इन जगहों पर बिजली विभाग का कोई ग्रादमी नहीं रहता है। पी. एच. ई. डी. वालों का यहां पर तो कोई ट्यूब वेल नहीं है। ज्यों ही बिजली में कोई फाल्ट होता है वह जाकर गडरा रोड या बाड़मेर खबर पहुंचाता है। चार दिन में वह ग्राकर लाइन देखते हैं जिससे 10 दिन यह सारी स्कीम बन्द हो जाती है। उसके लिये बिजली विभाग वालों के पास, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, एक ट्रक है ग्रौर एक जीप है जिससे सारे जिले के गांवों में घूम नहीं सकते हैं। पी. एच. ई. डी. वाले ग्रपना काम बन्द करके इनको दे देते है या ये ग्रपना काम बन्द करके उनका काम साध देते हैं जिससे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से लोगों को लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। इससे लोगों में ग्रसंतोष होता है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि बाड़मेर पंचायत समिति शिव की ग्रार. ई. सी. की स्कीम ग्रभी तक स्वीकृत नहीं हुई। मैंने पहले भी निवेदन किया कि 5 मेगावाट पावर की बाड़मेर को जरूरत है, जिसमें से केवल 3 मेगावाट की जरूरत पी. एच. ई. डी. को है। शिव तहसील के तमाम गांवों में पानी के सोर्सेज पाताल फोड़ ट्यूब वैल्स हैं। बायतू पंचायत समिति के गांव उण्डू कोपडिया, उण्डू कलावड़ा शिव तहसील के उण्डू कानासर को ट्यूब वैल्स से पानी पहुंचाया जाता है। बाड़मेर तहसील के चौहटन गांव तक जितने भी गांव हैं उनकी योजनाग्रों के लिये भी शिव तहसील के ग्राप, गुड़ाणी, खानियाणी गडरा रोड के पानी के सोर्स को लिया गया है जो शिव तहसील के गांव हैं। बड़ौस पंचायत समिति बाड़मेर ग्रौर बायतू पंचायत समिति में कोई पानी का सोर्स जमीन में नहीं है। इस डेजर्ट में इन्सानों को ग्रौर पशुग्रों को सुचारु रुप से पानी मिले इसके लिये शिव की ग्रार. ई. सी. की स्कीम को, चाहे ग्रापको सीवियरेस्ट चेन्ज करनी पड़े तो मेहरबानी करके करें क्योंकि बोर्डर एरिया है, मिलिट्री को पानी की ग्रलग जरूरत पड़ती है, बी. एस. एफ. को ग्रलग पानी की जरूरत पड़ती है। पशुपालक एरिया है जो ग्राप स्वयं जानते हैं, पशुपालन को सुचारु रुप से चलाने के लिये शिव की ग्रार. ई. सी. की स्कीम तत्काल स्वीकृत करावें। समस्त कामों के लिये, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, चाणना में पेड़ नहीं। लोगों के पीने के पानी के लिये ग्रौर पशुग्रों को पानी पिलाने के लिये जल्दी से जल्दी शिव की ग्रार. ई. सी. की स्कीम को स्वीकृत करावें। पी. एच. ई. डी. ने जो पाइन्ट्स बताये हैं उन उन गांवों में ट्यूब वैल्स, पाताल फोड़ कुएं, मवेशियों के लिये डी.

70

(श्री अमीन खां)

पी. ए. पी. वालों ने खोद करके पहुंचाया है। जहां 40-40 हजार मीटर में पानी निकलता है, जहां सुन्दर रोडी में पानी पहुंचता है मेरा निवेदन है कि....

(1.05 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

19-20 गांवों को आर. ई. सी. में, मेरे ख्याल से, सर्वे के लिये लिया है। उन 19-20 गांवों को....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में।

मेरा निवेदन है कि शिव की पंचायत समिति के अन्दर 85 गांव हैं उन 85 गांवों में भी केवल 20 गांव विद्युत कनेक्टेड हैं और 19 या 20 गांवों का सर्वे और किया है। तो जहां जहां ट्यूब वेल्स हैं वहां पी. एच. ई. डी. को जितने लोड की जरूरत है आप मेहरबानी करके वहां के पशुओं को बचाने के लिये, वहां के इन्सानों को आराम से पानी देने के लिये, भारत सरकार की ए. आर. पी. की स्कीम्स सफल ढंग से चलें इसके लिये एक तो शिव की 33 के. वी. की आर. ई. सी. की स्कीम जल्दी से स्वीकृत करावें, और 33 के. वी. के आपके जो सब-स्टेशन्स हैं जहां पर 11 के. वी. के ट्रान्सफार्मर्स लगे हुये हैं वहां पर 33 के. वी. के ही ट्रान्सफार्मर्स कायम किये जायं, ताकि पी. एच. ई. डी. को बराबर लोड मिलता रहे।

नम्बर दो, गडरा रोड़ से आप के बीच में 8 ट्यूब वैल्स हैं और दो जगह पर बूस्टर पम्प चलते हैं। वहां पर 20–25 किलोमीटर में विद्युत विभाग का कोई तैनाती नहीं होता है जिससे लाइन देख रेख नहीं हो सकती। उन लाइनों पर आदमी तैनात किये जायं।

नम्बर तीन, आने वाली गर्मियों में पानी का भारी संकट आयेगा उस संकट के लिए विद्युत विभाग द्वारा जितनी भी पी. एच. ई. डी. की योजनाओं के लिए बिजली की आवश्यकता है वह विशेष तौर से दी जाय और इसमें कोई कटौती नहीं की जाय। नहीं तो लोगों को पीने के पानी का संकट होगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां : तीसरी बात यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर में खराब इंजिनों की रिपेयर करने के लिए जो ए. ईएन. था उसका हैडक्वार्टर बाड़मेर से हटा कर जोधपुर रख दिया। उसको वापस बाड़मेर रखा जाय। खराब इंजिन की वहीं पर रिपेयर होना बहुत जरूरी है।

आखिर में मेरा यह निवेदन है कि जैसलमेर जिले में पोकरण से 33 के. वी. की लाइन जाती है। 150 किलोमीटर में आज की हालत में नहर का भी काम हो हो रहा है। सीमेन्ट के कई कारखाने लगने

(श्री अमीन खां)

की सम्भावना भी हो गई है। वहां पर भारत सरकार ने पानी की योजनायें भी कई स्वीकृत कर दी हैं और पेयजल योजना भी बन गई हैं, गांवों में पाइप लाइन भी बिछ गई है लेकिन 132 के. वी. का ट्रांसफार्मर जैसलमेर मुख्यावास पर लगना जरूरी है। अगर 132 के. वी. का जैसलमेर में नहीं लगायेंगे तो वहां की तमाम योजनायें फेल होंगी। इसलिये 132 का के. वी. जैसलमेर में बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि पीने का पानी प्राथमिकता के आधार पर देने व प्रधान मंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम "पिछड़े को पहले" को ध्यान में रखते हुये पी. एच. ई. डी. को बराबर लोड मिलता रहे इसके लिए जरूरी है कि 33 के. वी. सब-स्टेशन पर 33 के. वी. का ट्रांसफार्मर कायम किया जाय, यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका अलग मामला है आपकी सूचना तो उपलब्ध नहीं होगी इसलिये मैं समझता हूं कि इसको अलग से ले लिया जाय तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : ठीक है।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अमीन खां जी द्वारा कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में दिये गये ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति निम्न प्रकार से है:—

"राजस्थान राज्य में बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों की विषम भौगोलिक स्थिति होने एवं उच्च प्रसारण लाइनों से दूर होने के कारण विद्युतीकरण हेतु लम्बी 33 के. वी. तथा 11 के. वी. लाइनों की आवश्यकता पड़ती है तथा ग्राम दूर दराज में स्थित होने के कारण वितरण प्रणाली पर अधिक व्यय करना होता है। आवागमन के साधनों की कमी होने तथा रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु आवश्यक सामग्री पहुंचाये जाने में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है एवं समय भी अधिक लगता है अतः योजनाओं के सभी कार्य काफी अवस्था में लक्ष्य रखने के सन्दर्भ में समय पर सम्पादित कर पाना सम्भव नहीं हो पाता। सारा सदन ही जानता है कि बाड़मेर और जैसलमेर विद्युत वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर पर स्थित हैं। पूर्व में बाड़मेर क्षेत्र में विद्युत प्रसारण 200 किलोमीटर की 33 के. वी. लाइन जोधपुर से विद्युत वितरण किया जाता था। काफी लम्बी लाइन होने के कारण प्रायः इसमें व्यवधान होता रहता था जिससे इस क्षेत्र की जल प्रदाय योजनायें काफी प्रभावित होती थीं। किन्तु मण्डल ने योजनाबद्ध तरीके से देवारी (उदयपुर) से सिरोही-117 कि. मी., सिरोही से जालौर-61 कि. मी., जालौर से बालोतरा-74 कि. मी. एवं बालोतरा से बाड़मेर 84 कि. मी. की 132 के. वी. लाइनें डाल कर बाड़मेर में 132/33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण किया है एवं इसे सितम्बर, 1983 में प्रारम्भ भी

(72)

(श्रीमती कमला)

कर दिया गया है। वर्तमान में इसी ग्रिड सब-स्टेशन से बाड़मेर क्षेत्र को विद्युत प्रसारित की जा रही है। इस लाइन एवं ग्रिड सब-स्टेशन के बन जाने से दिन-प्रतिदिन के होने वाले व्यवधानों में तथा वोल्टेज में भी काफी सुधार हुआ है।

बाड़मेर में जो 33 के. वी. सब-स्टेशन का निर्माण किया गया है उसकी वर्तमान क्षमता 3·6 एम. वी. ए. जिस पर 5·4 एम. वी. ए. का सम्बद्ध भार अर्थात् कनेक्टेड लोड दिया जा सकता है जो कि बाड़मेर क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए फिलहाल पर्याप्त है। अतः वर्तमान में बाड़मेर सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्रों में 24 घण्टे निरन्तर विद्युत सप्लाई किये जाने की व्यवस्था है। इस सन्दर्भ में बाड़मेर में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई होने पर भी 2 घंटे ही पानी क्यों मिलता है इसका कारण विद्युत विभाग के बजाय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से अगर पूछा जाय तो ज्यादा उपयुक्त होता। जहां तक विद्युत मण्डल का सवाल है, हमारे सदैव यही प्रयास रहे हैं कि....

(व्यवधान)

अरे सुनिये जरा।

बाड़मेर क्षेत्र को बिना किसी व्यवधान के निरन्तर विद्युत प्रवाह जारी रखा जाये। अगर आकस्मिक कारणों से कोई व्यवधान हो भी जाता है तो उस असुविधा को तत्काल दूर करने के प्रयास किये जाते हैं क्योंकि बोर्ड यह अच्छी तरह से जानता है कि बाड़मेर-जैसलमेर की जलदाय योजनाओं को कार्यरत रखना वहां की प्रथम आवश्यकता है। राज्य में बिजली की कमी होने के बावजूद भी बाड़मेर 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन से जलदाय योजनाओं को फरवरी व मार्च, 1984 के महीनों में ट्रिपिंग्स के समय को अलग मानते हुये, औसतन प्रतिदिन 22 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई गई है, जो आंकड़ों से मैं माननीय सदस्य को भी बता सकती हूं।

यह सही है कि उंडु, गिराब, झिझियाली तथा भीमड़ा गांवों में 11 के. वी. की काफी लम्बी लाइन खिंची हुई है एवं इसमें वोल्टेज की समस्या भी रहती है। इन सभी गांवों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवेदन करने पर व सम्पूर्ण लाइन का पैसा जमा करा देने के बाद लाइन खींची गई थी। तकनीकी साध्यता निकालते वक्त यह तथ्य भी जानकारी में था कि इन लाइनों में वोल्टेज की समस्या रहेगी क्योंकि इतनी लम्बी लाइनें खींची जा रही हैं। इस तथ्य से जलदाय विभाग को भी अवगत करा दिया गया था। इसके बावजूद भी जलदाय विभाग द्वारा जनहित में जब दबाव डाला गया तो उसको 33 के. वी. लाइन के स्थान पर 11 के. वी. लाइनों से जोड़ा गया और चालू किया गया। अब इन समस्याओं को दूर करने हेतु मण्डल द्वारा निम्न कार्यक्रम चालू हैं और कुछ प्रस्तावित हैं :

1. बाड़मेर–शिव 33 के. वी. लाइन खींचने का प्रावधान 1983–84 में कर

(श्रीमती कमला)

दिया गया था किन्तु इस दिशा में सन्तोषजनक प्रगति इस वर्ष में नहीं हो पायी है। यह लाइन 1984–85 में पूरी कर दी जावेगी जिससे ऊंडू एव झिझियाली जल योजनाओं को पूरा वोल्टेज मिल सकेगा।

2. ग्राम रामसर तक 33 के. वी. की लाइन उपलब्ध है, लेकिन उसे वर्तमान में 11 के. वी. पर चार्ज किया हुआ है, क्योंकि रामसर में 33/11 के. वी. सब–स्टेशन नहीं है किन्तु अब ग्राम रामसर, मारोडी, जस्साई और चौहटन के लिए 0.5 एम. वी. ए. के ट्रांसफार्मर प्रत्येक सब–स्टेशन के लिए भेजे जा चुके हैं, जिन्हें शीघ्र ही स्थापित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इन ट्रांसफार्मर्स के लगने से बाड़मेर रामसर तक की 33 के. वी. लाइन, जो वर्तमान में 11 के. वी. पर चार्ज है, को 33 के. वी. पर चार्ज कर दिया जायेगा जिससे ग्राम गिराव, तुरबी एवं हरसानी आदि की जल योजनाओं के वोल्टेज में सुधार होगा, क्योंकि 65 कि. मी. की 33 के. वी. पर चार्ज होने के कारण 11 के. वी. में 65 कि. मी की दूरी कम हो जायेगी। बाड़मेर से चौहटन तक की 33 के. वी. लाइन, जो अभी 11 के. वी. पर चार्ज कर रखी है, चौहटन में 33/11 के. वी. का सब–स्टेशन बनाकर बाड़मेर चौहटन लाइन को 33 के. वी. पर चार्ज कर दिया जायेगा जिससे इस क्षेत्र में भी वोल्टेज का सुधार हो सकेगा।

वर्तमान में बाड़मेर से घोरीमन्ना 70 कि. मी. व घोरीमन्ना से पीपराली–26 कि. मी. 33 के. वी. लाइन खींची हुई है, जो कि 11 के. वी. पर चार्ज है। पीपराली से गांदव तक 11 के. वी. की 11 कि. मी. लाइन है। इस प्रकार गांदव 11 के. वी. पर सप्लाई बाड़मेर से प्राप्त हो रही है। इस क्षेत्र में अभी अधिक भार नहीं है। पूरी लाइन पर लगभग 150 हार्सपावर का लोड है। इसलिए घोरीमन्ना व पीपराली पर अभी 33/11 के. वी. के ट्रान्सफार्मर लगाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। भविष्य में भार बढ़ने तथा आवश्यकता होने पर यहां 33/11 के. वी. के ट्रान्सफार्मर लगाकर पीपराली तक 11 के. वी. लाइन को 33 के. वी. पर चार्ज किया जा सकेगा।

बाड़मेर से डूंडा एवं कवास से बायतू भौंपजी तक 33 के. वी. लाइन खींची हुई है एव बायतू भौंपजी से सवाई पदमसिंह तक 33 के. वी लाइन खींचने का कार्य प्रगति पर है। किन्तु बायतू भौंपजी तक 33 के. वी. लाइन को 11 के. वी. पर चार्ज कर रखा है एवं लोड बढ़ने पर उसे भी 33 के. वी. पर चार्ज कर दिया जायगा।

बाड़मेर में काफी वर्षों पूर्व कुछ-कुछ डीजल इन्जिन्स लगाये हुए थे और सिर्फ उन्हीं के द्वारा विद्युत वितरण होता था। बाद में बाड़मेर में 33 के. वी. लाइन लग जाने पर जोधपुर से विद्युत प्रसारण किया जाता था एवं समय-समय पर 33 के. वी. लाइन में व्यवधान होने से इन इन्जिन्स की आवश्यकता पड़ती रहती थी। परन्तु अब 132 के. वी. लाइन बाड़मेर तक आ जाने के पश्चात् व्यवधान होने की सम्भावनाएं बहुत कम हो चुकी हैं। इसलिए अब यहां इन

(श्रीमती कमला)

डीजल इन्जिन्स की आवश्यकता नहीं के बराबर ही रह गई है। वैसे भी ये डीजल इन्जिन्स बहुत पुराने हो चुके हैं एवं अपना कार्यकाल भी समाप्त कर चुके हैं। इनकी मरम्मत करने का भी कोई उपयोग नहीं रह गया है। अतः इनकी मरम्मत कराने में मण्डल के कोई हित नहीं हैं। इन डीजल इन्जिन्स की सर्वे रिपोर्ट भी बन चुकी है तथा इनको बेचे जाने की सिफारिश भी की जा चुकी है। अतएव यहां सहायक अभियन्ता की आवश्यकता डीजल इन्जिन्स की मरम्मत हेतु समाप्त हो चुकी है एवं मण्डल के हित में उस सहायक अभियन्ता को जोधपुर में खराब हुए ट्रान्सफार्मर्स की मरम्मत का कार्य देखने के लिये पदस्थापित किया हुआ है।

जिला बाड़मेर में कुल 857 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च, 83 तक कुल 158 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है। जिला बाड़मेर में कुल 8 पंचायत समितियां हैं, जिनमें से 6 पंचायत समितियों में इस वर्ष 1983-84 में 60 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित था जिसमें से माह फरवरी, 84 तक 34 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इन 6 पंचायत समितियों के समस्त ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हो चुके हैं। शेष 2 पंचायत समितियां शिव व बाड़मेर के ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति इस प्रकार है :—

पंचायत समिति शिव में कुल 79 ग्राम हैं जिनमें से माह फरवरी, 1984 तक 9 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है जो कि कुल ग्रामों का 11.39 %. है। इस पंचायत समिति के 19 ग्रामों को एक एम. एन. पी. श्रेणी की योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को माह फरवरी, 84 में भेजी जा चुकी है, जिसका निरीक्षण टिप्पणियों के आधार पर संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पंचायत समिति बाड़मेर में कुल 145 ग्राम हैं जिनमें से माह फरवरी, 84 तक 9 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है जो कि कुल ग्रामों का 6.21 प्रतिशत है। इस पंचायत समिति के लिए कुल 47 ग्रामों की एक आर. एम. पी. की योजना बना कर ग्राम विकास विद्युतीकरण निगम को माह फरवरी, 84, में भेजी गई जिसको उनकी निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर संशोधित किया जा रहा है। उन दोनों योजनाओं के सम्बन्ध में उम्मीद है कि यह सत्र 84-85 के प्रथम वर्ष में ही स्वीकृत होकर हमें प्राप्त हो जायेगी। पूर्व में जैसलमेर की विद्युत वितरण व्यवस्था डीजल इन्जिन्स से थी, किन्तु अब पोकरण में 132 के. वी. का सब ग्रिड स्टेशन बन जाने के पश्चात् जैसलमेर को पोकरण से 33 के. वी. लाइन से जोड़ा जा चुका है, जिससे अब डीजल इन्जिन की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है।

जिला जैसलमेर में कुल 518 ग्राम हैं जिनमें से माह फरवरी, 84 तक 27 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है। माह नवम्बर, 1983 में पंचायत समिति जैसलमेर के 22 ग्रामों की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत हुई है। पंचायत समिति सांकड़ा के 32 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए एक आर. एम. एम. पी. योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को माह अक्तूबर, 83 में भेजी गई है जिसकी निरी-

(श्रीमती कमला)

क्षण टिप्पणियों के आधार पर संशोधित योजना प्रस्तावित की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विस्तृत विवरण से स्पष्ट होगा कि बोर्ड जिला बाड़मेर एवम् जैसलमेर जिले को प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए न सिर्फ पूर्ण रूप से उनकी पूर्ति हेतु प्रयत्नशील है बल्कि पिछले समय में बहुत ही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी की गई है तथा शेष की योजनायें स्वीकृत कराई जा चुकी हैं अथवा स्वीकृत होने वाली हैं जो आगामी समय में क्रियान्वित की जा सकेंगी। माननीय सदस्य को इससे सन्तोष होगा। कुछ दैनिक व्यवधानों एवं कमियों की बावत वे समय-समय पर अवगत कराते रहेंगे तो उनका भी निराकरण यथा समय किया जाता रहेगा।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, यह साहू ग्राम सलाड़िया की 35 ग्रामों की योजना के लिये मैंने निवेदन किया था। खानियाणी में 6 ट्यूब वैल्स कनेक्शन देने की जरूरत है। इसकी इन्होंने डिमाण्ड भी रखी है। उनमें 8 ट्यूब वैल्स को कनेक्शन दें। नम्बर दो, गडरा रोड से ग्राम के बीच में विद्युत विभाग का 6 जगह 6 ट्यूब वैल्स, आठ खानियानी और एक मोटर पम्प रातणसर में, एक खुदानी का ट्यूब वैल और एक तुरबी में ट्यूब वैल चलता है। बीच में कोई एक भी आदमी नहीं है जिसके कारण कभी जब बिजली बन्द हो जाती है तो चार दिन लग जाते हैं। इसकी देरी से विभाग को इत्तिला मिलने में चार दिन लग जाते हैं, मामूली एक दिन गड़बड़ के कारण से। ये दो मुद्दे हैं, एक तो 6 ट्यूब वैल्स को कनेक्शन मिले और एक जहां आदमी नहीं उस जगह पर आदमी तैनात होना चाहिये। शिव में 33 के. वी. का ट्रान्सफार्मर लगाया जाय।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने भाषण दिया है.....

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने तीन बातें जो प्रस्तुत की हैं उनमें एक तो आपने हमारे विभाग की व्यवस्था अर्थात् उनके साधनों की कमी और इंगित किया है। मैं इसके बारे में बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा करके इस बात को देखूंगी कि आपके जितने भी ट्यूब वैल हैं उनकी बिजली का रख रखाव और देख-रेख के लिये अगर समुचित प्रबन्ध नहीं है और आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था के बारे में मैं निर्देश दूंगी।

दूसरा, जो आपने 6 ट्यूब वैल्स को इलेक्ट्रिफाई करने के लिये कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे कहा है, 6 पंचायत समितियां तो पूर्ण रूप से स्वीकृत हो चुकी हैं, दो पंचायत समितियों की स्वीकृति आने को है और इन सबकी प्राथमिकता के आधार पर कौन से क्षेत्र का हम विद्युतीकरण करें, 84-85 के जो हम प्रोग्राम्स बनायेंगे उसमें इसी दृष्टिकोण से लेंगे कि सर्वाधिक उपयोगिता किस क्षेत्र को विद्युतीकृत करने से हो सकती है। उस समय माननीय सदस्य अपना यह प्रस्ताव दे दें।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने 6 ट्यूब वैल्स का कहा है वहां आपकी लाइन गई हुई है । दो ट्यूब वैल्स में पहले कनेक्शन हैं ।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि कनेक्शन मात्र से ही सन्तोष नहीं करना चाहिये । पूर्व में भी पी. एच. ई. डी. ने कहा, जनहित में बहुत जरूरी है इसलिये आप कर दीजिये, तो इतनी लम्बी-लम्बी 11 के. वी लाइन खीचने से ही तो यह ट्रिपिंग्स और वोल्टेज की दिक्कत आती है । इसलिये हम····

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, 33 के. वी. की लाइन····

श्रीमती कमला : आप पहले सुन लें उसके बाद में बोलें । मैं जब बैठ जाऊं उसके बाद आप खड़े हों ।

इसलिये यह 33 के. वी. स्टेशन अगर नहीं बनता है तो लम्बी लाइन खिचवा कर 11 के. वी. की से हम संतोष कर लें और राजी कर दें लोगों को, यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि 33 के. वी. स्टेशन बनने के साथ में अगर यह काम होते हैं तो यह सारी समस्याएं हल हो जाती है । जहां तक शिव में आपके 33 के. वी. स्टेशन बनाने का सवाल है मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि उसको इसी सत्र में पूरा हो जाना चाहिये था पर किन्हीं समस्याओं के कारण से वह पूरा नहीं हो सका । इसलिये 84-85 में उसको पूर्ण कर दिया जायेगा । यह मूल प्रश्न स्टेटमेन्ट में भी कह दिया है ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि यह रामसर में जो आप इसी महीने लगा रही हो 33 के. वी. का ट्रान्सफार्मर, उससे यह कोई ज्यादा दूर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह बात तो आप स्थानीय इंजीनियरों से करें । एक एक ट्यूब वैल के कनेक्शन के बारे में मंत्री महोदय क्या करेंगी ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अचानक लाकर सारी समस्या हल करवाना चाहते हैं । हम तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं । इन समस्याओं को साल भर में समय समय पर अगर डिसकस करते रहें तो शायद इतना पूछने की जरूरत भी नहीं पड़े । आप जो इतना बारीक ब्यौरा देना चाहते हैं यह अलग से मिल कर मुझे बतायें, कितना वोल्टेज वह ट्रान्सफार्मर उठा सकेगा और उनको कितना दे सकेगा ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है वह काफी सन्तोषजनक है लेकिन एक दो प्रश्न पूछने हैं । क्योंकि सारे जिले से सबंधित है इसलिए पूछना भी आवश्यक हो गया है । यह थोड़ा भ्रमात्मक है । पहली बात तो यह, पहले मंत्री महोदया स्वयं ने मंजूर किया है कि टेल एण्ड होने के कारण वहां पर ट्रिपिंग होता रहता है, वोल्टेज भी गिरता है, और भी दूसरे व्यवधान पैदा होते रहते हैं । फिर यह कहा गया है, 22 घंटे एवरेज में उन्होंने सप्लाई

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

की बात कही, यह बिलकुल ही सही नहीं है. भ्रमात्मक है और गलत है। क्योंकि पिछली दफा 15 दिन बाड़मेर के अन्दर बिजली का बहुत झंझट रहा। उससे पहले बायतू के अन्दर पानी की जो समस्या थी वह 20 दिन तक बिलकुल रही, बिजली के फाल्ट के कारण बिजली बन्द रही। इस तरह से यह कहना कि 22 घंटे तक बराबर बिजली पहुंचती है, यह बात सही नहीं है। पर यह बात तो ठीक है कि ट्रिपिंग होता है. टेल एण्ड है। उसके लिये मैंने पहले यह निवेदन किया था कि अगर किसी भी एक पावर हाउस को....

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर शहर में बिजली कितने घंटे पहुंचती है ?

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, दिन में चार पांच बार बिजली चली जाती है।

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर शहर में बिजली कितने घंटे पहुंचाई जाती है ?

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर शहर में कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि दिन में 4-5 बार व्यवधान नहीं पड़ता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता not a single day. तो मेरा कहना है कि भीलवाड़ा के लिये और कोई सीधा फीडर लगाया जा सकता है किसी पावर हाउस से तो फिर बाड़मेर के लिये आप सीधा फीडर क्यों नहीं लगवाते जिससे कि यह मुसीबत मिट जाये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि इस जगह यह कर दिया गया है तो इस जगह ऐसा क्यों नहीं हो सकता इस जगह हो गया तो इस जगह क्यों नहीं हो सकता, इस तरह की तुलना करने का इस सन्दर्भ में कोई तथ्य नहीं है। किस जगह पर कहां से आसानी से आ सकता है और किस जगह कितनी दूरी से लाना पड़ता है और किस तरह व्यवस्था करनी पड़ती है, योजनाबद्ध तरीके से ही सारा किया जाता है। एटरेन्डम तो है नहीं, कि मुझे कोई जगह पसंद है तो वहां पहुंचा दिया जाय, किसी को दूसरी जगह पसंद है तो वहां पहुंचा दिया जाय।

जहां तक आपने यह कहा है कि आपने यह भ्रमात्मक स्टेटमेन्ट दिया है कि औसतन 22 घन्टा नहीं मिली है, यह आप मुझे कह रहे हैं, यही मैंने अपने अधिकारियों को यहां यह बयान देने से पहले तकाजा किया है कि यह जो आप स्टेटमेन्ट दे रहे हैं, यह आंकड़ों से अगर साबित नहीं हुआ तो I will take you to task 22 घंटा औसतन, उन्होंने मुझे आंकड़े समेत यह बात दी है कि हमने उस क्षेत्र को बिजली दी है। मैं माननीय सदस्य से इतना ही कहना चाहूंगी कि यह तो स्टेटमेन्ट दिया है इसकी अगर पुष्टि नहीं कर सकते हैं और उसको सही नहीं समझते हैं तो आप भी कम से कम लोकल अधिकारियों से रजिस्टर का ब्यौरा, जिसके आधार पर कितने घंटे कब बिजली आयी, किस क्षेत्र को कितनी बिजली दी गयी, हर रोज का वह मेन्टेन करते हैं उसको आप देख कर

(श्रीमती कमला)

इसको चैलेंज करें तो मैं आपकी बात को तस्दीक करने की फिर कोशिश करूंगी और जिन अधिकारियों ने सचमुच में अगर गलत स्टेटमेंट दिया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लूंगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. की स्कीमों के प्रति उनकी भावना नहीं है वह उसमें लापरवाही बरतते हैं, उनको यह मालूम नहीं है। इस संबंध में वह प्रयत्न बिल्कुल नहीं करते। इस संबंध में, मंत्री महोदय, क्या आप अपने अधिकारियों को सावचेत करेंगी और उनको यह बतायें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। आय व्ययक (बजट) 1984-85, प्रथम अवस्था, सामान्य वाद-विवाद। विपक्ष के नेता महोदय।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह बजट प्रस्तुत कर इस सरकार को और विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को और उन सबको, जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम की तथाकथित सफलता के प्रमाण पत्र को लेकर राजस्थान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं, बेनकाब कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, यह सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान का अन्तिम वर्ष है। बजट भाषण को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का भी अन्तिम वर्ष है। अध्यक्ष महोदय, यह बात स्वयं वित्त मंत्रीजी ने भी स्वीकार की है। कोई भी कार्य हो, उस कार्य की समाप्ति पर जनता को या उस कार्य में भागीदार व्यक्तियों को धन्यवाद दिया जाता है। आज तक के भाषण मैंने देखे हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन जिस तरह की जनता के प्रति कृतज्ञता वित्त मंत्रीजी ने इस प्रकार प्रकट की है उससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्रीजी का यह बजट भाषण उनका विदाई भाषण है। वित्त मंत्री जी ने पेज 22 पर लिखा है "राजस्थान की महान जनता ने इस गुरुतर काम में अपना आशीर्वाद और सहयोग हमें दिया जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं"। इसके आगे, अध्यक्ष महोदय, लिख दिया "जय हिन्द"। आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह "जय हिन्द" गुड-बाई का पर्यायवाची है....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : यह दोनों काम के लिए है, आप भी कहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले आपने कृतज्ञता प्रकट कर दी और आगे जय हिन्द कर दिया इसका मतलब यह है कि विदाई की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में है क्या? क्या हम इसको सरकार का एक उत्तर-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दायित्वपूर्ण बजट कह सकते हैं? क्या सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति का आभास हमें इस बजट से मिलता है? यदि इन दो प्रश्नों के ऊपर गहराई से अध्ययन किया जाय तो इस बजट में केवल एक ही जानकारी मिलती है और वह जानकारी इस बात की कि सरकारी खर्च पर अगला चुनाव किस प्रकार से जीता जाय, केवल मात्र उसकी व्यवस्था हमें करनी है। उस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, देखा होगा कि पिछले चार वर्षों में सरकार की जनहित के कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं रही है, न इस प्रकार की घोषणायें की हैं। लेकिन इन पांच सालों में यह पहला बजट भाषण है, जिस बजट भाषण में सिवाय घोषणा करने के कि इतने स्कूल खुलेंगे, इतने दवाखाने खुलेंगे, इतनी स्कालरशिप दी जायेगी, इतना यह काम किया जायेगा, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार के सामने जनहित का दृष्टिकोण नहीं है। सरकार के सामने केवल मात्र दृष्टिकोण यह है कि सरकारी धन के आधार पर चुनाव किस प्रकार से जीता जाय।

इस बजट को देखने के बाद, अध्यक्ष महोदय, इस शब्द, जो है तो बहुत कड़ा, मैं प्रयोग करना चाहूंगा कि सरकार ने अपना तो दिवाला निकाल दिया, अब सरकार यह भी चाहती है कि हमने अपना दिवाला निकाल दिया है तो हमें जनता का भी दिवाला निकालना है। यदि सरकार के इन घोषणाओं के चक्कर में आकर, कहीं स्कूल के चक्कर में, कहीं दवाखानों के चक्कर में और किसी प्रलोभनों में आकर जनता ने वोट दे दिये तो अगला वर्ष यह मान कर चलिये, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, इतना भारी कर जनता के ऊपर लगायेंगी कि अब तक तो केवल सरकार दिवालिया हुई है, यदि इस पार्टी के हाथ में फिर शासन आ गया, तो आप विश्वास करें कि भविष्य में यह सरकार जनता को दिवालिया घोषित करवा देगी। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि न तो वित्त मंत्रीजी ने प्रयत्न किया, न मुख्य मंत्रीजी ने प्रयत्न किया कि वास्तविक स्थिति को जनता के सामने इस बजट के माध्यम से रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे है। कहीं 43 प्रतिशत माना जाता है, कहीं 56 प्रतिशत माना जाता है, लेकिन वित्त मंत्रीजी से कोई पूछे या राजस्थान की सरकार से पूछे कि आपने उन गरीबों के लिए क्या किया है जो 56 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं? इस सम्बन्ध में आगे विस्तार से बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी की एक आदत पड़ गई है, थोथी घोषणायें करने की और नये-नये कीर्तिमान स्थापित करने की। अध्यक्ष महोदय, यदि इस भाषण को भी आप देखें तो मुख्य मंत्रीजी ने कोई काम नहीं किया है। ऐसे नये कीर्तिमान कायम किये हैं जो राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाले किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने या सरकार ने नहीं किये हैं। मैं इस सम्बन्ध

(80)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने 175 करोड़ रुपये के घाटे का बजट दिया है। सन् 1952 से लेकर आज तक के बजट देखें, आज तक इतना बड़ा घाटे का बजट राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत नहीं हुआ। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने भी यह भी एक कीर्तिमान कायम किया है कि मेरे शासन काल में, शिवचरण माथुर के शासन काल में, 175 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कुल राज्य सरकारों जो डेफिसिट बजट पेश किये हैं जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, पंजाब, गुजरात, यू. पी., बिहार और बाकी के राज्य हैं, किसी भी राज्य में इतना 175 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा नहीं है। इनके दूसरे नम्बर में महाराष्ट्र आता है जिसमें 118 करोड़ रुपये का, आसाम में 06 करोड़ रुपये का, पंजाब में 95 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। गुजरात में 68 करोड़ का, यू. पी. में 59 करोड़ का, बिहार में 47 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। यह कुल घाटा 628 करोड़ रुपये का होता है। यदि हम बड़े राज्यों को शामिल करें तो राजस्थान का एक तिहाई घाटा सारे राज्यों के घाटे के बराबर होता है। यदि सारे राज्यों को शामिल करें तो राजस्थान 1.5 आता है, घाटे की राशि की दृष्टि से। इधर राज्य सरकारें घाटा पेश कर रही हैं, घाटे का बजट पेश कर रही हैं, उधर भारत सरकार ने 1762 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया है। अब यह 1762 करोड़ रुपये का केन्द्र का घाटा और इन राज्य सरकारों का घाटा अगले वर्ष भारी कर लगाकर पूरा किया जायेगा, इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम वास्तविक तस्वीर नहीं रखते हैं। घाटा केवल 175 करोड़ का दिखाया गया है, लेकिन पिछले साल घाटा 57 करोड़ था, उस 57 करोड़ में से 10 करोड़ का घाटा इस वक्त के घाटे में एड किया गया है और बाकी 47 करोड़ के लिए कह दिया गया है कि बाकी के लिए भारत सरकार से हमें सहायता मिलेगी। इस भारत सरकार की सहायता का संकेत किसी भी बजट की पत्रावली में नहीं है। इस आधार पर यदि चलें तो यह घाटा 175 करोड़ का नहीं होता, घाटा 222 करोड़ रुपये का होता है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने दूसरा कीर्तिमान किया है. इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि आज तक जितने भी बजट पेश किये गये हैं, राजस्व खाते में किसी भी प्रकार का घाटा नहीं प्रस्तुत किया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री श्री शिवचरणजी माथुर को, उन्होंने नये कीर्तिमान कायम करने में यह भी कीर्तिमान कायम किया है कि राजस्व खाते में 88.28 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्व खाते में इस प्रकार का घाटा नहीं दिखाया गया है। अब इस स्थिति में आप विचार कर लें कि 88.28 करोड़ रुपये का घाटा इस वर्ष है, पिछले वर्ष 32.30 करोड़ रुपये की बचत होती है और इस वर्ष 88.28 करोड़ रुपये का घाटा होता है इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि टोटल डिफरेन्स 124 करोड़ रुपये का आता है वह किसी भी सरकार के लिए शर्म की चीज हो सकती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। राजस्व आय में यदि इस प्रकार का घाटा हो, राजस्व खाते में जो भी सरप्लस होता है, वह कैपिटल में ट्रांसफर होता है, वह प्लान के खर्चे में ट्रांसफर होता है, विकास के कामों में ट्रांसफर होता है। यह पहली सरकार होगी हिन्दुस्तान में जिसमें राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए पूंजीगत व्यय में से भी पैसा लिया जायेगा या उस पैसे में कमी की जाएगी। इससे ज्यादा शर्म की बात न इस सरकार के लिए हो सकती है, न मुख्य मंत्री के लिए हो सकती है, न वित्त मंत्री के लिए हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना भी निवेदन करना चाहूंगा....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, लेकिन सब कमरों में कान लगाकर सुन रहे हैं। चिन्ता न करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : हम जवाब देने के लिए बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है क्या जवाब दोगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आय के खाते में....

भूमि विक्रय के नाम से 17 से 17 करोड़ की आय बताई है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, यह ऐसा खाता है जिसमें कमी पूरी नहीं होती है, हमेशा इसमें कमी रहती है लेकिन यहां 17 करोड़ रुपये की आय बताकर उसको भी भ्रमित करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कैपिटल एक्सपेण्डीचर में कैपिटल एक्सपेण्डीचर 1983-84 में 260 करोड़ रुपया हुआ और सन् 1984-85 में 202 करोड़ रुपये का है। तो यह अन्दाजा लगा लें कि यह भी राजस्थान की विधान सभा में पहला ही कीर्तिमान मुख्य मंत्री जी ने कायम किया है कि गये साल के विकास के कामों में खर्च होने वाला पैसा कम है लेकिन इस बजट में इसकी भी व्यवस्था की, इस प्रकार 58 करोड़ रुपये की कमी दिखाई।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो विकास के कामों को रोका और दूसरी तरफ 1983-84 के अन्दर 62 करोड़ रुपये के परमानेन्ट डेब्ट्स थे उसके अगेन्स्ट में सन् 1984-85 में 104 करोड़ रुपये के परमानेन्ट डेब्ट्स होने का अनुमान लगाया गया है। इसका मतलब खर्चा तो करते जाओ और उधार लेते जाओ। 'ऋणम् कृत्वा घृतम् पिबेत' वाली बात यह सरकार करना चाहती है, जहां से भी हमें पैसा मिले कर्जा ले लो और खर्चा करते जाओ। उस खर्चे की क्या उपयोगिता है, हमें इसकी भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि एक तरफ तो खर्चा हो, एक तरफ कर्जा ज्यादा ले लिया और दूसरी तरफ रेवेन्यु एक्सपेन्डीचर में 1983-84 में 335 करोड़ के बजाय 1984-85 में 415 करोड़ रुपये का इन्होंने प्रावधान किया है। जिनके पास पैसा नहीं वह कर्जा ज्यादा ले लें, खर्चे में कटौती करना नहीं चाहते हैं और राजस्व व्यय बढ़ता जा रहा है। राजस्व व्यय में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

घटती हो इसकी भी चिन्ता नहीं। इससे ज्यादा आप अनुमान लगा नहीं सकते कि किस प्रकार की स्थिति राज्य सरकार की वित्तीय आधार पर बन गयी है।

अध्यक्ष महोदय, नान टैक्स रेवेन्यु सरकार की एफीशियेन्सी का सूचक होता है। जिस सरकार की नान टैक्स रेवेन्यु बढ़ती है वह सरकार मानी जाती है फाइनेन्शली डिसिप्लिन्ड, इस सरकार में वित्तीय सब प्रकार का अनुशासन है लेकिन जहां नान टैक्स रेवेन्यु कम होती है वह सरकार की इनएफीशियेन्सी का जीता जागता सबूत है। यह सरकार के कार्यों पर सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन है।, अध्यक्ष महोदय, नान टैक्स रेवेन्यू में दो तीन मुख्य बातें होती हैं। उसमें एक है, इन्ट्रेस्ट एण्ड डिविडेन्ड रिसीव्ड फ्राम कार्पोरेशन। इसमें जितने भी हमारे कार्पोरेशन और कम्पनीज वगैरह हैं उसमें आप अन्दाजा लगायेंगे कि सन् 1983-84 में 87 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया था, 1984-85 में वह 87 करोड़ रुपये से घटकर 68 करोड़ रुपये रखी गयी। इससे ज्यादा सरकार की इनएफीशियेन्सी का सर्टीफिकेट नहीं हो सकता। इस सरकार ने, जितनी उसकी इनएफीशियेन्सी है वह ठीक प्रकार से साबित की है। इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, जनरल सर्विसेस के मामले में इनकम दिखाई है 84 करोड़ रुपये गये साल की और इस साल 64 करोड़ रुपये दिखा दी। 20 करोड़ रुपये की वहां कमी कर दी। लेकिन खर्चे का सवाल जहां पैदा होता है, एक्सपैन्डीचर गये साल का 357 करोड़ रुपये और इस साल सरकार ने 438 करोड़ रुपये रख दिये। तो आय में तो कमी हो जाय, नान-टैक्स रेवेन्यू में कमी हो जाये, टैक्सेज में कई पर्टीकुलर आइटम्स में कमी हो जाये लेकिन खर्चे में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। इस सरकार का केवल एक ही दृष्टिकोण रहता है, अध्यक्ष महोदय। यदि टोटल रेवेन्यू, टोटल आय हम राज्य की देखें तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1984-85 में 2057 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया और 1982-83 में 2018 करोड़ रुपये का लगाया गया। अब अगर हम 1984-85 को 1983-84 के मुकाबले में देखें तो 103 करोड़ रुपये की कमी हुई है। सरकार की टोटल आय में कमी, सरकार की नान टैक्स रेवेन्यू के अन्दर कमी, सरकार की कार्पोरेशन वगैरह में जो इनकम होनी चाहिए उसमें कमी, राजस्व खाते में कमी और खर्चे में यदि हम हिसाब लगायें तो सब जगह खर्चा करने की व्यवस्था की गयी। यह इस बात का संकेत है कि सरकार अपना दीवाला निकाल कर जनता का दीवालिया निकालना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो व्यापारियों में बकाया पड़ी है सेल्स टैक्स का, पिछली साल विधान सभा में इसी सरकार ने उत्तर दिया है कि 43 करोड़ रुपये की व्यापारियों में बकाया है। मैं समझ नहीं पाता कि जिस डिपार्टमैन्ट की कुल आय 250 करोड़ रुपये के करीब हो उसकी यदि 43 करोड़ रुपये की बकाया रहती है तो किस प्रकार से उसकी व्यवस्था है, यह सदन इसका अनुमान लगा ले। तो मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार ने जो चार कीर्तिमान कायम किये, पहला कीर्तिमान हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा डेफिसिट बजट यदि प्रस्तुत करने का किसी ने रिकार्ड कायम किया है तो वह पंडित बृजसुन्दर जी और श्री शिवचरण जी माथुर ने किया है। दूसरा रिकार्ड इन्होंने कायम किया है, अध्यक्ष महोदय, राजस्व खाते में कमी रही है। राजस्व खाते की कमी सरकार की इनएफीशियेन्सी का जीता जागता सबूत है। यह इन्होंने रिकार्ड कायम कर दिया। तीसरा इन्होंने, अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड कायम किया जैसा मैंने अभी निवेदन किया, वह है नान टैक्स रेवेन्यू में कमी कर दी। उसमें भी सरकार ने अपनी इनएफीशियेन्सी का एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा सीरियस बात यह है कि राजस्थान के प्लान की साइज छोटी कर दी। मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, मै वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी, जो अपने कमरे में सुन रहे हैं, से पूछना चाहता हूं, आपने इस सदन में कहा है और बजट भाषण में कहा है कि हमारी इस साल की योजना, 1984-85 की योजना 430 करोड़ रुपये की मंजूर हुई है। वित्त मंत्री जी, मैं चाहूंगा, आप योजना कमीशन का पत्र इस सदन में प्रस्तुत करें। मेरी जानकारी में है, अध्यक्ष महोदय, आज तक योजना मन्जूर नहीं हुई। योजना कमीशन से जो इनको चिट्ठी मिली है वह 430 करोड़ रुपये की नहीं मिली बल्कि 387 करोड़ रुपये की मिली है। उस आधार पर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के विकास की गंगा बहाई है, राजस्थान के विकास की गति आपने तेज की है, मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में, सन् 1979-80 में जिस समय जनता शासन था, 1750 करोड़ रुपये की योजना बनाई। जिस समय राजस्थान की सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना 2025 करोड़ रुपये की बनाई थी उस समय भी मैंने यह कहा था कि 1650 करोड़ रुपये की तुलना में 2250 करोड़ रुपये की योजना होनी चाहिए तब जाकर रेट आफ इनफ्लेशन के आधार पर यह 1750 करोड़ रुपए के एटपार आती है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यदि हम इस सरकार की बात मान लें, इस सरकार की जो 2025 करोड़ की योजना है यदि इस योजना को मान लें तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह योजना भी घट गयी। यह योजना केवल 1852.27 करोड़ रुपए की रह गयी जो कि 2025 करोड़ रुपए की थी। अब तक हमारा खर्चा हुआ, इसके आंकड़े मान लें कि 430 करोड़ रुपए की 1984-85 की योजना मंजूर हो गई तो भी 2025 करोड़ रुपए के मुकाबले में राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना केवल मात्र 1852.27 करोड़ रुपए की रह गयी। मैं कहना चाहता हूं कि यह कमी हुई है, यह भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक रिकार्ड कायम किया है। हिन्दुस्तान में, अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिस राज्य के अन्दर एक साल के प्लान से दूसरे साल का प्लान छोटा हो जाय। प्लान में बाकी के राज्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है लेकिन यह राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसके प्लान के बारे में माननीय मंत्री जी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहेंगे। यदि 430 करोड़ रुपए को ही आधार मान लिया जाए तो केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि सारे हिन्दुस्तान के राज्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का विकास कहां से होगा। इनके आंकड़े सही कैसे होंगे। प्रति व्यक्ति विकास व्यय सन् 1983-84 में 116.73 करोड़ रुपए था वह 1984-85 में घट कर 113.73 करोड़ रुपए रह गया। यह भी मुख्य मंत्री जी ने एक कीर्तिमान कायम किया है। पर-कैपिटा प्लान एक्सपेन्डीचर जो लास्ट ईयर था उस लास्ट ईयर से भी कम इस बर्ष में पर केपिटा प्लान एक्सपेन्डीचर आता है। इससे ज्यादा इस सरकार के लिए कोई शर्म की चीज नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1978-79 में जिस समय जनता शासन था उस समय पहला वर्ष था, आप टटोल लें कि हिन्दुस्तान में योजनागत विकास में राजस्थान में पर केपिटा प्लान एक्सपेन्डीचर आल इन्डिया एवरेज से ऊपर गया। एवरेज से ऊपर न पहले गया था, 1966 को छोड़कर न पहले गया और मुख्य मंत्री जी के आने के बाद तो जाने का सवाल ही नहीं। प्लान एक्सपेन्डीचर पर केपिटा में आल इन्डिया एवरेज से हम नीचे गए। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आय उस हिसाब से देखें तो आपको जानकारी मिलेगी, राजस्थान सरकार यह कहती है कि हम एडीशनल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन नहीं कर सके लेकिन प्लान में जो हमारा कमिटमेन्ट है 750.70 करोड़ रुपये के हमें एडीशनल रिसोर्सेज जुटाने थे उसके अगेन्स्ट में 729 80 करोड़ रुपये हमने जुटा लिये और केवल 30.81 करोड़ रुपये की कमी रही। तो मैं, वित्त मंत्री जी, पूछना चाहता हूं कि आप चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका प्रस्ताव 800 करोड़ रुपये का लेकर गये, में आपके सामने क्या दिक्कत खड़ी हो गयी कि केवल 30 करोड़ रुपये की कमी के कारण आपका प्लान साइज छोटा हुआ? मैं कहना चाहता हूं इसके लिए मुझे कुछ कहने की तो आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष महोदय, स्वयं केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस राज्य सरकार को जो सर्टिफिकेट दिया अपने बजट भाषण में वह माननीय सदस्यों को पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। अपने बजट भाषण में श्री प्रणव मुकर्जी ने कहा है :

"Within this aggregate, Plans of individual States show a vari d picture. Some States have managed their finances well. They have been able to raise additionai resources and effectively utilise these to implement adequately sized Plans, providing development and growth to their people. Unfortunately, some States, for reasons of their own, have used their resources for various other purposes. They have not invested their resources, mobilised for development."

यह, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के लिये सबसे बड़ा सर्टीफिकेट है। यह सर्टीफिकेट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैंने नहीं दिया है, यह सर्टीफिकेट वित्त मंत्री ने अपने भाषण में दिया है····

श्री परसराम मदेरणा : वह लिंक हो रहा है । सैंट्रल गवर्नमेंट डी. ए. दे रही है इसलिये स्टेट गवर्नमेंट क्या करे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह करे या न करे, आप उनसे बात करें।

श्री परसराम मदेरणा : "For reasons best known to them····"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : This is not the problem of this State. This is the problem of whole country including all the States लेकिन आल दी स्टेट्स के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। जो स्टेट्स अपनी फाइनेंस का प्रबन्ध नहीं कर सकीं, उनके लिये है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय,····

एक माननीय सदस्य : शिवचरण जी खुद प्राब्लम हैं राजस्थान के लिये····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस स्थिति में आप अन्दाजा लगा लीजिये, आज राजस्थान की योजना की किस प्रकार स्थिति हुई है । अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमारा गत वर्ष का प्लान 416.73 करोड़ का था। अध्यक्ष महोदय, आपका भी यही प्रिजम्प्शन है लेकिन आप स्पष्टीकारक ज्ञापन, जो एक मोटी पुस्तक है, का पेज 120 निकालें तो पेज 120 पर सरकार ने स्वयं स्वीकृत योजना में कटौती की जाकर छठी योजना सन् 83-84 में 416.74 करोड़ रुपये की थी उसको कम की जाकर 387 करोड़ रुपये की रह जायेगी । अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार की स्वीकृत योजना में कमी हो जाये, अगले वर्ष की योजना अभी मन्जूर न हो और 387 के लेवल पर ही रुक जाये तो उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यदि प्रति व्यक्ति विकास व्यय देखा जाय, टोटल एक्सपेन्डीचर में से डवलपमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट फोर ईयर्स में 70 प्रतिशत खर्चा प्रति व्यक्ति विकास व्यय आया है और 84-85 में यह घटकर 67 रुपये होगा। इससे आप अन्दाजा लगा लें। जो यह कह रहे हैं, 430 करोड़ रुपये का प्लान मन्जूर हुआ है, मैं कहता हूं आज के दिन तक न तो 430 करोड़ रुपया मन्जूर हुआ है और हुआ है 387 करोड रुपया जिससे पर केपिटा प्लान एक्सपेन्डीचर गये साल में कम होगा । इस साल पहले वाले साल से भी कम होगा। इससे आप अन्दाजा लगा लीजिये, राजस्थान सरकार ने इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है वह किस प्रकार का बजट है । यह इनकी इनएफीशियेन्सी को प्रूव करने के लिये है।

अध्यक्ष महोदय, ईरिगेशन और पावर में 83-84 में 266.93 करोड़ का प्रावधान रखा गया है लेकिन 84-85 में इसको घटाकर 255.35 करोड़ रुपये रख दिया गया है । वाइटल सैक्टर, जिसके ऊपर राजस्थान पूरा आधारित है, विकास आधारित है, उस वाइटल सैक्टर में पिछले वर्ष के मुकाबले 10 करोड़ रुपये की कमी कर दी जाये , यह किस बात का संकेत है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारे प्लान छोटे हो गये और छोटे किन कारणों से हो गये, जिन कारणों पर हम कन्ट्रोल कर सकते थे पर कन्ट्रोल नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के सम्बन्ध में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान जो घटाकर 83-84 में केवल 45 करोड़ रुपये किया गया और 84-85 में केवल 44 करोड़ रुपये किया गया। ऐसी स्थिति में वाइटल सैक्टर में कमी कर दी जाती है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, 82-83 में पेयजल पर 122.73 करोड़ रुपये खर्च हुए, 83-84 में 121.26 करोड़ रुपये और 84-85 में 121 से घटाकर 117 करोड़ कर दिये, पेयजल में कमी कर दी। बिजली–पानी में हमने कमी कर दी। राजस्थान केनाल में इन्होंने कमी कर दी। कमी करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति इस सरकार के हाथों में सुरक्षित नहीं है। जितने दिन इस सरकार के हाथों में रहेगी, राजस्थान की आर्थिक स्थिति और खराब होती जायेगी। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इस बजट भाषण के ट्रेलर रूप में हमने मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन लिया था जो उन्होंने गवर्नर एड्रेस के जवाब में दिया था। यह तो प्रोपराइटी का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आपको देखना है, राजस्थान सरकार को देखना है, मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण में वे सब बातें कह दें जिनका संकेत बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने किया है। यह तो एक क्वेशचन प्रोपराइटी का है। ट्रेलर देख लिया, अध्यक्ष महोदय, उस ट्रेलर को, एनासीन खाकर मैंने दो घंटे पढ़ा। उस भाषण में किसी प्रकार का कुछ नहीं था, सिर्फ हैडक था। मेरे एबन्सेस में भाषण हुआ, मैंने उसको आद्योपान्त पढ़ा, 71 बार मेरा नाम लिया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्य मंत्री जी के हर सेन्टेन्स में भैरोंसिंह का नाम आता है। मैं समझता हूं यदि 71 बार मेरा नाम लेते इसका मतलब है कितने भयभीत हैं मुख्य मंत्री। मैं शुभ कामना करना चाहता हूं भगवान जब तक चुनाव नहीं हो, शिवचरण माथुर को मुख्य मंत्री बनाये रखे ताकि सरकार को भी चौपट कर दें और कांग्रेस पार्टी को भी चौपट कर दें। इस प्रकार की स्थिति और किसी दूसरे मुख्य मंत्री से नहीं हो सकती। मैं इसलिये कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं शुभकामना प्रकट करना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने पिछली बार 193.82 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये और 272.88 करोड़ रुपये की इन्कम हो गई। वह इन्कम क्यों हो रही है? जो भारत सरकार ने टैक्स रिलीफ दिये वह उन चीजों पर ज्यादा रिलीफ दिये है जिनमें सैन्टर के अतिरिक्त स्टेट्स का ज्यादा हिस्सा होता है। इन्कम टैक्स में रिलीफ दिया जिसमें स्टेट का हिस्सा होता है लेकिन सरचार्ज में रिलीफ नहीं दिया। सरचार्ज भारत सरकार की आय है, इन्कम टैक्स में हमारा हिस्सा है। एक्साइज में उन्होंने रिलीफ दे दिया। जो घाटा भारत सरकार को पूरा करना चाहिये वह राज्य सरकारों की जेब से निकाल लिया। इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि भारत सरकार ने तो कम टैक्स लगाकर आमदनी ज्यादा कर ली लेकिन हमारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्टेट्स और खास तौर से राजस्थान की स्टेट, जो भारत सरकार के सामने याचक के रूप में घुटने टेक कर पेश होती है, इस सरकार ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारा जो रुपया है स्टेट से नहीं लिया जाना चाहिये और घाटा है उसकी किसी न किसी रूप में क्षतिपूर्ति होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह तो मुख्य मंत्री जी ने कीर्तिमान किया है लेकिन इन चार वर्षों में एक कीर्तिमान और किया है। अब तक के सारे बजट भाषण मैंने देखे हैं और देखकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि छठी योजना सन् 82-83 में 48 करोड़ रुपये के बजट के माध्यम से टैक्स लगाये थे, 10 करोड़ रुपये गजट नोटिफिकेशन के द्वारा टैक्स लगाये। इस प्रकार 58 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये, यह शिवचरण माथुर का आठवां कीर्तिमान है। इस विधान सभा में आज तक किसी भी सरकार ने एक बजट में 58 करोड़ रुपये के टैक्स नहीं लगाये। इस सरकार ने 58 करोड़ रुपये के टैक्स लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

80-81 में 13 करोड़ 46 लाख की इन्कम एक्साइज से हुई। 81-82 में 33 64 करोड़, 82-83 में 53.55 करोड़, 83-84 में 59 करोड़ की हुई और 84-85 में 64 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया है। कुल 224 करोड़ रुपये की आय आपकी शराब की आय है। यह सही है कि पूरे राजस्थान में आपने शराब की नदियां बहा दीं, इसमें मुख्य मंत्री जी ने कीर्तिमान कायम किया है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो एडीशनल रिसोर्स मोबिलाइज किया है इस सरकार को अपनी एफीशियेन्सी दिखानी चाहिये थी नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ा कर वह सरकार ने एफीशियेन्सी दिखाई नहीं तो नान टैक्स रेवेन्यू हर तरह से कम होगी।

अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में भुलावा दिया है, 83-84 में 500 किलोमीटर सड़कें बना दीं और 6 हजार गांवों तक सड़कें पहुंचाईं। अध्यक्ष महोदय, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आज राजस्थान में डेन्सिटी आफ पापुलेशन पर किलोमीटर 100 है। अब आप अन्दाजा लगाइये कि 500 किलोमीटर सड़कें बनीं, 6 हजार गांवों में पहुंचीं। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मुझे साथ ले और फिर बताये 500 किलोमीटर सड़कों से 6000 गांवों का किस प्रकार कनेक्शन हो गया। आज आप एक तरफ कहते हैं, राजस्थान में डेन्सिटी आफ पापुलेशन पर किलोमीटर बहुत कम है, हमें सहायता दी जाये और उधर सरकार 500 किलोमीटर सड़क बना कर 6 हजार गांवों को जोड दे, इससे ज्यादा असत्य बात और कोई नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, 1066 इण्डस्ट्रियल शेड्स इन्होंने दिये हैं। यह हरिजनों की बात करते हैं, एस. सी. एस. टी. को केवल 24 इण्डस्ट्रियल शेड्स मिले हैं। जो हरिजनों को भला करने वाली सरकार है, रोज दावा करती है हरिजनों का भला करने के लिए, जो कहती है हम उनकी गरीबी मिटाना चाहते हैं, मैं इस सरकार से पूछना चाहता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं 1066 में से आपने केवल 24 शेड एस. सी. व एस. टी. को दिये हैं। आप इकनामिक सर्वे देख लीजिये, आपकी स्थिति साफ हो जायेगी।

इसी प्रकार से आर. एफ. सी., जिसको 55 करोड़ रुपये का ऋण देना है, केवल 45 करोड़ रुपये के ऋण दे पायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान 1982-83 के बजट भाषण की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके पेज 19 पर लिखा है, अध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर। राजस्थान के कई ऐसे म्युनीसिपल कस्बे एवं अन्य स्थान हैं जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है। ऐसे म्युनीसिपल कस्बे अथवा स्थान, जहां अभी तक भी सिनेमा घर नहीं हैं, पर सिनेमाघर बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव है। कि जिन जगहों में अगले वित्तीय वर्ष के पांच वर्ष में सिनेमा घर बनाये जायेंगे तो इस प्रकार मनोरंजन कर से छूट दी जायगी। प्रथम वर्ष में शत प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 50 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में मनोरंजन कर में 25 प्रतिशत, चौथे वर्ष में पूरा मनोरंजन कर चुकाना होगा। इसका मतलब जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है वहां यदि कोई सिनेमा घर बनायेगा, इसमें साफ लिखा है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है वहां ही यह कन्सेशन दिया जायगा। श्रीमान वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें क्या लिखते हैं, बाकी का बेकग्राउन्ड मैं नहीं बोलूंगा..........

"as mentioned below for the new cinema to be constructed in towns having a population of less than one lac."

मैं पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, आपको किसने ये अधिकार दिये? यदि आपने इसी बजट भाषण के आधार पर यह नोटिफिकेशन निकाला तो आपको किसने अधिकार दिया? आपने लेजिस्लेचर की पीठ पर छुरा भौंका है। लेजिस्लेचर ने आपको परमिशन दी कि जहां सिनेमा घर नहीं हैं तो वहां अमुक अमुक एन्टरटेनमेंट टैक्स की छूट दी जायगी। आपने इस नोटिफिकेशन में एक लाख की सीमा कैसे निर्धारित कर दी? अभी, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी अपना जवाब देंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। किन किन लोगों ने सिनेमा घर बनाये, जिनको रियायत देने के दृष्टिकोण से यह इस प्रकार का नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस आधार पर जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह बजट एक प्रकार का बन्डल है, इस बण्डल में कुछ नहीं सिवाय इस बात के कि राजस्थान सरकार किस प्रकार से वोट लेने की व्यवस्था कर सके। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्य मंत्री जी ने मुझे बहुत ही सुनहरा अवसर दिया, जिस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर मैं इस सदन को जानकारी दे सकूंगा। इन्होंने बजट भाषण में भी कहा, माननीय वित्त मंत्री जी और इन्होंने स्वयं ने इस बात को मंजूर किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत हमने जितना काम किया उतना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हिन्दुस्तान की किसी स्टेट ने नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों को आंकड़े देकर साबित करना चाहता हूं कि वर्ष 78-79 में, जिस समय जनता शासन था, पांच करोड़ दिवस क्रियेट किये गये थे —पांच करोड़। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है भारत सरकार की रिपोर्ट है। 78-79 में पांच करोड और वर्ष 79-80 में 4 करोड़ 35 हजार और वर्ष 80-81 में कांग्रेस के शासन ने पांच करोड से घटाकर 259 लाख कर दिये जब। 81-82 में शिवचरण जी माथुर आये तो 259 से घटाकर 95 लाख और इसके बाद फिर शिवचरण जी माथुर रहे तो 95 लाख से घटाकर 48 लाख, 48 लाख से फिर 62 लाख और अब 84-85 में प्रावधान रखा है 67 लाख का। मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं जनता शासन में बिहार को छोड़कर राजस्थान हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर था। रोजगार के साधन जुटाने में फूड फार वर्क का नाम करने में राजस्थान हिन्दुस्तान में बिहार को छोड़कर दूसरे नम्बर पर था और आज मुख्य मंत्री जी ने कहां पहुंचा दिया। 80-81 में मुख्य मंत्री जी ने पहुंचा दिया आठवें नम्बर पर, 81-82 में पहुंचा दिया 11 वें नम्बर पर, वर्ष 82-83 में बारहवें नम्बर पर और इसके बाद वर्ष 83-84 में 13वें नम्बर पर। तो राजस्थान को क्या नरक में ले जाना चाहते हो? 13वें नम्बर के बाद तो वही आयेगा। मेरी समझ में नहीं आता, 67 लाख रोजगार दिवस निर्माण करने का फैसला किया है। आप मुकाबला करिये 78-79 के जनता शासन से कि पांच करोड़ दिवस तैयार किये गये थे। अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं आप देखें तो राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया है 1 अगस्त, 83 को, इसमें पूछा है······

श्री परसराम मदेरणा : रिलीफ में मैन डेज कितने है? जो काम चला है रिलीफ में वह तो बहुत ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह शामिल कर लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : वह ज्यादा हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उस पर भी मैं आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस फूड फार वर्क के बारे में और एन. आर. ई. पी. के बारे में राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था कि किस किस स्टेट में अच्छा काम हो रहा है। क्वेश्चन यह है·······

"Names of the States in which the food for work programme and later the N. R. E. P. programme have been encouraged"

यह 1 अगस्त, 83 का है, उसका जवाब दे रहे हैं....

"Implementation of food for work programme was particularly encouraging in the States of Andhra Pradesh, Haryana, Kerla, Orissa, Rajasthan and Tripura,"

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह तो फूड फार वर्क के बारे में है। एन. आर. ई. पी. के बारे में क्या कहते हैं....

"The results of N. R. E. P. implementation are presently better in the States of Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Tamil Nadu and Tripura."

राजस्थान इसमें नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एन. आर. ई. पी. के इम्पलीमेंटेशन में जहां राजस्थान दूसरे नम्बर पर पहुंच गया था हिन्दुस्तान में उसकी मुख्य मंत्री जी ने कीर्तिमान करके 13 वें नम्बर पर टिकाया। माननीय मंत्री महोदय, यह भी कह सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, जनता शासन जाने के बाद इस सरकार ने फूड फार वर्क की जांच करने के लिये एक स्टडी टीम भेजी। उस स्टडी टीम ने जांच की। जांच करने के बाद जो सार्टिफिकेट दिया जनता शासन को उसको माननीय मंत्री महोदय ने देखा होगा लेकिन सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं दो-तीन लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं....

"Food for work programme is being effectively utilised by the States for supporting employment generation programme. A provision of Rs. 10 crores was made last year to provide for material component to the maximum extent of 25%. of the total cost of work."

यह सारा देने के बाद खास तौर से इसका इम्पेक्ट क्या है, उसके लिए लिखा है....

अध्यक्ष महोदय,

F. A. W. programmee : As evident in discussions with villagers....

यह मैं नहीं कह सकता।

"As evident in discussions with villagers and sarpanchs, have generated tremendous enthusiasm in the village community and has led to voluntary contribution of community assets."

ये कहते हैं फूड फार वर्क में पैसा बेकार चला गया। यह स्टडी टीम की रिपोर्ट है और इसी में आगे लिखा है....

श्री अध्यक्ष : यह तो असेट्स का एन्थूजियाज्म बताया है। शुरू शुरू में होता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हम तो शुरू शुरू में चलेंगे। यह खतम तो शिव चरण जी माथुर ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उसके नाइन्थ पैरा में लिखा है....

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

"Disbursement of foodgrains through F. A. W. has had a salutary impact on foodgrain prices and has helped to overcome the problems that could have been created due to shortage of bajra."

अध्यक्ष महोदय, वह एक दिन था, राजस्थान की जनता और गरीब याद करेगा जिसने गेहूं के दर्शन या तो खेत में किये थे या व्यापारी की दुकान पर किये थे। यह जनता शासन का फूड फार वर्क प्रोग्राम है जिसने गेहूं खाने के लिये गरीब को दिया और गरीब के घर में गेहूं की बोरी दिख गई। वह आज भी याद करता है इस बात को और, माननीय मंत्री महोदय, आपके शासन को जिसमें लोगों को रोजगार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : 50 साल पहले पापड़े-वापड़े की बात करते थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह दूसरी बात है....

(व्यवधान)

गेहूं खाने वाले यहां भी है। अध्यक्ष महोदय, वह दूसरी बात है। यहां भी गरीब गेहूं खाने वाले हैं। आप यह चाहते हैं क्या कि गरीब गेहूं भी खाना चाहे तो एक नये जमाने की बात करते हैं। अगर आपकी मनः स्थिति यह है कि गरीब को गेहूं कैसे मिलेगा तो आप उन लोगों में से हैं, यदि गरीब गेहूं खाता है तो आपके पेट में निकलता है....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो आज भी बाजरा खाता हूं। आज भी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बड़े ताव में, बड़े जोश में कहा, कांग्रेस के शासन में 3034 हमने प्राथमिक शालाओं के भवन बनवाये 1981-82 में, 82-83 में और 83-84 में कैपिटल असैट्स 2034 निर्माण किये। परसराम जी आपने देखा होगा जनता शासन में 7627 स्कूल भवनों का निर्माण किया गया....।

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो अधूरे रख दिये। हमारे वाले मुंह बोल रहे हैं हर गांव में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जनता शासन के बने भवन मुंह बोल रहे हैं। यहां मन्त्री मुंह रहे हैं और भवन नहीं बोल रहे हैं, दोनों में बड़ा अन्तर है। इसलिए मै कहना चाहता हूं यह भवनों का सवाल है, 7626 जनता शासन में बने कांग्रेस के शासन में 3034। मुख्य मंत्री जी ने पंचायत घरों के आंकड़े दिये कि 611 पंचायत घर बनाये जनता शासन में, 2005 पंचायत घर बने। अध्यक्ष महोदय, पेयजल के कुएं कांग्रेस के शासन में 2610 बने और जनता शासन में 5720 बने। सड़क निर्माण में कांग्रेस के 3 वर्ष के शासन में 480 किलोमीटर बनी और जनता शासन में 1205 किलोमीटर बनी। यह आल टाइम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रिकार्ड है। इस रिकार्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सिंचाई के तालाब 6528 बने, औषधालय भवन 698 बने और अन्य कार्य 22534 हुए। उसमें मैटीरियल कम्पोनेन्ट राजस्थान सरकार ने दिया और लेबर का पेमेण्ट फूड फोर वर्क से किया गया ताकि मैटीरियल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सके। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जो फूड फार वर्क के ऊपर रिपोर्ट दी है उसमें मैं नहीं जाता। मैं विस्तार में जाऊंगा तो समय लगेगा, खेतीहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, खाद्यान्न पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता आयी और तीसरी जो विशेष बात कही है वह है कि अपराधों में कमी आयी। जब लोगों का पेट भरने लग गया तो अपराध करने की प्रवृति हट गयी। यह भूख का परिणाम है। परसराम जी मदेरणा, मुख्य मंत्री जी शिवचरण जी का पैट्रोल पम्प लुट जाना भूख का परिणाम है। उनकी साली का भरा हुआ ट्रक डाकू एक साल पहले ले जायें और, मुख्य मंत्री जी, कोशिश के बावजूद उस ट्रक का पता नहीं लगे, यह भूख का कारण है।

श्री परसराम मदेरणा : बात पुरानी वो करे जिन्ने घर घाटो। यह सदियों से कहावत है कि बात पुरानी वो करे अरें जिन्ने घर टाटो।

श्री भैरों सिंह शेखावत : बहुत बढ़िया। इन्होने बहुत ढंग से स्वीकार किया कि जिसके घर में घाटा है, खुराफात करेगा तो घर में घाटा है। इसी आधार पर तो मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने पंचायतों के बारे में कहा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं यह जनता शासन था जिसने पंचायत में 4 आने से बढ़ाकर ढाई रुपये का अनुदान दिया। आपने बड़ी कृपा कर ढाई रुपये को पौने तीन कर दिया। क्या 4 वर्ष के बाद पंचायतों को यही आवश्यकता थी? क्या पंचायतों के माध्यम से राजस्थान के गांवों के विकास में उनका इन्वाल्वमेन्ट चाहती हैं? आपने, चवन्नी छाप सरकार ने केवल 4 आने बढ़ा कर संतोष करे लिया, इसके अलावा इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एन.आर.ई.पी. के मामलों में राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की है इन घोषणाओं में किसी प्रकार का दम नहीं है।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी कहते हैं, आई.आर.डी.पी., एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में मैंने गरीबों का भला कर दिया, इतने करोड़ रुपये के मैंने कर्जे दिला दिये। मैं चार्ज लगाता हूं मुख्य मंत्री जी पर, मैं चार्ज लगाता हूं राजस्थान सरकार पर कि आई.आर.डी.पी. में जो पैसा दिया गया उसका 50 पर्सेन्ट से ज्यादा गरीबों को नहीं मिला। एक षड़यन्त्र चल रहा है। मैंने राजस्थान के सब जिलाधीशों को चिट्ठियां लिखीं कि आपके जिले में आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत, ट्राइसम के अन्तर्गत, मांडा के अन्तर्गत, एन.आर.ई.पी. के अन्तर्गत कितना कितना प्रावधान है और कहां कहां कैसे काम हो रहे हैं? उस सम्बन्ध में आपने कोई लिट्रेचर प्रकाशित किया हो तो वह लिट्रेचर मुझे भेजा जाय। मुझे खुशी है 7 कलेक्टर्स ने तो जवाब दिया और उसके साथ अपना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लैटर भी भेजा, लैटर में मैंने एक पैराग्राफ और लिखा था कि आप अपने जिले में 10 गांवों के नाम मुझे भेज दें जहां आपका आई.आर.डी.पी. 100 परसेन्ट सफल हुआ हो, जहां आपका एन.आर.ई.पी. सफल हुआ है, मांडा योजना सफल हुई है, जहां आपकी ट्राइसम योजना सफल हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान के 27 जिलों के कलेक्टर्स में से किसी माई के लाल की यह हिम्मत नहीं हुई जो यह कह दे कि राजस्थान के अमुक जिले के अन्दर आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत इतना काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सरकार को भी चुनौती देना चाहता हूं, आपने हमारे साथ ही धोखा नहीं किया, आपकी नेता इन्दिरा गांधी के साथ धोखा किया। वहां फर्जी आंकड़े आपने प्रस्तुत किये कि हमने गरीबों का इतना उद्धार किया है। एक षडयन्त्र चल रहा है, इसमें एक एलीमेन्ट सब्सिडी का भी होता है। गरीबों को सब्सिडी के नाम पर यह लालच देते हैं, लीजिये सब्सिडी। सब्सिडी में विकास अधिकारी या पंचायत समिति के सदस्य, बैंक वाले और कुछ डाक्टर, ये तीनों मिलकर उस सब्सिडी को खा जाते हैं। लोन दिलाते हैं, लोन दिला कर उसको कहते हैं कि लोन की ली हुई चीज वापस जमा करवा देना। मैं उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहता हूं कि एक बी.डी.ओ. को इसलिए सस्पेण्ड किया कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में एक ऊंट गाड़ी 27 बार बिक गयी और 27 बार उसके ऊपर सब्सिडी लूट कर खा गये। मैं समझता हूं यह सरकार हमको धोखा दे सकती थी, राजस्थान की जनता को धोखा दे सकती थी लेकिन जिस इन्दिरा गांधी का नाम सुबह शाम हनुमान जी की तरह लेते हो, उसको धोखा देने की आपको आवश्यकता नहीं थी। कम से कम उसके सामने तो आप सही आंकड़े रखते। अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे....

श्री परसराम मदेरणा : अन्त्योदय भी नहीं सफल हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चयन किस प्रकार का हुआ। अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय के बारे में माननीय मन्त्री महोदय जानना चाहते हैं, यह 1982 की एक रिपोर्ट है उस समय न भैरोंसिंह था न मोरारजी देसाई था, उस समय जो अन्त्योदय के बारे में कहा था....

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में आप 20 गांव बता दीजिए जहां आप सक्सेसफुल हुए हों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे 20 गांव बता दीजिए, जहां गड़बड़ हो? क्या मतलब हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा : इवेल्यूएशन तो हम करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिवलेरेशन क्या करेंगे। इवल्यूरेशन स्टडी टीम ने स्टडी की और उस स्टडी टीम ने कहा—

"The study team pointed out a number of deficiencies in the implementation of the programme

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

and made a number of suggestions. The Government of Rajasthan took notice of these suggestions and initiated necesary corrective measures. The study report received widespread attention of other State Governments and international agencies."

अध्यक्ष महोदय, जो यह कहते हैं कि अन्त्योदय केवल राजस्थान तक सीमित रहा इन्टरनेशनल एजेन्सी ने इसकी स्टडी की है और उन्होंने एप्रीसिएट किया है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है :

"Although special schemes such as of small farmers which was introduced by Shri Parasram Maderna when he was Minister for Agriculture,"

यह इसमें लिखा हुआ है मैं नहीं बोल रहा हूं :

"Althaugh special schemes such as small farmers, development agencies, drought prone areas programme, special animal husbandry programmes etc. did not aim at betterment of the rural poor, their benefits had hardly reached the poorest family.

यह तो आपके जमाने की स्कीम है जिसके बारे में यह कह रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मेरे वक्त में चार डिस्ट्रिक्ट में यह प्रोग्राम था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार में ही बहुत पोल है। वह भी आपके टाइम की है। इसी पर लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो लोगे ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तैयार हो जाइये।

अध्यक्ष महोदय, यह उनकी रिपोर्ट है। अब उसके बारे में मैं फिर इनको 2-3 सैन्टेन्स सुना दूं ताकि किसी को सन्देह नहीं रहे :

"During the first year 1·70 lac families were identified whereas target of second round was 1·14 lac families. On the basis of annual projection, during five years, the Govt. of Rajasthan had enviestment of the order of 1·87 crores."

मैं पूछना चाहता हूं आप अपने आंकड़ों को देखें। इसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री परसराम मदेरणा : वह तो अनाज पड़ा था।

श्री भैरोंसिह शेखावत :

"The amount of loans sanctioned was Rs. 6.20 lacs by the co-operative bank."

बाद में लिखा है:

"The same position 21,002 families with an amount of Rs. 458.53 lacs till February 1983 as compared to 12,712 families financed by commmercial banks with an amount of 2925·26 lacs."

यह सब लिखा हुआ है, इस झगड़े में मैं नहीं पड़ता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि ब्याज जो सस्ती दर पर कर्जा मिलता है, सस्ते ब्याज पर कर्जा मिलता है, परसराम जी, आप भी उस समय मंत्री थे, भारत सरकार से आपने भी कहा, उस समय की सरकार ने भी चिट्ठी में लिखा लेकिन रिजर्व बैंक ने ध्यान ही नहीं दिया। यह जनता शासन था जिसने रिजर्व बैंक से बातचीत की, बैठकें हुईं और बैठक होने के बाद यह तय किया गया कि गरीबों को सस्ते ब्याज पर कर्जा दिया जाय। आप इसका भी क्रेडिट ले लीजिए, मुख्य मंत्री जी को बता देना, वह भी क्रेडिट ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मार्जिनल फार्मर्स की जो स्कीम थी, लोन की रेट आफ इन्ट्रेस्ट उसमें भी कम था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : टोटल लोन का कितना देते थे ?

श्री परसराम मदेरणा : आप तो धारा प्रवाह कहते चले जाते हो। मैं गलत बात नहीं कहता। मुझे अभी याद नहीं है पर इन्ट्रेस्ट कम था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल बैंक लोनिंग का केवल 3 पर्सेन्ट रिजर्व रखा जाता था जो कन्सेशनल रेट पर ब्याज पर दिया जाय। केवल दो पर्सेन्ट आपके जमाने में था। आप बताइये किसने बढ़ाया ?

एक माननीय सदस्य : याद ही नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : याद नहीं है आपको। बाद में बता देना या पण्डित जी से पूछ लो।

श्री परसराम मदेरणा : ये स्कीमें तो कभी से चल रही हैं। आप बता दीजिए कि आई. आर. डी. पी. स्कीम कब से शुरू हुई ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आई. आर. डी. पी. स्कीम कब से चालू हुई, यह भी पता नहीं है....

श्री दिनेश डांगी : वह आपकी नहीं थी। आपकी तो अन्त्योदय की स्कीम थी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मुझे बता दीजिए। आप दोनों बैठे हैं, आई. आर. डी. पी. कब से चालू हुई ? बता दीजिए,

96

श्री परसराम मदेरणा : आप बता दीजिए कि डी. पी. ए. पी. कब से चालू हुई ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको पता नहीं है कि वह भी 78 में चालू हुई थी। यह कांग्रेस और इन्दिरा गांधी की देन नहीं है, यह जनता शासन की देन है। आई. आर. डी. पी. भी 78 में चालू हुई थी। आप किसी धोखे में नहीं रखें। आप जनता को धोखा दे सकते हैं। आई. आर. डी. पी. को भी हमने चलाया था। आप जनता को धोखा दे देना लेकिन जो सदस्य यहां बैठे हुए हैं वह आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं।

श्री दिनेश डांगी : वह आपके टाइम में नहीं हुआ था, फूड फोर वर्क आपके टाइम में चालू हुआ, यह बात सही है।....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, तुलसीदासजी कह गए हैं कि ऐसे आदमी को तो नमस्कार ही कर लेना।

(व्यवधान)

मुझे यहां कुछ नहीं कहना है, आप ही बता दीजिए कि कब से शुरू हुई ? अध्यक्ष महोदय, फैमिलीज के आइडेंटिफिकेशन की बात है। तीन चौथाई फैमिलीज का आइडेंटिफिकेशन....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, थोडा समय लूंगा। फैमिलीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ ? आइडेंटिफिकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर यह है कि आई. आर. डी. पी. में गरीब का चयन होता है। गरीब को सहायता मिलेगी उसको मिलेगा। जनता शासन में क्या हुआ वह भी सुन लीजिए:

"The said procedure minimised the chances of wrong identification. The villagers had expressed satisfaction about the method adopted."

यह तो जनता शासन का है और आपके शासन का ? अध्यक्ष महोदय, एक नहीं हजारों एप्लीकेशन्स हैं। मैं एक ही आपको पढ़ कर सुना देता हूं। जयपुर के पास का ही है। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप पंचायत समिति झोटवाड़ा में चले जाइये ग्राम धानकिया में, अध्यक्ष महोदय। इसमें चुने हुए लोग कौन हैं। एक तो है छाजू पुत्र देवा बलाई, धानकिया। जीवनराम पुत्र....यह गलत है, यह नहीं है। यह है, ग्यारसा पुत्र मानू रेगर, वार्ड पंच। दूसरा है चन्दा पत्नी रामप्रसाद रेगर हरिजन, लड़का सरकारी नौकरी में है, मासिक आय....। रूपा पुत्र रेगर है, इसके कुआं है। यह गरीबी में है। बाबूराम पुत्र घासीराम बवाई। संयुक्त परिवार है। हरिनारायण पुत्र ग्यारसीलाल रेगर। यह पुलिस में नौकरी छोड़ कर आई. आर. डी. पी. में लोन लेने के लिए आया है जिसका पहले नम्बर का बेटा पुलिस में है। छीतर पुत्र हुक्मा अहीर। पिताजी के नाम जमीन है। पुत्र हनुमान यादव, सरपंच का पुत्र है। यह टेलीफोन डिपार्टमेंट में कार्य करता है।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मांगीलाल पुत्र गणेशदास, इसके स्वयं के नाम जमीन है। हुक्मा पुत्र घूला यादव, पिताजी के नाम जमीन है और स्वयं के नाम जमीन है। कोई तो, अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरी में है, टेलीफोन डिपार्टमेंट में है। सरपंच के दो लड़के वे भी इस लिस्ट में हैं। वार्ड पंच इस लिस्ट में हैं जिनके जमीनें हैं, जिनके बिजली के कनेक्शन हैं वे इस लिस्ट में हैं। और, अध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : जगदीश तिवाड़ी भी हैं।

श्री नाथूसिंह : एम. एल. ए. भी हैं। एम. एल. ए. का, पत्र भी है।

श्री परसराम मदेरणा : आपको पता नहीं है। जो आइडेंटिफिकेशन आई. आर. डी. पी. फैमिलीज में होता है वह पंचायत की सभा में होता है। आपके वक्त में कैसे होता था। उस वक्त में जनता अदालत में चयन होता था। ग्राम पंचायत की मीटिंग ही नहीं होती थी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। एम. एल. ए. के पुत्र का चयन यदि गरीबों में होता है....

(व्यवधान)

मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे संरक्षक हैं। एक एम. एल. ए. के पुत्र का चयन, आइडेंटिफिकेशन में चयन होता है तो मैंने क्या अपराध किया, बाकी सदस्यों ने क्या अपराध किया और, अध्यक्ष महोदय, आप ने क्या अपराध किया ? हम दोनों मिल कर इस सिस्टम में शामिल हो जावें और जितना धन और यह लोन मिलता है वह सब ले लें। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि फिफ्टी पर्सेंट परिवारों का चयन गरीबों का नहीं हुआ बल्कि जो राजनैतिक आधार पर इन्फ्लूएंस कर सकते थे, जिनकी इन्कम अच्छी थी उन सब लोगों का चयन हुआ है, मुझे खेद है कि प्लानिंग कमीशन ने आंकड़ों के आधार पर सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने इतना कर्जा दे दिया और राजस्थान सरकार ने इतना कर्जा बांट दिया। यह प्लानिंग कमीशन आए राजस्थान में, मैं प्लानिंग कमीशन को इस विधान सभा के माध्यम से चुनौती देता हूं, मुख्य मंत्री जी को जो फर्जी प्रमाण-पत्र दे दिया, मेरे साथ गांवों में चलें तो वह फर्जी प्रमाण-पत्र प्लानिंग कमीशन स्वयं ही फाड़ देगा। अध्यक्ष महोदय, जिस राजस्थान में गरीब के नाम पर शोषण हो उसका भी मुख्य मंत्री ने एक बड़ा ही कीर्तिमान कायम किया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया है कि अन्त्योदय में क्या हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, अध्यक्ष महोदय, लेकिन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने किसानों के लिए इस बजट में और पांच वर्षों में क्या किया ? जनता शासन में ढाई हैक्टेयर में जो जमीनें बारानी थीं उनका लगान माफ किया। क्या राजस्थान की सरकार ने किसानों का लगान माफ किया है ? अध्यक्ष महोदय, कार्मशियल क्रोप्स पर जो सरचार्ज लगता था जनता शासन ने वह सरचार्ज खतम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने काश्तकारों का सरचार्ज खतम किया ? काश्तकारों के लाभ के लिए हमने जोनल सिस्टम खतम किया, आपने आज हालत यह कर दी कि राजस्थान का काश्तकार अपना गेहूं अहमदाबाद नहीं ले जा सकता। हरियाणा का काश्तकार और व्यापारी चाहे तो राजस्थान की मार्फत राजस्थान का गेहूं जितना चाहे उतना बाहर ले जावे। किसानों की जितनी लूट की छूट आपने दी है उतनी आज तक किसानों की नहीं हुई। मैं एक बात और कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, श्री चन्दनमल जी बैद मुझे समय राजस्थान का दुश्मन बता रहे थे पश्चिमी राजस्थान का लेकिन मैं कह दूं, अध्यक्ष महोदय, इस मंत्रिमण्डल में एक परसराम जी को छोड़ दीजिए, उनके दिल में दर्द होगा, बाकी बृजसुन्दर जी शर्मा, हीरालाल जी देवपुरा और चन्दनमलजी बैद ये जमाखोरों की जमात के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। मुनाफाखोरों की जमात के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं और किसानों की बात करते हैं। इसलिए मैं कह रह हूं कि राजस्थान में न किसान का भला हुआ. न राजस्थान में गरीब का भला हुआ। उस हालत में आप अन्त्योदय का कार्यक्रम देखें तो उसमें राजस्थान कहीं पीछे नहीं रहता। उस समय हमने जो भी टैक्स लोगों पर लगाए उसको कम किया है। आपने इतना सा किया कि हमने फ्लेट रेट कम की उस फ्लेट रेट को आपने डेढ़ा किया। इस समय आप काश्तकारों के प्रति हमदर्दी रखने की बात दिमाग से निकाल चुके थे। इसलिए मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार न काश्तकारों की है, न यह सरकार जनता की है। आपने घोषणा की अल्प संख्यकों के बारे में। वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि हम स्कालरशिप देंगे, इतने टीचर्स देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी चार वर्ष तक चुपचाप क्यों बैठे रहे। ये मुस्लिम पहले भी यहीं थे, ये अल्प संख्यक यहीं थे। उस समय आपको याद नहीं आए कि इनके लिए स्कालरशिप देनी है, इनके टीचर्स की नियुक्ति करनी है। यदि कोई एम. एल. ए. परीक्षा दे तो उसको स्पेशल स्कालरशिप दी जाएगी। आज आप अल्प संख्यकों को इतना बुद्धिहीन समझ कर चलो कि आपने चुनाव के मौके पर लालच दे दिया और बस बुद्धिहीन होकर आपके साथ खड़े हो जायेंगे। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चहता हूं, ट्राइसम योजना में क्या किया ? ट्राइसम योजना के आंकड़े भी मेरे पास हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। ट्राइसम योजना में लोगों की जो संख्या है वह है 29478 और मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो सैल्फ एम्पलायड हुए हैं उस ट्रेनिंग के कारण से वे हैं 4500। इससे ज्यादा शर्मनाक सफलता असफलता किसी योजना की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो ही नहीं सकती। आप बताइये सैल्फ एम्पलायमेंट में क्या हुआ? उनकी इन्कम कितनी जनरेट हुई। आपने फोलो-अप एक्शन क्या लिया है? कुछ किया ही नहीं है आंकड़े बता दिए कि हमने 29478 को ट्रेनिंग दी ट्राइसम योजना में। यह सब फर्जी आंकड़े हैं, अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों के आधार पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी उस दिन बड़े जोर शोर से बोल रहे थे कि जनता शासन में बिजली नहीं थी और बिजली नहीं थी इसलिए कांग्रेस के शासन में जिस समय बिजली पैदा हुई उतनी बिजली हम गोल कर गए। आपने भी सुना होगा, अध्यक्ष महोदय, सूने हाउस में मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे जैसे जंगल में मोर नाच रहा हो। लेकिन उस समय हमने सुना और उस सुनने के बाद मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जनता शासन में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? आप सुनिए। सन् 76-77 में 8330 विलेजेज का इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ। 77-78 में 1633 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। 78-79 में 2312 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। 79-80 में 1520 गांवों का विद्युतीकरण हुआ और श्रीमानजी, आपके चार वर्षों में क्या हुआ? जनता पार्टी के शासन के तीन वर्षों में 5462 गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और आपके शासन में चार वर्षों में 4918 गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। यहां पर भी एक हजार गांवों की कमी की मात खाई है। अध्यक्ष महोदय, ...

(2-30 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पीठासीन)

वही मैं बताता हूं। आप थोड़ा तसल्ली से सुनिए। सभापति महोदय, कुओं का विद्युतीकरण 76-77 तक हुआ 107044 का, 77-78 में 20969, 78-79 में 26720, 79-80 में 28481 को बिजली दी गई। जनता शासन के तीन वर्षों में 76170 कुओं को बिजली दी गई और कांग्रेस पार्टी के शासन में 1980 से 1984 तक कुल मिला कर 76170 के मुकाबले 72149 कुओं को बिजली दी गई। आज वह कहते हैं, हमने बिजली का विस्तार किया है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, ई. एस. टी. लाइन 77-78, 78-79 और 79-80 में 1264 किलोमीटर बिछाई गई और कांग्रेस पार्टी के चार वर्षों में 1114 कि. मी.। इसमें भी मात खा गये। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी कह गए अपने भाषण में, आप दोनों बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, क्या उन्होंने इस बात की घोषणा नहीं की थी कि हर जिले में 60 मेगावाट का प्लाण्ट लगाया जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : 220 के. वी. की एक किलो मीटर भी लाइन खींची थी क्या आपने?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1264 कि. मी. ई. एस. टी. लाइन खींची।

श्री परसराम मदेरणा : 220 के.वी. की कितनी खींची?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कल आपको बता दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : 220 की तो चार वर्ष में एक भी किलो मीटर नहीं हुई, विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 330 की कितनी हुई ? आप बतावें।

श्री परसराम मदेरणा : यह कोई क्लास है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या आप मेरी क्लास ले रहे हैं।

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, हर जिले में 60. मेगावाट का प्लाण्ट लगायेंगे। मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, गांवों में कहते हैं, मुख्य मंत्री जी क्या करेंगे, परसराम जी की राय लेंगे। उन्होंने घोषणा की कि 27 जिलों में ये प्लाण्ट लगेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो प्राईवेट कैप्टिव प्लाण्ट लगाने थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय यह कहां कहा था ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने यह आफर दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो कहा कि 60 मेगावाट के 27 जिलों में अलग अलग प्लाण्ट लगेंगे। आप उनसे कहलवा दें। आप मत कहो।

उन्होंने सुपर थर्मल प्लाण्ट की भी घोषणा की। इसके लिए कहा गया कि मेड़ता में कोयला नहीं मिला इसलिए खतम हो गये। तो कोयले का पता नहीं, सुपर थर्मल प्लाण्ट लगा रहे हैं।

मुख्य मंत्री जी को यदि एक सफेद चिड़िया मिल जाय तो कह देंगे कि इसका हवाई जहाज बना दूंगा। अब चिड़िया और हवाई जहाज में कितना अन्तर है लेकिन कहने में कोई दिक्कत नहीं, जबान पर कोई कंट्रोल नहीं, जहां जायं वहीं घोषणा। जैसे जेब से रूमाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती वैसे ही मुख्य मंत्री जी कोई न कोई प्लाण्ट निकाल लेंगे। जहां जायेंगे, प्लाण्ट की घोषणा कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से, पलाना का क्या हुआ ? आपने इसके लिये पांच करोड़ का प्रावधान रखा। सभापति महोदय, राजस्थान लिफ्ट कैनाल का मामला लीजिये*। इसमें कहा गया कि 79 में शुरू हो जाती तो उस समय 53 करोड़ की थी शायद अब 153 करोड लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, परसराम जी मदेरणा, हमने पांच करोड़ का प्रावधान रखा था 78-79 में, यदि पलाना का प्लान्ट उस समय चालू होता तो इस समय 140 करोड़ में खतम हो जाता जब कि रिवाइज्ड एस्टीमेट बना है 305 करोड़ का। तो क्या मैं आपको यह कहने का हक रखता हूं कि आपने 78-79 में इस योजना को चालू नहीं किया तो आप पश्चिमी राजस्थान के दुश्मन हैं ? क्या आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे ?

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : 78-79. में रखा है, 79-80 में कितने लगेंगे, ग्राप बताइये। पश्चिमी राजस्थान को क्यों दुश्मन बना रहे हैं ग्राप ?

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : मैं ग्रापको नहीं बना रहा हूं। मैं तो सिमली दे रहा हूं। ग्रगर ग्रापने पलाना का काम नहीं किया तो क्या मैं ग्रापको पश्चिमी राजस्थान का दुश्मन कह सकता हूं ? यदि कह सकता हूं तो जो चन्दनमलजी ने कहा उसमें ग्राप भी दुश्मन हो गये, मैं भी। चन्दनमलजी तो राजस्थान के किसानों के दुश्मन हैं, किसानों से उनका कोई लेना-देना नहीं लेकिन सिमली के ग्राधार पर कहा जाय, माननीय मदेरणा जी इस बात को स्वीकर करेंगे कि लिफ्ट के संबंध में तत्कालीन सरकार ने क्या निर्णय लिया। उस समय, सभापति महोदया, हमारे सामने तीन ग्राडिट रिपोर्ट्स थीं। एक सिविल–78-79 की, दूसरी 76-77 की ग्रौर तीसरी 79-80 की। इन तीनों में ही ग्राडिटर ने लिफ्ट इरिगेशन के संबंध में पूरा का पूरा चैप्टर लिख कर कहा है कि ग्रब यदि कोई भी नई स्कीम ली जाय तो उसके इकानामिक्स की पूरी की पूरी स्टडी की जाय। ग्रापने जिस समय स्कीम की बात कही उस समय न तो पावर का इन्तजाम था। चुनाव में जोधपुर, बीकानेर ग्रौर कोलायत के वोट लेने के लिये ग्रधूरी स्कीम बना कर चले गये कि हमने लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम स्वीकार कर ली हैं। यह तय नहीं किया कि राजस्थान कैनाल का खर्चा, जो पर एकड़ डवलपमेंट कोस्ट ग्राती है, लिफ्ट योजना के काश्तकारों से वसूल किया जायेगा या पूरे राजस्थान के काश्तकारों से ? यह भी तय नहीं किया गया, सभापति महोदय, ग्राज भी राजस्थान के काश्तकारों को धोखा दे रहे हैं। मैं चाहूंगा, सरकार इसको स्पष्ट करे कि जो डवलपमेंट कोस्ट ग्रायेगी वह लिफ्ट एरिया के काश्तकारों से वसूल की जायेगी या पूरी राजस्थान कैनाल काश्तकारों में डिस्ट्रिब्यूट की जायेगी। सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, इस संबंध में उस समय चन्दनमलजी ने कहा तो मैं भी कह सकता हूं कि यह नार्थ ट्रिब्यूटरी कैनाल ग्राज के पांच वर्ष में शुरू होगी या कब होगी। ग्राप यह कहेंगे कि उस समय शुरू कर दी जाती तो काम ग्राज तक हो जाता। ग्राज ग्रापने स्वीकार किया, बीसलपुर योजना कहां से कहां पहुंच गई ग्रौर भगवान जाने जिस समय सी. पी. डब्ल्यू डी, से मंजूर होगी उस समय योजना का खर्चा कितना हो जायेगा। इसी तरह से मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदया, हमारी सरकार ग्रौर वैद जी, मुझे दुःख हैं, उनकी बातों से मै इसीलिये कह रहा था कि लिफ्ट इरिगेशन हमने रोकी नहीं, बन्द नहीं की, हमने केवल यही कहा कि इस पर किसी बहुत ग्रच्छे कंसल्टेण्ट की राय ले ली जाय कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई संशोधन करने की ग्रावश्यकता है क्या ? इसमें कोई सुधार करने की ग्रावश्यकता है ? उसे पोस्टपोन नहीं किया बल्कि उसे कंसल्टेण्ट के पास भेजने की व्यवस्था की जिस पर कहते है कि लिफ्ट इरिगेशन को हमने चालू किया। ग्राप तो पश्चिमी राजस्थान के दुश्मन हैं जैसे पश्चिमी राजस्थान के दोस्त वैदजी है जिन्होंने राजस्थान कैनाल में इतने घोटाले किये। यदि सदन की राय हो ग्रौर राजस्थान कैनाल का एक दिन विषय रखा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाय तो सदन में चंदनमलजी वैद और मुख्य मंत्री जी को × × × तब आपको पता लगेगा। सभापति महोदया, इन बातों के आधार पर यदि यह कहा जाय कि हमने भी बिजली के मामले में कुछ किया।

एक और निवेदन है, यह पलाना का प्रश्न है। सभापति महोदया, मुख्य मंत्री जी कह गये कि जिस समय हम गये थे उस समय जितनी बिजली थी उतनी ही हम छोड़ गये। मैं जिस समय मुख्य मंत्री पद से हटा हूं, इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं, जनता शासन और कांग्रेस शासन में बिजली के मामले में फर्क क्या है। पलाना की योजना 120 मेगावाट की हमने भेजी। सिंगरौली की योजना कांग्रेस के जमाने से मंजूर नहीं हुई। वर्ल्ड बैंक से समझौता हुआ, पूरे नर्दर्न जोन के लिये वह मंजूर हुई। इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं, मुझे इस स्कीम की ए टू जैड स्थिति मालूम है, हम पर दबाव डाला गया कि आप इसमें सिग्नेचरी बनिये। मैंने विद्युत बोर्ड को निर्देश दिया कि जब तक सिंगरौली लाइन विदाउट टैपिंग जयपुर नहीं पहुंचती है तब तक इस समझौते पर दस्तखत नहीं नहीं करने हैं। उस समय तक इंसिस्ट करना चाहिये जब तक वर्ल्ड बैंक के सामने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो उसमें पूरी स्टेट लाइन इन्क्लूड न की जाय, तब तक दस्तखत नहीं करने हैं। यह दस्तखत किसने किये? उस समय हमने तय किया कि कानपुर से वाया दिल्ली सीधे जयपुर आजाय। यह मुख्य मंत्री जी कमजोरी है, यह राजस्थान को डुबोना चाहते हैं। आगरा में टैपिंग हो रहा है। जनता शासन होता तो कोई टैपिंग की आवश्यकता नहीं होती। ओबरा में आग लग गई तो सिंगरौली में आग के कारण बिजली कट गई, जो आपके हिस्से की तो बिजली मिलनी चाहिये वह नहीं मिली। यह 300 मेगावाट की योजना जनता शासन में बनी। कोटा स्टेज-टू की योजना बृजसुन्दरजी ने नहीं बनाई, यह हमने बनाई।

श्री परसराम मदेरणा : कोटा की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोटा स्टेज-टू की योजना मैंने बनाई।

श्री परसराम मदेरणा : उस पर तो काम शुरू नहीं हुआ।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे 400 मेगावाट की योजना हमने बनाई।

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह दावा करते हैं, वह योजना शिवचरण माथुर की योजना नहीं है। यह जनता पार्टी शासन की योजना है जिससे 10.2 मेगावाट बिजली पैदा होगी। माही स्टेज फर्स्ट और माही स्टेट सैकण्ड यह योजना भी कांग्रेस की देन नहीं है। यह योजना जनता पार्टी शासन की देन है। जनता पार्टी शासन ने इस योजना को बनाया और सी. ए. के पास एप्रूवल के लिए भेजा गया। एक स्कीम हमारे जाते

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही मन्जूर होकर आ गयी और दूसरी योजना कुछ समय के बाद में मन्जूर हुई। लेकिन इसमें आपका कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। सभापति महोदया, पोंग डेम योजना के अन्दर भी कांग्रेस पार्टी का कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। यह जनता पार्टी शासन की योजना है। यह 126 मेगावाट की योजना है जो हमने एप्रूव करायी है। अनूपगढ़ की बात आप ज्यादा करते हैं। अनूपगढ़ का आपको ध्यान नहीं था। यह भी जनता पार्टी शासन की देन है। हमने अनूपगढ़ की योजना बनायी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी शासन में 1135 मेगावाट की योजनाएं या तो चालू हो गयीं या एप्रूव हो गयीं या जिनकी टेक्निकल एप्रूवल आ गयी या एप्रूवल की स्टेज में थीं। मैं यह कहना चाहता हू माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कि 1135 मेगावाट की योजना बनायी गयीं और हमारे मुख्य मंत्री जी दावा करते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग की बात करते हैं। वे यह कहते हैं कि जो मैं सोचता हूं वह करा सकता हूं। उन्होंने कितने मेगावाट की योजना दी? 29 मेगावाट की योजना थी। कहां 1135 मेगावाट की योजना जनता शासन ने आपको दी और कहां मुख्य मंत्री ने चार साल में 29 मेगावाट की योजना दी। 13 स्कीम्स इसमें सी. ए. द्वारा क्लियर हो गयी और 26 ऐसी स्कीम्स है जिनको क्लियरेन्स की अभी आवश्यकता है। दोनों मिलाकर सभापति महोदया 29 मेगावाट होती है और हमारी होती हैं 1135 मेगावाट। आपने नुकसान कितना किया?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें पार्वती योजना कैसे ले रहे हैं। आपने काम नहीं किया काम तो हमने शुरू किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं। आपकी पार्वती को नहीं भूलने वाला हूं।

सभापति महोदया, मैं यह कह रहा हूं कि जनता पार्टी शासन में आनंदपुर साहिब, मुकेरियां, नाथपा झाकड़ी और चमेरा, इसमें नर्बदा को निकाल दीजिये, और पार्वती को भी निकाल दीजिये, इनमें से 1600 मेगावाट का हमारा हिस्सा होता है, कुल प्रोडक्शन है, उसमें हमारा हिस्सा कितना है। हमने इतनी योजनाएं बनायीं, और एक यह मुख्य मंत्री हैं जिनको इतिहास याद करेगा। राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात, धोखा कोई कर सकता है, राजस्थान की जनता को नुकसान कोई पहुंचा सकता है तो उसमें शिवचरण माथुर का नाम इतिहास के काले पन्नों में लिखा जायेगा। उसने पंजाब के सामने इन्दिरा गांधी के दबाव में आकर राजस्थान को इन योजनाओं से बाहर निकाल लिया।........

श्री परसराम मदेरणा : कहां? किसने निकाल दिया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंजाब ने निकाल दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : हमारा क्लेम बराबर पुट-अप कर रहे हैं। we are fighting......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : fighting with each other, not with Punjab or the centre.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदया, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से, आप बता दें मुकेरिया कमीशन्ड हुआ या नहीं ? बताइये । मुकेरिया कमीशन्ड हो गया है और उसमें आपका हिस्सा नहीं है। बाकी में छुट्टी हो गयी। मुख्य मंत्रीजी यहां कहते हैं हम आनंदपुर साहिब को पानी नहीं देंगे। मुख्य मंत्री जी, आपको कौन पूछेगा ? वहां पर प्लांट बन गया। वे आपके पानी के भरोसे नहीं बैठे रहें। आपके पानी से आनंदपुर साहिब और उनका रीपड़ का थर्मल प्लांट नहीं रुकने वाला है। इसके लिये आपने अपने अधिकारियों को भेज दिया। मुख्य मंत्री जी को जाने की हिम्मत नहीं हुई। अधिकारियों को भेजा, तुम ही लड़ो। मैं दूर रहना चाहता हूं। अधिकारी गये। केबिनेट सैक्रेटरी ने बुलाकर कहा, थर्मल प्लांट तैयार है, आपको पानी देना पड़ेगा। वे मुंह लटका कर आ गये, रोपड़ गया।

श्री परसराम मदेरणा : रोपड़ के लिए हमने एग्री नहीं किया है। परसों की मीटिंग में, 24 तारीख को वहां पर यह तय हुआ, हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर इसको रोका गया है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार न तो इतनी बेअक्ल है और न पंजाब सरकार ही इतनी बेअक्ल है कि उन्होंने करोड़ो रुपयों का इन्वेस्टमेंट कर दिया और उनको पानी के लिये रोका जाये। इनकी ताकत क्या है ? मुकेरिया कमीशन्ड हो गया। आपको पूछा ? मुकेरिया के बारे में पूछा ? नाथपा झाकरी का काम शुरू हो गया। आपको पूछा ?....

श्री परसराम मदेरणा : रोकने का प्रश्न नहीं है, आनन्दपुर साहिब को अलग से जोड़ने का है। इसमें हम भागीदार हैं। इसलिये हम भी दावेदार हैं। हमारा आर्गुमेन्ट यह है, आप अल्टीमेटली पानी वहां से लेना चाहते हैं इसलिये हम शेयर होल्डर हैं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में यह कहते हैं उन्हें गांवों के नाम याद नहीं। मुख्य मंत्री जी सामने बैठ जायं। एक एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लें। उसमें क्या वीकनेस है और स्ट्रांग पाइन्ट है, कब कब हमने भारत सरकार को लिखा और कब नहीं लिखा, यह सब मैं आपको हाउस के सामने दे सकता हूं। आप सब जगह कन्सीड कर गये हैं। अब मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया, मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से समझौता कर के आया हूं। यह समझौता कुछ नहीं है। एक मीमो आफ अन्डरस्टेन्डिंग है। दोनों के बीच में तय हुआ है कि हम सर्वे करायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सर्वे के लिये क्या आपके पास पूंजी है ? जिस सरकार के बजट के अन्दर 175 करोड़ का घाटा हो, जिस सरकार के राजस्व खाते में घाटा हो, जिस सरकार का पब्लिक डेब्ट बढ़ता जा रहा हो, क्या ऐसी सरकार के पास पूंजी विनियोजन के लिये पैसा हो सकता है ? कोई पैसा नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री ने एक तस्वीर बता दी कि इस सम्बन्ध में हमारा एक समझौता हुआ है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान दोनों भूखे हैं। क्या दोनों भूखे मिल कर एक बड़ा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्लान्ट खड़ा कर लेंगे ? सभापति महोदया, ऐसी हालत में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान की जो तबाही की है, इतनी बड़ी तबाही न राजस्थान की हुई, न पहले हुई और होने की है। मैं कह सकता हूं, इस तबाही का कौन जिम्मेदार है ? चुनाव आने पर राजस्थान की जनता ऐसे विश्वासघात का जिस समय ब्याज सहित बदला चुकाएगी उस समय पता लगेगा कि राजस्थान की बिजली कहां, कैसे गई ? मैंने भाषण दिया। यह कहा गया कि बड़े जोर-शोर से भाषण दिया। जनता पार्टी ने खम्भे लगाये तार लगा दिये परन्तु जनता पार्टी ने बिजली नहीं दी। मैं, सभापति महोदया, आंकड़ों के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि जनता शासन में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धि कितनी थी। 1977-78 में 98.97 मेगावाट पर केपिटा इनर्जी उपलब्ध थी। 1978-79 में यह 113.48 मेगावाट थी, 1979-80 में 124.25 मेगावाट थी। हम इसको 124 मेगावाट तक ले गये थे और कांग्रेस का पदार्पण होते ही यह 124 मेगावाट से घट कर अवेलिबिलिटी 121.98 मेगावाट रह गयी। यह क्यों ? इसी तरह से प्रति व्यक्ति पर केपिटा कन्जम्पशन भी आप देख लें। 1977-78 में 74.32, 1978-79 में 87.26, 1979-80 में 93.07, और 1980-81 में इट डिक्लाइन्ड टू 90.01, इससे आप अन्दाज लगा लें कि हमारे पास पावर की कमी रही हो। यह आंकड़े मैंने तैयार नहीं किये हैं। यह आंकड़े भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस पाइंट के समर्थन में, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि बिजली नहीं दी। आप अपने अकाउंट्स से इसको चैक कराइये। आपको पता चल जायेगा कि 1977-78 में हमने राजस्थान में कितनी बेची और राजस्थान के बाहर कितनी बेची। टोटल है 2468 मिलियन किलोवाट, 1978-79 में यह बढ़ कर 3347 हो गई, 1979-80 में 3877 हो गयी। यदि बिजली नहीं होती तो बेचते कहां से। सभापति महोदया, मैं यह बता सकता हूं कि इस सारे मामले में कितनी बिजली की केपेसिटी बढ़ी है। एट दी एंड आफ दी ईयर 1977 इन्सटाल्ड केपेसिटी थी 582 मेगावाट, एट दी एंड आफ 1978 इन्सटाल्ड केपेसिटी थी 684 मेगावाट, इट इज इम्प्रूव्ड बाय 102, एट दी एंड आफ 1979 इन्सटाल्ड केपेसिटी थी 754.0 मेगावाट और 79.95 मेगावाट की वृद्धि, 1980 में इन्सटाल्ड केपेसिटी थी 816.44 मेगावाट और 62 मेगावाट की वृद्धि। मुख्य मंत्री कह गये, जिस समय हम गये थे, जितनी बिजली हम छोड़ कर गए थे उतनी बिजली हमको जनता शासन जब खतम हुआ उस समय मिली। मुझे खेद है, सभापति महोदया, मुख्य मंत्री जैसा व्यक्ति, छोटी मोटी असत्य बात कहे तो चल सकती है परन्तु गलत बात कही वह पद के आकार के अनुरूप कही, इतनी असत्य बात कही जिसकी सफाई नहीं दे सके। क्या इसका गहराई से मुख्य मंत्री जवाब देंगे जिससे इस बात की जानकारी मिले कि मुख्य मंत्री के बिजली के बारे में दावे कितने असत्य हैं और दोनों में कितना बड़ा अन्तर है।

सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था हैड वर्क्स के बारे में उस समय मैंने आपको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चैलेन्ज किया था। इन हैड वर्क्स के बारे में जो व्हाइट पेपर आया है उसके अन्दर अभी तक आपने कारगर रूप से कार्य नहीं किया है। सभापति महोदया, मुख्य मंत्री यहां तो कभी डराते हैं नरेन्द्रसिंह भाटी को, या कभी रामपाल उपाध्याय को डरायेंगे लेकिन ये प्रधान मंत्री के पास क्यों नहीं गये। वे प्रधान मंत्री के दरवाजे के पास जाकर चपरासी से मिल कर अखबारों में स्टेटमेन्ट देते हैं कि प्रधान मंत्री ने मेरे काम की तारीफ की है। मुख्य मंत्री से पूछा, किसने कहा। चपरासी चर्चा कर रहे थे। परन्तु मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री के पास क्यों नहीं जाते। वे उनके दरिन्दों से मिल कर अपनी तारीफ करवाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस सदन में मुख्य मंत्री यह बतावें कि इस व्हाइट पेपर के बारे में कितनी बार प्रधान मंत्री से मिले हैं और कितनी बार व्हाइट पेपर के बारे में प्रोटेस्ट किया? चिट्ठी लिखी होगी तो चीफ सैक्रेटरी से केबिनेट सैक्रेटरी को लिखवा दी होगी। या इनर्जी मिनिस्टर को लिखवा दी होगी। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी के सामने जाने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? वहां जाकर राजस्थान की ओर से प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया और हेड वर्क्स के बारे में यह पोजीशन स्वीकार कर ली जो राजस्थान के लिए घातक थी।

श्री परसराम मदेरणा : स्वीकार क्या कर ली?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह स्वीकार कर ली।

श्री परसराम मदेरणा : कौन समझता है इसको?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आज जो कुछ भी डिस्प्यूट अराइज हुए हैं, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को एग्रीमेन्ट में रेफर कर रहे हैं, उसका फैसला होगा, इस व्हाइट पेपर का कुछ नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह व्हाइट पेपर मैंने इश्यू नहीं किया, यह कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्रीजी दरबारा सिंह ने इश्यू किया। यदि दरबारा सिंह जी ऐसे आदमी है जैसे वे कह रहे हैं तो वे कांग्रेस के हैं, बी. जे. पी के नहीं है, ××× वे असत्य हैं, उन्होंने फर्जी काम किया, आपके कहने का मतलब यही है कि सब कुछ दरबारासिंह जी ने किया।

श्री परसराम मदेरणा : और क्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब कुछ दरबारा सिंह ने किया, आप यही कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अपनी अपनी तूती बजाते हैं, इससे क्या होगा। लीगल पोजीशन बिल्कुल दूसरी है।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मतलब यही है दरबारा सिह जी तूती बजा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : चाहे दरबारा सिहजी हों, चाहे भैरोंसिह जी हों।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उन्होंने पंजाब, विधान सभा में व्हाइट पेपर इश्यू करके तालियां बजवाई और यहां दरबारा सिह जी की आलोचना करके तालियां बजवा रहे हैं। वाह! अरे वाह रे कांग्रेस की सरकारें! कैसे आपस में मिल जुलकर प्रोग्राम बनाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हैड वर्क्स के मामले में मुख्य मंत्रीजी को क्यों दर्द हुआ? उनको इसलिए हुआ कि मैं जब मुख्य मंत्री था उस समय प्रधान मंत्री ने इस संबंध में कुछ लिखा, मैंने कार्यवाही क्यों नही की। अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है, 1966 में पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट बना और 1966 से लेकर 1977 जून तक कांग्रेस पार्टी का राज था। इन 11 वर्षों में आपने क्या किया? 11 वर्ष हैड वर्क्स के लिए आपने भारत सरकार को क्यों नहीं कहा? भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने आदेश दिया, उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 1973 में यह आदेश दिया कि दोनों चीफ मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर या इरिगेशन मिनिस्टर बैठकर समझौता कर लें। 1973 के बाद न कोई मीटिंग हुई न किसी प्रकार का फैसला हुआ, 1974 से चेप्टर बन्द हुआ और 1974 में कांग्रेस पार्टी का शासन था। हैड वर्क्स को वापस लेने नहीं लेने का प्रश्न ये बिल्कुल भूल गये। 1977 में मैं जब मुख्य मंत्री बना तो मैंने प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी, प्रधान मंत्री को इन्सिस्ट किया कि इस कानून की पालना करायें। उसके बाद दुबारा मैंने उनको शिकायत की कि अभी तक उन्होंने ट्रान्सफर नहीं किया। उसके बाद दुबारा चिट्ठी लिखी। जिस समय उन्होंने चिट्ठी लिखी उसके एक महीने बाद अकाली दल मोराजरजी भाई के खिलाफ हो गये, वे मोराजरजी भाई को हटाने में शामिल हो गये। उस समय, आप अन्दाजा लगायें, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि मैंने गद्दारी की। मैं आज हाउस के सामने कह सकता हूं कि और किसी के लिए गद्दारी कर सकता हूं, लेकिन राजस्थान के हितों के लिए गद्दारी नहीं कर सकता × × ×

(2.55 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं शिवचरणजी माथुर से कि मैं तो 80 में चला गया....

श्री परसराम मदेरणा : 16-17 फरवरी को।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको मेरे जाने की तारीख तो याद है, आपके अपने आने की क्यों नहीं है? आप कौन सी तारीख को आये? मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं 80 में गया और 80 के बाद 81 आ गया, 82 आ गया, 83 आ गया और 83-84 आ गया। इन पांच

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वर्षों तक आपने और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने क्या किया, इन हैड वर्क्स को लेकर, इस संबंध में आपने क्या कोशिश की ?

श्री परसराम मदेरणा :....प्रधान मंत्री से मिला। उन्होंने 7 दिन के अन्दर हैड वर्क्स ट्रान्सफर करने के आपकी मीटिंग में आदेश दिये, तो क्या ट्रान्सफर हो गये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो, अध्यक्ष महोदय, दो घन्टे मुख्य मंत्रीजी बोले, डेढ़ घन्टे चन्दन मलजी बोले, पौन घन्टे बोले, उन्होंने मुझे ही मुझे याद किया तो, मुझे भी उनको याद करने दो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मोरारजी देशाई ने परस रामजी को पत्र लिखा। यह सरकार यह जवाब दे कि इन्दिराजी ने अकालियों को क्या कहा ? एक बार भी इन्दिराजी ने अकालियों को कहा कि हैड वर्क्स ट्रान्सफर कर दो। मेरी हिम्मत थी कि प्रधान मंत्री से चिट्ठी लिखवाई। आप प्रधान मंत्री के कमरे में नहीं घुस सकते, आप चिट्ठी लिखवायें तो मुझे भी बता दें। आपका प्रधान मंत्री पर कोई असर नहीं है। क्या प्रधान मंत्री आपका कहना नहीं मानती ? एक डेड इश्यू को मैंने लाइव किया और प्रधान मंत्री को इन्वोल्व करके चिट्ठी लिखवाई। उसको ट्रान्सफर करने के बजाय कह देते राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मुख्य मंत्रीजी अपनी कमजोरी के कारण, कमजोरी छिपा नहीं सकते, राजस्थान के साथ आपने जितना विश्वासघात किया शायद दूसरा आदमी नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो राजस्थान की धरती पर पैदा हुआ, धरती का खाया हूं, इसी धरती का पीया हूं लेकिन जो मध्य प्रदेश में जन्मे हैं उनकी राजस्थान के प्रति कितनी वफादारी होगी, यह थोड़ा विचार करने का कष्ट करें।

इसी प्रकार से मेरे पर चार्ज लगाया गया कि कैचमेन्ट एरिया में जनता पार्टी शासन में कई बांध बने। मैं पूछना चाहता हूं माननीय परसरामजी से कि आपने तो सारी पत्रावली देखी होगी, उस पत्रावली में यह बात सबसे पहले नोटिस में कब आई, राजस्थान सरकार के नोटिस में कब आई ? पहली बार अप्रेल, 1976 में, उस समय मैं मुख्य मंत्री नहीं था, उस समय मेरा राज नहीं था, 1976 में आपको पता लगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछूंगा मैं, एक जानकारी और करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपने किसकी परमिशन से दी थी।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी परमिशन ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्वेस्टीगेशन के लिए।

अध्यक्ष महोदय, सदा के लिए रिकार्ड शुद्ध करने के लिए मैं इस सदन को बताना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता हूं कि 5 अप्रेल, 1962 को मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल कैचमेन्ट एरिया में शिवली बांध बनाने के लिए सर्वे, इन्वेस्टीगेशन करने की परमिशन दी। यह परमिशन असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट द्वारा दी गई। 21 फरवरी का सेन्ट्रल पावर एण्ड वाटर कमिश्नर, न्यू दिल्ली का एक लैटर है

"Asstt. Secretary to Govt.

Chif Engineer,
Central Water &
Power Commission
Water wing, New Delhi.

I am directed to invite a reference to your letter dated 13-10-61 on the subject noted above and to say that the Rajasthan Government has no objection in allowing the survey and investigation of the proposed scheme of Seervi river near village on the Rajasthan border."

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी और देकर इस मामले को खतम कर देना चाहता हूं।

मैंने पालियामेन्ट की एक प्रोसीडिंग देखी उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नम्बर-822, 4 मई, 1982 को एम. पी. जसवंतसिंह ने एक पूछा, वह प्रश्न क्या था ? वह प्रश्न यह था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चम्बल क्षेत्र में कितने बंधों का निर्माण किया गया ? उसका जवाब दिया है– रामनिवास मिर्धा ने जो राजस्थान के है, "मध्य प्रदेश ने सूचित किया कि 57 लघु तथा मध्यम सिंचाई स्कीम में 9874 हैक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था होती है, निर्मित की जाती है। 1983 में जवाब दिया कि निर्मित की जा चुकी है और 10381 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिए 29 लघु तथा मध्यम स्कीम निर्माण के विभिन्न चरणों में है। यह चरण किसके हैं ? चार वर्षों से आप बैठे हैं, आपने क्या क्या किया ? आपके जमाने से, हो चार वर्ष में 10381 हैक्टेयर में सिंचाई करने वाली स्कीम कहां गुम गई, मैं पूछना चाहता हू आपसे और मुख्य मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : इनके बनने में काफी समय लगा होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो एक तरीका है। मैं भी कह सकता हू जो 1977 में काम किया वह इनसे बेहतर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूछना चाहता हू कि यह जब नोटिस में आया तो आपने क्या किया ? मेरे नोटिस में आया उस समय हमने विचार किया और विचार करके निर्णय लिया कि इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाय।

(3.00 म. प.)

किसने गद्दारी की ? मैं इसलिए पूछना चाहता हू कि हर बात के अन्दर मुख्य मंत्री

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जी यह लेकर चलें कि जनता शासन में क्या हुआ, यह जनता शासन में हुआ, यह जनता शासन में हुआ। मैं तो मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि जनता शासन में जो हो गया वह कांग्रेस की पीढ़ियों में न हुआ है, न होगा। इस आधार पर काम करें।

श्री दिनेश डांगी : ढाई साल में कैसे बदल गये ? जनता ने आपको ढाई साल में बदल दिया।

श्री अहमद बक्स सिंधी : हंसने वाली बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब दो इकट्ठे हो गये। अध्यक्ष महोदय, अहमद बक्श सिंधी और दिनेश डांगी अब दो हो गए हैं, पहले तो एक ही थे। आप मुझे बचायें।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि यह लैटर 26-7-79 को ही इश्यू किया कि लीगल एक्शन लिया जाय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों में जाने के बजाय इस प्रश्न के ऊपर जायें कि जो कुछ हुआ है उसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे रोका जाय। इस प्रकार से किसी को गद्दार कहने से काम नहीं चलता है। दूसरों को गद्दार कहेंगे तो कोई इस बात का विश्वास भी नहीं करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, मंत्री महोदय सामने बैठे हैं, बड़े जोरों से घोषणा की कि राजस्थान में कांग्रेस शासन में 7 हजार गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध किया गया। कलकत्ता में घोषणा की गयी, यहां पर घोषणा की गयी। आप जांच करा लें, अभी मैं धरियावद और दधर गया था। हर हैंड पम्प पर लिखा है कि पीने के योग्य पानी नहीं है। कई के ऊपर बैल्ट लगी हुयी है, कहीं मुंह ही नहीं खोला गया है। मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हैंड पम्प का पानी पीने योग्य नहीं है तो सिर में खुजली किसके हो रही है कि उससे सिर धोये। पीने के पानी के लिए आपको पैसा दिया गया था, उस पैसे का आपने किया क्या ? अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की एस्टीमेट कमेटी, भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने जो प्राब्लम विलेजेज का क्राइटेरिया दिया है वह हाउस में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। यह क्राइटेरिया एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है 1982-83 की इसमें लिखा है।

"The following criteria have been adopted for categorising villages as problem villages :—

(i) Those which have not assured source of drinking water within a reasonable distance of 1.6 Km. or within a depth of 15 metre.

(ii) Those where the availability of water has an excess of salinity, iron, chloride or other toxic elements, those, which are......

हाथ से लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, डिसीज का नाम है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

like cholera ......etc.

यह प्राब्लम विलेजेज की डेफीनेशन है। मैं माननीय मदेरणा साहब से पूछना चाहता हूं कि जोधपुर काण्ड पर चर्चा हुयी, आपने राजस्थान में जांच करायी, कहां कहां पर पानी खराब है। उसकी जांच रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गयी....

श्री परसराम मदेरणा : क्यों रखनी है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो जांच रिपोर्ट सदन में रखें। कितने हैंड पम्पों में खारा पानी मिला, कितनी आपकी स्कीम में खारा पानी मिला? कितने लोगों को आप जहर पिला रहे हैं? मैं आप पर, मदेरणा साहब, और शिवचरण माथुर पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि....

श्री परसराम मदेरणा : 4 प्रतिशत पानी था टोटल रिक्वायरमेंट का....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सात हजार गांवों में से 5 हजार गांवों के अन्दर जो पानी दिया है, वह मनुष्य के पीने के लायक नहीं है। मंत्री महोदय इसकी जानकारी कर लें।

अनेक माननीय सदस्य : डूब मरो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैंड पम्पों पर बड़ी चर्चा की गयी। इस सदन में कई बार आरोप लगाये गए, मंत्री महोदय ने इन्कार किया, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। मेम्बर कह रहे थे कि हैंड पम्प खराब है। एक कम्पेन चला उन हैंड पम्पों को दुरुस्त करने का, उसके आधार पर जो उसकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहा गया कि 34.442 हैंड पम्प कुल थे जिनमें से कम्पेन से पहले आउट आफ आॅर्डर 14,965 थे। अध्यक्ष महोदय, 34 हजार में से 14, 965 आउट आफ आॅर्डर थे, रिपेयर की गई 11.245 की, उसके बाद बेलेंस रहा 3720 का। 3,720 में से 2243 में मेजर कमी पायी गयी और 1477 बेकार हो गए। तो आप अन्दाज लगा लें कि एक हैण्ड पम्प पर 15 की कोस्ट आती है तो कितना रुपया बरबाद किया गया। मेजर पर कितना किया गया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जानते थे कि विधान सभा का सेशन आ रहा है....

श्री परसराम मदेरणा : तो क्या? बाड़मेर में तो ट्यूब वेल की लाइफ ही तीन साढ़े तीन साल होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन साल। कम है ना।

श्री परसराम मदेरणा : वही तो मैं कह रहा हूं कि तीन साल ही काम कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज लाइफ याद आ रही है। जब पकड़ में आ गये।

अध्यक्ष महोदय, यह हैंड पम्पों को दुरुस्त करने के लिए कम्पेन चलाया गया। अभी मार्च के माह में 14 तारीख को खतम हुआ है। विधान सभा सदस्य कहेंगे इसलिए यह चलाया गया। आज भी आधे से ज्यादा हैंड पम्प खराब पड़े हैं। हैंड पम्प तो इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार का नमूना है कि इस सरकार को कांग्रेस की सरकार कहने के बजाय हैंड पंप की सरकार कहें। मैंने कई बार कोशिश की है इनको कोई सर्टिफिकेट देना हो, कोई डिग्री देनी हो, कोई पदवी देनी हो, पद्मश्री नहीं उनको देनी चाहिए मास्टर ग्राफ हैंड पम्पस। यह हैंड पम्प्स का निर्माण किया। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछली विधान सभा में आरोप लगाया गया. उस समय सरकार ने कहा कि 240 रु. प्रति मीटर की रेट आयी है, यह कोई ज्यादा रेट नहीं है। बिल्कुल वाजिब है। मैं, मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि 8-1-80 के बाद जो टेण्डर इन्वाइट किये गये उसकी रेट्स कितनी आयी ? सारे जिलों में रेट कम आयी, इतनी कम आयी कि कहीं कहीं पर तो आधी रेट का डिफरेंस रहा। कांग्रेस के बैठे हुए सदस्यों ने, विरोधी पक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया.......

श्री परसराम मदेरणा : अल्युमीनियम की 17 जिलों में कमी आयी है। रॉक का नाम नहीं है.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम तो रेट आयी है।

श्री परसराम मदेरणा : तो 17 जगहों पर अल्युमीनियम के कारण कमी आयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक चीज यह बता दें कि 80 में जो टेण्डर इन्वाइट किये गये उनकी तुलना में 1982 में जो टेण्डर इन्वाइट किए गए उसमें से किस टेन्डर की रेट ज्यादा आयी है या कम आयी है।

श्री अध्यक्ष : बाद में जब टेक्नोलोजी हासिल हो जाती है तो कम पड़ती है कोस्ट।

श्री परसराम मदेरणा : टेन्डर रेट ज्यादा भी आयी थी, 260 भी आयी थी लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया और बड़ा सीरियस आरोप लगाया। यह आरोप लगाया कि मैं चरित्र हनन करने में बहुत माहिर हूं। मैं उनकी एक लाइन पढ़ कर भाषण समाप्त करूंगा।

"लेकिन किस प्रकार इज्जत किसी की खराब की जाय, किसी का चरित्र किस प्रकार से खराब किया जाय इसमें जितनी कुशलता, जितनी महारत भैरोंसिंह शेखावत को है शायद राजस्थान में और देश में किसी भी पार्लियामेंतेरियन में नहीं है।" यह सर्टिफिकेट दिया। मैं बहुत आभारी हूं, मुझे पहचानने में इतने वर्ष लगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात कह रहा हूं, उनको पहचानने में मुझे इतना समय क्यों लगा। 26-8-68 को,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यही विधान सभा है, इसी विधान सभा में····

श्री अध्यक्ष : आप इम्प्रूव हो गये होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय इन्हीं मुख्य मंत्री पर मैंने आरोप लगाया था, सदन की दिवारें और सदन की किताबें इस बात की साक्षी हैं, मुख्य मंत्री ने जमीन के घोटाले किये, मैंने विधान सभा में आरोप लगाया। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली घटना है शायद आरोप लगाने के साथ ही वर्तमान मुख्य मंत्री को त्याग-पत्र देना पड़ा। यही शिवचरण जी माथुर को भ्रष्टाचार के मामले में, जमीनों के घोटाले के मामले में, अध्यक्ष महोदय, मंत्री पद से छुट्टी लेनी पड़ी। विधान सभा की प्रोसीडिंग्स है 26 अगस्त, 1968 की उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। चार्जेज का पता लग जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता था कि मुख्य मंत्री जी जमीनों की हेराफेरी करने की आदत को छोड़ गये हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ है, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे में हुआ। अध्यक्ष महोदय, महिला आश्रम भीलवाड़ा का छात्रावास चल रहा है उस जमीन को मुख्य मंत्री जी ने बेच दिया····

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यक्तिगत नहीं है। He should have coms here. कोई व्यक्तिगत नहीं उनको आना चाहिये। मैं आज कहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, आपकी पत्नी और आपके साले ने जो जमीन आपने बेची उसे बहीखाते में जमा कराया लेकिन बैंक के खाते में जमा नहीं कराया। इतना बड़ा कांड हुआ, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी इस संबंध के सारे कागज सदन की मेज पर रख दें। यदि मेरी गलती होगी तो माफी मागूंगा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सारे कागज और फाइल गायब कर दी। एक-एक कागज को पिक-अप किया जा रहा है कि कागज कहीं मिल न जाय। इस आधार पर मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो छाती ठोककर इस सदन के अन्दर रखेंगे, यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो व्यक्तिगत आरोप के डर से कोई बात मैं छिपाना नहीं चाहता। अभी तो 20 अप्रेल तक विधान सभा चल रही है। मुख्य मंत्रीजी आगाह हो जायं, जो कारनामे किये हैं वे एक-एक सामने आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत आरोप का सवाल नहीं है। मैं चाहता था इन चीजों को भूल जाऊं। मैं नहीं चाहता था कि मैं इन चीजों को रिकार्ड पर लाऊं लेकिन मुख्य मंत्रीजी मुझे छेड़ें तो आखिर, अध्यक्ष महोदय, मैं भी इन्सान हूं। कोई कुरेदे तो गुस्सा भी आ जाता है, कोई कुरेदे तो मेहनत भी करनी पड़ती है। अब वह जमीन कहां गयी? जवाब दें। क्वेश्चन का जवाब दें। मैंने रजिस्ट्रियां देखीं, विधान सभा में कहते हैं कि 1955 के आदेश के मातहत जमीन खरीदी, रजिस्ट्री में कहते हैं कि 56 के मातहत जमीन बेच रहे हैं। एक जगह तो 55 आता है दूसरी जगह 56 आया है। अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, रजिस्ट्रेशन एक्ट को आप देख लें, यदि जमीन बेचती है सरकार तो उसका डाकुमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिये । इसका डाकुमेंट आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है । मुख्य मंत्रीजी, बैंक में किस के नाम पर रुपये जमा हुए, बही खाते में किसके नाम से जमा हुए ? यह बतायें । किस आर्डर से यह जमीन मुख्य मंत्रीजी ने देची ? जिस समय यह फैसला लिया गया उस समय मुख्य मंत्रीजी इस संस्था के सदस्य थे, कार्यकारी संचालन समिति के सदस्य थे, इनके परिवार के लोग भी संस्था के सदस्य थे । सारी जमीन बेच कर खा गये और आज मुझे कह रहे हैं कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिये । मैं नहीं चाहता था कि आरोप लगाऊं लेकिन उन्होंने मुझे महारती बताया इसलिये, अध्यक्ष महोदय, महारती के कर्त्तव्य का भी निर्वहन करना पड़ेगा । मैं मुख्य मंत्रीजी से इसके लिये क्षमा चाहताहूं ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का यह बजट विनाशकारी बजट है, राजस्थान की विकास की गति को इसने रोका है । यह राजस्थान का ऐसा बजट है कि राजस्थान की बढ़ती हुई सारी विकास की कार्यवाही को इसने स्टाप किया है । राजस्थान में करप्शन बढ़ा है, राजस्थान में खर्चा बढ़ा है । इस बजट से जनता का भला नहीं होगा । इससे जनता का विनाश होगा । इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी ।

एक माननीय सदस्य : अब तो लोगों को बुला लो न ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, शान्त रहें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : मुझे तालियां बजवाने का शौक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता के भाषण को बड़े ध्यान से सुना । अब मैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं । वित्त मंत्रीजी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह सोच रहा था कि इन सब बातों में पड़ा जाय या नहीं पड़ा जाय कि कितनी बातें रेलेवेंट हैं और कितनी बातें इर्रेलेवेंट हैं, बजट से किस का सम्बन्ध है और किसका नहीं है । मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय भैरोंसिहजी कह रहे थे, उन्हें महारत हासिल है कि कोई बात किस तरह से कही जाय । फिर बोलने का भी मौका ऐसा चुनते हैं कि आखिर में बोला जाय ताकि कोई भी करेक्शन नहीं हो सके और कोई जो आंकड़े पेश करें उनको झूठा साबित करने के लिये किसी के पास कोई तैयारी न हो । अच्छी बात तो यह होती है कि जब आंकड़े की बात आती है या और कोई चीज की बात आती है तो सदन के जो विरोधी पक्ष के नेता है वे सबसे पहले बजट पर डिस्कशन को ओपन करें, बहस को ओपन करें और फिर उसका सिलसिला चले ताकि उनकी बातों का उसी वक्त जवाब दिया जा सके । कई बातें तो व्यक्तिगत रूप की यहां आयी हैं, कई बातें चरित्र हनन की आई हैं, कई बातें फालतू आई हैं इसलिये

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मैं यह समझता हूं कि इन सब फालतू बातों का जवाब देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूं, ××की बातों में न पडूं तो अच्छा है। इनमें भी यह क्षमता होती कि जिस समय मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया था यहां आकर चुपचाप बैठ करके सुनने की क्षमता रखते, भले ही, आधी बात सुनते आधी बात नहीं सुनते, फिर जाकर कोई बात करते तो बात होती। तो यह आरोप और प्रत्यारोप का एक सिलसिला सा चला आता है, वह मैं समझता हूं कि इनकी हमेशा की आदत है। उससे कोई लेना देना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बजट के बारे में कहना कि विनाशकारी बजट है, राजस्थान को बर्बादी की ओर ले जा रहा है और जो कुछ काम हमने किया था बहुत बढ़िया काम किया था, अब कोई काम भी नहीं हो रहा है, इसका तो मैं इतना ही जवाब देना चाहता हूं कि आपने जितना वसूली कार्य किया, जितने लोगों को फूड फार वर्क में लगाया, जितना आपने गेहूं खर्च किया, उनमें से कितना काम में आया, कितना काम में नहीं आया, कितनी चीजें बनीं, कितनी नहीं बनीं, इसका तो जवाब जनता ने अपने आपको दे दिया, उसका असर यह हुआ कि ढाई साल बाद ही जनता ने आपको विदा कर दिया। इसलिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। बातें न करें, माननीय सदस्य।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इस बजट के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली जो बात की गयी है वह यह की गयी है कि जो बजट पेश किया गया है जबर्दस्त घाटा उसमें दिखाया गया है, खर्च ज्यादा किया गया, आमदनी कम की गयी और राजस्थान के बजट से आगे पता नहीं कैसे काम चलेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अन्य राज्यों का बजट देखा होगा। जितने भी स्टेट्स होंगे उनके बजट देखे होंगे इस वर्ष और कम से कम 8 या 9 स्टेट्स तो ऐसे हैं...

श्री अध्यक्ष : इनको चिन्ता फिजूल में हो रही है कि आगे हम आयेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री भैरों सिंह शेखावत : आपने पहचाना! अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी पहचान गये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय विरोधी दल के नेता भी अपने मन में जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का मैंने अध्ययन किया है। इसमें जिक्र रहता है इन सब बातों के सम्बन्ध में।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

आपके राजस्व का जो घाटा होता है उसकी पूर्ति फाइनेंस कमीशन करता है। आपके टैक्स है अन-प्रोडक्टिव काम और डेब्टस होते हैं, उनके बारे में भी विचार किया जाता है। सारी बातों पर विचार करने के बाद फाइनेंस को....

श्री अध्यक्ष : आपको तो बहुत लम्बा अनुभव है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : आज हमने फाइनेंस कमीशन के सामने ड्राट की बात कही है यह भी कहा है कि फेमिन में हमको इतना जबर्दस्त खर्चा करना पड़ा। दुसरा, फाइनेंस कमीशन में इस बात को भी कहा है, इस बात को बहुत जोर देकर कहा है कि हमारी जो बोयेन्सी हुई है, हमने राजस्थान में जो 500 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी की, उसका तो सारा का सारा पैसा पे–कमीशन के पे–रिवीजन में गया, डीयरनैस अलाउन्स दे दिया, उसमें 600 करोड़ रुपये से ज्यादा चला गया। तो फाइनेंस कमीशन को इसका ख्याल जरूर रखना पड़ेगा, यह हमारी वजह से नहीं है कि डीयरनैस बढ़ती चली जाती है। डीयरनैस की वजह से, डीयरनैस देने की वजह से, जो भी हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हुई उसको तो सैट–आउट इसी ने कर दिया। फाइनेंस कमीशन को यह सोचना पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति राजस्थान की क्या है। वास्तविक स्थिति में फाइनेंस कमीशन से काफी अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है। इन कारणों की वजह से 175 करोड़ रुपये का वास्तविक घाटा है। कहीं यह कहें कि इसमें इधर उधर की बातें हुई हैं, मैं आप से निवेदन यही करना चाहूंगा, जो कुछ भी इसमें घाटा दिखाने की कोशिश की है, वह बिलकुल रियलिटी के आधार पर है, कितना ड्राट में खर्चा हुआ, कितना वेतन की अदायगी में खर्च हुआ- कितना इन्ट्रेस्ट देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा, शायद कभी जिक्र आया हो, तो आज राजस्थान को 78 करोड़ रुपया तो इन्ट्रेस्ट में देना पड़ता है, 2200 करोड़ रुपये के पब्लिक डेब्ट राजस्थान के ऊपर हैं। 2200 करोड़ के डेब्ट का री-शिड्यूलिंग भी हो जाता है तो इन्ट्रेस्ट कम हो जाता है, तो भी हमको काफी पैसा देना पड़ेगा।

आप देखेंगे, कर्नाटक का घाटा हमसे भी ज्यादा है। तमिलनाडू ने 167 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। महाराष्ट्र ने 118 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। आंध्र में 113 करोड़ रुपये का घाटा है। आसाम में 106 करोड़ का घाटा है। इस तरह से 8 स्टेट्स के बजट है, जिनमें घाटे की स्थिति है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने कहा, ज्यादा है। वहां पर ज्यादा कैसे हो गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं बता रहा हूं, वह किस आधार पर है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या पूछ रहे हैं आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : पूछ लिया उन से ही !

श्री परसराम मदेरणा : कर्नाटक का घाटा हमारे से ज्यादा कितना है, यही पूछ रहे हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 182 करोड़ !

फी प्रेस जनरल की कटिंग है, जिसमें टोटल डैफिसिट सभी राज्यों का 1311 करोड़ रुपये बताया है, उसके डिटेल्स दिये हुए हैं।

एक बात यह आई है, किसी माननीय सदस्य, शायद मेघवाल साहब ने कही थी, आपने तो जो कुछ बजट है, उसमें राजस्व में तो बचत दिखाई है, फिर कैसे उम्मीद करते कि इसका ख्याल किया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फाइनेंस कमीशन के सामने जो आंकड़े गये हैं, उसके बाद उनको प्लानिंग कमीशन ने असैस किया है। प्लानिंग कमीशन ने असैस करके हमारा जो घाटा है, उसको राजस्व का घाटा दिखाया है। उसके बाद फिर हमने प्लानिंग कमीशन के इस असैसमेण्ट के आधार पर फाइनेंस कमीशन को लिखा है कि हमारे राजस्व खाते में घाटा है, राजस्व खाते में बचत नहीं है। इसलिए यह जो कहा जाता है कि 175 करोड़ रुपये का घाटा तो बहुत हो जायेगा, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

दूसरी बात यह है, कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि आपका प्लान शॉर्ट प्लान हो गया, आपने जितने का प्लान रखा था उतना नहीं बना, कट हो गया। माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं, आप राजस्थान में यह देख रहे हैं कि हम 4 सालों से लगातार फेमिन में चल रहे हैं। फेमिन के अन्दर यह जरूरी होता है, काम तो देना पड़ता है। काम देने के साथ-साथ जो योजना का काम होता है उसको योजना में देते हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन उसको, हमको असिस्टेन्स के रूप में देता है, एडवांस प्लान असिस्टेन्स, जो कुछ फेमिन में खर्चा हुआ है उसको असिस्टेन्स मानकर चलेंगे तो हमारा प्लान 2025 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाता है, इस तरह प्लान की पूर्ति हमारी है, जो कुछ प्लान बनाया है उस प्लान से कोई कम नहीं आया है बल्कि उस से ज्यादा ही पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस वर्ष का प्लान मंजूर हुआ कि नहीं ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इस वर्ष का 430 करोड़ रुपये का प्लान है हम उसको पूरा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरा नहीं करेंगे ? प्लानिंग कमीशन ने मंजूरी दे दी क्या ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हां मंजूरी है हमारे पास।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हमने प्लानिंग मिनिस्टर से 430 करोड़ की मंजूरी कराई है।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : मैं तो प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा हूं। क्या यह सही है कि 387 करोड़ रुपये का एप्रूव हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 387 करोड़ उनके रिसोर्सेज से हो सकता है। 430 करोड़ का प्लान हमारे अपने रिसोर्सेज से करेंगे।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मामूली बात है क्या ? प्लानिंग कमीशन की 430 करोड़ की स्वीकृति आज तक नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि आपका प्लान 387 करोड़ का है, 387 करोड़ से ज्यादा का प्लान नहीं होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसका कारण यह है कि 387 करोड़ से जितना ज्यादा रुपया हम अपने रिसोर्सेज से इकट्ठा करके खर्च करेंगे, उतना ही प्लान हमारा बढ़ जायेगा।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : रिसोर्सेज कहां है, इस बजट में तो घाटा है ? रिसोर्सेज का सवाल कहां पैदा होता है ? 175 करोड़ रूपये का घाटा बजट में और 88 करोड़ का घाटा राजस्व खाते में है। रिसोर्सेज कहां हुए ? आप एडमिट करिये, हाउस को धोखा मत दीजिये कि प्लान 388 करोड़ का है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं अब भी कह सकता हूं कि हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : कहां है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी तो राजस्थान कैनाल पड़ी है।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : आपको बजट में बताना चाहिए। बजट की प्रोपराइटी क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी नहीं बता सकते हम।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : आपके पास रिसोर्सेज हैं और हम से छिपाना चाहते हैं आप।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे, आपने जो 430 करोड़ रुपये के प्लान की बात कही, 175 करोड़ रुपये के घाटे की बात इस बजट में की गयी है। उसमें साफ बताया है कि आठवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आना बाकी है, सैन्ट्रल टैक्सेज में क्या आधार उसका हो। एट्थ फाइनेन्स कमीशन ने रिपोर्ट भेज दी है, भारत सरकार अपना निर्णय लेने वाली है। एट्थ फाइनस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश होने वाली है। डीवोल्यूशन का आधार, हमारे गैप को पूरा करने का आधार, यह सब एट्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद तय होगा।

यह बात देखी होगी, कर्नाटक की बजट स्पीच तो मेरे पास नहीं है। आम तौर पर सारी स्टेट गवर्नमेण्ट्स की बजट

(श्री शिवचरण माथुर)

स्पीचेज पढ़ी हैं, उसमें जहां भी घाटा छोड़ा गया है, वह एक ही आधार मानकर छोड़ा गया है, चूंकि एट्थ फाइनेंश कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है, सैण्ट्रल टैक्सेज के डीवोल्यूशन का क्या वेसिस बनाया जायगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका मालूम नही इसलिए हम इस घाटे की बात करना चाहते हैं।

387 करोड़ रुपये के सैण्ट्रल गवर्नमेंट रिसोर्सेज आइडेण्टिफाई कर दिये हैं, उसके आधार पर 387 करोड़ का हमारा प्लान बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आधार हमने एट्थ फाइनेंस कमीशन को दिया है, जिसकी रिपोर्ट गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के पास है, हमारे ख्याल से उसके जरिये से बहुत पैसा आयेगा, हमारा अंदाजा यह है। हमारे रिसोर्सेज जो रहे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डीवोल्युशन का आधार बनेगा, उससे इतना अंदाज लगाते हैं कि 430 करोड़ का तो हमारा प्लान हो सकता है। हो सकता था कि हम 450 करोड़ का बनाते। हमने 450 करोड़ का नहीं बनाया। हमारा अन्दाज निश्चित रूप से यही है कि जो कुछ एट्थ फाइनेंस कमीशन का आधार बनेगा, भारत सरकार जो निर्णय करेगी, उसमें 430 करोड़ का प्लान पेश किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह स्पष्ट हो गया है, विधान सभा के सामने मुख्य मंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि 430 करोड़ रुपये की हमारी छठी पंचवर्षीय योजना की पांचवी योजना मंजूर हुई है। एक बार नही दस बार कहा है।

श्री अध्यक्ष : अब भी कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब तो कह रहे हैं ही 387 करोड़ का।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमने जो अपना प्रारूप भेजा, वह करीब 800 करोड़ का था। उसके बाद वर्किंग ग्रुप आॅफ प्लानिंग कमीशन ने उसको एग्जामिन किया। फिर 600 करोड़ से अधिक का तय किया। उसका हम जब एक्चुअल डिस्कशन करने गये, हमने रिसोर्सेज के बारे में सोचा कि बना सकते हैं। निश्चित रूप से मैं यह कहता हूं कि इस से अधिक रिसोर्सेज बनेंगे। 430 करोड़ का प्लान बना है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसका मतलब 430 करोड़ रुपये का आपने प्लान रखा है, प्लानिंग कमीशन का एप्रूवल नहीं है?

श्री शिवचरण माथुर : क्या?

श्री भैरोंसिह शेखावत : 430 करोड़ रुपये का आपने प्लान रखा है, प्लानिंग कमीशन का एप्रूव्ल नहीं है?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 387 करोड़ रुपये के रिसोर्सेज उन्होंने आईडेन्टिफाई किये हैं और....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका स्पष्ट जवाब नहीं है, आप पकड़े गये इसलिये जवाब दे रहे है। अध्यक्ष महोदय, आज तक लिखा है हमारे प्लान में 430 करोड़ रुपये की मंजूरी हुई है और मंजूरी हुई है 387 करोड़ रुपये की। आप यह कह सकते थे कि प्लान 387 करोड़ रुपये का मंजूर हुआ है लेकिन हम अपने रिसोर्सेज से बढ़ाकर प्लान को 430 करोड़ रुपये तक ले जाना चाहते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्लानिंग कमीशन का ताल्लुक है, मैंने बात कही है कि उन्होंने 387 करोड़ रुपये के रिसोर्सेज आइडेन्टिफाई करके प्लान मंजूर कर दिया है। लेकिन 430 करोड़ रुपये का प्लान हम इसलिये बढ़ा रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज सामने नहीं है, साइट में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो बनायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह किसने कहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : प्लानिंग कमीशन ने !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लानिंग कमीशन ने आपको तो नहीं लिखा है। उन्होंने तो लिखा है कि आपका तो केवल 387 करोड़ रुपये का है। आपने यह लिखा है, प्लानिंग कमीशन ने यह नहीं लिखा है....

श्री शिवचरण माथुर : 387 करोड़ रुपये का प्लान है। फिर जब मीटिंग हुई थी प्लानिंग कमीशन ने माना है और उसके बाद हमने किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका कितना है ? प्लानिंग कमीशन के नाम से 430 करोड़ रुपये बता रहे हैं....

श्री शिवचरण माथुर : 430 करोड़ रुपये का प्लान बना कर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के साथ विश्वासघात किया है, बजट की प्रोप्राइटरी का क्वेश्चन है, फाइनेन्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों गलत सूचना दे रहे हैं हाउस को। 430 करोड़ रुपये की जब हमारी योजना स्वीकृत नहीं हुई....

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गलत सूचना की कोई बात नहीं है। 387 करोड़ रुपये के रिसोर्सेज मानकर के वह हमें जो भी असिस्टेन्स देंगे, 387 दें लेकिन अपने खर्चे से इस प्लान को ज्यादा बढ़ाते हैं या अपने रिसोर्सेज से बढ़ाते हैं तो प्लानिंग कमीशन की किसी भी तरह से अवमातनना नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं 430 करोड़ रुपये का प्लान बनाना—

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अवमानना का कश्चन नहीं है....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सदन को धोखा दिया, पिछली बार भी....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहले 416 करोड़ रुपये की योजना बताई, वह उठा कर 387 करोड़ रुपये की कर दी, अब 430 की बता रहे हैं। यह धोखा क्यों देते हैं सदन को ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस प्रकार से धोखा क्यों देते हैं सदन को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थिति स्पष्ट हो गई....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं अभी सब कुछ कह दूंगा। सारा आपके फैमिन का खर्चा है, फैमिन में जो, कुछ भी खर्चा हुआ है उसको एडवान्स प्लान असिस्टेन्स मानकर के प्लान की तरफ माना है। एडवान्स प्लान असिस्टेन्स की तरफ अगर इसको जोड़कर असेसमेन्ट बनाया जाय तो वह आपके प्लान से भी कहीं ज्यादा निकलेगा....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एडवान्स प्लान एक्सपेंडीचर है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडवान्स प्लान असिस्टेन्स प्लान एक्सपेंडीचर तो होगा ही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह एडवान्स प्लान एक्सपेंडीचर नहीं होगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, उनका उत्तर आने दीजिये। स्पष्टीकरण के तौर पर बाद में....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह (लदबई) : ध्यान लीजिये....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैंने इस बात का प्रयत्न किया कि हमारी सोशल सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हमारे लोगों के साधन और सुविधायें ज्यादा बढ़े, साथ ही साथ हमारी विकास की योजनायें हैं उनमें किसी भी तरह से कमी न हो। इसी को बेस मानकर हम चलेंगे तो एजूकेशन में ज्यादा से ज्यादा प्लान में रखा है। हमने सोशल सर्विसेज में ज्यादा रखा है, हम अपने टार्गेट्स से भी ज्यादा पर पहुंच गये हैं। प्राइमरी एजूकेशन में ज्यादा रखा है इसलिये हमने रखा है क्योंकि यह सेवन्थ प्लान का जो हमारा बेस है वह मजबूत बने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिजली और सिंचाई में ज्यादा रखा है....

122

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसलिये हम सेवन्थ प्लान में ज्यादा खर्च कर रहे है कि उससे राजस्थान की बहबूदी हो, तरक्की हो, इसको आगे ले जायं....

श्री यदुनाथसिंह : यह सन्नाटा नहीं होना चाहिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भाई, सन्नाटा तो, ऐसा है कि मेरी जिस तरह की तबीयत है उसके हिसाब से मैं यहां पर खड़ा नहीं हो सकता हूं।

श्री यदुनाथसिंह : आप बैठ कर बोलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप बैठ कर बोलें। हम नहीं चाहते कि....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक प्रश्न यह आया कि लम्प-सम प्रोविजन्स बहुत रखा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि लम्प-सम प्रोविजन्स हर एक प्लान में रखे जाते हैं। लम्प-सम प्रोविजन्स से हमें कई तरह के फायदे होते हैं। 17 जितने हमारे आइटम्स हैं उनमें लम्प-सम प्रोविजन रखा है। इसमें कोई भी गलती नहीं है अन्य कोई तरीका हमारे सामने नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : फायदा क्या होता है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : 10 साल से फाइनेन्स मिनिस्टर हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बाहर तो आप और कुछ कह रहे थे और यहां पंडित जी का सहयोग कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पंडित जी का क्या सहयोग करेंगे....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब आप पैदा ही नहीं हुये थे तब से सदन में हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक यहां यह भी प्रश्न आया कि आखिर हम कब तक इन्ट्रेस्ट पर इन्ट्रेस्ट देते रहेंगे, जितना हमारा रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन है, उसके अलावा इन्ट्रेस्ट पर सारा का सारा खर्च हो जाता है। हम एक बात को मान कर चलते हैं और सारे माननीय सदस्य इस बात को मानते होंगे कि जो डवलपिंग इकानामी होती है, डवलपिंग इकानामी में प्रत्येक देश को या प्रत्येक स्टेट को डेफिसिट फाइनेन्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आखिर हमें अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बिल्ट करना पड़ता है ताकि आगे आने वाले भविष्य में देश का निर्माण कर सकें। उसके लिये हमको इन्ट्रेस्ट देना ही पड़ेगा, हमको रुपया बाहर से उधार लेना ही पड़ेगा। इसके कारण आगे के इन्ट्रेस्ट की लाइबिलिटी है वह लाइबिलिटी आगे बढ़ती जाती है। यही भी कारण है हमारे बजट में जो डेफिसिट होता है वह इन्ट्रस्ट की लाइबिलिटी की वजह से ज्यादा होता है। इन्ट्रेस्ट की लाइबिलि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हमको वहन करनी पड़ती है। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने इन्ट्रेस्ट की रेट्स बढ़ा दी हैं उससे भी हमारे पर ज्यादा वर्डन पड़ा है।

यहां पर माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि हम इस बात का प्रयत्न नहीं करते कि नान टैक्स रेवेन्यू बढ़े, और टैक्स रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा आधारित रहते हैं। यह भी प्रश्न आया, इस साल हमारा नान टैक्स रेवेन्यू गये साल से कम है। उसका एक कारण तो यह है कि लास्ट ईयर हमको सैल आफ लैण्ड का पैसा, जो गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया से मिला था, नान टैक्स रेवेन्यू में आया, इस साल उतना पैसा नान टैक्स रेवेन्यू से, जो सेल गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने की है, पैसा नहीं आया। लेकिन हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जितना जैसे भी हो सके, ज्यादा से ज्यादा नान टैक्स रेवेन्यू हो। अब जो सुधार हम कर रहे हैं, जो हमारी राजस्थान कैनाल की जमीन के बारे में है या और भाखरा की जमीन के बारे में है या दूसरी जमीनों से आमदनी करने के बारे में है उससे मैं समझता हूं कि हमारी स्थिति में सुधार आयेगा। इसके अलावा नान टैक्स रेवेन्यू के बारे में माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि किस प्रकार से हमारा नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। हम सभी इस बात के पक्ष में हैं कि नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिये। आज हमारे बहुत सारे उद्योग हैं वह पब्लिक सैक्टर में हैं उनकी स्थिति में हमको सुधार करना पड़ेगा। लास्ट ईयर हमने कहा था कि हम ठीक करेंगे। आज रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन ने अपनी स्थिति को ठीक किया है। अपने प्लान के लिए उसने कम से कम तीन करोड़ रुपया अपने पास से दिया है। इस तरह से एक एक करके, सब उद्योगों को लेकर के उनकी स्थिति सुधारने का काम हुआ है। उसके अलावा नये खनिज उद्योग हैं, नये खनिज जितने हमारे राजस्थान में हैं उनको निकाल करके हम उससे आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूं इससे हमको काफी लाभ मिलने वाला है। इस बात से एग्री करता हूं कि हमें नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहिये।

दूसरा मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कई सर्विसेज हैं। हम जनता के उपयोग के लिए कई चीजें देते हैं. उसमें सब्सिडी को अलग निकाल दीजिये। कोशिश यह कीजिये, जितना हम एफर्ट कर सकते हैं और प्राइस जितनी प्राइस आती है उस प्राइस का को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उससे भी हालत में सुधार सकता है। आज हम पैदा करें ज्यादा कीमत के ऊपर और वेचें किसी चीज को कम कीमत के ऊपर तो उसके लिये हमको भी जनता को तैयार करना चाहिये ताकि जो भी उपयोग में आने वाली चीजें हैं वह उपयोग में आने वाली चीजों की बराबर की कीमत के मुताबिक रियलाइजेशन हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, करों की छूट की घोषणा भी करनी चाहिये। यह परम्परा रही है, पुराना टेक्स है मिठाई या नमकीन पर उसमें छूट देकर....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है मैं इस बात से बहुत चिन्तित हूं जैसा कि माननीय विरोधी पक्ष ने भी कहा, एरियर्स जितनी मात्रा में बकाया चला आता है उसका रियलाइजेशन करना चाहिये। जैसा कि अभी किसी माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था, कई तो लिटीगेशन में पड़े हैं, लिटीगेशन जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्ट में अमेण्डमेन्ट लाइये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अमेण्डमेन्ट कहां किया।

एरियर्स का जहां तक ताल्लुक है, कई जगह लीकेज है, उन लीकेज को प्लग करना पड़ेगा। कई जगह एरियर्स बहुत हैं, उनसे जिस तरह से निपट सकेंगे उसका फैसला भी करना है, और भी करना है। जैसे कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनके ऊपर भी विचार किया जा सकता है लेकिन जितने एरियर्स हमारे बकाया हैं उन एरियर्स को रियलाइज करने के लिये मशीनरी को भी हम टाइटन करें तो हमारी पूंजी में बढ़ोतरी होगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी लीकेज को प्लग किया जाय और एरियर्स की वसूली ज्यादा से ज्यादा की जाय। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनमें स्टे आ रहा है तो वह कोर्ट की परमिशन से वेकेट होंगे तभी जा करके कुछ कर पायेंगे। लेकिन कोशिश यह होगी कि जितनी भी रेवेन्यू के कलेक्शन की एजेन्सीज हैं उनको टाइटन करें और टाइटन करके कोशिश करें कि रियलाइजेशन बैटर हो। इस साल इस बजट में इसका रिफ्लेक्शन है, जैसे आपका लैण्ड रेवेन्यू का रियलाइजेशन है, लैण्ड रेवेन्यू का रियलाइजेशन पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है, इरिगेशन का ज्यादा अच्छा हुआ है। कोशिश यह करेंगे कि रियलाइजेशन ज्यादा ठीक हो। बहुत सारे ऐसे टेक्स मालूम हैं जो अकाउण्ट फोर नहीं होते। उसकी भी हम कोशिश करेंगे। तो मेरा प्रयत्न यही रहेगा, यह वक्त बतायेगा कि यह 175 करोड़ का घाटा किस प्रकार से क्या रहता है, हम कितना पूरा कर सकते हैं, अपनी योजनाओं की मदद के लिये हम क्या कर सकते हैं। मैं तो बहुत आश्वस्त रहता हूं कि किसी भी तरह से इस तरह का बजट राजस्थान के भविष्य के लिए तैयार किया जाय। हम बरबादी की तरफ राजस्थान को नहीं ले जाना चाहते। हमने राजस्थान का निर्माण किया है। राजस्थान का निर्माण किया है राजस्थान की जनता के लिए। हमारा कभी यह आब्जेक्ट नहीं हो सकता कि बरबादी हो। हमें कोई गड़ा हुआ धन मिल जाय, इकट्ठा किया हुआ कोई अनाज मिल जाय, यह तो चीज नहीं, हम अपना पैदा करते हैं, राजस्थान के लिए खर्च करते हैं राजस्थान के विकास के लिए खर्च करते हैं और राजस्थान की उन्नति के लिये खर्च करते हैं।

मैं और विषयों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं जोर से तो बोल नहीं सकता। जितनी विरोधी पक्ष के नेता ने बातें कही हैं तो आमना सामना जब होगा दोनों महानुभावों का तभी जाकर समाधान हो सकता है। जिन माननीय सदस्यों ने इस बजट को अच्छा बताया है, विकास के क्रम को जारी रखने वाला बताया है और अपने कुछ सुझाव दिये हैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के लिये तो क्या कहू, एक रोज अखबार में पढ़ा था, पुजारी, जो सेण्ट्रल मिनिस्टर हैं, ने कहा कि ब्रह्मा भी बजट बना दें तो भी वह खराब ही बतायेंगे। तो वह तो अपना अपना नजरिया है, उस नजरिये से उसको देखते हैं। हमारे पक्ष के लोग अपने नजरिये से देखते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो बहस हुई उसका जवाब निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय और प्रशासन एवं मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगे वर्ष 1983-84 पर विचार एवं मतदान। न्याय प्रशासन मंत्री जी।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 न्याय और प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1000/- रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रम एवं रोजगार मन्त्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (श्रम एवं रोजगार मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,32,38,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि आज 4.30 बजे मुखबन्द का प्रयोग करके सभी मांगें पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। मैं माननीय सदस्य, जिन-जिन ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं अथवा इन दोनों मांगों पर बोलना चाहते हैं, के नाम पुकारूंगा। वह इस पर बोलने का कष्ट करें।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 6 मुख्य शीर्षक न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

(1) नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष चलिष्णु न्यायालयों की स्था-

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

पना में हुए पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

(2) नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष चलिष्णु न्यायालयों से जनता को राहत नहीं मिलने से उत्पन्न स्तिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(3) विशेश चलिष्णु न्यायालयों में कार्यरत अधिकारियों को वेतन आवास आदि की अधिक सुविधायें दी जायें इस पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (हिण्डौन):

(4) विशेष चलिष्णु न्यायालयों की स्थापना के बावजूद नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने में असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा):

(5) नैनवा में एक विशेष चलिष्णु न्यायालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (बस्सी):

(6) तहसील बस्सी में विशेष चलिष्णु न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(7) विशेष चलिष्णु न्यायालयों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-23 मुख्य शीर्षक श्रम और रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़):

(1) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय खोले जाने पर भी उन्हे कोई लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम):

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियों में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर):

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यालय को तीव्र गति से लागू करने पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (हिण्डौन):

(4) ग्रामीण संगठनों को पंचायत समिति के माध्यम से सहायतार्थ अनुदान भुगतान में हुयी अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बेरोजगारों को नौकरी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(6) राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(7) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(8) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी के अन्तर्गत भूमिहीन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(9) अग्रिम आयोजना सहायता के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (बस्सी) :

(10) बस्सी के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

(11) जयपुर जिले की तहसील बस्सी के बासखोह के ग्रामीण संगठनों को पंचायत समिति के माध्यम से सहायतार्थ अनुदान देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 एवं 23 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जो 1983-84 का बजट है उस पर जो एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात न करें।

श्री महाराम चौधरी : तो इसमें सरकार ने अपने काम-काज की जो व्यवस्था की है उससे आम जनता को तो कोई राहत मिली नहीं। विशेषकर कृषि उत्पादन के जो मेन आइटम है, जो विकास का आधार है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है उस बढ़ोतरी के आधार पर जो आने वाला साल है उसका लेखा-जोखा किया जाता है। लेकिन मैं तो यह आरोप लगाता हूं कि कृषि की पैदावार के सम्बन्ध में सरकार ने आंकड़े दिये हैं और सरकार ने यह बताया कि उत्पादन इतना बढ़ गया है। वास्तव में अब तक उत्पादन बढ़ाने का जो क्राइटेरिया रखा है कि जिस प्रकार से कृषि उत्पादन बढ़ाने का दावा किया हैं, हमेशा से ही एक प्रवृति सी बनी चली आ रही है कि इतने बीघा में खेती बोयेंगे और

(3.45 म. प.)

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सभापति, पदासीन]

इतने बीघा के अन्दर अन्दाज सेइतना उत्पादन बढ़ जायगा। वास्तव में ऐसा नहीं होता इसमें कई तरह की डिफिकल्टीज आ जाती हैं, समय पर बरसात नहीं होती, या बर-

(श्री महाराम चौधरी)

सात नहीं होने से पूरी पैदावार भी नहीं होती है। कुल मिला करके किस तरह से कह सकते हैं कि इतनी पैदावार हो जायगी और उसके आधार पर हम आने वाले साल को उत्पादन का वर्ष कहेंगे। सभापति महोदय, उन्होंने अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजना बनाई है उसमें यह रखा है कि कृषि उत्पादन के अन्दर महारे यहां पर बढ़ोतरी हो रही है। कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी में स्थिति यह है कि हमारे किसानों को पैदावार का प्रोत्साहन मूल्य नहीं मिलता है। उत्पादन मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होने से और किसान को प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण आज हालत यह है कि किसान उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं देता है। सभापति महोदय, हमारे देश में राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है जिसमें खाद और उर्वरक के ऊपर और कृषि औजारों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है या चुंगी कर लगाया जाता है। राजस्थान एक मात्र ही ऐसा प्रान्त है जहां पर 16 प्रतिशत के आसपास खाद और दूसरी चीजों, जो कि उससे सम्बन्धित है, पर टैक्स लगता है। सभापति महोदय, मेरे कहने का मकसद यह है कि उत्पादन को बढ़ावा देना उसको कहते हैं कि काश्तकार के घर पर खर्च के लिए जो उत्पादन हुआ उसको निकाल कर जो उत्पादन बढ़ाया गया हो उसकी कोस्ट आफ प्रोडक्शन कम हो। पर आज कोस्ट आफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। काश्तकार को प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण इतने वर्षों में ऐसा समय आ गया है जब कि किसान यह सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि उसको खेती का काम बन्द ही करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आज की जो विषम परिस्थितियां हैं उनके अन्दर काश्तकार को उसके प्रोडक्शन का क्षमता मूल्य जो है उससे भी कम मूल्य मिले, जब कोस्ट आफ प्रोडक्शन ही उसको नहीं मिलती है इसलिए काश्तकार बेचारा बिलकुल ही हताश हो रहा है। उसका कारण है उसको अपना क्षमता मूल्य का नहीं मिलना। इससे आज पैदावार घट रही है। सरकार तो यह बता रही है कि कृषि की पैदावार बढ़ रही है और इस साल इससे भी आगे और बढ़ोतरी होगी। लेकिन यह जो बताया गया है, यह जो आपने कैलकुलेट किया है यह आपने किस आधार पर किया है? यह गलत है। इसके लिए कृषि विभाग और कृषि के जानकार लोगों को सोचना चाहिए, उसका सर्वे करना चाहिए। उसके घर खर्च में आने वाली पैदावार को निकालने के बाद में जो बचे और जो बाजार में आये उसको असली उत्पादन मानना चाहिए।

सभापति महोदय, यह जो आपने सरकारी आंकड़े दिये हैं और सरकार का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है जिसकी जगह जगह पर तारीफ की जा रही है उसमें आपने यह बताया है कि हम पिछले साल पूरे हिन्दुस्तान में नम्बर दो पर थे, इस साल अभी अभी आपने बताया है कि हम पहले स्थान को प्राप्त कर लेंगे। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अपना अभिभाषण पढ़ा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज न्याय प्रशासन और श्रम विभाग तथा रोजगार विभाग की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार हो रहा है।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैंने तो एप्रोप्रियेशन बिल के संबंध में बोलने के लिए इजाजत मांगी थी। उसी के सम्बन्ध में मैंने लिख कर दिया था। इसी सम्बन्ध में बोल रहा हूं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : इनको तो बोलना था इसलिए बोल रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : बोलना जरूरी था, यह बात नहीं है। मैंने तो एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर बोलने के लिए इजाजत मांगी थी उसी पर मैं बोल रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशु पालन) : माननीय न्याय मन्त्री जी आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे।

एक माननीय सदस्य : इनको तो एक हजार रुपए की डिमान्ड है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अगर आपकी एक हजार रुपए की डिमान्ड है तो मैं क्या बोलूं। जहां पर हजारों रुपए का गोलमाल हो, जहां पर हजारों रुपए के विठोरे के विठोरे उठ जाते हैं, वहां बेचारी पाइयों का क्या कहना। वहां पर हजारों का पता पता नहीं लगता तो आपके एक हजार रुपए की क्या बात ? आप तो खर्च करो और मौज करो।

श्री सभापति : श्री भैरू लाल भारद्वाज।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम जैन।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 6 न्याय और प्रशासन और मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के बारे में चर्चा चल रही है। सभापति महोदय, न्याय प्रशासन के बारे में हमारी सरकार बार बार घोषणायें तो करती रहती है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने एडवोकेट्स भी नियुक्त किये हैं। पर मैं यह कहना चाहूंगा, मेरी राय में तो यह बिलकुल ही नगण्य है। सभापति महोदय, मैं एडवोकेट्स की निन्दा ही करना चाहता हूं, इसमें उनका भी दोष नहीं है क्योंकि उनके भी परिवार की कुछ आवश्यकतायें होती हैं, उनके बच्चों की भी आवश्यकताएं होती है, उनके भविष्य के लिए वह इस तरह की कार्यवाही करते हैं। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आप एक समिति बनायें, उसमें कम से कम एक सीनियर एडवोकेट के साथ चार जूनियर एडवोकेट रखें ताकि सीनियर एडवोकेट उनका मार्ग दर्शन कर सके और जूनियर एडवोकेट आगे जाकर बड़े एडवोकेट बन सकें और अच्छे अभिभाषक बन सकें।

सभापति महोदय, मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र के बारे में क्या बताऊं उनको किस तरह

(श्री भगवानदास शास्त्री)

की बुरी हालत है और कितनी दुर्दशा है। कोई भी व्यक्ति चाहे चोरी करे या नहीं करे उसको जेल में बन्द कर दिया जाता है। चाहे किसी व्यक्ति ने कत्ल किया हो या नहीं किया हो उसको फांसी दे दी जाती है। सभापति महोदय, हमारे देश को आजाद हुए 37 वर्ष हो गये हैं पर आज भी गरीब को न्याय सुलभ नहीं है। इसका कारण यह है कि जो एडवोकेट्स राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किये हुए हैं वह गरीब लोगों को न्याय नहीं दिला पाते हैं। कारण यह है कि राज्य सरकार के द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की हुई है। यही कारण है कि उनको जेल जाना पड़ता है। उनको जेल में तरह-तरह की यातनायें सहनी पड़ती हैं। सभापति महोदय, मैं आपको अजमेर के दो तीन केस के उदाहरण दे कर बता सकता हूं, आज हालत यह है कि बहुएं अपने सुसराल वालों को धमकियां देती हैं। यह स्थिति केवलवहां की ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की है। आज बहुओं की यह हालत है कि वह अपने ससुराल वालों को धमकी देती है या तो आप मेरी बात मानो नहीं तो मैं घासलेट डालकर अपने आपको जला लूंगी और कहूंगी कि मेरी सास ने या ससुर ने या देवर ने मुझे घासलेट डालकर जला दिया है। सभापति महोदय, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि जो लोग इसके अपराधी हों उनको दण्डित नहीं किया जाय, जो लोग 307 या 302 के जुर्म करते हैं उनको आप दण्डित नहीं करें, या जो लोग दहेज के प्रलोभन से या किसी कारण से बहुओं को जला देते हैं उन्हें दण्डित नहीं किया जाय। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी साक्ष्य के आधार पर या किन्हीं नियमों के अन्तर्गत दण्डित किया जाना चाहिये। ऐसा नहीं कि पुलिस को ऊपर से आदेश मिल गया और उसने गरीब लोगों को बिना वजह फंसाना शुरू कर दिया या उनको मारना शुरू कर दिया। मैं सभापति, महोदय, अजमेर के कम से कम आठ ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनको पुलिस ने बिना किसी दोष के जेल में ठूंस दिया। इतना ही नहीं आज भी हमारे समाज में कई ऐसी भ्रष्ट बहुएं हैं जो कि अपनी ससुराल वालों का यह धौंस देती है कि मैं आपको दिन में तारे दिखा दूंगी। वह ऐसी घटना घटित करने में देरी भी नहीं करती हैं।

इसके अलावा आज, सभापति महोदय, यह हालत है कि एडवोकेट्स गांवों में जो हैं उनकी कोई हालत अच्छी नहीं है ऐसी हालत में उनके सामने कोई और चारा भी नहीं है सिवाय इसके। उनके पास केसेज नहीं होने के कारण वह नाना प्रकार के सस्ते केसेज लें। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वह ऐसी हालत में हैं कि उनको एक एक केस में 25-25 हजार रुपये तक भी मिलते हैं पर छोटे-छोटे गांवों में, जहां लोग गरीब हैं, में एडवोकेट्स के पास आय के स्रोत नहीं होने के कारण मर्डर के केसेज को अपनी कमाई का स्रोत बना लेते हैं। उनमें से कुछ धौंस देकर बहुत से केसेज में गवाही नहीं देने के लिए बाध्य करके केसेज को बिगाड़ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शासन दल से संबंध रखते हैं। आज यह हालत है, कचहरियों में लोग अगर कोई गवाही देने आते हैं तो उन्हें नहीं आने दिया जाता है। लोगों को डरा धमका कर वहां से भगा

(श्री भगवानदास शास्त्री)

दिया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि हमारे यहां पर अच्छे से अच्छा जुर्म करने वाला, हत्या करने वाला या बलात्कार करने वाला भी बच जाता है। हम देखते हैं कि दफा 448 और 337 के जुर्म करने वाले साक्ष्य की कमी के कारण बच जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, सभापति महोदय, अगर आज यह हालत है तो फिर आप कैसे ग्रामीण लोगों को या गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिला सकेंगे ? जैसे हम कहते हैं कि खुदा न ख्वास्ता कुदरत से कोई किसी का बच्चा सुसाइड कर लेता है तो उसके घर के सभी सदस्यों और उस घर की हालत बहुत ही दरिद्र हो जाती है, उनकी परेशानी बढ़ जाती है। वह चाहे उच्च श्रेणी के घर का क्यों नहीं हो, उनकी इतनी दुर्दशा हो जाती है कि वह मध्यम वर्ग में भी नहीं रह पा सकता है। आखिर दुखी होकर उसकी परिस्थिति हो जाती है कि वह आत्म हत्या कर लेता है। जब बड़ों की यह हालत हो जाती है तो बच्चों की तो बात ही क्या।

इसके अलावा आज, सभापति महोदय, न्याय प्रशासन की ऐसी हालत है कि बहुत सी जगहें खाली पड़ी हैं। राष्ट्रपतिजी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वह कैसे करेंगे ? आप उनको लोगों की लिस्ट देते हैं, उन्हीं में से वह न्यायाधीश नियुक्त करते हैं जब कि उनसे भी अच्छे लोग दुनियां में पड़े हैं। ऐसे न्यायाधीश किसी भी हालत में स्वच्छ, स्वस्थ न्याय या निर्णय नहीं दे सकते। विधि मंत्री जी, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम कभी आवेश में आकर कुछ कह देते हैं, किन्तु आज उच्च न्यायालय हो चाहे छोटे-छोटे न्यायालय हों, वह शिव मन्दिर हैं, भगवान के मन्दिर हैं, ईसा के मन्दिर हैं, मोहम्मद साहब के मन्दिर हैं, किन्तु उनमें वैसा न्याय नहीं मिलता जैसा न्याय हम पुराने जमाने में देखते थे। भले ही न्यायाधीशों ने न्यायाधीश के रूप में निर्णय [illegible] हो, मैंने देखा है कि डाइवोर्स के केसेज में वह चेम्बर में लड़के-लड़की को बुलाते थे और कहते थे कि तुम्हारा डाइवोर्स केस है, तुम क्यों जिन्दगी खराब करते हो, जाओ अपना फिर से नया जीवन बिताओ। मैं अपशब्द नहीं कहना चाहता, छोटे-छोटे वकीलों की बात कर रहा हूं, वह कहते हैं कि तुम तलाक लो, उनको गलत समझाते हैं। यह न्यायालयों में नहीं होना चाहिए, कम से कम एडवोकेट्स को ऐसी भद्दी बातें नहीं कहनी चाहिए। आज हमारी भारतीय नारी तीन कपड़ों से ढकी हुई है, चौथा कपड़ा उसका स्वाभिमान है। उसको यह कहना ठीक नहीं है कि यह तुम्हारा प्रीतम है, यह तुममे लव करता है, अगर संसार में कोई पवित्र नारी है तो भारत की नारी है।

सभापति महोदय, मैं न्यायालयों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, न्यायालयों की पवित्रता यदि आप चाहते हैं तो दलगत राजनीति से उठकर योग्य और सीनियर और बार एसोसिएशन से सम्बन्धित लोगों को न्यायालय में भेजना चाहिए। जो योग्य हैं उनकी सिफारिश आप महामहिम राष्ट्रपतिजी को भेजें वरना उनको क्या मालूम पड़ेगा। अपनी समिति के साथ, डेलीगेशन के साथ जब मैं नई दिल्ली गया था तो हम

(श्री भगवानदास शास्त्री)

स्पीकर, जाखड़ साहब से मिले थे। हमने अपने विचार रखे। हमारी रूल्स कमेटी को राष्ट्रपति से नहीं मिलने दिया गया। एच. एम. हिदायतुल्ला. जो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, योग्य व्यक्ति हैं, से हमारी मुलाकात करवाई गई। कहने का मतलब है कि योग्य व्यक्ति से मिलने में घबराहट नहीं होती, हिचक नहीं होती। अगर सीनियर ऐडवोकेट्स जानकार हैं रूल्स के तो उनको आप भेजें। यह इंजेक्शन और स्टे आर्डर काहे के लिए होते हैं? वह केसेज का निर्णय नहीं करते क्योंकि चार बजे घर जाना है, श्रीमती जी के साथ शाम को पिक्चर जाना है। वह दो घण्टे के लिए स्टे पर ध्यान नहीं देना चाहते जिससे दूसरी पार्टी को हानि होती है। वह स्टे दिलाकर मुजरिम को एक तरह से छूट देते हैं कि जाओ, बाजार में घूमो और मर्डर करो, ऐश करो। मेरी आपसे प्रार्थना है, सभापति महोदय, मुझे क्षमा करें विधि मंत्री जी, आप जोर लगाकर स्टे आर्डर और इंजेक्शन आर्डर के बारे में राज्य सरकार के द्वारा जो जजेज नियुक्त हैं, उनकी सूचना भेजें ताकि इस पर गौर किया जाए।

अब रोजगार के बारे में विरोधी दल के माननीय नेता ने सब कुछ आपको बताया। बीड़ी बनाने वालों में महिलायें ज्यादा हैं, करीब 90 प्रतिशत महिलायें इस काम में लगी हुई हैं अजमेर और नसीराबाद में। बार-बार उन्होंने विरोध प्रकट किया है कि हमारी पांच-छः रुपये में पूर्ति नहीं होती। आपको क्या बताऊं, बड़ी करुण गाथा है। मेरा तो दिल भर आया। एक हजार बीड़ी बनाने में वह महिलायें अपने बच्चों को भूखा सुला देती हैं, दूध तक नहीं देतीं और बीड़ी बनाने पर 6 रुपये मिलते हैं जिसमें से पांच रुपया शंकर जी की जेब में चला जाता है, एक रुपया उनको मिलता है। नसीराबाद में विरोध हुआ था। आप जानकार हैं, मैं आपको वर्षों से जानता हूं मिस्टर देवपुरा जी, आपको इन पर दया आनी चाहिए। मैं इस राजनीति में नहीं पड़ता कि कांग्रेस का हूं या बी. जे. पी. का हूं, कभी इस गलतफहमी में नहीं रहा। सदन के अन्दर आने के बाद हम जनता की समस्यायें रखते हैं, सारी जनता हमारी है। गरीबों के साथ जो अत्याचार होता है वह हम सब को मिल कर मिटाना चाहिए। एक हजार बीड़ी चार-पांच घण्टे में बनती हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, दवाई के लिए उन्हें रुपया घर से देना पड़ता है....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : बीड़ी के ऊपर धागा घर का लगता। अगर थोड़ा सा पत्ता काटने में....

श्री सभापति : कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं तो अपने विषय पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : विषय पर तो आप बोल रहे हैं लेकिन समय की सीमा भी होती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : रोजगार की मिनिमम वेजेज है, यह रोज कमाते हैं और खाते हैं। मेरी श्रम मंत्री से करबद्ध

(श्री भगवानदास शास्त्री)

प्रार्थना है कि 10-11 रुपये उन्हें दिलायें, कोई-बड़ी बात नहीं है। कमर तोड़ महंगाई है। विशेषकर नसीराबाद और अजमेर प्रापर में बीड़ी बनाने का काम करने वालों की दुर्दशा है, न वह अधिकारियों में से कह सकते हैं, न आपके पास आ सकते हैं, अगर वह रोष व्यक्त करते हैं तो उन्हें बीड़ी बनाने का सामान देना बन्द किया जा सकता है आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अजमेर और नसीराबाद में बीड़ी मजदूर हैं उनका वेतन बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, श्रम और रोजगार व न्याय और प्रशासन पर चर्चा चल रही है। बूंदी जिले में लेने से पहले इन्द्रगढ़ नायब तहसील कोटा जिले में थी। सरकार की यह इच्छा रहती है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त कराया जाय। इन्द्रगढ़ नायब तहसील को बूंदी जिले में मिलाया जा रहा था उस उक्त राजस्थान के विधि मंत्री जी, जो बूंदी जिले के थे, ने लोगों को आश्वासन दिया था कि यदि आप बूंदी जिले में मिलते हैं तो आपकी जो असुविधायें हैं उनको दूर किया जाएगा। यह भी आश्वासन दिया गया था, मुन्सिफ कोर्ट तहसील इन्द्रगढ़ में खोली जाएगी। लेकिन मुन्सिफ कोर्ट नहीं खोली गई और न ही तहसील खोली गई है। इसलिए इन्द्रगढ़ से लोगों को बड़ी दूर आना पड़ता है। राजस्व मंत्रीजी विराजे हैं, विधि मंत्रीजी भी विराज रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि जनता को सस्ता न्याय सुलभ हो उसके लिए इन्द्रगढ़ को शीघ्र तहसील बनाने की घोषणा करें और वहां मुन्सिफ कोर्ट खोलने की घोषणा करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि न्यायालय का समय गर्मी के दिनों में प्रातः काल होता है और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय दस से पांच तक होते हैं। इससे आम नागरिक को बड़ी असुविधा होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब सरकारी प्रशासनिक कार्यालय का समय गर्मी के दिनों में सवेरे दस से पांच तक है तो फिर केवल न्यायालयों को ही प्रातः क्यों खोल दिया जाता है? इससे जनता को राजस्व से सम्बधित केसेज होते हैं और फौजदारी और दूसरे केसेज होते हैं तो उसमें सम्बन्धित जो वकील हैं उनको भी असुविधा होती है और जनता को भी असुविधा होती है इसलिए दोनों समय जो भिन्न हैं उनको एक ही समय किया जाये।

अगली मांग है श्रम और रोजगार। श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी राजस्थान प्रान्त की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है और बेराजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि बेरोजगारों को काम मिले। इसके लिए सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम का नाम लेकर बड़ा ढिंढोरा पीट रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर केवल

(श्री हीरालाल आर्य)

आंकड़ों में इस देश की और इस प्रान्त की सीधी और भोली-भाली जनता को उलझाया जा रहा है और वास्तविकता कुछ परे है। राष्ट्रीय रोजगार योजना के माध्यम से अधिक से अधिक गावों के लोगों को काम मिले इसकी व्यवस्था की जाती है लेकिन एन. आर. ई. पी. के तहत जो गावों, ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम चलाये जा रहे हैं उनकी व्यवस्था ऐसी है कि सरपंच काम नहीं करा पाते हैं क्योंकि उन्हें जो राशि दी जाती है वह कहते हैं कि 50 प्रतिशत आप अपनी इन्कम में से लगायें और काम हो। फलस्वरूप ग्राम पंचायतें निठल्ली बैठी हैं और राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत कोई काम ग्रामों में नहीं हो पा रहा है। इसकी असफलता की वजह से जब मीटिंग होती है तो हमारे यहां के प्रधान जी एक बार कह रहे थे कि अकेले उनकी पंचायत समिति में उस टाइम जनता सरकार थी तब जितने काम उनकी अकेली पंचायत में हुए थे आज वह प्रधान हैं वह कहते हैं कि मेरी पूरी पंचायत में उतने काम नहीं हो पा रहे हैं। तो गांवों में रोजगार मिले और काम हो इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों को और अधिक अनुदान दिया जाये। जैसे काम के बदले अनाज योजना में उनको अनाज दिया जाता था। उसमें कहने को मेटीरियल और लेवर उसी में से खर्च करते थे, उसके फलस्वरूप काम भी मिलता था और काम भी होता था। अब मेरा निवेदन है कि अधिक पैसा ग्राम पंचायतों को दिया जाये।

दूसरे मेरा निवेदन है एकीकृत ग्रामीण विकास रोजगार योजना जो गावों में चल रही है इसमें प्रत्येक गांव से कोई चार पांच गरीब लोगों को चुना जाता है और उनको लोन आदि दिये जाते हैं, कभी बकरियों की इकाई या कभी गायों की इकाई या दूसरे माध्यम से ऋण उपलब्ध कराके उनको काम दिया जाता है लेकिन जिस तरह का आजकल गावों में चल रहा है लोन जो मिल रहा है वह पैसा तो पक्षपात और भेदभाव से दिया जाता है क्योंकि सरपंचों के मिलने जुलने वाले उसमें चुन कर आते हैं और गांवों के वास्तविक गरीब व्यक्ति रह जाते हैं। लोन वितरित होता है उसमें जो लोन वितरण करने वाली कमेटी है उसमें कभी कोई जन प्रतिनिधि नहीं होता है, इसकी वजह से विकास अधिकारी और बैंक वाले और डाक्टर मिलकर उनकी रकम को हजम कर जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है कि इन्होंने लोन भी उठाया है। ऐसे उदाहरण केशवरायपाटन और कापरेन का है वहां के लोगों को एकीकृत ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लोन दिया गया था लेकिन वहां जब लोगों को नोटिस मिले कि हमने आपको इस योजना के तहत लोन दिया था, वह कहते हैं कि हमने तो इस तरह का कभी लिया ही नहीं और अब चक्कर लगा रहे हैं। वहां बूंदी की अमित ट्रेडिंग कम्पनी है उन्होंने बैंक मैनेजर से मिलकर और विकास अधिकारी से मिलकर लोगों के नाम फर्जी लोन बांटे हैं और लोगों से वसूल किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि इस तरह की योजनाओं के नाम पर जो जनता को, गरीब और अशिक्षित जनता है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

को गुमराह किया जा रहा है, उसकी ठीक तरह से जांच हो।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ही स्वरोजगार योजना की बड़ी चर्चा इस देश में है। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लोगों और शिक्षित बेरोजगारों के प्रार्थना पत्र आये और प्रार्थना पत्र तैयार हुए। प्रार्थना पत्र तैयार होने में और उनकी स्वीकृति मिलने में पक्षपात हुआ है। केवल जो कांग्रेस पक्ष के लोग हैं उनके नाम लिखकर ही बैंकों को भजे गये हैं। अब बैंकों के पास प्रार्थना-पत्र पड़े रोजगार या लोन चाहने वाले लोग आते हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं किन्तु उनको पैसा नहीं मिलता है। पंचायत समिति इटावा में ट्राइसम के जरिये से जिन लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की थी वह लोन प्राप्त करके अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन जो वहां का पंजाब नेशनल बैंक है वह वहां के लोगों को लोन नहीं दे रहा है। एक भी व्यक्ति को आज दिन तक स्वरोजगार योजना और ट्राइसम योजना के अन्तर्गत लोन नहीं मिला है।....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री हीरा लाल आर्य : इस तरह भूमिहीनों को भूमि बीस सूत्री कार्यक्रम में देने की थी लेकिन भूमि वितरित करते समय भी पक्षपात किया जाता है। जो कमेटी के लोग हैं वह अपने पक्ष के लोगों को ही दे देते हैं। हमारे द्वारा आब्जेक्शन किया जाता है, तो क्योंकि उनके अधिक लोग होते हैं इसलिए हमारे आब्जेक्शन को नकारकर केवल प्रभावशाली लोगों को जमीन दी जाती है। हमारे लोगों को ऐसी जमीन दी जाती है जो कि डिस्प्यूटेड है। हमने कहा कि गरीबों को जमीन दे रहे हैं तो कम से कम वह दें जो कि डिस्प्यूटेड नहीं हो लेकिन उनको तो देनी है और आपके पास आंकड़े भेजने हैं। ऐसी डिस्प्यूटेड जमीन को भी गरीब लोगों को देते हैं और फिर वह तहसील में, थाने में और इधर-उधर चक्कर लगाया करते हैं।

सैट-अप योजना के अन्तर्गत भी केवल आंकड़े हैं। हमारे कोटा जिले में सैटअप योजना के अन्तर्गत 600 व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था। प्रार्थना पत्र तैयार हुए लेकिन आज दिन तक एक भी व्यक्ति को लाभान्वित नहीं किया गया। इसी तरह से स्वरोजगार योजना में भी कोटा जिले में और पूरे प्रान्त में 1.5 हजार लोगों को ऋण दिलाने की व्यवस्था थी। कोटा जिले में हमारे 800 का लक्ष्य था, प्रार्थना-पत्र आये, तैयार हुए और बैंकों को भेजे लेकिन आज दिन तक मुश्किल से 58 लोगों को लोन मिल पाया है और वह भी कहते हैं पूरा नहीं मिला। स्वीकृत हुआ 25 हजार और मिला केवल 5 हजार ही। बैंक वाले अपनी मर्जी से जिसे चाहे उनको लोन देते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्वरोजगार की योजना है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : वास्तविकता को समझकर लोगों को रोजगार मिले इतना ही आपके माध्यम से निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री विष्णु बजारी।

(व्यवधान)

आपका नाम मैंने पुकारा था लेकिन आप उस समय उपस्थित नहीं थे। 4.30 बजे तो मुखबन्द होगा और उसके पहले दोनों सम्बन्धित मंत्री महोदय को अपना जवाब देना है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक-एक मिनट लेंगे।

श्री सभापति : मैं विचार कर लूंगा।

श्री विष्णु बजारी

श्री विष्णु बजारी : आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मांग आज सुलभ न्याय के संबंध में है उसके संबंध में विधि मंत्री जी से निवेदन है कि ब्यावर के अन्दर जो हमारे यहां अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय खोलने की हाईकोर्ट ने भी सिफारिश की थी और हमारे विधि मंत्री जी ने भी ब्यावर जाकर आश्वसन दिया था....

श्री अहमद बक्स सिंधी : हो गया।

श्री विष्णु बजारी :....और जैसा कि अभी विधि मंत्री जी फरमा रहे हैं कि वहां पर बहुत जल्दी खुल जायेगा, ऐसा आप आश्वासन दे रहे हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हू विधि मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी, दोनों को ही कि ब्यावर के अन्दर न्यायालय जल्दी से जल्दी खोल दिया जायेगा क्योंकि आप स्वयं जाकर वहां पर घोषणा करके आये थे। एक मिनिस्टर और वह भी फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर घोषणा करे और उस घोषणा की क्रियान्विति नहीं हो तो यह बहुत दुःख बात है लेकिन जब आपने आश्वासन दिया है और यह खुल जायेगा, मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं आदरणीय देवपुरा जी, श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे ब्यावर के अन्दर जो एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी और कृष्णा मिल तीन मिलें हैं उनमें करीब आठ दस हजार मजदूर काम करते हैं उनकी आवासीय कालोनी के लिए मैं पिछले तीन चार सालों से हर बार श्रम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। ऐसी योजना सन् 52 के अन्दर आवासीय योजना बनी थी और उसके अन्तर्गत लोगों को रहने के लिए मकान सरकार द्वारा बनाकर दिये थे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में ब्यावर के अन्दर जो हमारे मजदूर वर्ग के भाई हैं उनके लिए आवासीय योजना जल्दी से जल्दी बनवाकर, उन्हें मकान बनवा कर दिलवाने की कोशिश करें। धन्यवाद,

श्री सभापति : श्री कैलाश शेषवाल। कृपया 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कृपा करें।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय महोदय, मैं माननीय विधि मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाने का प्रयत्न करूंगा कि आज न्याय प्रशासन में धीरे धीरे कई तरह की बुराइयां आती जा रही हैं। अजमेर का एक उदाहरण दूं, माननीय सभापति महोदय, एक पीठासीन अधिकारी से वकीलों का कुछ विवाद हो गया। उस विवाद की वजह से, माननीय सभापति महोदय, महीने, डेढ़ महीने तक लगातार अजमेर की बार के 300 वकीलों ने सभी न्यायालयों का बहिष्कार किया है। महीने, डेढ़ महीने तक एक विवाद का निपटारा नहीं करना किस बात का द्योतक है ? माननीय सभापति महोदय, यह सच है, न्यायालयों के बारे में बोलने या पीठासीन अधिकारियों के बारे में बोलने पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध को लेकर मुझे अफसोस तो तब हुआ, माननीय सभापति महोदय, जब वहां के पीठासीन अधिकारियों ने, न्यायिक अधिकारियों ने एका किया और एका करके जो उनके सामने विवाद थे, प्रकरण थे वकीलों के आधार पर उनको चुन चुन कर उनमें कई तरह के अन्याय किये। यह शिकायत हुई है जोधपुर में। उसके बाद जब तक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नहीं आ गये तब तक यह विवाद चलता रहा। वर्तमान न्यायाधीश ने आखिर उसकी जांच भी कराई है। इसलिये प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह की गतिविधियां करने को सन्नद्ध होते चले जा रहे हैं और स्वयं ट्रेड यूनियन के रूप में उन्होंने काम करना प्रारम्भ कर दिया है उसके आधार पर न्याय का गला घोंटा जा रहा है। मैं माननीय विधि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे जो भी प्रशासनिक जज हैं उनको इस बात के लिये आगाह करें। इस तरह की हरकतें होती हैं तो जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास उठता है। मैंने अजमेर में देखा है महीने डेढ़ महीने तक लगातार एक छोटे से विवाद के लिये गलत ढंग से एक पीठासीन अधिकारी को प्रोत्साहन देने के लिये, संरक्षण देने के लिये सभी न्यायाधीश अधिकारी एक हो गये। इनकी जितनी भर्त्सना की जाये वह कम है। आज मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं जब आप हमसे फैसला चाहते हैं, न्यायाधीशों को फिक्र नहीं है, आप इनको सुधारिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करके समाप्त करूंगा। आप स्वयं वकील हैं। बार में बैठे बैठे इस तरह की चर्चा बहुत आती है आजकल धड़ेबन्दी हो गई है, उस पीठासीन अधिकारी को उस न्यायाधीश का संरक्षण है। एक पीठासीन जज को दूसरे प्रशासनिक जज का....

श्री सभापति : कृपया हाई कोर्ट के जजेज के कार्यकलापों के बारे में नहीं बोलें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं उनके न्यायिक कार्यों की किसी तरह की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं न्यायिक प्रशासन के बारे में

(श्री कैलाश मेघवाल)

ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिससे आप भी पीड़ित हैं, सारा वकील जगत, जो इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इस बात से पीड़ित है कि पीठासीन अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों को इस तरह का संरक्षण मिलता है कि उनके खिलाफ कुछ भी शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। उनकी शिकायत करने पर उसे बहुत समय तक लम्बित रखते हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, समय नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि गरीबों को सहायता कुछ नहीं मिल रही है। माननीय सभापतिम होदय, गरीबों की सहायता का सारा फण्ड सब प्रशासन में जा रहा है। जो न्यायाधीश हैं, दिनकरलाल जी, उन्होंने भी यह कहा है कि गरीबों को सहयोग देने के लिये जिस तरह का सरकार कोण्ड देना चाहिये वह फण्ड नहीं दे रही है इसलिये गरीब को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने में कोई सहयोग नहीं दे सकती है। उसके लिये भी आप पूरा प्रयत्न कीजिये जिससे गरीबों को कानूनी सहायता मिल सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बात समाप्त करूंगा।

(4.25 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापतिजी ने मुझे एक मिनट देने का आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट तक आप बोल सकते हैं उसके बाद में मुखबन्द का प्रयोग किया जायेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण कोई भाषणबाजी नहीं करूंगा, मैं सुझाव दूंगा विधि मंत्रीजी को। एक तो मैं यह चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो न्याय समितियां बनेंगी वह मेरे ख्याल से ठीक कारगर काम नहीं करेंगी इसलिये जैसे पहले ग्राम पंचायत को कानूनी अधिकार थे दीवानी और फौजदारी के मामलों के अन्दर, मैं समझता हूं, वैसे पंचायतों को पूरे अधिकार देने चाहिये। अलबत्ता आपने न्याय और प्रशासन को अलग अलग करने का फैसला इस दृष्टि से किया था पर व्यावहारिक दृष्टि से यह बिल्कुल सही नहीं रहा है क्योंकि एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जन जाति और एक सरपच, इन चारों पर सरपंच की वरीयता रहती है और वह तीनों आदमी न्याय में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि इसकी बजाय पूरी पंचायत, जिसमें 8 या 10 पंच होते हैं और एक सरपंच होता है, को दीवानी और फौजदारी के अधिकारात जिस प्रकार से पूर्व में थे, उसी प्रकार से वापस दिये जाने चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जन अदालतें स्थापित करने के बारे में आल इण्डिया स्तर पर विचार किया जा रहा है। हमारे भारत के न्याय मंत्री ने इस बारे में

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

दूसरे प्रान्तों के न्याय मन्त्रियों से सलाह करने की बात कही है। पेपर्स में आयी है यह बात। मैं अपने न्याय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वे मेहरबानी करके जो विचार चल रहा है जन अदालतें स्थापित करने के बारे में, राजस्थान का एक प्रारूप तैयार करके ले जायें जो कि हिन्दुस्तान के मार्गदर्शन के रूप में काम करे। सारी अदालतों में लाखों करोड़ों मुकदमें फंसे पड़े हैं। उन सारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जब तक गांवों में जन अदालतें स्थापित नहीं की जायेंगी तब तक गरीबों को न्याय मिलता बहुत मुश्किल है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फैसलों के बारे में मजिस्ट्रेट का, न्यायाधीश का कोटा निर्धारित कीजिये। एक मुकदमे का 10-10 वर्ष तक फैसला नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि एक महीने के अन्दर, 20-25-30 या जितने भी हों, वर्किंग डेज के हिसाब से कम से कम एक महीने में 25 फैसले एक मजिस्ट्रेट के जिम्मे होने चाहिये। कोटा निर्धारित नहीं होता है तो मुकदमे लम्बे चलते हैं फिर भी उनका फैसला नहीं हो पाता। इसलिये कोटा निर्धारित होना चाहिये, मजिस्ट्रेट के लिये, जज के लिये।

एक प्राइवेट इस्तगासा का जो नियम है वैसे तो ठीक है न्याय प्राप्ति के लिये। यदि पुलिस किसी का केस पेश नहीं करे तो हर आदमी को प्राइवेट इस्तगासा पेश करने का अधिकार है पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10-10 वर्ष तक झूठे मुकदमे लगाकर लोगों की खिंचाई होती रहती है। होना यह चाहिये कि अदालतें पूरी तरह से पहले आश्वस्त हों कि मुकदमें में कहीं जान है तभी प्राइवेट इस्तगासा स्वीकार किया जाना चाहिये। लोगों को तंग करने की दृष्टि से 10-10 वर्ष तक मुकदमे को लम्बा किया जाता है उस पर अंकुश होना चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इतने लम्बे समय तक चलता रहता है तो दूसरे झगड़े नहीं होते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप देखिये झूठे मुकदमों में उलझे हुए 20-30 आदमियों की हाजिरियां होती हैं, 10-11 वर्ष तक उस पर चार्ज बहस होती है। इस चार्ज बहस को खारिज किया जाये। इसलिये मुकदमा पेश होते ही जमानत सबूत लेकर चार्ज बहस उसी वक्त होनी चाहिये, उसके बाद यह मामला चलना चाहिये।

मैं एक बात वकीलों के बारे में कहना चाहता हूं। बेचारे मुवक्किल वकील कर लेते हैं पर वकील पर कोई पाबन्दी नहीं होने से उसकी गैरहाजिरी से जमानत जब्त हो जाती है। आपके सामने एक प्रश्न के प्रकरण में यह बात आई थी, सदन ने भी यह महसूस किया था कि वकीलों पर यह पाबन्दी होनी चाहिये। किसी मुवक्किल से पैसा लेकर कोई वकील इकरारनामा या वकालतनामा दाखिल करता है तो उसको पेश होना पड़ेगा। यदि किसी प्रकार से गैर हाजिर होने की वजह से अदालत में

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

मुवक्किल को नुकसान होता है तो नुकसान देने के लिये वह पाबन्द होना चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

इसी प्रकार से श्रम और रोजगार के बारे में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक तो श्रम और रोजगार का हर एक को बाकायदा अधिकार है, इसकी हमको घोषणा करनी पड़ेगी। हर आदमी को रोजगार करने का अधिकार है। पढ़े-लिखे लोगों को और बे-पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार देने की हमारी विस्तृत योजना होनी चाहिये। दूसरी मैं इसके विपरीत बात कहना चाहता हूं। इस देश में बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल श्रम नहीं करते, फिलहाल अगर कोई ठोस प्रावधान नहीं कर सकते तो उन लोगों के ऊपर टैक्स होना चाहिये, जो निठल्ले लोग हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिये क्योंकि इस देश में निठल्ले बहुत हैं जो मेहनत नहीं करते और हेराफेरी के आधार पर खूब एशोआराम करते हैं। इस व्यवस्था के तहत जिनको जीवन यापन के साधन मुहैया हो जाते हैं और ऐसे लोग, जो किसी प्रकार का श्रम नहीं करते, पर श्रम टैक्स लगना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रमिकों का हिस्सा हमको बाकायदा तय करना चाहिये। श्रमिक एक बहुत बड़ा पार्ट है हर उद्योग का चाहे वह श्रमिक किसी भी प्रकार का हो, श्रमिक का हिस्सा हमको तय करना चाहिये। पूंजी भी मालिकों की नहीं है, उनके पास कुछ नहीं होता है। वे उद्योगों में अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगाते, सरकार का और जनता का पैसा लगा हुआ है। श्रमिकों का हिस्सा बाकायदा तय करना चाहिये। जहां तक श्रमिकों की बात है, उनको स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उनके निवास की जो जीवनोपयोगी सुविधायें हैं, मिलनी चाहिये। ठेकेदार ये सुविधायें नहीं देते हैं। लाखों व्यक्तियों को ठेकेदार एक जिले से दूसरे जिले में ले जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। उनको वे जीवनोपयोगी चीजें भी नहीं दे पाते हैं इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कुछ पाबन्दी होनी चाहिये चाहे कोई ठेकेदार हो या अन्य कोई हो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, भाषण समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

मुखबन्द का समय हो गया है लेकिन दोनों मंत्रिगणों को उत्तर देना है इसलिये 15 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है। पौने पांच बजे मुखबन्द का प्रयोग होगा।

माननीय विधि मंत्रीजी।

मांग संख्या 6 व 23 पर विचार

श्री अहमद बक्श सिन्धी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह अजीब विडम्बना है कि जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव मेरी मांग पर दिये ही नहीं उन्होंने इस मांग के ऊपर भाषण दे दिया।

एक माननीय सदस्य : तो क्या हो गया?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : इस पर मैं एतराज नहीं करता हूं लेकिन इसलिये

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)

कह रहा हूं कि मेरे पास इनफार्मेशन आनी चाहिये जवाब देने के लिये। फिर भी जिन महानुभावों ने विचार व्यक्त किये हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य भगवानदासजी ने उसूली बातें कही जिससे किसी को एतराज हो नहीं सकता। मगर साथ में वे कहते हैं अदालतों से स्टे आर्डर और जो टेम्प्रेरी इन्जेक्शन जारी होते हैं उन पर रोक लगानी चाहिये। मैं कहता हूं, हमारी अदालतें इण्डिपेन्डेन्ट हैं उनमें राज्य सरकार कोई दखल नहीं दे सकती है। अगर दखल देना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूं न्याय नहीं मिलेगा। इसलिये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि स्टे आर्डर और टेम्प्रेरी इन्जेक्शन के लिये न्यायालय पर अंकुश लगाया जाय। इस बात पर मैं सहमत नहीं हो सकता हूं।

दूसरी बात जो भारत की नारी के बाबत में कही, वह सही बात है। आम तौर पर लड़कियों को दहेज के लालच में जलाया जाता है, उनके साथ रेप भी किये जाते हैं। ऐसी सूरत में मेरे पास कोई आते हैं ऐसी किस्म के कैसेज तो मैं सेन्ट पर्सेंट में अपील करने के आर्डर दे देता हूं। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बाद में हुआ है कि अगर भारत की नारी के साथ इस प्रकार का बुरा बर्ताव किया जाता है तो अकेले उसके बयान ही काफी हैं सजा देने के लिये। मैंने तो पहले से ही उस प्रक्रिया पर अमल करना शुरू कर दिया और जिनको छोड़ दिया गया था उसके अकेले के बयान पर उनको सजा दी गई है। इसलिये माननीय सदस्य को इस बाबत में यह रखना चाहिये कि डाइंग डिक्लेरेशन या उसके बयान के ऊपर सज़ा हो जाय।

श्रीमती विद्या पाठक : आपके कहने से कोई सजा हुई है, जो छोड़ दिये गये थे।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जी ?

श्रीमती विद्या पाठक : जैसा आपने अभी कहा, बलात्कार के कैसेज में जिनको छोड़ दिया गया था उनके खिलाफ सज़ा हुई है क्या ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जी हां, जिनको छोड़ दिया गया था उनके खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें की गई थीं, वे चल रही हैं।

दूसरा, हीरालालजी ने फर्माया कि इन्द्रगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट होनी चाहिये। मुन्सिफ कोर्ट के लिये कई जरूरी शर्तें होती हैं। एक तो यह कि वहां कोर्ट का कमरा हो, जुडिशियल लाक-अप हो, उनके रहने का निवास हो और मालखाना हो। साथ ही कितने मुकदमे वहां से पैदा होते हैं। ये सब चीजें ध्यान में रखकर अगर कोर्ट खोलनी होती है तो कोर्ट खोलते हैं नहीं तो कैम्प कोर्ट खोलते हैं। इसलिये यह बात आप कम से कम लिख कर भेजियेगा, मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

दूसरा, विष्णु बजारी भाई, जो माननीय सदस्य यहां विराजते हैं, ने कहा कि

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)

ब्यावर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होनी चाहिये। ब्यावर के लिये आर्डर पास कर दिये गये हैं। वहां जल्दी ही खुलने वाली है।

तीसरा, श्री कैलाश मेघवाल, जो अजमेर से आते है, ने कहा कि अजमेर में न्यायाधीश, अदालत के मजिस्ट्रेट थे, उनका बहिष्कार वकीलों ने किया था। उनको याद रखना चाहिये, मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ हाई कोर्ट के अन्दर में होते हैं, राज्य सरकार के अन्दर में नहीं होते हैं। उनका फैसला जो कुछ भी है, बहरलाल चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया हूं कि उनकी बदली कर दी जाय। उनकी बदली कर दी गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने जबानी रिक्वेस्ट की या लिख कर की ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का ट्रान्सफर किया जाय, यह आपने जबानी कहा या लिखकर रिक्वेस्ट की ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : यह जबानी किया था, वे मिलते रहते हैं।

श्री भारद्वाज जी ने पंचायतों को दीवानी और फौजदारी अख्तियारात दिये जाने की बात कही है, इसलिये कही कि चूंकि अदालतों में मुकदमों की भरमार रहती है और फैसलों में बहुत टाइम लगता है इसलिये पंचायतों को दे दिये जायं। मैं उनसे बहुत अदब से सहमत नहीं हूं। पंचायतों को जुडिशियल और फौजदारी अख्तियारात देने से पहले उस आदमी का ज्ञान तो कम से कम दीवानी और फौजदारी का होना चाहिये।

(व्यवधान)

पंचायतें जो फैसला गांवों में करती हैं, वे दूसरे मामले हैं, घरेलू मामले हैं, वे ठीक हैं लेकिन दीवानी और फौजदारी अख्तियारात देना अभी ठीक नहीं समझती है राज्य सरकार। इसके लिये नई अदालतें और केम्प कोर्ट वगैरह खोले हैं ताकि जल्दी फैसले हो जायं और कहीं आना जाना न पड़े मुवक्किलों को। अदालतें खुद जाकर उनका फैसला कर दें, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैं समझता हूं जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनके जवाब दे चुका हूं।

श्री महाराम चौधरी : आज के पढ़े-लिखे वकीलों से तो उन गांव वालों को ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान है....।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : वकीलों के बारे में मैंने निवेदन किया।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय विधि मंत्री जी, मुवक्किलों से तो वकील लोग पैसा ले लेते हैं और पेशी पर गैर हाजिर रहते हैं। उनका टाइम खराब करते हैं। मुकदमा बिगड़ता है और मुवक्किल रोता फिरता रहता है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई वकील फीस ले करके अपनी ड्यूटी नहीं करता है और अदालत में हाजिर नहीं होता है तो उसके लिए एडवोकेट एक्ट बना हुआ है उसके तहत वह बार कौन्सिल में शिकायत कर सकता है। यह मालूम हो गया कि वह नहीं गया तो उसकी सनद जब्त हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्री जी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। समय हो रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्रम एवं रोजगार की मांग संख्या 23 के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की ओर से कोई विशेष बात नहीं कही गई। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीड़ी वर्कर्स नसीराबाद, अजमेर की बात कही है। वहां पर जिस तरह काम लिया जाता है, उस से शोषण हो रहा है एक प्रकार से। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बीड़ी वर्कर्स का एक विशेष प्रकार का काम हैं। कोई कारखाने में तो मजदूर आकर नियमित काम नहीं करता। उसको माल दिया जाता है और गिनती के आधार पर बीड़ियां ली जाती हैं। प्रति हजार बीड़ी पर श्रमिकों की रेट तय की हुई है। आज की तारीख में जो रेट श्रमिकों की बीड़ी के लिये तय की हुई है वह चालू बीड़ी के लिये सात रुपया प्रति हजार है और जो स्पेशल टाइप बीड़ी बनवाते हैं उनकी 8 रुपये 75 पैसे प्रति हजार के रूप में तय की हुई है। फिर भी बीड़ी वर्कर्स, जो खास तौर से अजमेर में, नसीराबाद में, ब्यावर में, टौंक में हैं और कुछ जगह और हैं, का हमने सर्वे कराया है। आज के हिसाब से इनकी मजदूरी में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिये, इस दृष्टि से इस पर विचार चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर शीघ्र निर्णय लेकर उनकी रेट को रिवाइज किया जायगा।

साथ ही साथ दूसरे माननीय सदस्य ने मिनिमम वेजेज के बारे में, जनरल मिनिमम वेजेज के बारे में बात कही। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे जो प्रचलित मिनिमम वेजेज हैं वह अकुशल श्रमिक के लिए 9 रुपये प्रतिदिन, अर्ध-कुशल श्रमिक के लिए 10 रुपये प्रतिदिन और कुशल श्रमिक के लिए 11 रुपये 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से है। यह रेट्स 1 अप्रेल, 1982 को तय की हुई थीं। इन रेट्स को हमारे विभाग ने रिवाइज करने का प्रस्ताव कर दिया है। और अभी जो महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से अकुशल श्रमिक के लिए 11 रुपये प्रस्तावित किये, अर्ध-कुशल श्रमिक के लिए 12 रुपये और कुशल श्रमिक के लिए 13 रुपये 25 पैसे प्रस्तावित किये हैं जो सरकार के पास विचाराधीन हैं। मैं समझता हूं, शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाकर इन रेट्स के आधार पर राजस्थान के अन्दर मिनिमम वेजेज तय कर दिये जायेंगे। हम देखते हैं, यह रेट्स कई प्रान्तों के मिनिमम वेजेज के अपेक्षाकृत काफी ठीक हैं। यह दो बातें अभी यहां पर आयीं।

दूसरी बात बेरोजगारी के बारे में कही गयी, वैसे इसका सीधा सम्बन्ध मेरे विभाग से नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवे-

(१४४)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करना चाहूंगा कि जो बात माननीय श्री हीरालाल जी आर्य ने बतायी कि एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत, आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत रोजगार, स्व रोजगार योजना और भूमि वितरण आदि के अन्तर्गत दिये जाने वाले रोजगार का सीधा सम्बन्ध श्रम और नियोजन विभाग से नहीं पड़ता। इसका सम्बन्ध स्पेशल स्कीम्स आर्गेनाइजेशन से है। वही इसका मोनिटरिंग करते हैं लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्व-रोजगार योजना, जो इसी वर्ष चालू की गई है, में गांवों में पढ़े-लिखे शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए 25000 रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराकर उनको कोई ऐसे साधन जुटा दें जिससे वह अपने रोजगार में लगे और अपने पांवों पर खड़े होने का प्रयत्न कर सकें। इस आधार पर राजस्थान में इस वक्त...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो सहायता देना तय किया है वह सहायता गरीबों को मिलेगी या ऐसे लोगों को मिलेगी जो गरीबी की रेखा से बहुत ऊंचे है?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन कर रहा हूं इसके आधार पर राजस्थान में इस वर्ष 15000 का लक्ष्य दिया था और 15000 लोगों की एप्लीकेशन स्वीकार की गयीं। इस हद तक मैं इसको स्वीकार करता हूं कि सभी 15000 लोगों की एप्लीकेशन्स बैंकों से क्लियर होकर नहीं आयीं क्योंकि यह योजना इसी वर्ष शुरू की गयी थी, साल के अन्तिम दिनों में शुरू की गयी थी। वह प्रार्थना-पत्र हमने मंजूर तो कर दिये और उनमें से काफी लोगों को लोन मिला है। बचे हुए व्यक्तियों को भी अगले वर्ष में इसी वर्ष के कोटे के हिसाब से रोजगार दिलाकर अगले वर्ष के 15000 के कोटे से अलग देकर हम पूरा करेंगे। एक आशंका पैदा की गयी कि यह योजना किसके लिए शुरू की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह योजना उन लोगों के लिए है जिनको आज रोजगार बिल्कुल उपलब्ध नहीं है या हैण्ड टू माउथ हैं, जिनको अपने पांवों पर खड़े होकर अपना जीवन निर्वाह करना ही कठिन हो रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए नहीं है जिनके यहां पर स्वयं रोजगार चल रहा है और जिनको तत्काल रोजगार की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एप्लीकेशन्स लेकर उनकी स्क्रूटिनी होती है और प्राथमिकता के आधार पर जो गरीब से गरीब लोग है उनको पहले लोन स्वीकार करते हैं। उसके बाद दूसरे लोगों को स्वीकार करके चलते हैं। यह 15000 एप्लीकेशन्स स्वीकार की गयीं, राजस्थान में इतने लोग बेकार बैठे हुए हैं जिनको हमें रोजगार देना है इसलिए इन्कम टैक्स पेयीज या उन लोगों, जिनके घर, फेमिली, परिवार के अन्दर दूसरा धन्धा चल रहा है और जो अपने आपमें सक्षम हैं, की एप्लीकेशन्स अभी स्वीकार नहीं की गयीं। केवल उन्हीं की एप्लीकेशन्स स्वीकार की गयी हैं जिनको आज अहम आवश्यकता है इस बात की कि रोजगार उपलब्ध कराया जाय। इसमें भी कोई शंका की आवश्यकता नहीं है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जहां तक एन. आर. ई. पी. और आई. आर. डी. के अन्तर्गत रोजगार—

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक प्रश्न और कर दूं। स्क्रीनिंग का प्रोसीजर क्या है?

श्री हीरालाल देवपुरा : स्क्रीनिंग के लिये एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अन्दर उद्योग विभाग का व्यक्ति, बैंक का व्यक्ति और जिला प्रमुख नान आफिशियल मेम्बर है। वह एप्लीकेश-स लेते हैं और एप्लीकेशन लेने के बाद स्क्रूटिनी करके इन्टरव्यू करके उन लोगों से पूछते हैं, कोई ऐसा रोजगार, जो 25000 रुपये में नहीं चल सके, की योजना उसने दे दी

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : और थोड़ा बहुत रुपया चाहते है तो उसको हम नहीं देंगे। केवल ऐसे लोगों को ऐसे ही रोजगार के लिए राशि दी जा रही है जिस राशि के आधार पर वे अपने पांवों पर खड़े हो सकें। ऐसे लोगों को पैसा देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कमेटी बनाकर कमेटी के माध्यम से स्क्रूटिनी होती है। नान आफिशियल कैडर के मेम्बर हैं वह उसके अन्दर बैठते है।

श्री अध्यक्ष : मांगें पेश करूं या फिर समय बढ़ा दूं।

मांगों पर मतदान।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 6, 32, 38, 000 रुपये (छः करोड़ बत्तीस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण

अब मुखबन्द का प्रयोग करके और मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत की जाती हैं।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2-मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20, 68, 000 रुपये (बीस लाख अड़सठ हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30, 21, 000 रुपये (तीस लाख इक्कीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदयको 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 97, 25, 000 रुपये (सित्यानवे लाख पच्चीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83, 00, 000 रुपये (तियासी लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31

(श्री अध्यक्ष)

मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 000 रुपये (तीन हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 73, 79 000 रुपये (एक करोड़ तिहत्तर लाख उनयासी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10-विविध सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय 1, 00, 000 रुपये (एक लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,21,000 रुपये (बीस लाख इक्कीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14, 69, 000 रुपये (चौदह लाख उन्हत्तर हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले व्यय में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5, 25, 00, 000 रुपये (पांच करोड़ पच्चीस

(श्री अध्यक्ष)

लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2, 10, 28, 000 रुपये (दो करोड़ दस लाख अट्ठाइस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19, 49, 000 रुपये (उन्नीस लाख उन्चास हजार रुपये) तक की रारि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग—18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,26, 000 रुपये (छः लाख छब्बीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,45,25, 000 रुपये (चार करोड़ पैंतालीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,45,03,000 रुपये (दो करोड़ पैंतालीस लाख तीन हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,99,10,000 रुपये (तेइस करोड़ निन्यानवे लाख दस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध ये 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,50,02,000 रुपये (दो करोड़ पच्चास लाख दो हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1000 रुपये (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन की अनुमति से बैठक का समय आज की कार्यसूची के कार्य समपन्न होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

अनुपूरक अनुदानों की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,11,47,000 रुपये (सात करोड़ ग्यारह लाख सैंतालीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,12,47,000 रुपये (छब्बीस करोड़ बारह लाख सैंतालीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 76,17,000 रुपये (छिहत्तर लाख सतरह हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30–जन जाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 82,81,000 रुपये (बियासी लाख इक्यासी हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सख्या 31–पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 90,00,000/– (नब्बे लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 99,26,000/– रुपये (निन्यावे लाख छब्बीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,73,38,000/– रुपये (चार करोड़ तिहत्तर लाख अड़तीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35–विविध सामुदायिक एव

(श्री अध्यक्ष)

आर्थिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,20,86,000/- रुपये (तीन करोड़ बीस लाख छियासी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(5.00 म. प.)

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 50, 47, 000 रुपये (एक करोड़ पचास लाख सैंतालीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,93,03,000 रुपये (तीन करोड़ निन्यानवे लाख तीन हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4, 90, 000 रुपये (चार करोड़ नब्बे लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 39-पशु पालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष मे किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,04,60,000 रुपये (एक करोड़ चार लाख साठ हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83,000 रुपये (तिरासी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4, 18, 24, 000 रुपये (चार करोड़ अठारह लाख चौबीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 90, 86, 000 रुपये (नब्बे लाख छियासी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6, 31, 89,000 रुपये (छः करोड़ इकतीस लाख नवासी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 1,89,50,000 रुपये (एक करोड़ नवासी लाख पचास हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,72,93, 000 रुपये (ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख तिरानवें हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,51,000 रुपये (सोलह लाख इक्यावन हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49

प्रश्न यह है कि अनुदान की अनुपूरक संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होनें वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदद को 1,32,81,000 (एक करोड़ बत्तीस लाख इक्यासी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अब विधायी कार्य। विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग····

श्री भैरोंसिह शेखावत: पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें नागरिक आपूर्ति की मांग भी है जो पारित नहीं करवाई। मांग संख्या 32।

श्री अध्यक्ष: यह चार्ज्ड मांग है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह वोटेड नहीं है, चार्ज्ड है।

श्री भैरोंसिह शेखावत: इसमें लिखा हुआ नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: पूरी की पूरी, आगे लिख लें।

एक माननीय सदस्य: वोटिंग नहीं होता।

श्री भैरोंसिह शेखावत: इसमें नहीं है। चार्ज्ड डिमाण्ड नहीं होती क्या? अध्यक्ष महोदय, क्या चार्ज्ड के संबंध में वोटिंग नहीं होता। इसमें नागरिक आपूर्ति जो चार्ज्ड है....

श्री अध्यक्ष। वह तो आप अलग से बतावें कि इसमें चार्ज्ड नहीं हैं, वोटेड है। इस तरह की मांग तो अलग से बतावें वरना जैसा मान लिया गया है, चार्ज्ड एण्ड वोटेड। वोटेड हो तो वोट होते हैं, सीधी सी बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत: इसमें कहीं नहीं है, डिमाण्ड में कहीं नहीं है। हमें सूचना दी है इसमें दोनों ही हैं।

श्री अध्यक्ष: अभी तो एप्रोप्रियेशन बिल पास करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत: मांग होने के बाद, और मांग में दोनों हैं। चार्ज्ड एंड वोटेड।

श्री अध्यक्ष : इसमें गलती है । यदि संवैधानिक आपत्ति हो तो आप एप्रोप्रियेशन बिल पारित होने के समय रखें ।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें वोटेड नहीं है । चार्ज्ड में दो हजार रूपए हैं । वोटेड का कालम खाली है । वोटेड के कालम में डाट डाट है....

श्री चन्दनमल बैद : यह फाइनेन्स का मामला है । थोड़ा मुश्किल है । यह आपकी समझ के बाहर है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं इसमें चार्ज्ड है, वोटेड नहीं है । मैं कहता हूं इसमें वोटेड है ।

श्री अध्यक्ष : जिस पर वोट होना चाहिए उस पर वोट नहीं करायेंगे तो जब एप्रोप्रियेशन बिल आए तब आप बोल लें कि यह वोट नहीं हुआ है इसलिए इसको पास नहीं करा सकते । एप्रोप्रियेशन बिल इसीलिए तो होता है....

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1984

मंत्री महोदय ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लेने का प्रस्ताव ।

विधेयक पर विचार

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री, सदन के नेता ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं । सदन में विरोधी पक्ष के नेता, जब बजट पर अपना भाषण दे रहे थे, दो-तीन बातें मेरे सम्बन्ध में कही थीं । मैं समझता हूं कि मुझे इनका उत्तर, स्पष्टीकरण देना चाहिए

उन्होंने एक यह बात कही कि महिला आश्रम, भीलवाड़ा, जिसकी कार्यकारणी

(श्री शिवचरण माथुर)

समिति का मैं सदस्य हूं, की जमीन वक्फ बोर्ड को बेच दी गयी, गलत ढंग से बेच दी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर पिछले सत्र में और इस सत्र में भी कई बार अलग अलग ढंग से प्रश्न उठाए गए हैं। बाद में सभी तथ्यों को सामने रख कर इसका उत्तर भी दिया गया। बार बार यह प्रश्न आता रहा चूंकि इसका सम्बन्ध मेरे से है, इस मामले का सम्बन्ध मेरे से है। मैं इस संस्था के साथ 1944 से जुड़ा हुआ हूं तब से इस संस्था का सदस्य हूं। इस सदस्यता से मैं इन्कार नहीं करता हूं। मैं समझता हूं, इस सदस्यता का मुझे गौरव है। लेकिन जो बातें यहां पर कही गयीं उनका जवाब देने के बावजूद भी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य द्वारा बार बार यह उठाया जाता है, इसलिए मैं समझता हूं कि सार्वजनिक दृष्टि से, मेरे बारे में कोई स्पष्टीकरण होना चाहिए, मैं स्पष्टीकरण दूं तो किसी को सन्तोष होगा नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैंने निर्णय किया है कि राजस्व बोर्ड के एक मेम्बर को इसके लिए मुकर्रर कर दूं। वह सारे फैक्ट्स को देख लें, आपके पास जो फैक्ट्स हैं, वह दे दीजिए, वक्फ बोर्ड के बारे में जो बात कही गयी हैं वह फैक्ट्स भी सामने आ जायं। सरकार को जो वह सलाह देगा उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह कही गयी कि मैं मध्य प्रदेश में जनमा, मेरा राजस्थान से प्रेम नहीं है और मैं क्या राजस्थान का हित कर सकता हूं।

(व्यवधान)

सुनिए ....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय भी मध्य प्रदेश के नागरिक रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी 58 साल की जिन्दगी में से 54 साल राजस्थान में निकले हैं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाहर पैदा हुए हैं। ....

श्री शिवचरण माथुर : पैदा अगर आप कहीं बाहर हो जाते ....

(व्यवधान)

आपने तो मध्य प्रदेश की नागरिकता स्वीकार की है। भोपाल में आपने अपना नाम लिखवाया है। वहां से राज्य सभा के मैम्बर बन कर गए हैं। इसलिए यह कहना कहां तक ठीक लगता है, यह तो आप सोचें। मुझे राजस्थान से, राजस्थान की धरती से उतना ही प्रेम है जितना कि आपको है।

तीसरी बात यहां पर मेरी घोषणाओं के सम्बन्ध में कही गयी है। यह कहा गया कि मैं बहुत घोषणाएं करता हूं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पर्सनल आरोप नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस अभी चल रही है। इसका स्कोप बहुत वाइड है।

श्री शिवचरण माथुर : वैसे तो आपने बातें बहुत सी कहीं उसका जवाब देना चाहता था। आगे समय आयेगा, हाउस चलेगा ही, यह जो आपने आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों का उचित समय पर उत्तर दूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं

(व्यवधान)

मुश्किल नहीं है। बहुत आसानहै।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बात यह कही गयी, मैंने यह घोषणा की थी 27 जिलों में हर जिले में 60 मेघावाट के पावर स्टेशन लगाये जायेंगे। यह घोषणा मैंने कभी नहीं की। मैंने यह कहा था कि पावर की डिफिकल्टी रहती है इसलिये जहां पर इण्डस्ट्रियल ग्रोथ काफी हो चुकी है, इसमें से हम ने कुछ जिलों को आइडेन्टिफाई किया है। जोधपुर को आइडेन्टिफाई किया है, अलवर को आइडेन्टिफाई किया है, जयपुर को आइडेन्टिफाई किया है, भीलवाड़ा को आइडेन्टिफाई किया है। वहां पर इन्डिपेन्डेंटली हम 60 मेगावाट के पावर स्टेशन लगाने के बारे में सोचेंगे। इसमें कोई प्राइवेट सैक्टर आता है, जोइन्ट सैक्टर आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। यह बात मैंने कही है। 27 जिलों की बात मैंने कभी नहीं की। मैं समझता हूं कि यह संभव भी नहीं हो सकता है। 60 मेगावाट के पावर स्टेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है। बड़े पावर स्टेशन लगाने का सवाल है। वह लगाने की बात आज की जा रही है। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने कहा रेवेन्यू बोर्ड का मैम्बर इसकी जांच करेगा। रेवेन्यू बोर्ड का मैम्बर इनका मातहत है। वास्तव में इसका स्पष्टीकरण कराना चाहते हैं तो हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी कराइये।

श्री शिवचरण माथुर : जरूरत नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : पक्ष और विपक्ष के विधायकों की एक कमेटी बना करके जांच करवायी जाये।....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री ने बात कह दी। उस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मगर जमीन बिकी है आदिवासी छात्रावास, महिला आश्रम भीलवाड़ा द्वारा संचालित है। इस प्रश्न को 3 साल हो गये। कभी भी सही जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण दिया है उसका दुबारा स्पष्टीकरण नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ : मुख्य मंत्री स्पष्टीकरण के लिये तैयर हैं तो जांच के लिये सदन की कमेटी की जाये।....

श्री अध्यक्ष : जांच कराने की घोषणा कर दी, माननीय सदस्य।

एप्रोप्रियेशन बिल पर चर्चा होगी।

श्री मेघराज तावड़ : मुख्य मंत्री खुद ही जिम्मेदार हैं इस जमीन की बिक्री के लिये।....

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन बिल पर कोइ बोलना चाहते हैं ? विपक्ष के नेता

(श्री अध्यक्ष)

महोदय । अब बोलने के लिये माननीय सदस्यों को निवेदन कर रहा हूं जिनकी तैयारी हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल के लिये रख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : कल एक और एप्रोप्रियेशन बिल है ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : दोनों पर एक साथ बोल लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पास करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : तो सदन की कार्यवाही स्थगित करें ।

पहले यह तय किया गया था कि दो एप्रोप्रियेशन बिल हों तो दोनों पर चर्चा एक साथ हो जाये । दोनों एप्रोप्रियेशन बिल को साथ लेकर चर्चा हो जायेगी, यह तय किया गया है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : हमें कोई कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही म. प. 5.19 बजे मंगलवार दिनांक 27 मार्च, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 301 की सूची)

विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत काटे गये
कूपों की सूची

विभागीय कार्य मण्डल, बांसवाड़ा

प्रादेशिक रेंज का नाम	कूप एवं ब्लाक का नाम	कार्य का वर्ष	किस्म कार्य
1	2	3	4
पानरवा	कूप आसावाडा-3	1972-73	बांस
,,	कूप आसावाडा-2	,,	,,
,,	,, आडाहल्दू-3	,,	,,
खैरवाड़ा	कूप डैया क. नं. 1	,,	,,
,,	,, कोलदरा-2	,,	,,
,,	,, कांभरी 9	,,	,,
पानरवा	कूप अमरिया 5 ए	73-74	लकड़ी कोयला
खैरवाड़ा	कूप अम्बासा-1	,,	,,
पानरवा	,, आडा हल्दू क. नं. 4	,,	,,
,,	,, उमरिया 5 ए	,,	बांस
,,	,, पाडा खादरा 1	,,	,,
खैरवाड़ा	कूप अम्बासा क. नं. 4	74-75	लकड़ी कोयला
पानरवा	,, उमरिया-6	,,	,,
,,	,, उमरिया-4 बी	,,	बांस
,,	,, उमरिया बक्सा 1	,,	,,
,,	,, उमरिया बक्सा 6	,,	,,
,,	,, फलवाडी क. नं. 1	,,	,,
,,	,, मामेर-1	,,	,,
,,	,, उमरिया 5 बी	,,	,,

1	2	3	4
खैरवाड़ा	कूप अम्बासा-3	74-75	,,
,,	,, अम्बासा-2	,,	,,
पानरवा	,, उमरिया क. नं. 5	75-76	लकड़ी कोयला
,,	मामेर 26	,,	,,
खैरवाड़ा	डैया-1	,,	बांस
,,	डैया-6	,,	,,
पानरवा	आडा हल्दू 5	,,	,,
खैरवाड़ा	अम्बासा 1	,,	,,
,,	अम्बासा 13	,,	,,
,,	अम्बासा 4	,,	,,
खैरवाड़ा	कूप अंबासा-19	76-77	लकडी कोयला
पानरवा	,, उमरिया-13	,,	,,
,,	,, मामेर-21	,,	,,
,,	,, आडा हल्दू-6	,,	बांस
,,	,, आसावाडा-2	,,	,,
,,	,, ,, -3	,,	,,
,,	,, उमरिया क. नं.-4	,,	,,
खैरवाड़ा	,, डैया-3	,,	,,
पानरवा	,, उमरिया-14	77-78	लकड़ी कोयला
,,	,, हरवा 1 से 40	,,	बांस
,,	,, आसावाडा-1	,,	,,
,,	,, देवली 1 से 7	,,	,,
खैरवाड़ा	,, अम्बासा 7	,,	,,
पानरवा	,, कूप उमरिया 14	78-79	लकड़ी कोयला
,,	,, आसावाडा 12, 14, 15	,,	,,
खैरवाड़ा	,, डैया-22	,,	,,
पानरवा	,, आडा हल्दू घरावन	,,	बांस
,,	,, आडा हल्दू 4 बी	,,	,,
,,	,, उमरिया 6	,,	,,
,,	,, हरवा 1 से 10	,,	,,
खैरवाड़ा	,, अम्बासा 3	,,	,,
,,	,, अम्बासा 7	,,	,,

1	2	3	4
पानरवा	कूप उमरिया 5	,,	बांस
,,	,, उमरिया 4 बी	,,	,,
,,	,, मामेर 1	,,	,,
,,	,, आसावाडा 1	,,	,,
,,	,, उमरिया 4	,,	,,
,,	,, देवली	,,	,,
पानरवा	,, आसावाडा 12, 14, 15	79–80	लकड़ी कोयला
,,	,, आसावाडा 10	,,	,,
खैरवाडा	,, डैया 21 ऐ	,,	कोयला
पानरवा	,, आडा हल्दू घरावन	,,	बांस
,,	,, फुलवारी	,,	,,
,,	,, मामेर 1 से 16	,,	,,
खैरवाडा	,, अम्बासा	,,	,,
पानरवा	,, आसावाडा 8	80–81	लकड़ी कोयला
खैरवाडा	,, डैया 21 बी	,,	कोयला
पानरवा	,, उमरिया 1 से 12,15,16, 18 से 22 व 27	,,	बांस
,,	,, देवली 1 से 15 व 17	,,	,,
खैरवाडा	,, डैया 19 बी	81–82	कोयला
पानरवा	,, आसावाडा 6	,,	लकड़ी कोयला
,,	,, मामेर 3	,,	,,
,,	,, उमरिया 1 से 12, 15 से 16, 18 से 22 व 27	,,	बांस
पानरवा	,, कूप देवली 1 से 15 व 17	81–82	बांस
,,	,, कूप आसावाडा 1 से 27	,,	,,
,,	,, कूप आडा हल्दू 3,6,7,10, ,, 13,15 से 22	,,	,,
खैरवाडा	,, कूप डैया–16	82–83	कोयला
,,	,, कूप अम्बासा 6,7,9 से 12, 13 ए, 15,17 से 33	,,	बांस
पानरवा	,, कूप आडा हल्दू 2,4,5,8,9, 11, 12 व 14	,,	,,
,,	,, कूप घरावन 3 से 7	,,	,,

1		2	3	4
खेरवाड़ा	,,	अम्बासा 12 बी	83-84	लकड़ी कोयला
,,	,,	अम्बासा 24	,,	,,
,,	,,	अम्बासा 1 से 5,8,13 बी, 14 एवं 16	,,	बांस
पानरवा		मामेर 1 से 26	,,	बांस

विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर

क्र. सं	वर्ष	नाम प्रादेशिक रेंज	नाम ब्लाक व कूप	कार्य का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	72-73	कोटडा	सुवरासुबरी 3	बांस कटाई
2.	73-74	झाडोल	ओगणा 2	लकड़ी कोयला
3.	73-74	कोटडा	सुबरा सुबरी	कत्था
4.	74-75	,,	सुबरा सुबरी 3	लकड़ी कोयला
5.	,,	,,	सुबरा सुबरी 1 कं. नं. 1 से 7, 13, 17, 18	बांस
6.	,,	,,	सुबरा सुबरी 2 कं. नं. 8 से 12,14 से 16,26 व 58	बांस
7.	,,	कुम्भलगढ़	कुम्भलगढ-3	बांस
8.	,,	,,	कुम्भलगढ-5	बांस
9.	,,	,,	कोटडा ढाणा-6	बांस
10.	,,	,,	कुम्भलगढ-2	बांस
11.	75-76	कोटडा	सुबरा सुबरी-4	लकड़ी कोयला
12.	,,	झाडोल	ओगणा कं. नं. 1	लकड़ी कोयला
13.	,,	,,	ओगणा 8 कं. नं. 3,4,5 ए	बांस
14.	76-77	गोगुन्दा	नालमोखी-8	लकड़ी कोयला
15.	,,	कोटडा	सुबरा सुबरी-5	,,
16.	,,	,,	सुवरा सुबरी	जलाऊ लकड़ी व सालर
17.	77-78	गोगुन्दा	नालमोखी-7	लकड़ी कोयला
18.	,,	कोटडा	सुबरा सुबरी	सालर
19.	78-79	कोटडा	सुबरा सुबरी	जलाऊ लकड़ी

1	2	3	4	5
20.	78-79	गोगुन्दा	नालमोखी 14	लकड़ी कोयला।
21.	,,	झाडोल	सलार व सरकी घाटी	जलाऊ लकड़ी
22.	79–80	,,	ओगणा 1 से 6	बांस
23.	,,	,,	सलार व सरकी घाटी	जलाऊ लकड़ी
24.	80–81	कोटडा	सुबरा सुबरी	जलाऊ लकड़ी
25.	,,	पानरवा	ओडा उपरेटा	,,
26.	81–82	,,	ओडा उपरेटा	,,
27.	,,	कोटडा	सुबरा सुबरी	,,
28.	82–83	,,	सुबरा सुबरी	,,
29.	,,	झाडोल	ओगणा	,,

नोट:––जलाऊ लकड़ी का मतलब सूखी-गिरी पड़ी लकड़ी का एकत्रीकरण हैं।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 303 की सूची)

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद
1.	डा. डी. एन. सिंह	प्रबन्ध
2.	,, हमीरसिंह चौहान	परियोजना अधिकारी (प्रशिक्षण)
3.	,, आर. एस. राठौड़	परियोजना अधिकारी (स. आ.)
4.	,, आर. एस. गोस्वामी	परियोजना अधिकारी (कृ. सं.)
5.	,, जे. एस. सैन	परियोजना अधिकारी (कृ. सं.) लूण
6.	डा. जे. पी. एस. चौहान	सहायक परियोजना अधिकारी
7.	,, डी. के. पाण्डे	,,
8.	,, आर. एस. मोदी	,,
9.	,, बलदेव सारस्वत	,,
10.	,, रामगोपाल संतिया	,,
11.	,, विनोद कुमार शर्मा	,,
12.	,, मोहम्मद इकबाल	,,
13.	,, सुश्री तुलता कंवर सोढ़ी	,,
14.	,, आर. के. शर्मा	,,
15.	,, एस. पी. माथुर	,,
16.	,, एम. एस. राठौड़	,,
17.	,, एस. एस. वर्मा	,,
18.	,, फखरुद्दीन	,,
19.	,, योगेन्द्र कुमार शर्मा	,,
20.	,, धर्मवीर	,,
21.	,, हरीशचन्द्र बोहरा	,,
22.	,, अनिल कुमार पुरोहित	,,
23.	,, मयंक रावत	,,
24.	,, गोपाल मोहन गुप्ता	सांख्यिकी अधिकारी
25.	,, डी. के. गुप्ता	लेखाधिकारी
26.	,, गोपीकृष्ण गहलोत	सहायक लेखाधिकारी
27.	,, जी. आर. बुडानिया	सहायक कार्मिक अधिकारी
28.	,, भंवरसिंह सारण	कनिष्ठ अभियन्ता

164

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर में कार्यरत कर्मचारियों की सूची "ब"

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3
1.	श्री स्वल्प तनखा	चारा सहायक
2.	,, संतोष कुमार सिंह	,,
3.	,, मनोहरसिंह चंपावत	,,
4.	,, कृष्ण कुमार कुल्हरी	,,
5.	,, महेश कुमार जोशी	लेखाकार
6.	,, जयकुमार शर्मा	,,
7.	,, रामगोपाल पुरोहित	,,
8.	,, नवरतन शर्मा	वरिष्ठ लिपिक
9.	,, रवीन्द्र कुमार सोनी	,,
10.	,, के. सी. दम्माणी	,,
11.	,, भंवरलाल देरासरी	,,
12.	,, एच. के. सोनी	,,
13.	,, मानसिंह यादव	,,
14.	,, रामसिंह	वृहद संचार सहायक
15.	,, गोपालदास शर्मा	,,
16.	,, रूपसिंह	प्लान्ट आपरेटर
17.	,, रामबीरसिंह	,,
18.	,, रणवीरसिंह	डेयरी सुपरवाइजर
19.	,, महेशचन्द	,,
20.	,, गजराजसिंह	संगणक
21.	,, भानु प्रकाश	ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
22.	,, गोपीराम	,,
23.	,, सवाईसिंह	,,
24.	,, बनवारीलाल गुप्ता	,,
25.	,, मुखराम स्वामी	,,
26.	,, जालूराम	,,
27.	,, विरेन्द्रसिंह	,,
28.	,, हिम्मतसिंह	,,

1	2	3
29.	श्री गुमानसिंह	ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
30.	श्री कंवरलाल टाक	"
31.	श्री परमेश्वरलाल	"
32.	श्री गयाप्रसाद	"
33.	श्री भीकमसिंह	"
34.	श्री सुगनाराम	"
35.	श्री बाबूलाल	"
36.	श्री बाबूसिंह	"
37.	श्री मूलाराम	"
38.	श्री वीरपालसिंह	"
39.	श्री अशोक कुमार	"
40.	श्री गजेन्द्रसिंह	"
41.	श्री चन्द्रभान पाण्डे	"
42.	श्री सहीराम	"
43.	श्री दाऊदयाल गुप्ता	"
44.	श्री अशोक कुमार सिंह	"
45.	श्री प्रकाश चन्द पारीक	"
46.	श्री उम्मेदसिंह	"
47.	श्री अशोक श्रीवास्तव	"
48.	श्री रामप्रताप सिद्ध	"
49.	श्री सुरेश प्रतापसिंह	"
50.	श्री सुरजाराम	"
51.	श्री पूर्णाराम	"
52.	श्री रोहिताश्व यादव	"
53.	श्री लालाराम जानी	"
54.	श्री सोहनसिंह	"
55.	श्री बाबूलाल राव	"
56.	श्री बाबूलाल विश्नोई	"

1	2	3
57.	श्री सुल्तानसिंह	ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
58.	श्री भंवरसिंह राजपुरोहित	,,
59.	,, गोरधनदास किराडू	प्रयोगशाला सहायक
60.	,, विजयसिंह	प्रोजेक्टर आपरेटर
61.	,, हनुमाननाथ	वाहन चालक
62.	,, भवानीसिंह	,,
63.	,, अमरसिंह	,,
64.	,, कुलदीपसिंह	,,
65.	,, शम्भूराम जाट	कनिष्ठ लिपिक
66.	,, के. के. पाण्डे	,,
67.	,, प्रदीप कुमार	,,
68.	श्रीमती कुसुमलता	,,
69.	श्री भीष्मपाल खुराना	,,
70.	,, बृजमोहन दवे	,,
71.	,, मोहम्मद रफीक उस्ता	,,
72.	,, श्रीकृष्ण शर्मा	,,
73.	,, नेमी चन्द खत्री	,,
74.	,, शंकरसिंह बीका	,,
75.	,, रामेश्वरलाल पुगिया	,,
76.	,, रमेशचन्द्र	,,
77.	,, रंजन शर्मा	,,
78.	,, ए. एन. सिंह	,,
79.	,, अशोक व्यास	,,
80.	,, लालसिंह राजवी	,,
81.	,, हरनाथसिंह	,,
82.	,, मुकेश कुमार कोड़ा	,,
83.	,, राजेन्द्र कुमार खत्री	,,
84.	,, दरबसिंह	,,
85.	,, रामनिवास दुबे	,,
86.	श्री श्यामसुन्दर चौहान	पशुधन पर्यवेक्षक

1	2	3
87.	,, मधुसूदनसिंह	पशुधन पर्यवेक्षक
88.	,, महेश कुमार	,,
89.	,, अरविन्द चाहर	,,
90.	,, राजेन्द्र कुमार वर्मा	,,
91.	,, अशोक शर्मा	,,
92.	,, नन्द किशोर शर्मा	,,
93.	,, मोहम्मद रफीक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
94.	,, भंवरसिह राजपुरोहित	,,
95.	,, गोपालसिंह	,,
96.	,, भंवरशाह	,,
97.	,, भंवरसिह पंवार	,,
98.	,, हिम्मतसिंह	,,
99.	,, महावीर प्रसाद	,,
100.	,, रामकरणसिंह	,,
101.	,, सम्पत पंवार	,,
102.	,, चन्द्रविजयसिह	कनिष्ठ लिपिक
103.	,, कृपालसिंह	,,

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद
1.	सुश्री पूर्णिमा भाटिया	सहायक परियोजना अधिकारी
2.	श्री घीसालाल	पशु धन पर्यवेक्षक
3.	,, गैनाराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
4.	,, मुल्तान चन्द	,,
5.	,, प्रहलादराम	,,
6.	,, भंवरलाल	,,
7.	,, कैलाश चन्द्र	,,
8.	,, नारायणराम बलाई	ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
9.	,, बलवन्तराम चमार	,,

1	2	3
10.	श्री रामकरण मीणा	ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
11.	,, अर्जुनलाल मीणा	,,
12.	,, लक्ष्मी चन्द्र डांगी	,,

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर के अधिकारियों की सूची "अ" वर्ष 1982 के अन्त में

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद
1.	श्री. डी. एन. सिंह	प्रबन्धक
2.	,, एन. डी. किराडू	परियोजना अधिकारी (त. ग्रा.)
3.	,, हमीरसिंह चौहान	परियोजना अधिकारी (कृ. सं.)
4.	श्री जे. एस. रीन	परियोजना अधिकारी (,,)
5.	डा. जे. पी. एल. चौहान	सहायक परियोजना अधिकारी
6.	,, देवीसिंह राजपुरोहित	,,
7.	,, डी. पी. सिंह	,,
8.	,, डी. के. पाण्डे	,,
9.	,, आर. एस. मोदी	,,
10.	श्री भीमसिंह	,,
11.	डा. बलदेव सारस्वत	,,
12.	,, रामगोपाल सतिया	,,
13.	,, विनोदकुमार शर्मा	,,
14.	,, विनोदकुमार मखड़	,,
15.	श्री सुखपालसिंह	,,
16.	डा. एस. पी. माथुर	,,
17.	,, मोहम्मद इकबाल	,,
18.	सुश्री तुलसी कंवर सोढ़ा	,,
19.	,, नरेन्द्रसिंह भाला	,,
20.	,, आर. के. शर्मा	,,
21.	,, एम. एस. राठौड़	,,
22.	,, एस. एस. वर्मा	,,
23.	श्री जी. एम. गुप्ता	सांख्यिक

(169)

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर के कर्मचारियों
की सूची "ब" वर्ष 1982 के अन्त में

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3
1.	श्री स्वरुप तनखा	चारा सहायक
2.	,, संतोषकुमारसिंह	,,
3.	,, मनोहरसिंह चम्पावत	,,
4.	,, कृष्णकुमार कुल्हरी	,,
5.	,, गोपीकृष्ण	लेखाकार
6.	,, महेशकुमार जोशी	,,
7.	,, जयकुमार शर्मा	,,
8.	,, नवरतन शर्मा	,,
9.	,, रामसिंह	एम. सी. ए.
10.	,, गोपालराम बुडानिया	सहायक कार्मिक अधिकारी
11.	,, रूपसिंह भाटी	प्लान्ट आपरेटर
12.	,, रामवीर सिंह	,,
13.	,, रणवीरसिंह	डेयरी सुपरवाइजर
14.	,, पुखराज चौधरी	,,
15.	,, गजराज सिंह	संगणक
16.	,, भानु प्रकाश	ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
17.	,, गोपीराम	,,
18.	,, सवाईसिंह	,,
19.	,, बनवारीलाल	,,
20.	,, मुखराम स्वामी	,,
21.	,, महेश चन्द	,,
22.	,, जालूराम	,,
23.	,, विरेन्द्रसिंह	,,
24.	,, हिम्मतसिंह	,,
25.	,, शैतानसिंह	,,
26.	,, गुमानसिंह	,,
27.	,, कंवरलाल टाक	,,

(170)

1	2	3
28.	श्री परमेश्वरलाल	ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
29.	,, सहीराम विश्नोई	,,
30.	,, गयाप्रसाद	,,
31.	,, भीखमसिंह	,,
32.	,, सुगनाराम	,,
33.	,, बाबूलाल	,,
34.	,, बाबूसिंह	,,
35.	,, मूलाराम	,,
36.	,, गोरधनदास किराडू	प्रयोगशाला सहायक
37.	,, विजयसिंह	प्रोजेक्टर आपरेटर
38.	हनुमाननाथ	वाहन चालक
39.	,, भवानीसिंह	,,
40.	,, अमरसिंह	,,
41.	,, के. सी. दम्माणी	कनिष्ठ लिपिक
42.	,, बी. एल. देरासरी	,,
43.	,, आर. के सोनी	,,
44.	,, शम्भूराम जाट	,,
45.	,, के. के. पाण्डे	,,
46.	,, मानसिंह	,,
47.	,, एच. के. सोनी	,,
48.	,, कृपालसिंह	,,
49.	श्रीमती कुसुमलता	,,
50.	श्री प्रदीपकुमार शर्मा	,,
51.	,, भीष्मपाल खुराना	,,
52.	,, बृजमोहन दवे	,,
53.	मोहम्मद रफीक उस्ता	,,
54.	,, श्री कृष्ण शर्मा	,,
55.	,, नेमीचन्द खत्री	,,
56.	,, शंकरसिंह बीका	,,
57.	,, रामेश्वरलाल पूणीया	,,
58.	,, रमेशचन्द शर्मा	,,
59.	,, श्यामसुन्दर चौहान	पशुधन पर्यवेक्षक

1	2	3
60.	श्री मधुसूदनसिंह	पशुधन पर्यवेक्षक
61.	,, महेशकुमार	,,
62.	,, अरविन्द याहर	,,
63.	,, राजेन्द्र कुमार शर्मा	,,
64.	,, अशोककुमार शर्मा	,,
65.	,, नन्दकिशोर शर्मा	,,
66.	,, मोहम्मद रफीक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
67.	,, भंवरसिंह राजपुरोहित	,,
68.	,, गोपालसिंह	,,
69.	,, भंवरशाह	,,
70.	भंवरसिंह पंवार	,,
71.	,, हिम्मतसिंह	,,
72.	,, महावीर प्रसाद	,,
73.	,, चन्द्रविजय सिंह	कनिष्ठ लिपिक
74.	,, रामकरणसिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
75.	,, सम्पत पंवार	,,

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों सूची "स" वर्ष 1982 के अन्त में

क. सं.	नाम	पद
1	2	3
1.	सुश्री पूर्णिमा भाटिया	सहायक परियोजना अधिकारी
2.	श्री उदाराम नायक	पम्प चालक
3.	,, घीसालाल	पशुधन पर्यवेक्षक
4.	,, गैनाराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
5.	,, प्रहलादराम	,,
6.	,, भंवरलाल	,,
7.	,, मुल्तान चंद	,,
8.	,, त्रिलोक चन्द	,,
9.	,, कैलाश चन्द्र	,,

(172)

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0. बीकानेर द्वारा दिनांक 12-5-1983 को चयनित ग्राम प्रसार कार्यकर्ताओं की सूची 'द'

क्र. सं.	नाम
1.	श्री वीरपालसिंह
2.	,, अशोक कुमार
3.	,, गजेन्द्रसिंह
4.	,, चन्द्रभान पाण्डे
5.	,, दाऊदयाल गुप्ता
6.	,, अशोक कुमार सिंह
7.	,, प्रकाश चन्द्र पारीक
8.	,, उम्मेदसिंह
9.	,, अशोक श्रीवास्तव
10.	,, रामप्रताप सिद्ध
11.	,, सुरेश प्रतापसिंह
12.	,, सुरजाराम
13.	,, पूर्णाराम
14.	,, रोहिताश्व यादव
15.	,, लालाराम जानी
16.	,, सोहनसिंह
17.	,, बाबूलाल राव
18.	,, बाबूलाल विश्नोई
19.	,, सुल्तानसिंह
20.	,, भंवरसिंह राजपुरोहित

(173)

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 304 की सूची)

(प्रपत्र क.)

वर्तमान में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम
1.	लाम्बिया से रास सड़क का निर्माण कार्य
2,	सोजत पाली खारची मैसाना नाना की बेरी से मारवाड़ जंक्शन सड़क का कार्य कि.मी. 0/0 से 10/0 (खारिया तक)
3.	स्ट्रेन्थनिंग का कार्य बर–पाली-सिरोही सड़क कि. मी. 80/0 से 165/0
4.	(अ) स्ट्रेन्थनिंग का कार्य बर–विलाड़ा–जोधपुर सड़क कि. मी- 89/0 से 139/0
	(ब) वाइडनिंग व स्ट्रेन्थनिंग का कार्य ब्यावर–विलाड़ा–जोधपुर सड़क कि- मी. 116/0 से 127/0 (0 जोधपुर पर)
5.	ब्यावर–पाली सड़क से सम्पर्क सड़क कुशालपुरा।
6.	रूपवास से रेहरावास सड़क।
7.	गुडिया से सबपुरा सम्पर्क सड़क।

(प्रपत्र 'ख')

पाली जिले के जैतारण, सोजत, रायपुर, पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	लाम्बिया से रास कि. मी. 0/0 से 17/0	25.00
2.	सोजत पाली खारची मैसाना नागा की वेरी से मारवाड़ जंक्शन कार्य कि. मी. 0/0 से 10/0 (खारिया तक)	14.70

1	2	3
3.	स्ट्रेन्थनिंग का कार्य वर-पाली—शिरोही सड़क कि.मी. 80/0 से 165/0	70.00
4.	ब्यावर—पाली सड़क से सम्पर्क सड़क कुशालपुरा	12-00
5.	वाइडनिंग व स्ट्रेन्थनिंग का कार्य ब्यावर- विलाड़ा—जोधपुर सड़क कि. मी. 116/0 से 127/0 (0 कि. मी. जोधपुर से)	37.39

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न संख्या 308 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ

बीसलपुर सिंचाई एवं पेयजल योजना के मुख्य-मुख्य आंकड़े :—

1. (ए) कुल जल ग्रहण क्षेत्र	26677 वर्ग कि. मी.
(बी) स्वतन्त्र जल ग्रहण क्षेत्र	16693 वर्ग कि.मी.
2. बांध की कुल जल क्षमता	703 मिलियन घन मीटर
3- बांध की उपयोगी जल क्षमता	618 ,, ,, ,,
4. मृत सचय	85 ,, ,, ,,
5. जल की वार्षिक उपयोगिता	
(अ) सिंचाई के लिए	425 ,, ,, ,,
(ब) पेयजल व्यवस्था हेतु	240 ,, ,, ,,
योग:—	665 मिलियन घन मीटर
6. वार्षिक अनुमानित सिंचाई	60000 हैक्टेयर
7. वार्षिक पेड़ा काश्त	2100 ,,
8. कुल अनुमानित लागत	91.60 करोड़ रुपए
(अ) लागत में सिंचाई सैक्टर का हिस्सा	70.38 ,, ,,
(ब) लागत में पेयजल सैक्टर का हिस्सा	21.22 ,, ,,
9. लाभ-लागत अनुपात	1.76:1

10. अनुमानित सिंचाई से लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या :—

(अ) जिला टोंक की देवली, अलीगढ़ एवं टोंक तहसीलें	331
(ब) बूंदी जिले की नैनवां तहसील	11
(स) सवाई माधोपुर जिले की तहसील सवाई माधोपुर	181
योग :—	523

11. डूब में आने वाली भूमि 16080 हैक्टेयर

12. डूब में आने वाले गांवों की संख्या :—

देवली तहसील जिला टोंक	19
टोडारायसिंह तहसील जिला टोंक	4
केकड़ी तहसील जिला अजमेर	2
योग:—	25

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या 309 का विवरण)

—: सूची :—

क. सं.	नाम नगरपालिका	सामान्य अनुदान			विशेष अनुदान		
		1980-81	1981-82	1982-83	1980-81	1981-82	1982-83
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	भवानी मण्डी	55,180.00	55,180.00	84,640.00	20,000.00	–	15,000.00
2.	सुनैल	39,945.00	39,945.00	48,795.00	–	20,000.00	20,000.00

नोट:—दोनों नगर पालिकाओं में समस्त सामान्य अनुदान की राशि कर्मचारियों के वेतन के पेटे खर्च की गई तथा विशेष अनुदान की सम्पूर्ण राशि विकास कार्यों पर खर्च कर दी गई है एवं अब कोई राशि शेष नहीं है।

परिशिष्ट-6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके, तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

होम्योपैथिक वार्षिक परीक्षा 1982-83

311. **श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :**

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 की होम्योपैथिक वार्षिक परीक्षा में होम्योपैथिक कालेज अलवर के एक छात्र को परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व प्रवेश न होते हुए भी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई ? यदि हां, तो किस छात्र को अनुमति कब दी गई ? कृपया अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा किन नियमों के अन्तर्गत ऐसी अनुमति दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 की वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के प्रथम दिन रात्रि को 12 बजे कार्यालय खुलवाया गया ? यदि हां, तो किस लिए व उस दिन क्या कार्य किया ?

(3) क्या यह सही है कि परीक्षा आरम्भ से 1 दिन पूर्व कुछ छात्रों का एनरोलमेंट किया गया ? यदि हां, तो किस-किस छात्र का व कौनसे कालेज का तथा किन नियमों के अन्तर्गत ? एनरोलमेंट कब तक किया जाना चाहिए था और इतना विलम्ब कैसे हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। छात्र सुरेन्द्र मोहन को यह अनुमति दिनांक 3 -5-83 को दी गई। यह अनुमति राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड डी. एच. एम. एस. रेगुलेशन 1978 के विनियम 4 (2) के अन्तर्गत, शक्तियों के प्रयोग में दी गई थी। अनुमति पत्र संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

अनुमति पत्र

RAJASTHAN BOARD OF HOMOEOPATHIC MEDICINE

S-15, C, Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur-302001.

Dr. K. G. Rajvanshy
Chairman

No. RBHM/EXM/2311

DATED : 31-5-83

Newal Ram
Secretary

Principal,
Yuvraj Pratap Singh Memorial Homoeo,
Medical College,
Alwar.

SUB : Late admission of Shri Surendra Mohan.

Sir,

With reference to correespondence resting with your letter No. 558 dated 25-5-83, I am directed to say that Mr. Surendra Mohan has furnished affidavit indicating the reasions for which he could not obtaine admission in time. His case has been considered on humanitarion grounds. Due to shortage of time final decision in the matter will be taken later on. In order to avoid loss of one year he is allowed to appear in the IIIrd year Annual Examination on provisional basis.

Student has deposited duble fee as follows :-

Rs. 62/- vide D.D. 463607

Rs. 40/- vide C.R. No. 5264.

His form of IIIrd year which has been received with letter under reference is returned for completion and return.

His admission card bearing Roll No. 147 is also enclosed.

Yours faithfully,

ENDL:-A.A. Sd/-

(KEWAL RAM)
REGISTRAR
RAJASTHAN BOARD OF HOMOEOPATHIC
MEDICINE, JAIPUR.

टी बी चिकित्सालय खोलना

312. **श्री पोरूराम** (टी बी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार टी बी विधान सभा क्षेत्र के गांव मिलवाला खुर्द व तलवाड़ा झील में पशु चिकित्सालय खोलने के लिए विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो कब तक चिकित्सालयों की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ग्रामीण सड़क निर्माण योजना

313. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या राज्य सरकार के समक्ष ग्रामीण बेरोजगार गारन्टी योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कृपया योजना का स्वरूप उद्देश्य एवं विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य के सभी जिलों की ग्रामीण सड़कें उक्त योजना में सम्मिलित की गई हैं ? यदि हां, तो जिला एवं तहसील गंगानगर में किन-किन गांवों को उक्त योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बनने वाली ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा या सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा ?

उत्तर

(1) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण

(राज्य मंत्री कृषि)

की परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है एवं इसके अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में एक करोड़ रुपये एवं वर्ष 1984-85 में 8.85 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये कृषि कार्य के अतिरिक्त समय में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना एवं उसमें सुधार लाना है ताकि प्रत्येक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को कम से कम वर्ष में 100 दिनों के लिये रोजगार की गारण्टी दी जा सके एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में त्वरित गति से सुधार लाने के लिये स्थायी सम्पत्ति का सृजन हो।

(2) इस योजना में राज्य के 26 जिलों में ग्रामीण सड़को के निर्माण की योजना है। जिला एवं तहसील गंगानगर के गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव इस अनुमोदित योजना में नहीं है।

(3) इस योजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली ग्रामीण संपर्क सड़कों के रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

बहरोड़ में कृषि उपज मण्डी प्रारम्भ करना

314. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बहरोड़ में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है?

(2) यदि हां, तो यह कब तक नियमित रूप से कार्य प्रारम्भ कर देगी?

(3) क्या सरकार इस मंडी में नामांकन करने का भी विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नियमित रूप से कार्य प्रारम्भ किये जाने में अभी कुछ समय लगेगा।

(3) जी हां।

मुख्य मंत्री की खाड़ी देशों की यात्रा का उद्देश्य

315. श्री जगन सिंह (बयाना)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य मंत्री जी द्वारा खाड़ी देशों की यात्रा किस उद्देश्य से की गई?

(2) उक्त यात्रा से उद्देश्य में कितनी सफलता मिली?

(3) उक्त यात्रा में मुख्य मंत्री के साथ-कौन-कौन लोग गये थे?

(श्री जगन सिंह)

(4) उक्त यात्रा पर कुल कितना व्यय हुआ।

(5) क्या सरकार को विदित है कि खाड़ी देशों में प्रदेश के कितने राजस्थानी प्रवासी रहते हैं?

उत्तर

(1) मुख्य मंत्रीजी की खाड़ी देशों की यात्रा का उद्देश्य राज्य में अरब तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन देना है।

(2) उक्त यात्रा में उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली।

(3) राजकीय शिष्ट मण्डल में मुख्य मंत्रीजी के अलावा सचिव, उद्योग विभाग एवं सचिव, मुख्य मंत्री थे।

(4) मुख्य मंत्री जी, सचिव, उद्योग एवं सचिव, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बनाये गए यात्रा भत्ता बिलों के आधार पर प्राप्त सूचनानुसार 54032.90 रुपये का व्यय वायुयान के किराये, इन्सीडेन्टल चार्जेज एवं दैनिक भत्ते आदि पर खर्च हुआ है। होटल अकोमोडेशन एवं स्थानीय यातायात के बिल सम्बन्धित भारतीय दूतावासों से आने शेष हैं।

(5) जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीनमाल में रिक्त पदों की पूर्ति

316. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल (अप-ग्रेड पी. एच. सी) में दो जूनियर स्पेशलिस्ट के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त हैं? उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे? निश्चित तारीख बताने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं। पद सृजित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। पद सृजित होते ही कनिष्ठ विशेषज्ञों की नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से कर दी जायेगी।

हारों तालाब (बांसवाड़ा) से सिंचाई सुविधा

317. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा की पंचायत कोवनिया के ग्राम अमूथन में हारो नामक तालाब का पानी वर्ष 1983-84 में सिंचाई के लिए उपलब्ध करा दिया गया?

(2) यदि हां, तो क्या यह तालाब वर्तमान में खाली है और इससे सिंचित किये गये खेतों को भी माही नहर से पानी नहीं मिल रहा है?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(3) क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है ? यदि हां तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जिला बांसवाड़ा पंचायत कुशलगढ़ के ग्राम अमरथुन में हारो नाम के तालाब का पानी वर्ष 1983-84 में सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं किया गया, क्योंकि ग्राम अमरथुन की भूमि हारों तालाब के कमाण्ड क्षेत्र में नहीं आती है।

(2) जी नहीं, हारो तालाब वर्तमान में खाली नहीं है इस तालाब में दिनांक 16-3-84 को 14-25 फीट पानी भरा हुआ है। हारो तालाब से सिंचित किये गये खेतों को माही का पानी इस तालाब से दिया जा रहा है।

(3) हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हारों तालाब से पानी सिंचाई हेतु खेतों को दिया जा रहा है, अतः जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा नीलाम किये गये भू-खण्डों की राशि

318. **श्री भंवर लाल शर्मा**(हवामहल) क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों द्वारा वर्ष 1982-83 में निलाम किये गये भू-खण्डों की तीन चौथाई राशि विलम्ब से जमा होने पर ब्याज व शास्ति प्रकारण वसूल नहीं करने से न्यास को रुपये 1,10 915/-की हानि हुई जिसका उल्लेख लोकल फण्ड आडिट के प्रतिवेदन में भी किया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध इन्डियन पेनल कोड के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो वह कार्यवाही कब तक की जावेगी ? राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट की धारा 93 (ग) के अनुसार उनसे कब तक उपरोक्त धनराशि की वसूली कर ली जायेगी ? कृपया सम्बन्धित अडिट पैरा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास जोधपुर के वर्ष 1982-83 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में निलाम किये गये भू-खण्डों की तीन चौथाई राशि विलम्ब से जमा होने पर न्यास कोष को 1 '0,915/-रुपये की हानि होना बताया है।

(2) अंकेक्षण रिपोर्ट के पश्चात् ही उचित कार्यवाही संभव हो सकेगी। सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट के पैरा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

आडिट रिपोर्ट के पैरा की प्रति

ड्राफ्ट पैरा (2) निलाम किये गये भूखण्डो को तीन चौथाई राशि विलम्बसे जमा होने पर ब्याज व शास्ती वसूल न करने से हानि रु. 1, 10, 915/-

राजस्थान नगर विकास न्याय (भूमि निष्पादन) नियम, 74 के नियम 14 को अनुसूची ए के ब्लाक एफ एवं अधिसूचना सं. 9183/यु. डी. एच/11/81 दिनांक 24-8-82 (राजस्थान राज पत्र दिनांक 25-8-82 में प्रकाशन को तिथि से प्रभावी) अनुसार निलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों की कीमत वसूली के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित है।

सफल बोली लगाने वाले से बोली के प्रतिग्रहण करने पर उसको बोली को रकम का 1/4 तत्काल जमा कराने की अपेक्षा की जायेगी तथा बोली अवशिष्ट 3/4 रकम उसके द्वारा बोली के प्रतिग्रहण से एक माह के भीतर जमा करायी जायेगी तथा अगले 30 दिन में जमा कराने की दशा में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज बोली की प्रतिग्रहण की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावित किया जायेगा।

परन्तु बोली की रकम का 3/4 ऊपर विहित कालावधि के भीतर जमा कराने में विफल रहने की दशा में बोली लगाने वाले के द्वारा जमा करायी गई बोली की 1/4 रकम समाग्रहित हो जायेगी और भूमि की नीलामी स्वतः रद्द हो जायेगी।

परन्तु अध्यक्ष भूमि की नीलामी के स्वतः रद्द करण को स्वतः रद्द करण को तारीख से दस माह की कालावधि के भीतर वापस लेकर नियमित कर सकेगा यदि सफल बोलीदाता नियमितिकरण की तारीख तक पूर्ण रकम तथा 15 प्रतिशत ब्याज की राशि और निम्न लिखित दर मे शास्ती रकम का संदाय करने को तैयार हो जाता हैं।

बोली की राशि	स्वतः रद्दकरण की तारीख के पश्चात
(क) 5000 रु. अनाधिक	250/- प्रति माह
(ख) 5000 रु. से अधिक तथा 10,000	500/- प्रति माह
(ग) 10, 000 रु. से अधिक बोली	1,000/- प्रति माह

नगर सुधार न्याय द्वारा बोली के प्रतिग्रहण की तारीख फ्रोम दी डेट आफ एक्सेप्टेड आफ बिड का तात्पर्य अध्यक्ष बार भूखण्ड को प्रतिग्रहण करने पर क्रेता को सूचना प्राप्त होने की तिथि से लिया गया हैं। जिससे ब्याज एवं शास्ती न्याय कोष को भारी हानि हुई हैं। भूखण्ड के आवंटन की प्रक्रिया में निर्देश है कि आवटी से भूमि की कीमत रकम जमा कराने की सुचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की कालावधि के भीतर वसूल की जावेगी। यदि आंवटिति उक्त रकम को अगले तीन दिवस के भीतर जमा करा सकेगा किन्तु आंवटिति की तारीख जिसको विफल रहने पर भूमि का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा, में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

अतः यदि राज्य सरकार की मशा भूखण्डों को नीलामी में भी आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जानी होती तो पृथक से निर्देश की आवश्यकता नहीं रखती अतः भूखण्डों की नीलामी का मामले कीमत वसूली की प्रक्रिया का भूखण्ड आॅवंटन से पृथक मानने के कारण ही पृथक से निर्देश व अधिसूचना प्रसारित की है। अतः न्याम द्वारा लिया गया निर्णय नियमों के अधीन न होने से त्रुटिपुर्ण है। अनुसूचि ए क्लोज (एफ) द्वारा यह अभिशंसा की गई प्रतीत होती है कि शेष तीन चौथाई मूल्य प्रतिग्रहण की तिथि से एक माह की कालावधि में निश्चित रूप से वसूल हो एवं सूचना आदि देने पर अनावश्यक समय नष्ट न हो। अतः न्यास का अभिगत उक्त प्रावधानों की मंशा एवं भावना से प्रतिकुल है।

प्रतिग्रहण की तिथि का सही तात्पर्य नहीं लेने से स्वतः रद्द करण की तिथि पश्चात् नियमितिकरण के निम्न मामलों में उनके समक्ष अंकित ब्याज एवं शास्ती की राशि वसूल नहीं करने से न्यास कोष को हानि हुई है :–

भूखण्ड संख्या	क्रेता का नाम प्रतिग्रहण की तिथि	भूखण्ड का विवरण	अवशेष राशि विवरण सहित	दूरी
1	2	3	4	5
	मानजी का हत्था योजना, जोधपुर			
(सिनेमा)	श्री मुकुन्द चन्द अरिहन्त थियेटर्स लवारा बाजार जोधपुर 21-11-82	4343·07 व. मी दर 100/- प्रति व. मी. का 10·/. रु. 4,34,741.21 पै.	3,26,041·21 29-1-83	2 माह 8 दिन
	मसूरियर सैक्टर 3, सैक्शन न. 4, शास्त्री नगर, जोधपुर			
91. (रहवासीय)	श्री द्वारकादास पुत्र श्री भगवानदास 18-9-82	334·44 व. मी. रु. 412 प्र. व. मी. रु. 1,37,789.28	1,11,036.00 10-3-83	5 माह 22 दिन
92. (रहवासीय)	श्री भंवरलाल पुत्र श्री बिरधीचन्द छाजेड़ 18-9-82	334·44 व. मी रु. 390·00 रु. 1,30.776·00	97,776·04 498/95 31-3-83	6 माह 13 दिन
43. (रहवासीय)	श्री चन्दनमल सुराणा 14-7-82	55·74 व. मी. रु. 725 प्र. व. मी. रु. 40,411-50	30,311·50 538/18-5-83	10 माह
58.	श्रीमति चन्दा सुराणा 18-9-82	रु. 801·84 व. मी रु. 281·00	रु 1,91,951·08 रसीद नं. 405/65-66	2 माह 13 दिन

देय ब्याज का विवरण			देय शास्ती का विवरण			देय ब्याज व शास्ती का योग		
देय	न्यास द्वारा वसूली	शेष	देय	न्यास द्वारा वसूली	शेष	देय	न्यास द्वारा वसूली	शेष
6	7	8	9			10		11
9202.50	—	9202.50	2333.60	—	2333.60	11539.10	—	11539.10
7746.72	—	7746.72	5733.35	—	5735.35	5733.35	—	5733.35
6925.25	6925.75		6419.35	—	6419.35		—	6419.35
3011.15	—	3011.15						3011.15
7003.60	—	7003.60	2419.30	2419.30	2419.30			9422.90

1	2	3	4	5
		रु. 2,55,958.08	16-12-82 ——— 1-12-82	
6(.	मुणेत फैमिली ट्रस्ट 18-9-82	891·84 व. मी. रु. 302·00 प्र.व.मी. ,, 2,69,355·68	रु. 1,95,335·68 रसीद सं. 409/38 दि. 16-12-82 ——— 10-11-82	1 माह 23 दिन
61.	निर्मल कुमार 18-9-82	891.84 व. मी. रु. 310.00प्र.व.मी. रु. 2,76,470-40	रु. 1,56,976·40 रसीद सं. 409/ 39-41 दि. 16-12-82 ——— 13-12-82 रु. 50,000·00 चालान सं. 93 दि. 18-11-82 ——— रु. 2,06,976-40	2 माह 23 दिन
82.	ज्योतिप्रकाश गोयल 14-10-82 ——— 16-2-82	रु. 334·44 व. मी. रु. 421.00 प्र.व.मी. रु. 1,40,799.24	रु.1.05,299.24 रसीद सं. 409/ 70-72 दि. 16-12-82 ——— 4-12-82	1 माह 20 दिन
84.	विजय सुरखा 10-10-82	438.03 व. मी. रु. 400.00 प्र.व.मी.	रु. 1,43,232·00 रसीद सं. 402/54	1 माह 13 दिन

6	7	8	9	10	11
4253.25	–	4253.25	–	–	4253.25
5290.30	–	5290.30	–		5290.30
2193.70	–	2194.70	–	–	2193.70
2541.60	–	2541.60			2541.60

1	2	3	4	5
		रु. 1,93,232·00	14-12-82 / 29-11-82	
81.	श्रीमती सुशीला रांका 18-9-82	334·44 व. मी. 401-00 प्र.व.मी रु. 1,34,110	रु. 1,00,510.44 रसीद 368/47 29-10-82	1 माह 14 दिन
88.	श्रीमती मिनी रांका	334.44 415.00 प्र.व.मी. 1,37,120	रु. 1,04.070.60 रसीद सं. 399/29 29-10-82 / 2-11-82	1 माह 3 दिन
90.	महेन्द्र और राजु 18-9-82	334·44 410·00 प्र.व मी. 1,37,120	1,02.620.44 409/89 12-11-82	1 माह 17 दिन
93.	श्रीमती सरला 18-9-82	334·44 व. मी. रु. 400 प्र. व. मी. रु. 1,37,776·00	1,00,276 402/87 12-11-82 / 2-11-82	1 माह 15 दिन
95.	श्री प्रकाश 14-10-82 / 16-10-82	483·08 385·00 रु० 1,85,985/-	1,38,99.80 438/61 18-2-83 / 18-1-83	3 माह

6	7	8	9	10	11
1776	–	1776	–	–	1776
1430.85		1430.85	–	–	1430.85
2090.60	•	2090.60	–	–	2090.60
1870-05	–	1870-05	–	–	1870.05
5211.90	–	5211.90	3000	— 3000	8211.90

1	2	3	4	5
106.	श्री लक्ष्मण 16-10-82	66.61 व. मी. रु0 850.00 प्र. व. मि. रु0 56,669.50	रु0 42.469-50 रसीद 376/31 16-4-82	दो माह
107.	श्री वासुदेव 16-5-82	66.67 व. मी. रु0 12,40.00 प्र. व.मी. रू0 82,670.80	रु. 60,970.80 रसीद 376/10 16-7-82	दो माह
109.	श्रीमती भगवतीदेवी 16-5-82	116.67 व. ग. रु0 740-00 प्र. व. ग. रु0 86,355.80	रु0 16,085.60 389/52 14-9-82 रु0 48,000.00 412/64 19-1-83	चार माह आठ माह
110	श्रीमती गायत्री देवी 16-5-82	116.67 रु0 730-00 प्र. व. ग. रु0 85,769.10 कुल कीमत	रु0 63,669.10 369/10 12-10-82	चार माह आठ दिन

घंटाघर योजना, नई सड़क जोधपुर

159.	श्रीभागचन्द पुत्र श्री चेलाराम 13-2-83 14-2-83	97.55 प्र. व. मी. रु0 1600.00 प्र. व. ग. रु0 1,56,80 चालान	रु0 1,16,980 527 13-5-83	तीन माह
34.	श्री वासुदेव 13-2-83	97.55 प्र. मी. रु0 1625 प्र व. ग. रु. 1,58,578.75	रु0 1,18,518.75 498/100 31.3 83 12-3-83	एक माह

6	7	8	9	10	11
849.70	–	849.70	–	–	849.70
1219.40	–	1219.40	–	–	1219.40
643.40	–				
4800.00	–				
	5443.40	5443.40			5443.40
3141.00	–	3141.00	–	–	296.70
982					3141.00
4386.75	–	4386.75	3000 – 3000	4386.75	7386.75
1481.45	487.50	1193.95	–	–	1193.95
					8580.70

1	2	3	4	5
	मानजी का हत्था, जोधपुर			
144.	श्री बस्तीराम पुत्र श्री उदाराम टाक पहुरिया बेरा पूजली 2-1-83/5-1-83	रु0 111.48 रु0 536.00 प्र. व. ग. रु0 59,753.28	रु0 44753.28 438/72 18-2-83	एक माह
133.	श्री नेमीचन्द भण्डारी 2-1-83/5-1-83	रु0 111.48 रु0 555.00 रु0 61,871.40	रु0 35,000 रसीद 430.75 431/3 दि. 7-2-83 रु0 11,471.40 498/75 31-3-83/7-3-83	एक माह दो माह
126.	श्रीमती लीलावती	रु0 111.48 रु0 490/ रु0 54,625.50	रु0 40,925/20 518/25 3-5-83/2-5-83	एक माह
	ट्रक टरमीनस योजना जोधपुर			
15	अरुण कुमार गोयल 16-83/19-3-83	15 व. मी. 1200 प्र. व. मी. रु0 18000/—	रु0 13,500 517/17 27-4-83	एक माह आठ दिन
	राजबाग योजना, जोधपुर			
1.	श्रीमती सौरिया देवी 7-11-82 9-11-82	रु0 349.30 वर्ग गज रु0 166/–प्र. व. मी. रु0 57,983.30	रु0 28,483.30 425.00 24-1-83 12-1-83	दो माह
2.	श्री हजारीसिंह 7-11-82 9-11-82	रु0 334.44 व. ग. रु0 164/5 प्र. व. ग.	रु0 8081.76 425.80	दो माह

7	8	9	10	11
992.40	–	577.40	— – – —	577.40
437.75				
286.75	–	724.50	— – – —	724.50
724.50				
511.50	–	511.50	— – – —	511.50
213.75	=	213.75	— = = —	213.75
587.10	587.10	=	= =	587.10
180.80	180.80	=	= =	180.80

(194)

1	2	3	4	5
		रु0 34.781.76	24-1-83 12-1-83	
3.	श्री नथमल 7-11-82 9-11-82	रु0 334.44 व. ग. रु0 10/—प्र. व. ग. रु0 33.788.44	रु0 16.788.44 427.69 व 17 ——— 27-1-83	दो माह
4.	श्री कानाराम 19-12-82 21-12-82	334.44 व. ग. रु0 91/–प्र. व. ग. रु0 30,434.34	रु0 22,734.04 522.26 27-5-83	पांच माह

खेतानाड़ी योजना जोधपुर

25.	श्री बासुदेव 9-10-82	13–93 वर्ग मीटर (दुकान)	13500 417-84 ——— 14-1-83	तीन माह 6 दिन

मिल्कमेन कालोनी, जोधपुर

230.	श्रीदाउ दयाल 15-10-82 ——— 16-10-82	666.68 वर्ग मी. 72 प्रतिवर्ग मीटर 48000.96	35900-86 रसीद 483/6 ——— 18-11-82	एक माह

प्रताप नगर सैक्टर एच

180.	श्री राम प्रकाश 12-3-83 14-2-83	180-92 व. मी. 130 प्र. व. मी. रु0 23519-60	रु० 17619-60 443/84 14-3-83	एक माह

6	7	9			10		11
436·20 1487·96	—	436·20	566·65	—	—	566·65	1002·85
—	1212.96	275.00	5000	—		5000	5275.00
540.00	—	540.00	300	—		3000	3,540.00
428.65	—	428.65		—	—	—	448.65
220.25	—	220.25			—	—	220.25

1	2	3	4	5
	सरस्वती नगर योजना, जोधपुर			
83.	आशासंचती	333-33 व. गज	402/77	चार माह
		रु0 15,000	———	
	20-6-82	रु0 91-0 प्रति व. गज	11-11-82	20 दिन
		रु0 7733	438/30	7 माह
			———	26 दिवस
			16-2-83	
		रु0 30,333-03		
	रावण का चबूतरा, जोधपुर			
10	मुकेश माथुर	26-51 वर्ग मी.	रु0 39,300	एक माह
	12-9-82	रु0 2000 (दुकान)	रु0 456	24 दिन
		कुलकीमत	———	
			4-11-82	
	कमला नेहरू नगर विस्तार योजना जोधपुर			
189	श्री विष्णु पचारिया	167.22 व. मी.	रु0 7500	एक माह
	25-9-82	125 प्रति व. मी.	398/82	
	———		———	
	9-9-82	रु0 20,902-50	30-10-82	
			8152-50	छः माह
			512-41	
			———	
			30-3-83	
197.	श्रीमती चन्द्रादेवी	194-09 व. ग.	रु. 11,139	एक माह 13दिन
	1-8-82	रु0 78-00 प्रति व. गज	चा. 352/13-9-82	
		रु0 15139-02		
182.	श्री देवदत्त	167-22	रु0 9810-38	दो माह
	1-8-82	रु0 79 प्रति वर्ग गज	चा. 380/5-10-82	चार दिन
		रु0 13210-38		

6	7	8	9	10	11
		1402.30	267	1135.30 – –	1135.30
884.00	–	884 –	–	–	884.00
93.75					
611.40 ——— 705.15	—	705.15	6000 –	6000	6705.15
141.10			–	– –	141.10
209.30	209.30	–	–	– –	209.30

1	2	3		4	5
185.	श्री दुर्गाप्रसाद सारस्वत				
	25-9-82	167-22		रु0 16,707.48	दो माह
	———	रु0 134-00 प्र. व. ग.		405-29	
	29-9-82			———	
		रु0 22,407.48		27.11.82	
186.	श्रीमती सूरज कंवर	167.22	रु०/5000	387.90	
(डी)	'.8.82	रु0 78.00		———	
				3-9-82	एक
		रु0 13,043.16	रु0 2000	400/7	
			रु0 2732.16	3-11-82	दो माह
				409/29	
				9-11-82	नौ दिन
99.	श्री निर्मल कान्ति	183.33 गज		10,966.40	6माह12दिन
	(सी) 6.6.82	रु. 80 प्र व.मी.		411.65	
				18.12.82	
105.	श्री जगदीशलाल	रु. 14,666.40		10,866.72	
		130.66			
		रु. 112 प्र.व.ग.		397.86	दो माह
				———	
	22-8-82	रु. 14,566.72		21.10.82	
106.	श्रीमती राज कुमारी	116.22			
	22.8.82	रु. 100.00 वर्ग मीटर		रु. 8612.00	दो माह 8 दिन
		रु. 11,612 कुल कीमत		408/2	
				———	
				16-12-82	
				11-11-82	

कावत कुटीर–मेसूरिया सेक्टर–योजना जोधपुर

5.	श्री सुरेश कुमार	55.74 वर्ग मीटर	रु. 0,000/-	447/64	एक माह
	(ए) 6-3-83	रु. 965 प्रति वर्ग मीटर		——— 17-3-83	

6	7	8	9	10	11
417.65		417.65			417.65
145.65		145.65			145.65
701.30		701.30			701.30
217.30		217.30			217.30
200.70		200.70			200.70
125-00					

1	2	3	4	5	6
8-2-83		रु. 53,789-10	रु. 14000/-	515/6	दो माह
				13-4-83	पांच दिन

भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर

118. श्री शिवरतनमल	445.92 वर्ग गज	191666/-	402/30	
11-9-82	150 प्रति वर्ग गज		9-11-82	दो माह
	रु. 66,818/-	30000/-	409/14	
		49, 166/-	11-11-82	
			16-11-82	
1 7. श्री राम कुमार	445.92 वर्ग गज	48,804-32	399/24	एक माह
गुप्ता पुत्र	रु. 146 प्रति वर्ग गज		2-11-82	पांच दिन
मंगलाराम	रु. 65104-32			
11-9-82			16-10-82	

मेसूरिया सेक्टर ई सेक्शन-4, जोधपुर

सं सुभाष संजय	334.44 वर्ग गज	रु. 15,000/-	एक माह
18/9/82	रु. 355/- प्र. व. ग.	399/90	13 दिन
	,, 1,18,726-00	2-1-82	
		रु. 43,772-35	दो माह
		409/64	
		16/12/82	
		29/11/82	

7	8	9	10	11
350-00				
475-00	475-00	1000	1000	1475-00
983-30	983-30	—	—	983-30
569-40	569-40	—	—	569-40
266-00				
1231-00	1497-00	2333.30		2333.30
				3830-30
				1.10.915-65

मामला सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल, राजस्थान जयपुर के विशेष रूप से ध्यान में लाया जाकर निवेदन है कि :—

(क) धारा 93 "ए" के अन्तर्गत उत्तरदायित्व निर्धारित करवा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाकर परिणाम से अवगत कराया जावें।

(ख) हानि की प्रतिपूर्ति भूमि क्रेताओं अथवा उत्तरदायी व्यक्तियों/अधिकारियों से वसूली कर कराने की व्यवस्था करायें।

वर्तमान रेंजर दौसा के विरुद्ध जांच

319. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्तमान रेंजर दौसा के विरुद्ध कोई शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस के द्वारा ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच भी करवाई गई थी ? यदि हां, तो कब किसके द्वारा ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। फरवरी, 1982 में। यह शिकायत लक्ष्मीपुरा, मंडाना, बरखेड़ा, सोगवाड़ा व पीपरिया आदि के ग्रामवासियों द्वारा की गई थी।

(2) जी हां, सतर्कता (वन) विभाग के माध्यम से अप्रेल, 1982 में जांच करायी गयी थी। जांच रिपोर्ट*की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) दोषी पाये गये कर्मचारियों की तीन वेतन वृद्धियां संचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया जा चुका है।

जांच रिपोर्ट की प्रति

राजस्थान सरकार

सतर्कता (वन) विभाग, जयपुर

जांच प्रतिवेदन सं. 22/82

निम्न जांच मंत्री महोदय के माध्यम से दौसा वन कर्मचारियों के विरुद्ध जांच हेतु इस कार्यालय को प्राप्त होने पर जांच प्रारम्भ की गई। शिकायती पत्र के आधार पर निम्न आरोप जांच योग्य पाये गये:—

(1) फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसे उठाये एवं मजदूरी किये गये मजदूर ग्राम जटवाड़ा टेहडा आदि गांवों के मजदूरों को भुगतान नहीं किया।

(2) लक्ष्मण जाट एवं रामसिंह गूजर को भुगतान नहीं किया गया बल्कि फर्जी अंगूठे लगा लिये गये।

(3) भांडारेज मोड़ से दौसा तक रोड के दोनों तरफ के नीम के पेड़ों को बकरी वाले चरागाहों को बेचे हैं।

(4) मानपुर से खेड़ला गांव के बीच में एक किलोमीटर 142 व 143 के बीच में चार वृक्ष शीशम को कटवाकर वन विभाग के ट्रेक्टर से भांडारेज के रामचन्द्र जांगिड़ की आरा मशीन से चिरवाकर दौसा में फर्नीचर, चारपाई आदि बनवाई एवं गत वर्ष भी कोठी बन्ध थाना के गूजरों को पेड़ छांगने को दिये आदि।

प्रथम आरोप :—

फर्जी मस्टर रोल जिस स्थान के व जिस पखवाड़े के बनाये गये. परिवाद में अंकित नहीं है और न ही किसी गवाह ने अपने कथन में इस बात को सिद्ध किया है अथवा जानकारी दी है। अतः यह एक वेग आरोप है जिसके लिए कोई प्रमाण एकत्रित किया जाना या जांच किया जाना असम्भव है। जहां तक प्रश्न ग्रामवासियों को मजदूरी करने के उपरान्त भी अब तक भुगतान नहीं किये जाने का है, इस सन्दर्भ में मालूमात करने पर यह तथ्य जरूर प्रकाश में आये हैं कि मजदूरी करने के उपरान्त भी कुछ ग्रामवासियों को अब तक पैसे नहीं मिले हैं। इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय वन अधिकारी, दौसा से संपर्क कर मालूमात किया तो रिकार्ड के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि दि. 20-5-81 को रतनलाल वनरक्षक द्वारा 1-5-81 से 20-5-81 तक के किलोमीटर 190 से 195 एवं रोड साइड वस्खों एवं रोड साइड राजादोख के मस्टर रोल गुम हो गये जिसकी रिपोर्ट दौसा थाने में दिनांक 21-5-81 को की गई। इन मस्टर रोलों में आरोप में वर्णित ग्रामवासियों के नाम थे और अब तक चूंकि असल मस्टररोल खो जाने के परिणामस्वरूप मजदूरों को पैसे का भुगतान नहीं हो सका। मजदूरों को अब तक भुगतान नहीं हो सका इसका तो कारण स्पष्ट हो गया है परन्तु श्री रतनलाल ने इतने महत्वपूर्ण रिकार्ड को किन परिस्थितियों में खोया इसकी वन विभाग ने अपने स्तर पर विभागीय कार्यवाही न कर दोषी अधिकारी को दण्डित नहीं किया है जो कि एक अशोभनीय तथ्य है। अतः इस आरोप में श्री रतनलाल वनरक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना वांछनीय है

द्वितीय आरोप :—

श्री लक्ष्मण जाट जैसा कि दरख्वास्त में निवासी चांवटेडा अंकित किया है चांवटेडा का न होकर वह व्यक्ति ग्राम देवडा का निवासी है। इस व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित किया गया है। इसने पूरा या व होना जाहिर करते हुए सिर्फ आठ-दस दिन की मजदूरी का बकाया होना बताया। इसी तरह श्री राम सिंह गूजर निवासी चांवहेडा से अपनी तमाम मजदूरी का लेने के पश्चात् एक माह की मजदूरी बकाया होना बताया। इस संदर्भ में रेंज दौसा से सम्पर्क स्थापित कर देखा तो पाया गया कि श्री राम सिंह ने माह मार्च 1981 से जून, 81 तक सिर्फ एक रोज कार्य किया जिसका भुगतान उसे मिल गया। इसी तरह जुलाई माह में 9 रोज कार्य किया जिसका भुगतान भी किया जा चुका है। श्री राम सिंह ने एक माह का भुगतान न होना बताया। यह तथ्य सही मालूम हुए परन्तु माह नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, 82 के मस्टर रोल पास समय पर न होने के कारण यह भुगतान श्री रामसिंह को वहां मिला था जो दिनांक 8-3-82 को उसे मिल गया। इस तरह से श्री राम सिंह के लिये यह तथ्य कि उसे भुगतान न कर फर्जी अंगूठा लगाया गया, प्रमाणित न होकर असत्य प्रतीत हुआ इसी तरह श्री लक्ष्मण का दो रोज का भुगतान बकाया है और कार्य भी मई, 1981 की अवधि में दो दिन किया जाना बताया है। इन परिस्थितियों में यह आरोप पूर्णतया बेबुनियाद है।

तृतीय आरोप :—

दरख्वास्त में भांडारेज मोड़ से दौसा तक रोड के दोनों तरफ नीम के पेड़ों की छंगाई का आरोप अंकित किया है। इस संदर्भ में दिनांक 2-3-82 को आगरा रोड यानि जयपुर से आगरा किलोमीटर 206 (सोहनपुरा) से मेंहदीपुर बालाजी किलोमीटर 132 राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 11 का निरीक्षण किया गया तो भांडारेज मोड़ से दौसा तक के क्षेत्र में ही पेड़ छटे हुए ही नहीं पाये परन्तु राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 11 किलोमीटर 206 से 132 तक इस लम्बी दूरी में सड़क के दोनों ओर अधिकांशतः नीम के पुराने पेड़ व कहीं कहीं पीप आदि भारी मात्रा में छंगे हुए मिले। यह निरीक्षण किसी वन विभाग के टेक्निकल अधिकारी को साथ लेकर वहां किया गया था। अतः दिनांक 5-3-82 को सहायक वन संरक्षक श्री रायजादा को साथ लेकर पुनः इस वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तो टेक्निकल अधिकारी की राय से भी सड़क के दोनों ओर अधिकांशतः नीम के पुराने पेड़ लगभग 90% छंगे हुए मिले व कहीं कहीं पीपल व बबूल में भी छांगण का नुकसान मिला। कुल मिलाकर टेक्निकल अधिकारी की राय के आधार पर ही इस पूरे क्षेत्र में लगभग 50% पेड़ छंगे हुए मिले। यह छांगण पिछले दो माह में की गई प्रतीत हुई। इस छांगण के संदर्भ में वन संरक्षक एवं अधिकारियों से मौखिक वार्ता कर पूछा गया तो वन अधिकारियों ने राष्ट्रीय मार्ग के पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में न होना बताया एवं बताया कि राष्ट्रीय मार्ग का यह हिस्सा जहां पर तारबन्दी की जाकर प्लान्टेशन करवाया गया है वहां हिस्सा उनके अधिकार क्षेत्र में है

श्रौर उसी क्षेत्र के पेड़ों की सुरक्षा का दायित्व उनका है । यद्यपि गजट नोटिफिकेशन श्रगस्त 5, 1978 के श्रंतर्गत यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर 11 में वर्णित पूरा राष्ट्रीय मार्ग वन विभाग के श्रधीन है । जिसकी कापी जांच प्रतिवेदन के साथ भी संलग्न की जाती है । परन्तु इनके बचाव साधन को मानते हुए भी दिनांक 8-4-82 को वन संरक्षक श्री डी. सी. सूद एवं सहायक वन संरक्षक श्री ए. वी. रायजादा को साथ लेकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 11 रेंज दौसा के उस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसमें वन विभाग की श्रोर से तारान्दी की जाकर रोड साइड पर प्लान्टेशन किया गया है । इस निरीक्षण पर भी निम्न वर्णित क्षेत्र में नुकसान पाया गया है जिसका व्यौरा इस प्रकार है:–

	प्लान्टेशन स्थल		किस्म पेड	छंगे हुऐ पेड़ों की संख्या
1.	203 से 201	कि. मी.	नीम	1
2.	197 से 195	,,	,,	
	195 से 193	,,	,,	98
3.	193–192	,,	,,	33
4.	192–190	,,	,,	23
5.	190–188	,,	,,	1
6.	176–172	,,	रोंज नीम	25
7.	170–167	,,	नीम	1

उपरोक्त स्थलों पर नीम के प्राय: सभी पेड़ छंगे हुऐ मिले । उपलब्ध केटलगार्ड एवं श्रन्य सम्बन्धित व्यक्तियों सम्पर्क स्थापित कर इस नुकसान के बारे में पूछताछ की गई तो सभी ने जोर जबरदस्ती से रात्रि को गांव वालों द्वारा छांगने की बात बताई । यह छंगाई लगातार दो माह तक हुई है, श्रत: यह कथन कि गांव वाले जबरदस्ती रातको छांग ले गये, कतई गलत है । निरीक्षण पर यह तथ्य बिलकुल स्पष्ट है कि यह छंगाई पूर्णतया बकरियों को चराने की दृष्टि से नियोजित तरीके से की गई है । वन श्रधिकारी या कर्मचारियों की इसमें मिलीभगत रही है या नहीं, यह एक तथ्य श्रलग है श्रौर किसी एक व्यक्ति से या एक गांव के घराने पर तो यह तथ्य स्पष्ट भी हो सकता था परन्तु पूरी रोड पर काफी लम्बे क्षेत्र में चराई होने पर या छंगाई होने पर इस तथ्य की साक्षी उपलब्ध होना कठिन है श्रौर इस तरह की कोई साक्षी उपलब्ध भी नहीं है, परन्तु इससे वन श्रधिकारीगण या कर्मचारी श्रपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं रह सकते । मिलीभगत यद्यपि सिद्ध नही है परन्तु इससे यह जरूर है कि सम्बन्धित श्रधिकारीगण या कर्मचारीगण इतने लापरवाह रहे हैं कि सुरक्षित वन खण्ड कि संपदा का

206

नुकसान से नहीं बचा सके और राजकीय सम्पदा को नष्ट होते देखते रहे। उस आरोप में क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री रविकुमार शर्मा रेंज दौसा स्वयं तो जिम्मेदार है ही परन्तु उसके लिए उच्च अधिकारी भी दोषी हैं। इस संदर्भ में मालूमात की गई तो श्री सूद उप वन संरक्षक वास्तव में इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उपरोक्त वर्णित अवधि में अन्य कारणों से या छुट्टी पर होने से ज्यादा दौरे पर नहीं जा सके और इस कारण उनके ज्ञान में इस छंगान की बात नहीं आई हो परन्तु वन संरक्षक शेल्टर बेल्ट श्री सक्सेना ने इस अवधि में इस राष्ट्रीय मार्ग से भरतपुर तक के दौरे इस अवधि में किये और ये कि उनके काल में यह नुकसान न हो, कतई नामुमकिन व असम्भव है। श्री सक्सेना ने इस क्षेत्र में दौरे करने के पश्चात् इस छंगान को रोकने में न तो अपने अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारियों को कोई निर्देश ही दिये हैं और न ही स्वयं ने अपने स्तर पर कोई कार्यवाही की। इस तरह से इस छंगान में रेन्जर्स स्तर तक ही पूर्णतया दोषी होकर वन संरक्षक तक भी इसमें दोषी है। अन्य छंगान के अलावा पेड़ों की कटान एवं बेचान के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है।

चौथा आरोप :

मानपुर से खेडला गांव के बीच किलोमीटर 142 से 143 के बीच निरीक्षण करने पर तीन शीशम के पेड़ों के ठूंठ करीब डेढ़ साल पहले के कटे हुए प्रतीत होना मौके पर मिले। जिनमें एक पेड़ का ठूंठ डेढ़ साल के करीब का न होकर बहुत पहले का मालूम हुआ और जिसके लिए श्री हरीराम जमादार पी. डब्ल्यू. डी. ने बताया कि पेड़ पी. डब्ल्यू. डी के समय में यानि जबकि यह पेड़ उनके अधिकार क्षेत्र में थे तब एक ट्रक एक्सीडेन्ट से गिर गया था जिसे महुआ आफिस में जमा करा दिया गया परन्तु बाकी दो पेड़ों के लिए उक्त जमादार ने रेंजर दौसा द्वारा कटाया जाना व ले जाया जाना बताया। इस संदर्भ में रामचन्द्र जांगिड निवास भांडारेज के बयान होने पर उसने 5-6 माह पूर्व रेंजर द्वारा ट्रेक्टर से शीशम की लकड़ी उसके यहां से चिरवाना व मजदूरी के उनके द्वारा पैसे दिया जाना बताया परन्तु ट्रेक्टर ड्राइवर श्री विजयसिंह ने इस बारे में कतई इन्कारी की। मौके से देखने से यह स्पष्ट है कि शीशम के ठूंठ मौजूद हैं और जमादार के कथनानुसार भी यह सिद्ध है कि रेंजर दौसा ने यह पेड कटवाये परन्तु चूंकि ड्राइवर, जो वर्क चार्ज पर हैं, और आज नौकरी छोड़ चुका है के कथन से यह बात सिद्ध नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि ड्राइवर को रेंजर द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में इसमें विभागीय कार्यवाही किया जाना उचित है।

इसके अतिरिक्त गत वर्ष में पेड़ों का छंगाई आदि का ठेका या अन्य पेड़ आदि कटाने की बात साक्ष्यों के आधार प्रमाणित नहीं हुई। यद्यपि जगह जगह कम मात्रा में दो तीन पेड़ बबूल के कटे हुए भी मिले जिनके बारे में भी यह कि रेंजर ने कटवाये परन्तु इस मामले में कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले।

(207)

जांच निष्कर्ष

इस सम्पूर्ण जांच में मुख्य आरोप राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 11 पर पेड़ों की छंगाई का है और यह पूर्णतया सिद्ध है कि इस मार्ग पर छंगाई पर्याप्त मात्रा में की हुई है। इसके लिये वनाधिकारियों का यह कहना कि पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में नहीं लिया, यह गलत एवं बेबुनियाद तर्क है। गजट नोटिफिकेशन के पश्चात् वन विभाग के अधिकारियों एवं पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों को मिलकर चार्ज पेड़ों की गिनती कर लेना व ना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया। जबकि प्लान्टेशन कार्य वन विभाग ने प्रारम्भ कर दिया। प्लान्टेशन कार्य करने से पूर्व यह कार्यवाही वन विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों को करनी चाहिये थी परन्तु इस संदर्भ में वन संरक्षक स्तर के दर्जे से भी कोई कार्यवाही किये जाने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ज्योंही उन्होंने प्लान्टेशन वर्क चालू करवाया था वे अपने क्षेत्र में गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक रोड साइडस अपने अधिकार में लेना समझ चुके थे। यह छंगाई या इस तरह की छगाई इस उच्च राष्ट्रीय मार्ग पर ही नहीं हुई है परन्तु मालूमात पर यह सभी रोडस पर किया जाना मालूम हुआ। ऐसी परिस्थितियों में राज्य के कोष की हानि को देखते हुए वन संरक्षक, शेल्टर बेल्ट से राज्य सरकार अपने स्तर पर यह पूछने का कष्ट करेगी कि इस तरह से अन्धाधुन्ध छंगाई क्यों हुई और इसमें राज्य को आर्थिक कितनी हानि हुई और उन्होंने रोकने में कार्यवाही क्यों नहीं की, उचित रहेगा।

अतः जांच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय,

ह०

(आर. एस. पारीक)

जांच अधिकारी

सतर्कता (वन) विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

॥ कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ॥

संख्या:- एफ 18 (1) 80/जांच/मुवस/1730 दिनांक :- 24-3-84

कार्यालय आदेश

सर्वश्री रविकुमार शर्मा, क्षेत्रीय दौसा व रतनलाल यादव, वनरक्षक रेंज दौसा को इस कार्यालय के पत्र समसंख्या 1273 व 1277 दिनांक 17-5-82 से राजस्थान असैनिक

सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम, 1958 की धारा 17 के तहत नोटिस जारी कर निम्न आरोप लगाये गये :-

1. श्री रविकुमार शर्मा, क्षेत्रीय :-

1. दिनांक 2, 5 व 8-4-82 को राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 11 पर 132 से 206 किमी तक पेड़ों की भारी मात्रा में छंगाई होने में नियंत्रण शिथिलता बरतना और

2. 142व 143 किमी के मध्य दो शीशम के पेड़ कटवाकर निजी प्रयोग में लेना व पद तथा राजकीय सम्पत्ति का दुरुपयोग करना।

2. श्री रतनलाल यादव, वनरक्षक :-

1. दिनांक 1-5-81 से 20-5-81 तक के मस्टररोल (190-195 किमी) रोड साइड बस्खो, राजादोख, प्लान्टेशन के मस्टररोल अपनी तहवील में से खोना तथा राज्य कार्य के प्रति लापरवाही बरतना और

2. दिनांक 2-3-82 को निरीक्षण के समय 189-190 किमी के बीच रोड साइड पर पेडों का छंगान पाया जाना व 190 से 201 किमी के बीच 156 नीम के पेड़ छंगे पाया जाना, स्वार्थसिद्धी हेतु पद का दुरुपयोग करने तथा राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना।

उक्त धारा 17 के नोटिस का उत्तर श्री रविकुमार शर्मा, क्षेत्रीय द्वारा दिनांक 3-9-82 व श्री रतनलाल यादव, वनरक्षक द्वारा दिनांक 2-6-82 को दिया गया।

उक्त दोनों अभ्यावेदनों तथा प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन करने के पश्चात् निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने यह पाया कि श्री रविकुमार शर्मा, क्षेत्रीय ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर 11 पर 132 से 206 किमी तक पेड़ों का भारी मात्रा में छंगाई होने के सम्बन्ध में नियंत्रण शिथिलता बरती व 142-143 किमी के मध्य दो शीशम के पेड़ कटवा कर निजी प्रयोग में ले कर पद तथा राजकीय सम्पत्ति का दुरुपयोग किया। श्री रविकुमार शर्मा ने अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5-8-78 उन्हें दिनांक 29-1-82 को प्राप्त हुई जबकि उक्त छंगान की घटना दिसम्बर 81 की बताई है। राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना देखने से यह आभास नहीं होता कि वन विभाग की जिम्मेदारी सड़क के दोनों किनारे खड़े केवल नये पेड़ों की है, पुराने पेड़ों की नहीं। इनका यह भी तर्क मान्य नहीं है कि स्टाफ की कमी की वजह से उक्त छंगान हुआ क्योंकि इनके द्वारा स्टाफ की कमी हेतु अपने उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया। श्री शर्मा क्षेत्रीय द्वारा दो शीशम के पेड़ काटे जाने बाबत व निजी प्रयोग में लेने बाबत श्री रामचन्द्र जांगिड़ व हक्कीराम जमादार के बयान स्पष्ट

हैं। श्री शर्मा, क्षेत्रीय द्वारा बाद में अपने पद का प्रभाव दिखाकर उक्त दोनों व्यक्तियों के बयान अपने पक्ष में ले लिये, जो मान्य नहीं है।

श्री रतनलाल यादव, वनरक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 2-6-82 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनके उक्त कार्यकाल के दौरान दिनांक 1-5-81 से 20-5-81 तक की अवधि का मोहनपुरा नर्सरी रोड, रोड साइड राजाघोख, रोड साइड, बस्खो व जीरोता एवं रोडसाइड 190 से 195 किमी का चार्ज था तथा दिनांक 20-5-81 को कार्य समाप्ति के पश्चात् जब वे उक्त मस्टररोल्स क्षेत्रीय दौसा को देने जा रहे थे तब उनकी तहवील में से खो गये। श्री रतनलाल अपने अधीन क्षेत्र में 189 से 190 किमी के बीच रोड साइड पर पेड़ों का छंगाने व 190 से 201 किमी के बीच 156 नीम के पेड़ छंगे पाये जाने हेतु भी पूर्ण रूप से दोषी पाये गये।

अतः उक्तानुसार दोनो दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध लगाये गये उक्त दोनों आरोप उनके विरुद्ध पूर्णरूपेण सिद्ध होते हैं।

अतः निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह विचार करते हैं कि उक्त दोनों लोककसेवकों के विरुद्ध उन पर लगाये गये दोनों आरोप पूर्णरूपेण सिद्ध होने के कारण सर्वश्री रविकुमार शर्मा, क्षेत्रीय व रतनलाल यादव, वनरक्षक की 3-3 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया जावे।

अतः उक्तानुसार निम्न हस्ताक्षरकर्ता सर्वश्री रविकुमार शर्मा, क्षेत्रीय व रतनलाल यादव, वनरक्षक की तीन तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां संचित प्रभाव से रोके जाने का दण्ड देते हैं।

चन्द्र मोहन
मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर।

आयुर्वेदिक औषध निर्माण व खरीद पर व्यय

320. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में 31–1–84 तक आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण तथा खरीद पर कुल कितना व्यय हुआ है?

उत्तर

वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में 31 जनवरी, 1984 तक विभागीय रसायनशालाओं द्वारा निर्मित एवं क्रय की गयी औषधियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(रुपयों में)

वर्ष	निर्मित औषधियों का विवरण	औषध क्रय का विवरण
1	2	3
1982–83		
	39,47,368-00	20,86,367/-

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

1	2	3
1983–84	19,98,607–00	12,51,470/–
(31 जनवरी, 1984 तक)		
12, 51, 470/– के –		10,39,000/–
अलावा क्रय आदेश		

और दिये जा चुके है।

दुग्ध अवशीतन केन्द्र बालोतरा

321. **श्री अमरा राम चौधरी** (पचपदरा) : क्या दुग्ध विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बालोतरा दुग्ध अवशीतन केन्द्र द्वारा 1 जनवरी, 1983 से 31-12-83 तक कुल कितना दुग्ध किन-किन दुग्ध सहकारी समिति से इकट्ठा किया गया है? प्रति माह दुग्ध. प्रत्येक दुग्ध सहकारी समिति पर कितना हुआ ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि दुग्ध सहकारी समितियों से दुग्ध नहीं खरीद कर प्राइवेट व्यक्तियों से दूध खरीदा गया है?

(2) क्या यह सही है कि दुग्ध को ठण्डा करने के लिए 1 जनवरी, 1983 से 31-12-83 तक बालोतरा बर्फ फैक्ट्री से बर्फ खरीदा गया ? यदि हां, तो कितना बर्फ खरीदा ?

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा दूध संकलन किया जाता है। बालोतरा अवशीतन केन्द्र के अन्तर्गत जनवरी 1983 से31.12.83 तक समितियों द्वारा संकलित दूध व संघ को दिये गये दूध का समितिवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जी, नहीं । दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से ही दूध क्रय किया जाता है

(2) जी, हां । जनवरी 1983 से दिसम्बर 1983 तक 450 किलो बर्फ ,बर्फ फैक्ट्री से क्रय किया गया।

(211)

विवरण

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा जनवरी से दिसम्बर, 1983 तक संकलित व पश्चिमा राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० को दिए गये दुध की मात्रा का विवरण।

प्रेल 83	मई 83	जून 83	जुलाई 83	अगस्त 83	सित. 83	अक्टू. 83	नव. 83	दिस. 83	दुग्ध समिति पर संकलित दुग्ध की मात्रा (लीटर)	संघ पर प्राप्त दुग्ध की मात्रा	अन्तर कि. ग्रा. 1+11–1	समिति स्तर पर स्थानीय बिक्री
-08	1568	1483	271	–	–	–	–	–	9825	9929	95	
:87	4194	5238	2686	716	512	1189	802	1217	23608	24544	936	
'08	1568	1483	271	–	–	–	–	–	5732	5789	57	
48	1963	1946	1284	–	–	–	–	–	12197	12382	185	
60	3325	3335	2876	1697	2087	1305	721	737	27062	27708	646	
89	6584	7053	3764	3795	5592	3377	1496	1568	63823	65010	1187	
79	4756	4361	3638	1302	2025	1199	693	1367	32000	32404	404	
94	1545	1253	1213	1038	1115	587	314	395	16188	16816	628	
81	9765	10393	8950	5783	6235	5291	5185	6263	99463	101993	2530	
98	7801	8489	5276	1897	1504	712	987	1801	49850	52202	2352	
84	408	576	739	130	7	567	40	–	5628	5675	47	
–	–	–	–	–	–	–	–	802	3809	3889	88	
54	1323	1100	708	–	–	–	110	1198	8166	8293	127	
70	26193	25462	20803	8453	23697	18267	19455	23668	270148	276620	6472	267 लीटर
77	1067	2698	61	–	–	–	281	1308	21705	22211	506	
69	3937	4125	3463	1223	3323	2700	2622	3062	47757	48720	963	
67	1347	8687	1154	317	737	267	2	494	17746	18354	608	
19	6335	5506	3551	1270	1393	1862	1217	1350	52341	52262	–	79 लीटर
96	808	869	349	–	–	–	–	–	5709	5783	74	
64	3814	3509	2618	947	2008	1374	513	319	27954	28207	253	
70	1469	811	526	43	160	205	37	–	16623	16638	15	
13	1691	1854	1304	533	700	123	112	119	15835	17089	1254	
17	4054	5307	3632	1231	2523	2894	2014	2288	44908	45526	618	
94	1891	2081	1869	822	645	283	70	526	13598	13933	335	
86	2806	3121	2296	161	519	974	1037	1418	21466	21897	431	
22	3962	4477	3705	2090	1388	1198	883	1094	29915	30754	839	
22	2149	2110	1366	603	776	1020	1218	1336	18289	18780	[illegible]	

ग्राम मित्रपुर-पीपल्दा सड़क का निर्माण कार्य

322. **श्री कुन्जी लाल** (वामनवास): सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मित्र-पुरा–पीपल्दा रोड पर जो बहुत पुराना रोड है उस पर कब-कब कितनी धनराशि व्यय की गई तथा किस-किस मद से ?

(2) क्या सरकार इस रोड का निर्माण करवा रही है ? यदि हां, तो कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) इस सड़क को सवाईमाधोपुर जिले के मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर सड़क का निर्माण कार्य कराया जावेगा।

प्रपत्र "क"

मित्रपुरा पीपल्दा रोड पर किये गये खर्चे का विवरण

वर्ष	मद	व्यय
1971–72	क्रेस योजना	1.18 लाख
1980–81	अकाल राहत	0.02 लाख
1081–82	अकाल राहत	1.48 लाख
1982–83	अकाल राहत	0.29 लाख

कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती में आरक्षण

332. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) व **श्री गोपाल पचेरवाल** (थाटन) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या 1982-83 में कृषि पर्य-वेक्षकों की भर्ती की गई ? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ?

(2) क्या अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों का आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 12 व्यक्तियों की नियुक्ति सन् 1982-83 में की गई।

(2) जी नहीं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्धि नहीं होने के कारण आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका।

कोटा स्थित राजकीय चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना

325. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या यह सही है कि कोटा के महाराव भीमसिंह अस्पताल व जे. के. लोन व टी.बी. अस्पताल में भवन की कमी, बैड्स की कमी, स्टाफ व चिकित्सा सुविधाओं का काफी अभाव है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अस्पताल के अन्दर व बाहर पेयजल, शौचालय तथा सफाई आदि की भी उचित व्यवस्था नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ समय के पाबन्द नहीं हैं तथा उनका व्यवहार मरीजों के साथ ठीक नहीं है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी प्रकार की असुविधाओं के कारण मरीजों को बेमौत मृत्यु के मुंह जाना पड़ता है ?

(5) यदि हां, तो सरकार ने उक्त असुविधाओं को दूर करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या सरकार जनहित को मद्दे-नजर रखते हुए उक्त समस्याओं को शीघ्र दूर करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिर्फ भवन की कुछ कमी महसूस की जा रही है। स्वीकृत रोगी शैय्याओं के अनुरूप स्टाफ के पद सृजित हैं।

(2) जी नहीं। पेयजल की समुचित व्यवस्था है। चिकित्सालय परिसर में अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) भवन निर्माण कार्य जन सहयोग से प्रगति पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(6) भवन निर्माण कार्य मई-जून तक पूर्ण होने की संभावना है।

चन्द्र भागा बांध में अतिरिक्त पानी डालना

326. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) व **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कांकरोली सिंचाई खण्ड के चन्द्रभागा बांध के अन्तर्गत सिंचित कमांड क्षेत्र में सहाड़ा तहसील के कौन कौन से ग्राम आते हैं ? विगत 10 वर्षों में इन ग्रामों में चन्द्रभागा बांध से कितनी बार सिंचाई की गई ?

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(2) इस बांध से इसके कमांड में घोषित ग्रामों को कमांड के नियमों के तहत सिंचाई नहीं हो पाई है? यदि हां, तो इन ग्रामों को कमाण्ड एरिया से कब तक मुक्त कर दिया जायेगा?

(3) क्या चन्द्रभागा बांध में अतिरिक्त पानी डालने हेतु राज्य सरकार कहीं से फीडर डालने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक पूरी हो जायेगी?

उत्तर

(1) चन्द्रभागा बांध के कमाण्ड में सहाड़ा तहसील के ग्रामों एवं इनसे पिछले 10 वर्षों में इन ग्रामों की सिंचाई का विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है।

(2) चन्द्रभागा बांध के कमाण्ड में सहाड़ा तहसील के 10 ग्रामों का कुल सिंचाई योग्य क्षेत्र 6589 एकड़ है जिसमें परियोजना की 40 प्रतिशत निर्धारित इन्टेंसिटी पर सामान्य सिंचाई क्षेत्र 2636 एकड़ होता है। बांध में क्षमता के अनुसार कम वर्षा से पानी की आवक कम होने एवं पूर्ण रूप से नहीं भरने के कारण सिंचाई निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हुई जो कि परिशिष्ट–1 से स्पष्ट है। कमाण्ड के जिस खसरा में गत 10 वर्षों से एक बार भी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हुआ है उसको डिकमाण्ड कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) चन्द्रभागा बांध से पानी की आवक बढ़ाने हेतु वर्ष 1967-68 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत एक फीडर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य को विभिन्न अकाल राहत कार्यों में जारी रखा गया परन्तु कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका। क्यों कि इसकी अलाइनमेन्ट में कुछ खेत आते हैं जिसमें सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा कार्य नहीं करने दिया क्यों कि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत मुआवजों के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। इस फीडर पर अभी तक 0.85 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं एवं पूर्ण किये जाने हेतु लगभग 12.50 लाख रु की आवश्यकता होगी।

215

बान्ध चन्द्रभागा के तहसील सहाड़ा से सम्बन्धित कमाण्ड के ग्रामों एवं वास्तविक सिंचाई क्षेत्र की तालिका वर्ष 1974-75 से 1983-84 खण्ड, कांकरोली।

क. सं.	नाम तहसील	ग्राम का नाम	सी. सी. ए. (एकड़ों में)	1974-75 सिंचाई एकड़ में	75-76 सिंचाई एकड़ में	76-77 सिंचाई एकड़ में	77-78 सिंचाई एकड़ में	78-79 सिंचाई एकड़ में	79-80 सिंचाई एकड़ में	80-81 सिंचाई एकड़ में	81-82 सिंचाई एकड़ में	82-83 सिंचाई एकड़ में	83-84 सिंचाई एकड़ में
1.	सहाड़ा	फूंकिया	32	–	8	11	11	–	45	–	–	21	21
2.	,,	नेगडिया खेड़ा	437	–	183	244	110	–	344	–	–	197	52
3.	,,	छापरी	293	–	123	173	39	–	161	–	–	103	2
4.	,,	गोवलिया	150	–	180	253	71	–	278	–	–	152	–
5.	,,	कालाखेड़ा	678	–	233	302	160	–	454	–	–	227	74
6.	,,	रूपपुरा	629	–	234	605	165	–	435	–	–	248	105
7.	,,	गुजारिया खेडा	410	–	38	47	11	–	41	–	–	27	1
8.	,,	खाखला	3162	–	491	585	203	–	758	–	–	520	27
9.	,,	गणेशपुरा	289	–	5	13	–	–	26	–	–	5	–
10.	,,	टपरिया खेड़ी	509	–	8	21	–	–	–	–	–	–	–
		योग:—	6589	–	1503	2254	770	–	2542	–	–	1530	282

नगर सुधार न्यास. जोधपुर द्वारा मर्करी लैम्प की खरीद

327. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वर्ष 1982-83 में . मर्करी. वेपर फिटिंग 125 वाट लैम्प सहित की खरीद में न्यास कोष को रुपये 56,222/– की हानि पहुंचाई जिसका आक्षेप लोकल फण्ड आडिट के प्रतिवेदन में भी किया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 93 (ए) के अन्तर्गत उपरोक्त हानि की राशि वसूल करने एवं उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) कृपया आडिट आक्षेप का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, जोधपुर की वर्ष 1982-83 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में आडिट ने मर्करी वेपर फिटिंग्स 125 वाट लैम्प सहित क्रय में न्यास कोष को 56,-222.65/– रुपए की हानि होना बताया है।

(2) आडिट रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात् इस पर उचित कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(3) सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट के पैरा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

आडिट रिपोर्ट के पैरा की प्रति

ड्राफ्ट पैरा

(6) मर्करी वेपर (फिटिंग 125 वाट लैम्प सावत क्रय में अनियमितता हानि रु. 56,222-65,

न्यास प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 28-4-82 द्वारा 500 मर्करी बल्ब क्रय करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए निविदा में उचित दर आने पर फिलिप्स कंपनी का माल यथा संभव खरीद करने का निर्णय लिया।

इसके लिये निविदा दिनांक 17-5-82 को जारी कर दिनांक 24-6-82 तक निविदाएं प्राप्त की गई। कार्यालय द्वारा जारी टेण्डर फार्म में मर्करी बेपर फिटिंग्स मय लैम्प की निम्न टाइप/मेक की दरें आमंत्रित की गई :–

(1) एच.आ.पी. 37/125 डब्ल्यू. (फिलिप्स)

(217)

(2) जेड. एस. 899/250 डब्ल्यू. (जी.ई.सी.)

(3) बी. जे. एस. आई. पी. 125 (बजाज)

इससे स्पष्ट है कि न्यास ने उक्त टाइप व मेक की फिटिंग्स की परफॉमेन्स तथा सुटेबिलिटी की जांच टेण्डर आमंत्रित करने से पूर्व करके इनमें से जो भी कम मूल्य की हो, क्रय का संकल्प कर रखा था ।

प्राप्त निविदाओं का विवरण व दरें इस प्रकार हैं :–

नाम टेण्डरदाता	दर प्रति नग			
	टाइप/मेक	फिटिंग्स	बल्ब	योग
1 प्रकाश एण्ड जयपुर	स्थानीय	400/-	–	–
2. डोलार इले.एन्ड दिल्ली	डोलार मेक	310/- 360/-	– –	– –
3. इले. कन्सट्रक्शन	बी.एस.आई-125 ई.सी.	–	–	–
4. पीचको इले. एण्ड इलेक्ट्रिकल नई दिल्ली	एच.आर.पी./37 125 डब्ल्यू फिलिप्स	495	65	960
5. गिरधर गणेश इले. एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी	एच.आर.पी.37 125 डब्ल्यू. फिलिप्स	495	–	–
6. दिल्ली लाईटिंग एण्ड	एच.पी.डब्ल्यू. 125 डब्ल्यू.	–	–	–
7. सारेलिना जयपुर	ज्योति फिटिंग्स मैसूर लैम्प	–	–	–
8. केसलेक लिमिटेड	केसलेक एच.एम.पी. 125	375	–	–

218

नाम टेन्डरदाता	दर प्रति नग			
	टाईप/मेक	फिटिंग्स	बल्ब	योग
9. सिलवानिया एण्ड लक्ष्मण लि.	सिलवानीया एस. एल. पी. 125 डब्ल्यू	471/20	79–57	550–77
10. बजाज इलेक्ट्रिकल जयपुर	बी. जे. आई. पी. 125 एच. पी. एफ	–	–	557

नोट:— 1-1/2 प्रतिशत छूट यदि समस्त फिटिंग्स का आर्डर दिया जाता है अर्थात् 548–67 पैसे प्रति नग

11. जैन इलेक्ट्रिकल लि.	आइटम जे. एच. 8591/125 डब्ल्यू	5454	6	6
12.– बीकानेर स्टोर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडिंग कं.	एच. आर. बी. 37 1125 डब्ल्यू.	525	92–75	617–75
13. क्राम्पटन ग्रेव	क्राम्पटन एस. एस. पी. एच. 12	477	–	–
14. मेसूर लैम्प वर्क्स	एम. वी. एल एस. आई.	125	–	544
15. फिक्सोलाइट एण्ड	जी. एम. आई. ए. एन. आई. एफ. एल. जी. ए. एम. 125	435	–	–

नोट :—10 प्रतिशत बिक्री कर व आक्ट्राय आदि अतिरिक्त उक्तानुसार अविदित विभिन्न मेक। टाइप की न्यूनतम दरें इस प्रकार रही हैं :—

(1) एच. आर. पी.–37/125 डब्ल्यू फिलिप्स 590 (3 टेण्डर)

(2) बी. जे. एम. आई. पी.–125 एच. पी. एफ. बजाज 557 (1 टेण्डर)
पूरे आर्डर पर 1–1/2 छूट अर्थात् 548 : 66 पै.

इसके अलावा ई. सी. आई. मेक वी. एस. आई. 125 की दर रु० 510/– सब से कम रही है।

219

क्रय पत्रावली की नोट शीट के पैरा ।। में अधिशासी अभियन्ता ने उक्त दरों का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय, न्यासी श्री अजीत मल भण्डारी, श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा फिलिप्स फिटिंग का निरिक्षणोपरान्त फिलिप्स मेक एच.आर.पी.-37/250 डब्ल्यू. जिसकी दर 560/- प्रति लैम्प है, अनुमोदित किये जाने का तथ्य अंकित करते हुए फिलिप्स को रेपुटेड निर्माण होने का उल्लेख कर बजाज व इ. सी. आई. की तुलना में अधिक दर को उचित ठहराते हुए इस फर्म से 500 फिटिंग का क्रय का प्रस्ताव एवं रु. 3 लाख को व्यय की स्वीकृति अध्यक्ष से दिनांक 17-7-82 को प्राप्त की।

कार्यालय पत्रांक 919 दिनांक 19-7-82 द्वारा 500 नये प्रदाय के आदेश मैसर्स पिचको इलेक्ट्रोनिक एण्ड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नई दिल्ली को दिया गया जिसकी लागत 2,80,000/- व+10 प्रतिशत अर्थात् 28,000/- = 3,08,000 है। विक्रेता के प्रतिनिधि श्री अशोक एन्ग्रोज के व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर फर्म के पत्र दिनांक 19-11-82 पर अध्यक्ष ने 500 नग और प्राप्त करने के निर्देश दिये। जिससे पत्रांक 2640 दिनांक 27-11-82 द्वारा प्रदाय अतिरिक्त 500 नग का प्रदाय आदेश विक्रेता का भेजा गया।

विक्रेता से सामग्री निम्न अनुसार प्राप्त कर भुगतान किया गया।

प्रदाय आदेश दिनांक 19-7-82 500 नग

बाउचर नं. दिनांक	राशि	तादाद फिटिंग	लैम्प	स्टाक रजिस्टर पृष्ठ सं. दिनांक
77/9-9-82	1,67,552	272	272	34/11-9-82
98/10-9-82	98,010	180	—	— —
159 बी/18-10-82	26,136	8	—	— —
159 सी/— —	13728	—	192	43/24-10-82
159 डी — —	2,574	—	36	— —
योग	3,08,000	500	500	

प्रदाय आदेश दिनांक 27-11-82				
82 ए/10-11-82	1,90,575	350	—	34/7-12-82
18 ए/3-1-83	35,750	—	500	49/1-1-83
18 की/ — —	39,204	72	—	42/1-1-83
184/20-1-83	42,471	78	—	42/1-1-83
	3,08,000	500	500	
महायोग	6,16,000	1000	1000	

उक्तानुसार निविदा पत्र में अंकित मांग से दुगुनी मात्रा में सामग्री क्रय की गई जिसकी न्यास से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आवश्यक थी।

इस सामग्री को यदि फिलिप्स के समकक्ष बजाज व ईसीई से क्रय किया जाता तो न्यास को निम्नुसार कम व्यय करना पड़ता :—

बजाज—	548:67	1000+10 प्रतिशत =6,03,537/-	फिलिप्स की तुलना में कम व्यय 12,453/-
इ. सी. आई.	510	1000+10 प्रतिशत =5,61,0000	55,000/-

उक्तानुसार यदि टेण्डर फार्म में अंकित टाइप/मेक की न्यूनतम दर वाली फिटिंग्स क्रय की जाती तो रु. 12,463/- का न्यास कोष पर अतिरिक्त अधिभार नही पड़ता एवं यदि न्यूनतम दर से क्रय किया जाता तो रु. 55,000/- से अधिभार से बचा जा सकता था।

मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स से सम्पूर्ण 500 फिटिंग्स का आदेश दिये जाने पर 1-1/2 प्रतिशन छूट देने की शर्त रखी है। इससे यह सहज रूप से स्पष्ट है कि यदि 1000 नग टेण्डर नोटिस में अंकित किये जाते तो विभिन्न विक्रेता खासकर बजाज इलेक्ट्रिकल्स से अधिक छूट प्राप्त हो सकती थी।

उक्त क्रय में निम्न अनियमितताएं होना पाया जाता है :-

(क) न्यास के निर्णय दिनांक 28-4-82 में उचित दर आने पर फिलिप्स का माल यथासम्भव क्रय करने का संकेत है। परन्तु इसके विपरीत अधिशासी अभियन्ता ने फिलिप्स की ऊंची दरों पर सामग्री क्रय करा कर न्यास के निर्णय तथा वित्तीय स्वामित्व के उच्च मापदण्डों का उल्लंघन कर न्यास को 55,000/- रु. की हानि पहुंचाई है।

(ख) न्यास के प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 28-4-82 में माल 500 लैम्प के क्रय का निर्माण एवं स्वीकृति दी गई है। इस मात्रा को दुगुना कर रु. 6,16,000/- का व्यय किया गया जिसकी न्यास से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न करके अधिशासी अभियन्ता ने गंभीर अनियमितता की है।

(ग) टेण्डर नोटिस में आधी मात्रा ही अंकित की गई। यदि पूरी मात्रा अंकित की जाती तो बल्क आर्डर को देखते हुए निविदादाताओं से आकर्षक प्रतियोगी दरें तथा विशेष छूट के रूप में प्राप्त हो सकती थी। अतः छूट में अपेक्षित लाभ से न्यास को वंचित रहना पड़ा है।

उक्त (क) (ख) और (ग) की ओर सचिव, नगरीय विकास और आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है वित्तीय स्वामित्व के मापदण्डों, न्यास के निर्णय सामान्य क्रय नियमों की अवहेलना कर विवेकहीन क्रय के फलस्वरूप न्यास को हुई हानि रु. 55,000/– के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाकर परिणाम से अवगत कराया जावे। हानि की राशि 55,000/–रु. की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जावे।

(ख) प्रदाय आदेश दिनांक 19-7-62 द्वारा अपेक्षित सामग्री निर्धारित अवधि 8 सप्ताह में अर्थात् दिनांक 15-9-82 तक प्राप्त हो जानी चाहिये थी। परन्तु 228 लैम्प कीमत रु. 16,302/–दिनांक 24-10-82 को अर्थात् 40 दिन विलम्ब से प्राप्त हुए हैं अतः टेण्डर की शर्त सं. 5 (6) के अनुसार साढ़े सात प्रतिशत लिक्वीडेटेड चार्ज रु. 1222-65 विक्रेता से वसूली योग्य है।

सुझाव है कि अब लिक्वीडेटेड चार्ज रु. 1222.65 की वसूली मैसर्स पिचको इलेक्ट्रोनिकल्स से की जाकर न्यास कोष में राशि जमा की जावे।

वन विभाग के तहत कार्यरत अस्थायी कर्मचारी

328. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वन विभाग के तहत वर्षों से कार्यरत वर्कचार्ज, केजुअल व अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के क्या नियम हैं ?

(2) क्या विभाग में पहले भी ऐसे कर्मचारियों की सेवायें नियमित की गई हैं ?

(3) अब सरकार ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) वन विभाग के विभागीय कार्य-वृत्त के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा मई, 1973 में स्थाई आदेश जारी कर दिये।

(2) जी हां।

(3) विभाग के वर्कचार्ज कर्मकारों के लिए औद्योगिक नियोजन अधिनियम के अन्तर्गत संशोधित स्थाई आदेश राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक औषधालय खोलने के लक्ष्य

329. **श्री शिव राम शर्मा** (बनीपार्क) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सत्र 1983-84 में आयुर्वेदिक, यूनानी एव होमियोपैथिक के कितने औषधालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया था ?

(श्री शिवराम शर्मा) :

(2) उपरोक्त औषधालय कब-कब खोले गये ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 में 180 आयुर्वेदिक, 10 यूनानी एवं 10 होमियोपैथिक औषधालय खोलना प्रस्तावित था।

(2) दिनांक 15-3-84 तक 176 आयुर्वेदिक, 9 यूनानी, 9 होमियोपैथिक औषधालय निम्न माह में स्वीकृत किये गये हैं:—

माह का नाम	खोले गये औषधालयों की सं. आयुर्वेद	यूनानी	होमियो
मई, 1983	1	—	1
दिसम्बर, 1983	8	—	—
फरवरी, 1984	139	4	6
मार्च, 1984	28	5	2
योग :	176	9	9
मार्च, 1984 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा खोला जाना प्रस्तावित	4	1	1
योग :	180	10	10 = 200

पशुधन के आधार पर पशु चिकित्सालय खोलना

330. श्री **अमीमखां** (शिव) : एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार, पशु स्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्सालय खोलते वक्त एरिया का ध्यान देती है या पशुओं की संख्या को आधार मानती है ?

(2) क्या सरकार, जिन जिन जिलों में जनता मात्र पशुधन पर ही निर्भर है वहां पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र व दवाइयों का इन्तजाम करती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नये पशु चिकित्सा संस्था स्थापित करते समय पशुओं की संख्या एवं प्रस्तावित स्थान की वर्तमान में कार्यरत संस्था से उसकी दूरी, दोनों ही बातों का ध्यान रखा जाता है।

(2) जी हां। दवाइयों की व्यवस्था सभी संस्थाओं पर मांग के अनुसार की जाती है।

चाकसू, फागी, सांगानेर तहसील की सड़कें

331. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने चाकसू, फागी, सांगानेर तहसीलों के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषद् के माध्यम से जन प्रतिनिधियों से मास्टर प्लान के बारे में सुझाव मांगे थे ?

(श्री रामकंवार बैरवा)

(3) क्या यह सही है कि उनके सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मास्टर प्लान में संशोधन कर दिया गया है ? कृपया संशोधित मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस मास्टर प्लान को शीघ्र लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने चाकसू, फागी व सांगानेर तहसीलों के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने हेतु एक मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर लिया है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मास्टर प्लान के प्रारूप की एक प्रति जिलाधीश को भेजते हुए यह निवेदन किया था कि जिले के जन-प्रतिनिधियों से सलाह कर प्रारूप में यदि कोई संशोधन आवश्यक समझे तो सुझाव विभाग को भेजे।

(3 एवं 4) जयपुर के जिलाधीश से सुझाव अभी प्राप्त न होने के कारण सुझाव स्वीकार किये जाने अथवा प्लान के संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता। धन की उपलब्धता के अनुसार मास्टर प्लान के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

तहसील सीकर एवं दांतारामगढ़ क्षेत्र में कटाव रोकना

332. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम चोखा का बास, आन्तरी, बिडोली, मांडोला अर्जुनपुरा व गोढडा तगालान तहसील सीकर व ग्राम मान्डोली व जीणवास तहसील दांतारामगढ़ की काफी कृषि भूमि हर्ष व जीणमाता के पहाड़ों के वर्षा के पानी से भूमि कटाव होने से प्रतिवर्ष बेकार होती जा रही है ? यदि हां, तो भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत भू-संरक्षण स्कीम व जमीन समतल कराने के लिए इस क्षेत्र को आज तक क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है ? अब इस क्षेत्र को उक्त योजना के अन्तर्गत कब तक सम्मिलित कर लिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। बिड़ौली जीनवास जल ग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य कराया जा चुका है। गोढ़डा, आंतरी, अर्जुनपुरा, चोखा का बास का सर्वेक्षण हो चुका है एवं तकनीकी योजना बनाई जा रही है।

बिडौली, मान्डोला व माडोली जल ग्रहण क्षेत्र की तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमित धनराशि के कारण ये कार्य लिया जान संभव नहीं हो पाया है। धनराशि उपलब्ध होने पर इस पर भी विचार किया जावेगा।

जमवारामगढ़ क्षेत्र के कच्चे बांधों की मरम्मत

333. **श्री भैरुंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जमवारामगढ़ क्षेत्र में वर्ष 1981 बाढ़ से निम्नलिखित छोटे मिट्टी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

वाले कच्चे बांधों के टूट जाने से कुओं के जल स्तर में आई कमी से कृषि को पहुंची हानि की क्या सरकार को जानकारी है—

(1) नांगल तुलसीदास (2) बिसोरी (3) मुण्डला (4) रूपवास (5) पापड़ (6) सिरोही (7) देवका हरमाड़ा (8) चौमुखा (जमवारामगढ़) की ढाणी (9) नायला।

(2) यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति हेतु इन छोटे बांधों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों व तालावों की सूची में पंचायत समिति द्वारा इनको सम्मिलित नहीं किया गया था।

(2) अब इन तालावों के लिए बाढ़ मद से धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। वैसे नायला के सालेरी बांध की मरम्मत का कार्य अकाल सहायता कार्य के रूप में सम्वत् 2039 में करा दिया गया था।

विदेशों में भेजे गये चिकित्सक

334. **श्री रंगजी मीणा**(सपोटरा)एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार की स्वीकृति से विदेशों में पिछले पांच वर्षों में भेजे गये डाक्टरों में से कितने अभी तक निर्धारित अवधि पार वहीं रह रहे हैं ? इनके विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

पिछले 5 वर्षों में भेजे गये 28 डाक्टरों में से 23 डाक्टर निर्धारित अवधि के पश्चात् भी अभी तक विदेशों में ही रहरहे हैं। इनके विरुद्ध राज्य सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रही है।

ज्वाला प्रसाद नगर योजना, अजमेर

335. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर ने ज्वाला प्रसाद नगर योजना हेतु नाका मदार की चुंगी चौकी से लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित विभिन्न भूमिपतियों से भूमि प्राप्त कर रु. 12/– प्रति वर्ग गज से क्रय मूल्य चुकाने का निर्णय लेकर एग्रीमेंट के आधार पर 90% चुकारा कर दिया है ? यदि हां, तो कितने भूमिपतियों की जमीन ली गई और उन्हें कितना मुआवजा चुकाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन भूमियों के बारे में नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन अधिग्रहण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी के यहां विचाराधीन है और न्यास ने इन भूमियों को सीलिंग क़ानून से मुक्त कराने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लिया है ?

225

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि न्यास ने अपने आपको इन भूमियों का स्वामी बताते हुए ज्वालाप्रसाद नगर योजना हेतु "हुडको" से राज्य सरकार की गारन्टी पर ऋण प्राप्त किया है ? यदि हां, तो कितना ऋण प्राप्त किया है और राज्य सरकार ने कितनी राशि की गारन्टी दी है ?

उत्तर

(1) न्यास की ज्वाला प्रसाद नगर योजना में नाका मदार, चुंगी चौकी से लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर सेनीटोरियम के समीप कमजोर आय वर्ग के लोगों को बसाने हेतु न्यास द्वारा आपसी वार्ता से कुछ भूमिधारियों की भूमि 12/- रुपये प्रतिवर्ग गज की दर से जरिये इकरारनामों के क्रय कर भूमि के 90 प्रतिशत भाग का चुकारा किया जा चुका है। भूमिधारियों से क्रय की गई भूमि उन्हें चुकाये गये मुआवजे का विवरण प्रपत्र "अ" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। इन भूमियों के बारे में सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, अजमेर के यहां नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन अधिग्रहण का मामला विचाराधीन है। न्यास ने इन भूमियों को सीलिंग कानून से मुक्त कराने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया है।

(3) न्यास ने ज्वाला प्रसाद योजना में अल्प आय वर्ग के लोगों को बसाने हेतु "हुडको" से राज्य सरकार की गारन्टी पर ऋण प्राप्त करने के लिए 36 बिस्वा राजकीय भूमि, जो जिलाधीश महोदय, अजमेर के आदेशानुसार न्यास को हस्तांतरित है, का स्वामित्व बताया एवं आपसी वार्ता के द्वारा क्रय की गई भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर निर्माण कार्य कराया है। इसके लिये प्रथम चरण में 30, 84, 000/-रुपये व द्वितीय चरण में 35,49,000/- रुपये ऋण हुडको से स्वीकृत हुआ जिसमें से प्रथम चरण में अब तक 23,00,000/-रुपये व द्वितीय चरण में 18, 41,000/- रुपये की राशि न्यास को प्राप्त हो चकी है। राजकीय गारन्टी स्वीकृत ऋण बराबर ही दी गई है।

प्रपत्र 'अ'

कार्यालय नगर सुधार न्यास अजमेर

क्र. सं.	नाम भूमिधारी	क्रय की गई भूमि का क्षेत्रफल	90% राशि जो चुकाई गई
1.	श्रीमती वीरां देवी पत्नी श्री करतार चन्द	17-9-0	3,56,456.00
2.	श्री छोगा राजू पि. घीसा रावत निवासी मदारपुरा	7-18-0	1,65,175.00
3.	श्रीमती लाली बाई बेवा श्री भज्जा सिंह रावत निवासी मदारपुरा	3-9-0	72,133.00

ह०
सचिव,
नगर सुधार न्यास, अजमेर।

नागौर क्षेत्र की पेयजल की समस्या का हल

336. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र नागौर में पेयजल की बड़ी भारी समस्या है तथा वहां की जनता खारा पानी, गन्दा पानी व नालियों का पानी पीते रहने से अनेक बीमारियों से पीड़ित हो चुकी है ? यदि हां, तो सरकार नागौर क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाने जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नागौर निर्वाचन क्षेत्र में जहां गांव पूरे रेवेन्यू क्षेत्र में फैले हुए हैं उनमें पांच सौ से ऊपर आबादी के समूह को भी पीने के पानी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है ?

(3) यदि हां, तो नागौर जिले के करणू, माडपुरा, आचीना, पांचलासिद्धा, कुडची, पांचोडी, गुढा भगवानदास आदि जो प्रत्येक एक एक हजार की आबादी की अलग-अलग बस्तियां हैं उनके लिए राज्य सरकार की पीने के पानी को उपलब्ध कराने की क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक पूरा किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नागौर निर्वाचन क्षेत्र के कुल 88 गांवों में से फरवरी, 84 तक 59 गांवों को तथा नागौर शहर को पेयजल योजना से लाभान्वित कर दिया गया है। नागौर निर्वाचन क्षेत्र के शेष बचे 29 समस्याग्रस्त गांवों की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करदी गई है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार इन गांवों की पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) इन गांवों में दूर स्थित बस्तियों में सर्वेक्षण का चालू है। उसके पश्चात् वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 305 की सूची)

मण्डी समिति हिण्डौन करौली उपखण्ड में सड़कों का विवरण

कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन के उपखण्ड करौली में निम्नलिखित सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है:—

1. हिण्डौन गेट से फूटाकोट होती हुई पावर हाउस तक सीमेन्ट कंकरीट सड़क
2. मेला गेट से प्रारम्भ होकर मंडारा चटीकान चौराहे तक सीमेन्ट कंकरीट सड़क कार्य
3. मासलपुर गेट वाया हिण्डौन गेट व ढोलीखार होती हुई नदी दरवाजे तक सीमेन्ट कंकरीट सड़क कार्य
4. करौली कैला देवी रोड पर गुनसेरी चौकी से सेसरीपुर, हजारीपुर परीता सड़क 1.0 कि. मी.
5. परीता ग्राम से करौली कैला देवी सड़क पर गुनसेरी चौकी वाया सेसरीपुर, हजारीपुर सड़क निर्माण कार्य 3.0 कि. मी.

क्रम संख्या 1 व 4 पर वर्णित सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष में से क्रम संख्या 5 पर निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं। शेष दो पर निविदाएं आमन्त्रित कर ली गई हैं।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 386 की सूचना)

विवरण तीन वर्ष (1981, 1982, 1983) जयपुर शहर व जिला के अनैतिक व्यापार के अड्डों का :

वर्ष	स्थान जहां छापे मारे	दिनांक छापे मारने की	चालान	निस्तारण एफ. आर.
1981	(1) मिनर्वा सिनेमा के पीछे	25-11-81	31-12-81	
	(2) किशनपोल बाजार	14-12-81	31-12-81	
1982	(1) डाक बंगला-गोपाल बाड़ी	3-6-82	30-11-83	
	(2) राजधानी होटल	20-7-82	30-11-83	
	(3) पार्क होटल मालन का चौराहा	16-9-82	19-11-82	
1983	(1) हाडीपुरा	6-7-83	30-10-83	
	(2) नाहर रोड नील कठ महादेव की गली	19-8-83	19-10-83	
	(3) पंजाब होटल आगरा रोड़	20-9-83	25-11-83	
	(4) इमीटेशन की धर्मशाला	26-9-83	गैर-तफतीश	
	(5) किशनपोल बाजार बिचून हाउस	1-12-83	3-1-84	
	(6) रामनिवास बाग	22-12-83	गैर-तफतीश	

229

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 387 की सूचना)

अवैध हथियार बनाने वालों व बरामदी के संबंध में तालिका

वर्ष	अवैध हथियार बनाने के स्थान	जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम	बरामद किये हथियारों की किस्म	की गई कार्यवाही/अपराध सं. दिनांक व मुकदमें का निर्णय
1	2	3	4	5
1981	खेड़ली गंडासीया थाना बयाना (भरतपुर)	गोविन्दसिंह जाट	कुछ खाली गोलियां तथा हथियार बनाने का सामान	31/81 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बयाना रजिस्टर किया जाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचाराधीन है।
1981	ढाणी 3 एस.पी.एम. थाना रायसिंहनगर (गंगानगर)	सावनसिंह कारीगर सिख	पिस्तौल की नाल, पिस्तौल की बाडी, लोहा घोड़ा लगा हुआ ट्रेगर की पती व हथियार बनाने के औजार	10/81 धारा 5/25 (1) आई.ए. एक्ट दि. 21-1-81 रजिस्टर किया जाकर चालान दिनांक 7-2-81 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4	5
1981	हनुमानगढ़ टाउन	आसूसिंह पुत्र नासरसिंह	1 पिस्तौल 12 बोर व असला बनाने के औजार.	164/81 दिनांक 3-8-81 अन्तर्गत धारा 5/25 (1) आई ए एक्ट थाना हनुमानगढ़ 25-11-81 को चालान न्यायालय में किया गया।
1981	सरदारगढ़ थाना सूरतगढ़	महेन्द्रसिंह पुत्र चेतराम बावरी	1 पिस्तौल 3 × 3, 2 कारतूस 3 × 3 जिन्दा, 1 कारतूस 12 बोर जिन्दा, 1 बन्दूक लमक्षड, 1 खोखा 12 बोर, 1 बन्दूक की बाडी, 1 नाल बारह बोर बन्दूक नाल लोहा गया। टोपीदार बन्दूक एक लोहा तथा हथियार बनाने के औजार	मु. न. 203/81 दि. 29-9-81 अन्तर्गत धारा 5/25 (1) आई ए एक्ट थाना सूरतगढ़ रजिस्टर किया जाकर चालान दिनांक 7-5-82 को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
1981	थाना टीबी, गंगानगर	भजनसिंह 2. सिंगारासिंह	1 नाल 3 × 3, 1 घोडा पिस्तौल 1 बाडी एक लोहा, 1 सन्डासी, रेती इत्यादि।	मु. नं. 194/81 दिनांक 4-12-81 अन्तर्गत धारा 5/25 (1) आर्म्स एक्ट रजिस्टर किया जाकर दिनांक 28-4-82 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
1982	3 ए. पी. एम. थाना रार्यसिंहनगर, गंगानगर	सावणसिंह	1 पिस्तौल 3 × 3, 2 फरमे पिस्तौल के, 6 छीनी लोहा,	मु. नं. 10/82 दि. 16-1-82 अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट रजिस्टर किया जाकर 26-6-82 को

230

1	2	3	4	5
			9 वरमा लोहा, 1 कारतूस जिन्दा 3 × 3, 2 खोखा ।	चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
1982	गंगानगर	दीदारसिंह सिक्लीगर	1 पिस्तौल 32 बोर देशी, 1 पिस्तौल की बाडी, 1 लोहे की नाल तथा हथियार बनाने के औजार ।	मु. नं. 19/82 दि. 31-1-82 अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गंगानगर रजिस्टर किया जाकर चालान न्यायालय में दिनांक 26-4-82 प्रस्तुत किया गया ।
1982	तलवाडा झील, थाना टीबी गंगानगर	काला 2. दिलतोड	1 पिस्तौल 12 बोर, 1 नाल 12 बोर, 1 घोडा, 1 ट्रेगर, तथा हथियार बनाने के औजार ।	मु. नं. 35/82 दि. 3-3-82 अन्तर्गत धारा 5/25 आर्म्स एक्ट रजिस्टर किया जाकर चालान दिनांक 22-6-82 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
1983	मसलानी थाना टीबी, गंगानगर	अवरसिंह सिक्लीगर	1 पिस्तौल 12 बोर 1 पिस्तौल की बाडी, 1 कारतूस 12 बोर जिन्दा, 1 पिस्तौल का घोडा, 1 पिस्तौल की कमानी, 1 रेल्वे लाईन का टुकडा तथा हथियार बनाने के अन्य सामान ।	मु. नं. 95/83 दि. 6/7/83 अन्तर्गत धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना टीबी में रजिस्टर किया जाकर चालान दिनांक 18-10-83 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

1	2	3	4	5
1983	मसानी थाना टीबी,	मिश्रीसिंह सिक्लीगर	1 पिस्तौल 38 बोर, 1 पिस्तौल की वाडी, जिस पर ट्रगर लगा हुआ, 1 नाल, 1 खाली खोखा 3×3 2 खाली खोखा 282 बोर, 2 खाली खोखा 32 बोर, तथा हथियार बनाने के अन्य औजार।	मु. न. 96/83 दिनांक 6-7-83 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना टीबी में रजिस्टर किया जाकर चालान न्यायालय में दिनांक 12-12-83 को प्रस्तुत किया गया।
1983	मसानी थाना टीबी, गंगानगर	मूरीसिंह सिक्लीगर राजकुमार	1 बारह बोर देशी, 1 32 बोर पिस्तौल की वाडी, 1 बेरल, 1 कारतूस मिस 3×3	मु.नं. 97/83 दि. 5-7-83 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट रजिस्टर किया जाकर चालान दिनांक 7-11-83 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
1983	धनूर, थाना केसरीसिंहपुरा	जरनेलसिंह	3 पिस्तौल जिसमें एक 315 बोर कारतूस लोड, 1 बत्तीस बोर देशी पिस्तौल 1 363 बोर पिस्तौल 1 नाल।	मु.नं. 129/83 दिनांक 31-10-83 अन्तर्गत 25 आर्म्स एक्ट थाना केसरीसिंह रजिस्टर किया जाकर चालान दिनांक 23-12-83 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4	5
1983	श्यामनगर, गंगानगर	पीटासिह सिक्लीगर भाबलासिह सिक्लीगर	1 बारह बोर पिस्तौल 1 303 बोर पिस्तौल की नाल 1 303 की छोटी नाल की बन्दूक 1 12 बोर खाली खोखा तथा हथियार बनाने के औजार।	मु.नं. 222/83 दि. 3-11-83 अन्तर्गत 25 (1) आर्म्स एक्ट का थाना सदर गंगानगर रजिस्टर किया जाकर चालान दिनांक 31-12-83 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
1983	ग्राम बिछोई थाना बामनवास जिला सवाई-माधोपुर	सुलतान सिक्लीगर हरिमोहन सिक्लीगर	5 एम. एल. गन, 2 डबल बैरल एमएल पिस्तौल 1 सिंगल बैरल पिस्तौल तथा हथियारों के अनेक पार्टस मन पाउडर।	मु.नं. 2/83 दि. 3-1-83 अन्तर्गत धारा 3,5,6/25 आर्म्स एक्ट थाना बामनवास में रजिस्टर किया जाकर चालान दिनांक 4-3-83 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 389 की सूची)

भारतीय घड़ियों की सूची

क्रमांक	नाम घड़ी	मात्रा	दर	कुल कीमत
1	2	3	4	5
1.	हैगडे एण्ड गोले श्रीलाइला	1	125.10	125.00
2.	,, ,,	7	145.00	1025.00
3.	,, मिकी माउस	2	115.00	230.00
4.	,, सिद्धार्थ	6	215.00	1290.00
5.	,, पालवी लेडिज	3	215.00	645.00
6.	,, सिद्धार्थ	21	185.00	3885.00
7.	,, सिद्धार्थ	3	215.00	645.00
8.	,, कमान्डर जेन्ट्स	1	190.00	190.00
9.	,, सिद्धार्थ	22	215.00	4730.00
10.	,, तेजस	11	260.00	2860.00
11.	,, एस.सी.डी. क्वार्टज	33	400.00	13200.00
12.	,, ,, ,,	1	422.00	422.00
13.	,, ,, गोल्डन	6	440.00	2640.00
14.	,, ,, क्वार्टज	9	530.00	4770.00
15.	,, प्रेसीडेन्ट गोल्डन	8	250.00	2000.00
16.	,, केप्टन जेन्ट्स	8	220.00	1760.00
17.	,, प्रेसीडेन्ट स्टील	8	230.00	1840.00
18.	,, पालवी लेडीज स्टील	4	205.00	820.00
19.	,, पालवी लेडीज	4	215.00	860.00
20.	,, सिद्धार्थ	1	230.00	230.00
21.	,, एल.सी.डी जेन्ट्स	1	400.00	400.00
22.	,, एल. ,, ,, लेडीज गो.	4	440.00	1760.00
23.	,, इलेक्ट्रानिक	1	440.00	440.00
24.	,, एल.डब्ल्यू.	1	205.00	205.00

1	2	3	4	5
25.	आई ए.टी. आटो बल्ब्यु	1	263.50	263.50
26.	,, रोहणी	1	177.00	177.00
27.	एच.एम.टी. राखी	2	286.00	572.00
28.	,, आनन्द	1	390.98	390.98
29.	,, निशान	1	229.80	229.80
30.	,, सुप्रीया	1	252.14	252.14
31.	,, कोहिनूर	1	269.84	269.84
32.	हेगले एण्ड गोले पालवी	1	205.00	205.00
		156		50551.98

विदेशी घड़ियों की सूची

1	2	3	4	5
1.	नीनों साधारण	1	149.07	149.07
2.	रीजेन्ट जेन्ट्स	1	103.52	103.52
3.	नीनो कलेण्डर जेन्ट्स	1	161.49	161.49
4.	लन्को लेडीज	1	105.94	105.94
5.	टाइम स्टार जेन्ट्स	1	103.52	103.52
6.	ल्यूरेन जेन्ट्स	5	180.12	900.60
7.	रीको आटो डीडीं	2	327.60	655.20
8.	ओमेक्स आटो डीडी	1	247.50	247.50
9.	ट्रेसा आटो डाडी	2	286.00	572.00
10.	मांइक्रोमा जेन्ट्स	8	130.00	1040.00
11.	रीको आटो डीडीं	3	286.00	858.00
12.	सिटीजन क्रोनोग्राम	1	780.00	780.00
13.	सीको 5 आटो	1	452.00	452.00
14.	वाइजमैन	3	62.40	187.20
15.	चातन	1	202.80	202.80
16.	रीको	5	327.60	1038.00
17.	ट्रेसा	3	286.00	856.00
18.	ओमेक्स आटो डीडी	4	286.00	1144.00
19.	रीनो	3	136.80	410.40

1	2	3	4	5
20.	फीयर	3	68 64	205.92
21.	रीना	2	68.40	136.80
22.	ओमेक्स डीडी	3	247.50	742.50
23.	रीनो डीडी	2	286.00	572.00
24.	रीको	14	312.00	4368.00
25.	ओमेक्स डीडी	4	247.50	980.00
26.	जेगीन	7	180.12	1260.84
27.	ओमेक्स डीडी	6	286 00	1716.00
28.	ओमेक्स आटो	2	260.00	520.00
29.	टाइटस एल डब्ल्यू	2	154.00	508.00
30.	रेजिना	1	202 80	202.80
31.	ओमेक्स डीडी	1	247.50	247.50
32.	इम्पेक्स	1	125.40	125.40
33.	रीनो डेट	4	176.00	784 00
34.	रीको आटो	1	286 00	286.00
35.	ओमेक्स आटो	5	286 50	1432.50
36.	नीनो	11	286 00	3146.00
37.	ओमेक्स डीडी	8	247.50	1980.00
38.	रीको	5	343.20	1716.00
39.	रीको	9	302.50	2722.50
40.	सिटीजन	4	400.40	1601.60
41.	परफेक्ट	1	289.80	279.80
42.	नीमो	1	247.50	247.50
43.	नीमों	1	169.50	169.50
44.	टाइटस	1	154.00	154.00
45.	इमपेक्स	4	110.00	440 00
46.	वाइजमैन	1	68 64	68 64
7.	फीचर	3	68.64	205.92
48.	रमको	3	68.64	205.92
49.	रेनाई	2	68.64	137.28
50.	इम्पेक्स	2	137.28	274 56
51.	ऐन्री जेन्टस साधारण	1	75.00	75.00

1	2	3	4	5
52.	बल्डर जेन्ट्स साधारण	2	103.52	207.04
53.	विग जोनसूद	1	103.52	103.52
54.	सीटीजन साधारण	1	220.00	220.00
55.	सीटीजन सी. एल. आटो	1	385.00	385.00
56.	केमी लेडीज आटो	1	190.32	190.32
57.	डीमेक्स आटोबाटर	1	103.52	103.52
58.	फेवरलूबा	3	338.00	1014.00
59.	गारा जेन्ट्स	2	286.00	572.00
60.	गेलेन्ट लेडीज	1	179.92	179.92
61.	हैनरी सेण्डोज	1	16 20	161.20
62.	,, ,,	1	164.32	164.32
63.	,, ,,	1	161.49	161 49
64.	,, ,,	1	111.80	111.80
65.	हयूर स्टोप	1	155.88	155.88
66.	इम्पेक्स जेन्ट्स साधारण	6	111.80	670 80
67.	इम्को	1	114.40	114.40
68.	जोली लेडीज साधारण	1	115.00	115.00
69.	नीनो जेन्ट्स साधारण	2	143.00	286.00
70.	नीनो जेन्ट्स साधारण	1	165.00	165.00
71.	नोनेम जेन्ट्स ,,	1	488.00	488.00
72.	निरबा जेन्ट्स ,,	5	264.00	1320 00
73.	लनको लेडीज ,,	1	148.72	148.72
74.	ल्यूकर्न जेन्ट्स डिजीलटाल	178	180.12	32060.36
75.	लनको डिकजीटर	18	115.94	2086.92
76.	लनको लेडीज साधारण	7	1 9.07	1043.49
77.	लनको लेडीज साधारण	2	2 2.3	484.64
78.	नीनो जेन्ट्स	2	286.00	572.00
79.	निलो ,,	1	149.07	149.07
80.	नोविसल	2	103.52	207.04
81.	निरबा जेन्ट्स	1	149.07	149 07
82.	निनो जेन्ट्स	2	258.80	517.60
83.	निनो लेडीज	1	190.60	190.60

1	2	3	4	5
84.	नीनो लेडीज	1	176.00	176.00
85.	ओमेक्स जेन्ट्स	3	159.50	478.50
86.	ओमेक्स ,,	3	279.50	838.50
87.	ओमेक्स जेन्ट्स साधारण	2	143.00	286.00
88.	माइक्रोमा	29	130.00	3770.00
89.	रोकोन	1	327.60	327.60
90.	रीको जेन्ट्स	14	312.00	4368.00
91.	रनको लेडीज	4	97.35	389.40
92.	टाइटस लेडीज	1	145.60	145.60
93.	,, ,,	1	135.20	135.20
94.	टाइम स्टार	7	103.52	724.84
95.	टाइटस जेन्ट्स साधारण	1	143.00	143.00
96.	रीको जेन्ट्स	13	286.00	3718.00
97.	रीको जेन्ट्स	10	302.50	3025.00
98.	सिको–5	1	473.00	473.00
99.	सनट्रेक	6	99.00	594.00
100.	रीको लेडीज	1	203.50	203.50
101.	सितोइद्व जेन्टस	1	181.16	181.16
102.	सिको–5 जेन्ट्स	1	394.55	394.55
103.	सिको–5 जेन्ट्स	1	483.60	483.60
104.	सिको लेडीज	1	270.40	270.40
105.	टोरोहेन्	2	72.46	144.92
106.	,,	1	93.18	93.18
107.	ट्राइवेरा	3	93.18	279.14
108.	रेम्बा जेन्ट्स	1	111.80	111.80
109.	टाइटस लेडीज साधारण	1	82.82	82.82
110.	ट्राइसोट	1	745.34	745.34
111.	सेनट्रेक	1	166.40	166.40
112.	सिकोड	1	208.00	208.00
113.	सनट्रेक लेडीज	3	190.00	570.00
114.	रेनिना	1	202.80	202.80
115.	रमोन	1	239.20	239.20
116	वाल क्लार्क (घड़ी)	1	310.56	310.56
		533		10659.605

239

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 391 की सूची)

कार्यालय राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मण्डल,
"हाथकर्घा भवन" चौमूं हाउस, ज य पु र ।

:–: अस्थाई कर्मचारियों की सूची :–:

वर्ष 1982-83

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री अशोक कुमार गर्ग	अगारप्रभारी	13-12-82	साक्षात्कार के आधार पर
2.	श्री अवध बिहारी शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	22-3-83	दैनिक वेतन से नियमित
3.	श्री राधेश्याम	"	31-3-83	अनुसूचित जाति 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत
4.	श्री मनरूप	"	31-3-83	"
5.	श्री नन्द किशोर	"	31-3-83	"
6.	श्री रामदेव सैन	च.श्रे.क.	11-8-82	स्थानान्तरण, नगर परिषद, जयपुर ।
7.	श्री देवीसिंह यादव	सहायक	11-8-82	स्थानान्तरण, नगर पालिका, बहरोड़ ।
8.	श्री गुलजारी लाल	"	7-10-82	दैनिक वेतन से नियमित
9.	श्री जगदीश सिंह	"	7-10-82	"
10.	श्री भंवर सिंह	"	7-10-82	"
11.	श्री राजेश पारीक	"	7-10-82	"
12.	श्री सत्यनारायण	"	7-10-82	"
13.	श्री मालीराम जाट	"	7-10-82	"
14.	श्री रामसहाय	"	7-10-82	"
15.	श्री सीताराम यादव	"	7-10-82	"

1	2	3	4	5
16.	श्री महेश शर्मा	सहायक	7-10-82	दैनिक वेतन से नियमित
17.	श्री पूर्ण सिंह	,,	7-10-82	,,
18.	श्री शायर सिंह	,,	7-10-82	,,
19.	श्री मोहर सिंह	,,	7-10-82	,,
20.	श्री गोपाल सिंह गुर्जर	,,	7-10-82	,,
21.	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	,,	7-10-82	,,
22.	श्री सूरजपाल सिंह	,,	7-10-82	,,
23.	श्री विशम्भरदयाल माथुर	,,	7-10-82	,,
24.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	,,	7-10-82	,,
25.	श्री कैलाश चन्द शर्मा (मुख्या.)	,,	7-10-82	,,
26.	श्री व दूलाल महावर	,,	7-10-82	,,
27.	श्री सीताराम सैन	सहायक	7-10-82	,,
28.	श्री दीनदयाल शर्मा	,,	7-10-82	,,
29.	श्री हरि सिंह सोखला	,,	7-10-82	,,
30.	श्री मदन चन्द	,,	7-10-82	,,
31.	श्री गोपाल	,,	7-10-82	,,
32.	श्री रामकरण	,,	7-10-82	,,
33.	श्री मोहन लाल बुनकर	,,	7-10-82	,,
34.	श्री शंकरलाल माली	,,	7-10-82	,,
35.	श्री छीतर मल	,,	7-10-82	,,
36.	श्री सीताराम शर्मा	,,	7-10-82	,,
37.	श्री लाल चन्द माली	,,	7-10-82	,,
38.	श्री मान सिंह	,,	1-3-83	,,
39.	श्री गणेश नारायण रेगर	,,	31-3-83	अनुसूचित जाति 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत।

दैनिक वेतन पर वर्ष 1982-83 में
नियुक्त कर्मचारियों की सूची

1.	श्री चन्द्र मोहन उनियाल	कनिष्ठ लिपिक	14-4-82
2.	श्री मुरलीधर शर्मा	,,	4-10-82

241

1	2	3	4	5
3.	श्री संजय खण्डेलवाल	कनिष्ट लिपिक	4-10-82	
4.	श्री दुर्गाप्रसाद	सहायक	1-4-82	
5.	श्री अमर सिंह	,,	1-6-82	
6.	श्री रामसिंह मीणा	,,	4-7-82	
7.	श्री नाथूलाल बुनकर	,,	23-10-82	
8.	श्री अरविन्द सिंह राठौड़	,,	1-12-82	
9.	श्री शबराती	,,	23-12-82	
10.	श्री जगदीश चन्द कोली	,,	5-12-82	
11.	श्री इशाक रंगरेज	,,	—	
12.	श्री विनोद गोन्नाड़े	,,	10-1-83	
13.	श्री कलजी पुत्र देवजी	,,	—	
14.	श्री गोपाल लाल धीया	सहायक	1-2-83	
15.	श्री कैलाश चन्द लखेरा	,,	3-3-83	
16.	श्री घीसीलाल	,,	15-3-83	

:–: अस्थाई कर्मचारियों की सूची :–:

वर्ष 1983-84

1.	श्री वी. के. भार्गव	प्रोसेस हाउस मैनेजर।	29-6-83	साक्षात्कार के आधार पर।
2	श्री प्रवीण कुमार जैन	निरीक्षक	8-7-83	प्रशिक्षणार्थ मण्डल की ओर से।
3.	श्री दयाराम	कनिष्ठ लिपिक	30-7-83	दैनिक वेतन से नियमित
4.	श्री विजय प्रताप सिंह	,,	1-8-83	,,
5.	श्री प्रवीण सक्सेना	,,	1-8-83	,,
6.	श्री रमेश चन्द	सहायक	18-4-83	अनुसूचित जाति दैनिक वेतन से नियमित।

1	2	3	4	5
7.	श्री रामलाल	चौकीदार	1-7-83	अनुसूचित जाति दैनिक वेतन से नियमित।
8.	श्री महादेव	,,	1-7-83	,,
9.	श्री गोपाल	,,	1-7-83	,,
10.	श्री कन्हैयालाल	,,	1-7-83	,,

दैनिक वेतन पर वर्ष 1983-84 में
नियुक्त कर्मचारियों की सूची।

1.	श्री गुरूमुख सिंह	कनिष्ठ लिपिक	21-7-83
2.	श्री घनश्याम शर्मा	,,	7-5-83
3.	श्री राजेश कुमार	,,	15-7-83
4.	कुमारी रश्मि पारीक	,,	25-7-83
5.	श्री अनिल कुमार शर्मा	,,	12-9-83
6.	श्री महेन्द्र सक्सेना	,,	15-9-83
7.	श्री अनिल जयसवाल	,,	12-9-83
8.	श्री विनोद कुमार जैन	,,	17-9-83
9.	श्रीमती शकुन्तला सचदेवा	,,	17-10-83
10.	कुमारी उर्मिला शर्मा	,,	10-11-83
11.	श्री हरिकृष्ण शर्मा	,,	12-12-83
12.	श्री अशोक कुमार शर्मा	,,	9-1-84
13.	श्री लखबीर सिंह	,,	22-2-84
14.	श्री इकबाल हुसैन	,,	8-3-84
15.	श्री मांगीलाल महावर	सहायक	5-4-83
16.	श्री लालाराम मेघवाल	,,	26-4-83
17.	श्री रामकुमार वर्मा	,,	1-6-83

1	2	3	4	5
18.	श्री दीपक वर्मा	सहायक	19-7-83	
19.	श्री बंशीधर	"	26-7-83	
20.	श्री सुरेन्द्र सिंह तंवर	"	2-9-83	
21.	श्री गोपाल लाल शर्मा	"	12-9-83	
22.	श्री जगदीश जाट	"	9-11-83	
23.	श्री रामसहाय माली	"	12-9-83	
24.	श्री शंकरलाल शर्मा	"	26-9-83	
25.	श्री गोपाल लाल माली	"	4-10-83	
26.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठोड़	"	14-11-83	
27.	श्री रामरतन सैनी	"	14-11-83	
28.	श्री मुन्नालाल	"	14-1 -83	
29	श्री हनुमान सहाय सैनी	"	21-1 -83	
30.	श्री नानगराम	"	1-1-84	
31.	श्री खुदाबक्स	"	4-1-84	
32.	श्री लल्लूराम	"	18-1-84	
33.	श्री श्रवण कुमार शर्मा	"	1-2-84	

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न सं. 393 की सूची)

(स्वरोजगार योजना की प्रगति दिनांक 21-3-84)

क्र. सं.	जिले का नाम	लक्ष्य	प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए	जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया	जिन्हें ऋण दिया जा चुका है	शेष जिन्हें स्वीकृति के बावजूद ऋण अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	1200	15897	1400	880	520
2.	अजमेर	800	5290	594	275	319
3.	अलवर	800	3345	609	310	284
4.	भीलवाड़ा	800	3185	972	372	600
5.	जोधपुर	800	4809	415	156	259
6.	पाली	800	2238	493	269	224
7.	कोटा	800	4921	1018	522	496
8.	उदयपुर	800	3750	472	314	158
9.	नागौर	550	2100	345	224	121
10.	बांसवाड़ा	550	1322	198	198	....
11.	सीकर	550	2954	371	169	202
12.	चित्तौड़गढ़	550	2590	489	271	218
13.	भरतपुर	550	2574	305	135	170
14.	बीकानेर	550	3315	601	301	300
15.	गंगानगर	550	4289	384	384	....
16.	सवाई माधोपुर	550	2712	432	186	246
17.	झुन्झुनूं	550	4284	578	344	234
18.	टोंक	550	1884	353	115	238
19.	बाड़मेर	300	822	212	76	136

245

1	2	3	4	5	6	7
20.	जैसलमेर	300	724	116	75	41
21.	डूंगरपुर	300	990	163	143	20
22.	जालौर	300	596	169	123	46
23.	सिरोही	300	699	274	140	134
24.	झालावाड़	300	1495	254	144	110
25.	चूरू	300	1929	249	138	111
26.	बून्दी	300	1191	338	125	213
27.	धोलपुर	300	659	165	81	84
	योग :	15000	80564	11963	6479	5484

1. इस योजना की प्रगति शुरू में धीमी होने का कारण भारतीय रिजर्व बैंक से योजना की क्रियान्विति हेतु निर्देशों का बैंकों को विलम्ब से प्राप्त होना है जिससे बैंक शाखाओं को भी निर्देश विलम्ब से पहुंचे।

2. ऋण स्वीकृति प्रदान किये जाने के बावजूद भी ऋण वितरण न होने का कारण अभ्यार्थियों का बैंकों से ऋण प्राप्ति हेतु सम्पर्क न करना है। इस हेतु बैंक अधिकारी एवं जिला उद्योग केन्द्र संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं।

3. राजस्थान राज्य के लिए इस योजना के अधीन वर्ष 83-84 हेतु पूर्व से 10,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य आवंटित किये गये थे जिन्हें राज्य-सरकार की सिफारिश पर हाल ही में 15,000 कर दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने 15,000 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृति एवं 10,000 व्यक्तियों को ऋण वितरण से लाभान्वित किया जाने का निश्चय किया है। ऋण स्वीकृति से अधिक के प्राप्त आवेदन पत्रों पर आगामी वर्ष में विचार किया जावेगा क्योंकि यह योजना निरन्तर है।

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 394 का विवरण)

पंचायत समिति नागौर में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति की सूचना

क्र.सं.	सूत्र	सूत्र	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य 1983-84	प्रप्ति फरवरी, 84
1	2	3	4	5	6	7
1	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई			
			अ–नलकूप निर्माण	संख्या	32	22
			ब–पम्प सैटस डीजल एवं बिजली देना	,,	30	23
			(ख) अन्न उत्पादन			
			1–उपज	000 टन		
			अ–खरीफ		11.00	53.250
			ब–रवी		0.750	–
			2–क्षेत्रफल	000 है.		
			अ–खरीफ		33,000	53.250
			ब–रवी		0.300	0.400
			3–सूखी खेती प्रक्रिया मिनिटवार शेड़	000 है.		
			क–संख्या		–	26.000
			ख–क्षेत्रफल		–	1.500
2	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	क–दलहन			
			1–उपज	000 टन		
			अ–खरीफ		3.466	6.400
			ब–रबी		0.300	–
			2–क्षेत्रफल	000 है.		
			अ–खरीफ		30.500	31.050

(247)

1	2	3	4	5	6	7
			ब–रबी.		0.400	1.400
			3–बीज वितरण	क्वि.		
			अ–खरीफ		5.00	7.00
			ब–रबी		20.00	4.00
			4–राईजोवियम कल्चर पैकेट सं. (जीवाणुओं का प्रयोग)			
			अ–खरीफ		50	50
			ब–रबी		70	70
			5–पौध संरक्षण	000 है.		
			अ–खरीफ		1-500	2.776
			ब–रबी		0.350	1.254
			6–प्रदर्शन	हैक्टेयर		
			अ–खरीफ		60	60
			ब–रबी		36	36
		(ख)	तिलहन			
			1–उपज	000 टन		
			अ–खरीफ		3.00	2.00
			ब–रबी		2.00	–
			2–क्षेत्रफल	000 है.		
			अ–खरीफ		15.000	16.010
			ब–रबी		4.000	5.815
			3–बीज वितरण	क्वि.		
			अ–खरीफ		30	3
			ब–रबी		33	15
			4. मूंगफली में फास्फेट खाद का प्रयोग	हैक्टेयर		
			अ. क्षेत्रफल	है.	—	3
			5. पौध संरक्षण	000 है.		
			अ. खरीफ		0.250	3.041
			ब. रबी		1·000	0.320
			6. प्रदर्शन	है.		

1	2	3	4		5	7
			ब. रबी		14	14
3	3	पिछड़े को पहले	क. ग्राम विकास योजना संख्या			
			अ. अनु. जाति परिवार		300	276
			ब. अनु. ज. ज. परिवार		–	–
			स. अन्य परिवार		300	368
			कुल परिवार		600	644
			ख. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			
			1. श्रम दिवस	संख्या	25000	21000
4	7	हरिजन गिरिजन	क. अनु. जा. परिवार संख्या		–	276
			ख. अ. जा. वस्तियों में विकास			
			1. बिजली	संख्या	4	1
			2. पीने का पानी	संख्या	13	12
5	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	स.	13	12
6	9	गरीब को छप्पर	क. भूखंड विवरण	स.	200	130
			ख. भवन निर्माण सहायता			
			अनुदान	मकान	50	35
			ऋण योजना	मकान	20	20
7	11	गांव में उजाला	क. गांव में उजाला	ग्राम सं.	12	5
			ख कुओं पर बिजली	सं.	5	21
8	12	जंगल में मंगल	वृक्षारोपण		33650	64124
			ख. गोबर गैस सयंत्र	सं.	20	26
9	13	छोटा परिवार	क. स्टरलाइजेशन	स.	1500	777
			ख. आई. यू. टी.	सं.	455	638
			ग. सी. सी. यूजरस	सं.	440	198
			घ. कुल निरोध वितरण	सं.	40	250
10	14	सब स्वस्थ	क. चिकित्सा सुविधा			
			प्रसार-उप केन्द्र	सं.	1	1
			ख. रोग चिकित्सा	सं.		

1	2	3	4	5	6	7
			1. क्षय रोग		400	519
			2. अंधापन		–	54
11	16	सब साक्षर	(क) नामांकन	000 में		
			1–6 से 11 वर्ष वर्ग			
			अ. छात्र .. .		7950	8134
			ब. छात्राएं		2030	1926
					9980	10060
			ख. अनौपचारिक शिक्षा संस्था			
			1. केन्द्र		20	16
			2. लाभाविन्त		500	523
12	17	घर-घर राशन	उचित मूल्य की दुकानें	संख्या		
			1. ग्रामीण क्षेत्र		1	1
13	18	ग्रामीण उद्योग	1. पंजीयन	संख्या		
			क. छोटे उद्योग इकाइयां		25	26
			ख. आर्टिजिन्स इकाइयां		40	84
			2. अनु. जा. के परिवारों को लाभान्वित करना			
			अ. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ऋण		6	7
			ब. बैंक ऋण		19	–

क्र. सं.	सूत्र सं.	सूत्र	कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	प्राप्ति (फरवरी 84)
1	2	3	4	5	6	7

बीस सूत्रीय कार्यक्रम वर्ष 1983-84

पंचायत समिति मूंडवा में वर्ष 1983-84 के भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति माह फरवरी 1984

1	2	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई			
			अ. नलकूप निर्माण	संख्या	55	55
			ब. पम्पसैट डीजल एवं बिजली	,,	50	43
			द. नलकूप	,,	4	1
			ख. अन्न उत्पादन			
			1. उपज	000 टन		
			अ. खरीफ		11–000	50–61
			ब. रबी		7–500	–
			2. क्षेत्रफल	000 है.		
			अ. खरीफ		33–00	53–14
			ब. रबी		0–300	0–762
			3. सूखी खेती प्रक्रिया 000 है. मिनिटवार शेड़			
			क. संख्या	खरीफ		0–122
			ख. क्षेत्रफल	रबी		0–140
2	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	क. दलहन			
			1. उपज	000 टन		
			अ. खरीफ		0–666	0–865
			ब. रबी		0–750	–
			2. क्षेत्रफल	000 हे.		
			अ. खरीफ		5–500	5–565
			ब. रबी		1–000	1–524
			3. बीज वितरण	क्वि.		
			अ. खरीफ		3–00	2–19
			ब. रबी		2–00	3–00
			वियन कल्चर 4. जीवाणुओं का प्रयोग पैकेट्स			
			अ. खरीफ		70	70

1	2	3	4	5	6	7
			ब. रबी		40	40
			5. पौध संरक्षण	000 है.		
			अ. खरीफ		4-500	0–322
			ब. रबी		0-350	0–160
			6. प्रदर्शन	है.		
			अ. खरीफ		7	7
			ब. रबी		30	30
			ख. तिलहन			
			1. उपज	000 टन		
			अ खरीफ		3–200	3-554
			ब. रबी		4-000	–
			2. क्षेत्रफल	000 है.		
			अ. खरीफ		16–000	17–610
			ब. रबी		8–000	13–000
			3. बीज वितरण	क्वि.		
			अ. खरीफ		•32	29–0
			ब. रबी		55	59–48
			4. पौध संरक्षण	000 है.		
			अ. खरीफ		2-250	0-846
			ब. रबी		2–000	3-024
			5. प्रदर्शन	है.		
			अ. खरीफ		–	-
			ब. रबी		39	19
3	3	पिछड़े को पहले	(क) ग्राम विकास योजना	सं.		
			अनु. जाति परिवार		300	265
			अनु. जन जाति परिवार		–	–
			अन्य परिवार		300	242
			कुल परिवार		600	507
			(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			

1	2	3	4	5	6	7
			1. श्रम दिवस	सं.	88000	23990
4	7	हरिजन गिरीजन विकास	क. अनु. जाति परिवार	सं.	–	262
			ग. अनु. जाति बस्तियों में विकास			
			1. बिजली	सं.	4	1
			2. पीने का पानी	,,	10	7
5	8	पीने का पानी	ग्राम लाभांवित	सं.	10	7
6	9	गरीब को छप्पर	क. भूखंड वितरण	,,	100	148
			ख. भवन निर्माण सहायता			
			1. अनुदान	मकान	40	39
			2. ऋण योजना	,,	33	32
7	11	गांव में उजाला	क. गांव में उजाला	ग्रा.सं.	22	13
			ख. कुओं पर बिजली	सं.	24	47
8	12	जंगल में मंगल	क. वृक्षारोपण	लाखों में	30000	36105
			ख. गोबर गैस संयत्र	सं.	10	5
9	13	छोटा परिवार	क. स्टरलाइजेशन	सं.	1150	847
			ख. आई. यू. डी.	,,	345	289
			ग. सी. मो. यूजरस	,,	340	227
			घ. कुल निरोध वितरण	,,		21380
10	14	सब स्वस्थ	रोग चिकित्सा	संख्या		
			1. क्षय रोग		50	37
			2. अन्धापन		–	144
11	16	सब साक्षर	(क) नामांकन	000 में		
			1-6 से 11 वर्ग	छात्र	6400	6439
				छात्राएं	1640	1326
			2-11 से 14 वर्ग		—	—
			ख. अनौपचारिक शिक्षा			
			1. केन्द्र		30	17
			2. लाभांवित		750	536

253

1	2	3	4	5	6	7
			ग. प्रौढ़ शिक्षा	सं.		
			1. केन्द्र		120	110
			2. लाभांवित	000 में	3600	3385
12	17	घर घर राशन	उचित मूल्य की दुकानें	सं.		
			1. ग्रामीण क्षेत्र		2	2
			2. नगरीय क्षेत्र		3	2
13	18	ग्रामीण सं.	1. पंजीयन सं.			
			क. छोटे उ. इकाइयां		20	70
			ख. आर्टीजन्स ई.		30	28
			2. अनु. जाति के परिवारों की लाभांवित करना		–	–
			अ. जि. उ. के द्वारा ऋण	सं.	5	–
			ब. बैंक ऋण द्वारा	6	19	36
			3. नए हाथ करघे लगाना (सह. समिति)		5	10

254

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 395 की सूची)

(सूची "क"-1)

भीलवाड़ा जिले के समाचार पत्रों को विज्ञापन

वर्ष 1982-83

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम	स्थल सेन्टीमीटर में	दर
1.	दै. लोक जीवन, भीलवाड़ा	5858	रु. 5.00 प्रतिकालम सेन्टीमीटर
2.	दै. तरुण देश, भीलवाड़ा	4404	रु. 3.80 ,,
3.	दै. भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	3538	रु. 3.80 ,,
4.	दै. प्रभावित, भीलवाड़ा	5257	रु. 4 25 ,,
	साप्ताहिक :		
× 1.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	773	रु. 5.65 प्रतिकालम सेन्टीमीटर
2.	झंझावत, भीलवाड़ा	1420	रु. 0.60 प्रतिकालम सेन्टीमीटर + 30% सरचार्ज
× 3.	प्रभावित भीलवाड़ा	369	रु. 5.00 प्रतिकालम सेन्टीमीटर
4.	मेनाल, भीलवाड़ा	1474	रु. 0.60 प्रतिकालम सेन्टीमीटर + 30% सरचार्ज
5.	ग्राम समाज, भीलवाड़ा	1421	रु. 1.20 प्रतिकालम सेन्टीमीटर + 30% सरचार्ज
× 6.	पा. प्रागवाट, भीलवाड़ा	216	रु. 0.60 प्रतिकालम सेन्टीमीटर + 30% सरचार्ज

× सा. लोकजीवन, भीलवाड़ा दिनांक 28-8-82 से 19-9-82 तक एवं 5-1-83 से 15-3-84 तक अनियमितता के कारण विज्ञापन स्थगित रहे हैं।

255

1	2	3	4

× सा. प्रभावित, भीलवाड़ा सितम्बर, 82 से 9-3-83 तक अनियमितता के कारण विज्ञापनों से स्थगित रहे हैं।

× पा. प्रागवाट, भीलवाड़ा दिनांक 16-7-82 से अनियमितता के कारण विज्ञापन सूची से निरस्त रहे हैं।

(सूची "क"–2)

वर्ष 1-4-83 से 29-2-84 तक

1.	दै. लोक जीवन, भीलवाड़ा	4112	रु. 5.00 प्रतिकालम सेन्टीमीटर
2.	दै. तरुणदेश, भीलवाड़ा	3269	रु. 3.80 ,,
3.×	दै. भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	3022	रु. 1.20 प्रतिकालम सेन्टीमीटर + 30% सरचार्ज
4.	दै. प्रभावित, भीलवाड़ा	3480	27-2-84 से 5.00 प्रतिकालम सेन्टीमीटर इससे पूर्व (रु. 1.20+30% सरचार्ज)

साप्ताहिक :

1.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	1297	रु. 5.65 प्रतिकालम सेन्टीमीटर
2.	झंझावत, भीलवाड़ा	1479	रु. 0.60 प्रतिकालम सेन्टीमीटर + 30% सरचार्ज
3.×	प्रभावित, भीलवाड़ा	270	रु. 5.00 प्रतिकालम सेन्टीमीटर
4.	मेनाल, भीलवाड़ा	1095	रु. 0.60 प्रतिकालम सेन्टीमीटर + 30% सरचार्ज
5.	ग्राम समाज, भीलवाड़ा	1243	1-4-83 से 29-7-83 तक रु. 1.20 प्रतिकालम सेन्टीमीटर

1	2	3	4
			+ 30% सरचार्ज तथा 30-7-83 से रु. 3.00 प्रतिकालम सेन्टीमीटर
	6. × नूतन दुनिया, भीलवाड़ा	610	1-4-83 से 29-1-84 तक रु. 0.60 प्रतिकालम सेन्टीमीटर + 30% सरचार्ज तथा 30-1-84 से रु. 5.00 प्रतिकालम सेन्टीमीटर

× दैनिक भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा 18-6-83 से 10-8-83 तक अनियमितता के कारण विज्ञापन बन्द रहे हैं।

× सा. प्रभावित, भीलवाड़ा 20-8-83 से विज्ञापन सूची से स्थगित है।

× सा. नूतन दुनिया, भीलवाड़ा 18-6-83 से राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है।

विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये विज्ञापनों का विवरण सूची (ख)–1
वित्तीय वर्ष 1982-83

क्र. सं.	फाइल संख्या	विभाग का नाम	स्थल	विज्ञापन जारी किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	1524/82	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	35 से. मी.	15-4-82
2.	1569/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	20 × 3	17-4-82
3.	1579/82	खनिज अभियन्ता, भीलवाड़ा	15 से.मी.	17-4-82
4.	1646/82	प्राचार्य मुरलीधर मानसिंह, कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा	12 से.मी.	23-4-85
5.	1673/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	25 × 3	26-4-82

(257)

1	2	3	4	5
6.	1674/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15×3	26-4-82
7.	1693/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	16×3	27-4-82
8.	1694/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	20×3	27-4-82
9.	,, ,,	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	20X3	27-4-82
10	1732/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	17×3	27-4-82
11.	1779/82	खनि अभियन्ता, बिजौलिया	25 से.मी.	3-5.82
12.	1797/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	20 से.मी	29-4-82
13.	1802/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	22 से.मी	1-5-82
14.	1803/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	22 से.मी.	1-5-82
15.	1852/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम,भीलवाड़ा	10×3 से.मी.	10-5-82
16.	1853/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	16×3 से.मी.	10-5-82
17.	1906/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15×3	5-5-82
18.	1946/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, भीलवाड़ा	11×3	7-5-82
19.	1959/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	15×3	11-5-82
20.	2019/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा	9×3	7-5-82

1	2	3	4	5
21.	2116/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	18×3	12-5-82
22.	2152/82	उपाधिक्षक जिला कारागृह, भीलवाड़ा	18×3	20-5-82
23.	2173/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	22×3	14-5-82
24.	2178/82	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	16×3	20-5-82
25.	2261/82	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	8×3	21-5-82
26.	2394/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	20×3	27-5-82
27.	2419/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	30×3	27-5-82
28.	2420/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×2	27-5-82
29.	2421/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	45×3	27-5-82
30.	2501/82	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	14×3	1-6-82
31.	2532/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	14×3	3-6-82
32.	2532/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	124 से मी.	3-6-82
33.	2651/82	खान अभियन्ता, भीलवाड़ा	10 से मी.	8-6-82
34.	2661/82	समाज कल्याण अधिकारी,	15X3	9-6-82
35.	2664/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा	9X3	8-6-82
36.	2675/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	16X2	9-6-82

1	2	3	4	5
37.	2676/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	13X3	10-6.82
38.	2798/82	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	20X2	17-6-82
39.	2847/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा	20X3	19-6-72
40.	2852/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	20X3	19-6-82
41.	2940/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10X2	26-6-82
42.	2941/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10X2	26-6-82
43.	2982/82	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा, भीलवाड़ा	10X2	30-6-82
44.	3066/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15X3	3-7-82
45.	3284/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा	10X3	17-7-82
46.	3290/82	सचिव, जिला परिषद, भीलवाड़ा	16 से. मी.	19-7-82
47.	3316/82	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हुरड़ा, भीलवाड़ा	15 से. मी.	19-7-82
48.	3350/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	24 से. मी.	22-7-82
49.	3445/82	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, भीलवाड़ा	15X3	29-7-82
50.	3460/82	जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा	22X2	30-7-82
51.	3674/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	12X3	10-8-82
52.	3722/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	16X3	17-8-82
53.	3732/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	25X3	17-8-82

(260)

1	2	3	4	5
54.	3755/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	14X3	17-8-82
55.	3756/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	15X3	17-8-82
56.	2816/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड भीलवाड़ा	10X3	21-8-82
57.	3821/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वस्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा	10X3	21-8-82
58.	3855/82	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	64 से. मी.	25-8-82
59.	3878/82	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8X3	26-8-82
60.	3949/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा, फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	14X3	28-8-82
61.	3950/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा।	10X2	28-8-82
62.	3977/82	प्रधाना, राजकीय उच्च माध्यमिक, विद्यालय, प्रतापनगर, भीलवाड़ा	16 से. मी.	30-8-82
63.	4054/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	37 से. मी.	6-9-92
64.	4091/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8X3	6-9-82
65.	4119/82	प्रभारीअधिकारी, उप कारागृह, शाहपुरा, भीलवाड़ा	30 से. मी.	10-9-82
66.	4124/82	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा	12 से. मी.	8-9-82
67.	4146/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	10X3	10-9-82
68.	4209/82	प्रभारीअधिकारी, उप कारागृह, जहाजपुर, भीलवाड़ा	25 से. मी.	16-9-82

1	2	3	4	5
69.	4261/42	प्रभारीअधिकारी उप कारागृह, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	10X3	18-9-82
70.	4314/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	16X3	21-9-82
71.	4329/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा द्वितीय, भीलवाड़ा	16X2	23-9-82
72.	4330/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, जिला उप खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10X3	22-9-82
73.	4342/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	16X3	23-9-82
74.	8345/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	25X3	23-9-82
75.	4380/82	जिला परिषद, भीलवाड़ा	16 से. मी.	24-9-82
76.	4398/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	18 से, मी.	25-9-82
77.	4399/82	अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. विभाग, खण्ड, द्वितीय, भीलवाड़ा	15X3	25-9-82
78.	4448/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, प्रथम, भीलवाड़ा	18 से. मी.	29-9-82
79.	4449/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	18X3	29-9-82
80.	4497/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड	15X3	1-10-82
81.	4519/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10X2	4-10-82
82.	4568/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15X3	7-10.82
83.	4528/82	मैनेजर सर्किट हाउस, भीलवाड़ा	45 से. मी.	7-10-82
84.	4604/82	प्रभारीअधिकारी, उपकारागृह, माडलगढ़, भीलवाड़ा	12 से. मी.	13-10-82

262

1	2	3	4	5
85.	4679/82	कलेक्टर, (भू-अभिलेख) भीलवाड़ा	20 से. मी.	13-10-82
86.	4707/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	15X3	15-10-82
87.	4707/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भीलवाड़ा	10X3	13-10-82
88.	4796/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा, फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	24×3	21-10-82
89.	4903/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	14×3	30-10-82
90.	4904/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	13×3	30-10-82
91.	4939/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाडा	10×2	4-11-82
92.	4940/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाडा	15×3	4-11-82
93	5018/82	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	10 से. मी.	9-11-82
94.	5025/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	14×3	9-11-82
95.	5026/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	12×3	9-11-82
96.	5070/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	25×2	11-11-82
97.	5132/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	20×3	19-11-82
98.	5135/82	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	12 से. मी.	19-11-82
99.	5252/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×3	27-11-82
100.	5268/82	खनि अभियन्ता, बिजौलिया, भीलवाड़ा	22 से. मी.	27-11-82

1	2	3	4	5
101.	5304/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8×2	29-11-82
102.	5306/82	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, भीलवाड़ा	25×2	29-11-82
103.	5312/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×2	30-11-81
104.	5328/82	सहायक अभियन्ता, सा. नि. विभाग, जिला उप खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×2	30-11-82
105.	5352/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	9×2	2-12-82
106.	5390/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन सावस्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा	15×3	3-12-82
107.	5391/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	15×3	3-12-82
108.	5392/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर, खण्ड, भीलवाड़ा	15×3	3-12-82
109.	5460/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	58 से. मी.	7-12-82
110.	5483/82	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	10×2	9-12-82
111.	5485/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	25×3	8-12-82
112.	5497/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भीलवाड़ा	70×3	10-12-82
113.	5504/82	खनि अभियन्ता, बिलौजिया, भीलवाड़ा	25 से मी.	10-11-82
114.	5531/82	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	10×3	14-12-82
115.	5694/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	10×2	24-12-82

264

1	2	3	4	5
116.	5712/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×2	28-12-82
117.	5713/82	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	12×2	28-12-82
118.	5750/82	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड भीलवाड़ा	15×3	30-12-82
119.	68/83	प्रधानाध्यापक, महाराजा उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा, भीलवाड़ा	9×3	5-1-83
120.	258/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	10×2	17-1-83
121.	269/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	13×2 25×2	17-1-83
122.	260/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	16×3	15-1-83
123.	275/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	9×3 9×3	15-1-83
124.	276/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	35×3	15-1-83
125.	277/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	30×3	17-1-83
126.	278/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, प्रथम, भीलवाड़ा	24×3	17-1-83
127.	279/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	38×3	17-1-83
128.	280/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	20×2	17-1-83
129.	343/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड, भीलवाड़ा	18×2	19-1-83
130.	348/83	आचार्य, मा. कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा	15 से. मी.	20-1-83

1		2	3	4	5
131.	350/83	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा		30×3	20-1-83
132.	389/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा		80×3	22-1-83
133.	414/83	,,	,,	14×3	21-1-83
134.	415/83	तकनीकी सहायक अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त, भीलवाड़ा		10×3 10×3	21-1-83 5-2-83
135.		,,	,,	13×3	21-1-83
136.	421/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा		10×3	22-1-83
137.	434/83	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा		10×3	22-1-83
138.	456/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा		24×3 20×3 15 15	24-1-83 10-2-83 26-2-83 6-4-83
139.	591/83	तकनीकी सहायक, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा		10×3	28-1-83
140.	592/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा		35×5	29-1-83
141.	594/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा		8×3	29-1-84
142.	652/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई प्रथम खण्ड भीलवाड़ा		22×3	11-2 83
143.	686/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा		14×3	2-2-83
144.	687/83	,,	,,	8×3	2-2-83

1.	2	3	4	5
145.	688/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	10×3	2-2-84
146.	701/83	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घर "ब", भीलवाड़ा	10×3	2-2-83
147.	710/83	खनि अभियन्ता, बिजौलिया, भीलवाड़ा	15 से. मी.	3-2-83
148.	723/83	तकनीकी, प्रशिक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त, भीलवाड़ा	17×3	4-2-83
149.	739/83	जिला आयुर्वेद अधिकारी, भीलवाड़ा	13×2	4-2-83
150.	771/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, प्रथम, भीलवाड़ा	10×2	5-2-83
151.	795/83	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग खण्ड, प्रथम, भीलवाड़ा	10×3	5-2-83
152.	799/83	जिला आयुर्वेद अधिकारी, भीलवाड़ा	लौटाया गया	
153.	803/83	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	12×3	8-2-83
154.	804/83	,, ,,	12×3	8-2-82
155.	875/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	9×2	10-2-83
156.	876/83	,, ,,	12×3	10-2-83
			15	4-3-83
			15	21-3-83
157.	880/83	उप जिला शिक्षा अधिकारी, आसीन्द, भीलवाड़ा	16×2	10-2-83
158.	920/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	13×3	16-2-83
			15	16-3-83
			32	9-5-83
159.	921/83	,, ,,	8×3	14-2-83
160.	922/83	,, ,,	13×3	14-2-83
161.	923/83	,, ,,	13×3	14-2-83

267

1	2	3	4	5
162.	959/83	अधिशासी अभियन्ता, सा. नि. विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	12×2	16-2-83
163.	985/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	9×2	19-2-83
164.	986/83	,, ,,	8×3	19-2-83
165.	1003/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	12×3	16-2-83
166.	1004/73	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	12×2	16-2-83
167.	1025/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	14×3 12	19-2-83 31-3-83
168.	1028/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	14×3	19-2-83
169.	1047/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15×3	2[illegible]-2-83
170.	1102/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	24×3	22-2-83
171.	1110/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	20×2	23-2-83
172.	1153/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर खण्ड भीलवाड़ा	54 से. मी.	26-2-83
173.	1154/83	,, ,,	47 से. मी.	25-2-83
174.	1155/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×3	25-2-83
175.	1156/83	,, ,,	15×2	24-2-83
176.	1229/83	जिला आयुर्वेद अधिकारी, भीलवाड़ा	10×2	28-2-83
177.	1242/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×3	28-2-83
178.	1248/83	,, ,,	10×3	28-2-83

1	2	3	4	5
179	1330/83	तकनीकी सहायक अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड भीलवाड़ा	51 से. मी.	5-3-83
180.	1353/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	16×2	5-3-83
181.	1364/83	" "	18×2	7-3-83
182.	1369/83	कलेक्टर (भू अभिलेख) भीलवाड़ा	15×2	7-3-83
183.	1386/83	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	27×3	8-3-43
184.	1387/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	17×2	8-3-83
185.	1489/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	14×3	14-3-83
186.	1499/83	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	40×2	14-3-83
187.	1508/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	16×2	15-3-83
188.	1545/83	पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	64 से. मी.	17-3-83
189.	1587/83	तकनीकी सहायक अधीक्षक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड, भीलवाड़ा	20×3	22-3-83
190.	1645/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×3	25-3-83
191.	1649/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×2	26-3-83
192.	1650/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	18×3	26-3-83

1	2	3	4	5
193.	1699/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	27×3	31-3-83
194.	1701/83	" "	14×3	31-3-83
195.	15/82	पंचायत समिति, हुरड़ा (भीलवाड़ा)	10 से. मी.	15-5-82
196.	34/82	" "	10×3 30 से. मी.	8-10-82
197.	35/82	" "	10 से. मी.	8-10-82
198.	43/82	" "	7×2	6-12-82
199.	6/83	" "	16 से. मी	31-1-83
200.	21/83	" "	15 से. मी.	15-3-83
201.	23/83	सचिव, जिला परिषद, भीलवाड़ा	9×2	15-3-83

विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये विज्ञापनों का विवरण (सूची (ख)–2)

वित्तीय वर्ष 83–84

1	1722/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	20×2	2-4-83
2.	1730/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15×2	2-4-83
3.	1745/83	" "	15×3	5-4-83
4.	1747/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	14×3	5-4-83
5.	1748/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	20×3	5-4-83

1	2	3	4	5
6.	1787/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	28×3	8-4-83
7.	1788/83	,, ,,	25×3	8-4-83
8.	1827/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर, भीलवाड़ा	10×3	12-4-83
9.	1837/83	,, ,,	12×3	13-4-83
10.	1862/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	12×3	15-4-83
11.	1863/83	,, ,,	16×3	15-4-83
12.	1864/83	,, ,,	15×3	15-4-83
13.	1876/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	22×3	16-4-83
14.	1897/83	तकनीकी सहायक, अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भीलवाड़ा	25×3	19-4-83
15.	1904/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	18×3	18-4-83
16.	1975/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भीलवाड़ा	12×3	22-4-83
17.	1976/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×3	22-4-83
18.	2007/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	13×2	23-4-83
19.	2013/83	प्रभारी अधिकारी, उपकारागृह (गंगापुर) भीलवाड़ा	30×3	26-4-83
20.	2050/83	अधिशाषी, अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड, भीलवाड़ा	12×3	28-4-83
21.	2094/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	35×3	29-4-83

271

1	2	3	4	5
22.	2125/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×3	30-4-83
23.	2125/83	तकनीकी सहायक अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी वृत्त, भीलवाड़ा	22×3	4-5-83
24.	2168/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रथम खण्ड, भीलवाड़ा	8×3	4-5-83
25.	2208/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वितीय खण्ड, भीलवाड़ा	20×3	9-5-82
26.	2244/83	,, ,,	10×3	9-5-83
27.	2273/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भीलवाड़ा	12×3	9-5-83
28.	2274/83	,, ,,	28×3	9-5-83
29.	2283/83	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	10×3	9-5-83
30.	2330/83	आचार्य राजकीय महाविद्यालय (शाहपुरा) भीलवाड़ा	16×1	13-5-83
31.	2353/83	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. प्रथम खण्ड. भीलवाड़ा	15×2	13-5-83
32	2432/83	,, ,,	13×2	19-5-83
33.	2450/83	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	9×2	19-5-83
34.	2523/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर, भीलवाड़ा	10×3	25-5-83
35.	2524/83	,, ,,	12×3	25-5-83
36.	2534/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8×2	24-5-83
37.	2535/83	,, ,,	10×2	24-5-83
38.	2536/83	,, ,,	10×2	24-5-83

1	2	3	4	5
39.	2542/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	12×2	25-5 83
40.	2610/83	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, भीलवाड़ा	7×2	28-5-83
41.	2629/83	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रथम खण्ड, भीलवाड़ा	14×3	31-5-83
42.	2638/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15	31-5-83
43.	2714/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	14×3	4-6-83
44.	28[illegible]9/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड, भीलवाड़ा	12×3	10-6-83
45.	3086/83	पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	14	24-6-83
46.	3101/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×2	25-6-83
47.	3105/83	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×2	24-6-83
48.	3123/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, भीलवाड़ा	10×2	27-6-83
49.	3149/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड भीलवाड़ा	8×2	29-6-83
50.	3165/83	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिवहन अधिकारी,भीलवाड़ा	25×2	30-6-83
51.	3518/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	14×2	21-7-83
52.	3660/83	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान भू-जल, भीलवाड़ा	8×2	30-7-83
53.	3814/83	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा	46	8-8-83
5..	3836/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	15×2	9.8.83

1	2	3	4	5
55.	3917/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय. भीलवाड़ा	6×2	16-8-83
56.	3999/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड, भीलवाड़ा	17×3	19-8-83
57.	4037/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई मेजा फीडर, भीलवाड़ा	10×3	22-8-83
58.	4076/84	पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	12	25-8-83
59.	4126/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा	10×3	29-8-83
60.	4163/83	मैनेजर सर्किट हाउस, भीलवाड़ा	16×2	2-9-83
61.	4184/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड, भीलवाड़ा	35×3	3-9-83
62.	4228/83	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा	10×2	6-9-83
63.	4243/83	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	20×2	6-9-83
64.	4350/83	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रताप नगर, भीलवाड़ा	10×2	14-9-83
65.	4414/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	30×3	17-9-83
66.	4443/83	प्रभारी अधिकारी, उपकारागृह (गंगापुर) भीलवाड़ा	25×2	19-9-83
67.	4448/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	25×3	20-9-83
68.	4496/83	प्रभारी अधिकारी, उपकारागृह, मांडलगढ़(भीलवाड़ा)	18×2	22-9-83
69.	4504/83	पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा	30×3	22-9-83
70.	4596/83	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15×3	28-9-83

1	2	3	4	5
71.	4710/83	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. विभाग, खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	16×3	4-10-83
72.	4711/83	,, ,,	10×3	4-10-83
73.	4712/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर भीलवाड़ा	14×3	4-10-83
74.	4713/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	135	3-10-83
75.	4717/83	प्रभारी अधिकारी, उपकारागृह, जहाजपुर(भीलवाडा)	22×2	3-10-83
76.	4788/83	सचिव, जिला परिषद, भीलवाड़ा	9×2	6-10-83
77.	4840/ ૯	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	12×2	11.10.83
78	4841/83	क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना समाज कल्याण मांडलगढ़	10×2	19-10-83
79.	4881/83	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	16×3	17-10-83
80.	4882/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×3	17-10-83
81.	4891/83	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	10×2	19-10-83
82.	4906/83	अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड, भीलवाड़ा	17×3	20- 0-83
83.	4921/83	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मलेरिया, भीलवाड़ा	18×2	19- 0-83
84.	4948/83	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड भीलवाड़ा	50×3	20-10-83
85.	4995/83	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवड़ा	14×3	24-10-83

275

1	2	3	4	5
86.	5115/83	प्रभारी अधिकारी, उपकारागृह, गुलाबपुर, भीलवाड़ा	13×2	29-10-83
87.	5242/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	40×3	8-11-83
88.	5243/83	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा	22×2	8-11-83
89.	5260/83	तकनीकी सहायक, अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त भीलवाड़ा	12×3	9-11-83
90.	5309/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	81	14-11-83
91.	5392/83	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	17×2	17-11-83
92.	5394/83	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	12	17-11-83
93.	5396/83	पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	10×2	18-11-83
94.	5408/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	14×3	18-11-83
95.	5426/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	13×3	19-11-83
96.	5445/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×3	21-11-83
97.	5459/83	अधिशाषी अभियन्ता सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×3	22-11-83
98.	5521/83	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15×2	25-11-83
99.	5522/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	10×3	25-11-83
100.	2523/83	अधिशाषी अभियन्ता सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	10×3	25-11-83
101.	5565/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण	16×3	28-11-83

1	2	3	4	5
		विभाग, खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा		
102.	5589/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	12×3	29-11-83
103.	5694/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	13×3	6-12-83
104.	5746/83	अधिशाषी अभियन्ता सिचाई खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	12×2	9-12-83
105.	5745/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8×3	9-12-83
106.	5759/83	अधिशाषी अभियन्ता सिचाई खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	20×2	9-12-83
107.	5771/83	प्राचार्य मा. ला. वर्मा राज. महाविद्यालय भीलवाड़ा	10	9-12-83
108.	5790/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	14×3	12-12-83
109.	5791/83	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, द्वितीय, भीलवाड़ा	19×3	12-12-83
110.	5793/83	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8×3	12-12-83
111.	5799/83	उप मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा (मलेरिया)	12×2	14-12-83
112.	5853/83	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा	18×2	14-12-83
113.	5865/83	अधिशाषी अभियन्ता सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	84 से.मी.	15-12-83
114.	5866/83	,, ,,	77	15-12-83
115.	5882/83	उपाधीक्षक, जिला कारागृह भीलवाड़ा	22×2	16-12-83
116.	5886/83	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	13×2	16-12-83
117.	5887/83	,,	10×3	16-12-83
118.	5934/83	अधिशाषी अभियन्ता सिचाई मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	22×3	20-12-83

277

1	2	3	4	5
119.	5977/83	सहायक निदेशक, कृत्रिम गर्भाधान (भेड़) भीलवाड़ा	20×2	22-12-83
120.	6010/83	प्राचार्य, मा. ला. वर्मा महाविद्यालय, भीलवाड़ा	22	22-12-83
121.	6011/83	"	14	22-12-83
122.	6044/83	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड भीलवाड़ा	45×3	24-12-83
123.	6076/83	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	40	26-12-83
124.	6084/83	जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा	8×3	26-12-83
125.	6102/83	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	10×2	27-12-83
126.	6103/83	"	8×2	27-12-83
127.	17/84	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	20×2	3-1-84
128.	18/84	"	18×2	4-1-84
129.	19/84	"	20×3	3-1-84
130.	59/84	अधिशाषी अभियन्ता, मेजर फीडर खण्ड भीलवाड़ा	9×3	4-1-84
131.	63/83	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	12×2	4-1-84
132.	75/84	सहायक निदेशक, कृत्रिम गर्भाधान (भेड़) भीलवाड़ा	18×2	4-1-84
133.	83/84	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	8×2	5-1-84
134.	103/84	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×2	5-1-84
135.	134/84	मैनेजर सर्किट हाउस, भीलवाड़ा	15×2	6-1-84
136.	149/84	जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा	10×2	6-1-84
137.	180/84	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15×3	7-1-84

1	2	3	4	5
138.	202/84	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	20×3	11-1-84
139.	274/84	,, ,,	10×3	13-1-84
140	291/84	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	10×3	13-1-84
141.	292/84	अधिशाषी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×3	13-1-84
142.	335/84	,, ,,	12×3	18-1-84
143.	336/84	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय, भीलवाड़	14×3	18-1-84
144.	342/84	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	12×3	17-1-84
145.	364/84	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	18×3	18-1-84
146.	620/84	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	19×2	28-1-84
147.	705/84	जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा	8×2	3-2-84
148.	712/84	उप निदेशक कृषि विस्तार, भीलवाड़ा	20×2	3-2-84
149.	739/84	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	15×2	4-2-84
150.	742/84	,, ,,		
151.	762/84	अधिशाषी अभियन्ता सजार्वनिक निर्माण खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8×3	6-2-84
152.	823/84	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	10×3	7-2-84
153.	858/84	आधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	15×2	9-2-84
154.	859/84	,, ,,	12×2	9-2-84
155.	881/84	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8×3	10-2-84 10-2-84
156.	882/84	,, ,,		
157.	922/84	आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा	10×3	23-2.84

1	2	3	4	5
158.	943/84	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	12×3	14-2-84
159.	946/84	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, भीलवाडा	10×3	14-2-84
160.	987/84	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	8×3	15-2-84
161.	1057/84	अधिशाषी अभियन्ता,सिचाई खण्ड प्रथम. भीलवाड़ा	16×3	17-2-84
162.	1090/84	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापनगर, भीलवाड़ा	12	20.2.84
163.	1106/84	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	12×3	20.2.84
164.	1107/84	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	12×3	20.2.84
165.	1112/84	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	12×3	20.2.84
166.	1120/84	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा	12×2	28.2.84
167.	1163/84	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, भीलवाड़ा	12×3	22.2.84
168.	1184/84	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, भीलवाड़ा	15×3	23.2.84
169.	1187/84	,, ,, ,, ,,	12×3	23.2.84
170.	1200/84	अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड भीलवाड़ा	25	24.5.84
171.	1238/84	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, भीलवाड़ा	13×3	28.2.84
172.	1240/84	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, प्रथम भीलवाड़ा	16×3	28.2.84
173.	1268/84	अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड भीलवाड़ा	10×3	22-2-84
174.	8/84	सचिव, जिला परिषद, भीलवाड़ा	6×2	28.2.84

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 398 का विवरण)

लघु कृषक विकास अभिकरण चित्तौड़गढ़ द्वारा जिलों में आदिवासियों के कुएं गहरे कराने के लिये जमा कराई गई राशि व जमा राशि के विपरीत विभाग द्वारा किये गये कार्य का तहसीलवार विवरण

वर्ष	जमा राशि (रुपयों में)	माह जिसमें जमा हुई	तहसील	किया गया कार्य (रुपयों में)
80-81	20,000	9.6.80	प्रतापगढ़	16,456
	80,000	27.6.80	अरनोद	8,412
	1,00,000			24,868
81-82	शून्य		प्रतापगढ़	8,652
			अरनोद	3,720
				12,372
82-83	24,960	2.3.83	प्रतापगढ़	42,940
	50,000	8.3.83	अरनोद	44,780
	74,960			87,720
83-84 (फरवरी 84 तक)	शून्य		प्रतापगढ़	13,460
			अरनोद	21,880
				44,340

कुल जमा 1,74,960.00
कुल कार्य 1,69,300.00

बाकी 5,660.00

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 402 का ब्यौरा)

क्रम सं.	मशीन का नाम	परियोजना पर आने का वर्ष	क्रय की गई/स्थानान्तरण से प्राप्त हुई	लागत रु0 (लाखों में)	काम में कितनी ली गई कि. मी/घंटे
1	2	3	4	5	6
1.	ट्रक आर. जे. वाई. 4834	1977–78	सेई परियोजना से	0.48	34,490
2.	डम्पर आर. जे. टी 3644	"	"	1.15	37,442
3.	डम्पर आर. जे. डब्ल्यू 1117	"	"	0.49	10,048
4.	डम्पर आर. जे. डब्ल्यू 5619	"	"	0.49	25,919
5.	डम्पर आर. जे. टी. 1622	"	"	0.52	23,000
6.	होनीमंग डोजर के–7 बी. 1	"	"	4.35	1,562
7.	होनीमंग डोजर के–7 बी. 2	"	"	4.35	607
8.	66.5 के. वी. ए. रस्टन जेनरेटर 566/डी-24	"	"	0.75	31,079
9.	66.5 के. वी. ए. रस्टन जेनरेटर 766/डी-27	"	"	0.75	4,072
10.	18.75 के. वी. ए. रस्टन जेनरेटर	"	"	0.29	88
11.	ट्रेक्टर आर. जे. वाई–2072	"	सिचाई खण्ड डूंगरपुर से	0.25	2,041

1	2	3	4	5	6
12.	ट्रैक्टर ग्रार. जे. जे.–240	1977–78	सिंचाई खंड डूंगरपुर से	0.38	1,525
13.	किर्लोस्कर कंम्प्रेशर (190102)	"	"	0.60	1,557
14.	किर्लोस्कर कम्प्रेशर (190103)	"	"	0.60	280
15.	किर्लोस्कर कम्प्रेशर (190105)	"	"	0.60	2,140
16.	खोसला कम्प्रेशर (3772)	"	"	0.31	967
17.	खोसला कम्प्रेशर (3906)	"	"	0.55	653
18.	30 के. वी. ए. रस्टन जेनरेटर	"	"	0.40	79
		योग 1977–78		17.31	
19.	टैंकर ग्रार. जे डब्ल्यू 884	1978–79	सेई परियोजना से	0.50	9.489
20,	डम्पर ग्रार. जे. टी 1620	"	"	0.68	15,298
21.	किर्लोस्कर कम्प्रेशर 150090	"	"	0.80	11
22.	किर्लोस्कर कम्प्रेशर 150088	"	"	0.80	54
23.	किर्लोस्कर कम्प्रेशर 159089	"	"	0.80	203
24.	जीप ग्रार. जे. वाई 428	"	सिंचाई खण्ड डूंगरपुर से	0,26	2,05,000
25.	जीप ग्रार. जे. जे 830	"	बांध खण्ड द्वारा क्रय की गई	0.58	16,000
26.	मो. पी. टी कम्प्रेशर 3006	"	"	0.93	1,381
27.	ट्रक ग्रार. जे. जे 1114	"	"	1.30	43,384

2882

(283)

1	2	3	4	5	6
28.	डिजल वेलडिंग प्लान्ट–29064	1978–79	सिंचाई खण्ड डूंगरपुर से	0.42	743
29.	जीप ग्रार. जे. जे. 925	"	बांध खण्ड द्वारा क्रय की गई	0.54	1,55000
30.	जीप ग्रार. जे. जे 1003	"	नहर खण्ड द्वारा क्रय की गई		1,29,000
31.	जीप ग्रार. जे. जे 1005	"	"	1.68	1,05,800
32.	जीप ग्रार. जे. जे 1098	"	"		89500
33.	ट्रैक्टर (एस्कोर्ट) 580	"	ग्रन्य खण्डों से स्थानान्तरित	1.007	3,400
34.	डम्पर (बेडफोर्ड) 887	"	"	0.42	1,16,770
35.	ट्रक ग्रार. बे. जे 1070 (बेडफोर्ड)	"	"	1.007	20,000
		योग 1978–79		11.724	
36.	कम्प्रेशर सी. पी. टी. 25/8062	1979–80	नहर खण्ड द्वारा क्रय की गयी	1.89	2,200
37.	कम्प्रेशर सी. पी. टी. 25/8065	"	"		2.265
38.	एटलस कम्प्रेशर 367016	"	ग्रन्य खण्ड से स्थानान्तरित	1.05	2.810
39.	किर्लोस्कर कम्प्रेशर 1800781	"	"	0.67	561
		योग 1979–80		3.61	

1	2	3	4	5	6
40.	डम्पर टी-733 (आर जे. जे 1919)	1981-82	बांध खण्ड द्वारा क्रय की गई	1.87	29.519
41.	डम्पर टी 734 (आर जे. जे 1918)	„	„	1.87	29.024
		योग 1981–82		3.74	
42.	एम्बुलेन्स आर. जे. जे 1564	1982-83	बांध खण्ड द्वारा क्रय की गई	0.77	34,639
		योग 1982-83		0.77	
			कुल योग	37.15	

इसके अतिरिक्त अन्य मशीनें जो कि कार्य पर ही चार्ज होती है तथा जिनका उपयोग कार्य की आवश्यकतानुसार किया जाता रहा है, का वर्ष वार खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मशीन का नाम	क्रय वर्ष	लागत (लाखों में)
1.	विभिन्न क्षमता के वाटर पम्प (12 नग)	1977-78	2.49

284

1	2	3	4
2.	बोरिंग मशीन (2 नग)	1977–78	5.50
		योग–1977–78	7.99
3.	विभिन्न क्षमता के वाटर पम्प (5 नग)	1978–79	0.53
4.	विभिन्न क्षमता कंकरीट मिक्सर (3 नग)	"	0.98
		योग वर्ष 1978–79	1.51
5.	सायाजी कंकरीट मिक्सर (3 नग)	1979–80	0.82
		योग वर्ष 1979–80	0.82
6.	सायाजी कंकरीट मिक्सर (2 नग)	1980–81	0.42
		योग वर्ष 1980–81	0.42
7.	सायाजी कंकरीट मिक्सर (2 नग)	1981–82	0.42
		योग वर्ष 1981–82	0.42

1	2	3	4
8.	कंकरीट वाइब्रेटर (5 नग)	1983–84	0.27
9.	जा. कुशर मशीन मय ट्राली (1)	"	–1.26
		योग वर्ष 1983-84	–1.53
		कुल योग=	13.09

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 405 की सूचना)

विभिन्न स्त्रोतों से कितना 2 सीमेंट प्राप्त करने एवं इसका कहां कहां पर भण्डारण कर वितरण करने की खण्डवार/वर्षवार सूचना इस प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम खण्ड	दिनांक 1.4.80 को सीमेंट का बेलेन्स	प्राप्त की गई सीमेंट (थैलों में) 1980–81		1981–82		1982–83		कहां कहां पर भण्डारण किया जाकर वितरण किया गया 1980–81	1981–82	1982–83
			फैक्ट्रियों से	अन्य स्त्रोतों से	फैक्ट्रियों से	अन्य स्त्रोतों से	फैक्ट्रियों से	अन्य स्त्रोतों से			
1.	सिंचाई खण्ड अजमेर	1909	42870	71	42611	2000	27007	4881	अजमेर के भण्डारों में एवं केकड़ी ब्यावर, लसाडिया कार्यस्थल एवं मसूदा	अजमेर स्थित भण्डारों में एवं	अजमेर स्थित भण्डारों में तथा वसुन्दनी साईट, केकड़ी चांदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									कार्य स्थल	ब्यावर केकड़ी तथा विजय नगर भण्डारों में	बाड़ा, ब्यावर माकड वाली साईट, रामः सरोवर, साईट केसरपुरा साईट रानीसागर साईट के भण्डारों में
2.	बाढ नियन्त्रण खण्ड अजमेर	–	–	–	–	–	12000	–	–	–	अजमेर स्थित भण्डारों में
3.	आधुनिकीकरण खण्ड टोंक	1127	55394	–	53420	–	36896	–	टोंक एवं उनियारा भण्डार	पीपल भण्डार	टोंक एवं टोंक भण्डार

विभिन्न खण्डों द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में किस किस फैक्ट्री वार क्रय किये गये सीमेंट की सूचना प्रपत्र "क" पर संलग्न है। सीमेंट का क्रय उपखण्ड वार नहीं किया जाता। सीमेंट का भण्डारण फैक्ट्री वार नहीं किया जाता।

प्रपत्र "क" फैक्ट्रियों से सीमेंट की प्राप्ति

वर्ष	सिचाई खण्ड अजमेर प्राप्ती (थैले)	सिचाई खण्ड टोंक (प्राप्ती (थैले)	बाढ नियन्त्रण खण्ड अजमेर प्राप्ती (थैले)	वृत का योग
80-81	1–उदयपुर सीमेंट	1–उदयपुर सीमेंट 5400	खण्ड कार्यरत	
	वर्क्स 5010	2–जे. के. सीमेंट 35435	नहीं था	98264
	2–जे. के. सीमेंट	3–जयपुर उद्योग 8800		
	निम्बाहेडा 27860	स. माधोपुर		
	3–बिरला सीमेंट	4–अ. अ. बडोपल 5259		
	चित्तौड 10000	खण्ड सूरतगढ़		
		5–मत्स्यपालक		
		अभिकरण टोंक 500		
	कुल 42870			
		कुल 55394		
81-82	1–उदयपुर सीमेंट	1–जिला रसद अधिकारी	,, ,,	96031
	उदयपुर 15240	टोंक 500		
	2–जे. के. सीमेंट	2–जयपुर उद्योग 24700		
	निम्बाहेडा 11780	3–ए. सी. सी. 1000		
	3–बिड़ला सीमेंट	लाखेरी		
	चित्तौड 15591	4–जे. के. सीमेंट 6000		
		5–सहकारी 500		
		उपभोक्ता		
	कुल 42611	भंडार टोंक		
		6–अ. अ. पांचना		
		करौली 17,720		
		जयपुर		
		उद्योग से		
		7–अ. अ. सीकर 3000		

जयपुर
उद्योग से

कुल– 53420

1–बिरला सीमेंट 75903

82-83 1–उदयपुर सीमेंट 2000 1–जयपुर उद्योग 20900 12000
2–जे. के. सीमेंट 20007 2–जे के सीमेंट 9996
3 बिडला ,, 5000 3–उदयपुर सीमेंट 6000

कुल 27007 कुल–36896

परिशिष्ट–ख I

2. जो सीमेंट की मात्रा फैक्ट्रियों से परिवहन कम्पनियों द्वारा फैक्ट्री से भण्डारों पर या सीधे साईट पर लाई गई उसका वर्ष 1980-81 में रु. 3, 16, 548.80 वर्ष 1981-82 में रुपये 2, 79, 44. 12 एवं वर्ष 1982-83 में रुपये 2, 14, 246.80 खर्च आया।

इस परिवहन व्यय की प्रक्रिया इस प्रकार रही कि सीमेंट को फैक्ट्रियों से भंडारण स्थान अथवा साईट पर परिवहन करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई तथा न्यूनतम दर निर्धारित कर परिवहन कम्पनियों को सीमेंट लादने व ढोने के आदेश दिये गये।

कितनी-कितनी राशि किस-किस परिवहन कम्पनी को कितनी कितनी सीमेंट लाने हेतु चुकाई गई इसका ब्योरा प्रपत्र-ख–1, ख–2, ख–3, तथा ख–4 पर संलग्न है :—

(291)

प्रपत्र "ख" 1 सीमेन्ट के परिवहन पर खर्चे का विवरण

वर्ष	सिंचाई खण्ड अजमेर		सिंचाई खण्ड टोंक		बाढ़ नियन्त्रण खण्ड अजमेर		वृत का योग
	थैले	कुल राशि	थैले	कुल राशि	थैले	कुल राशि	
80–81	24,550	96,421.50	47,114	220127.30	यह खण्ड कार्यरत नहीं था		316548.80
81–82	28,766	1,13,640.22	45,590	165783.90	यह खण्ड कार्यरत नहीं था		279424.12
82–83	शून्य	–	34,056	162826.80	12,000	51,420.00	
	(विवरण "ख" तीन में)		(विवरण "ख" दो में)		(विवरण "ख" तीन में)		

292

प्रपत्र "ख"–2 (सिंचाई खण्ड टोंक)

क्र. सं.	फैक्ट्री का नाम जहां से सीमेन्ट प्राप्त हुई	परिवहन कम्पनी का नाम जिससे सीमेन्ट का परिवहन कार्य करवाया गया	मात्रा	दर	कुल रकम
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा	मैसर्स ताराचन्द बड़जात्या, ब्यावर	38894 थैले	4.95	1,92,525.30
2.	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स उदयपुर	—डू—	3820	4.80	18,336.00
3.	जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर	—डू—	1820	1.93	3,512.60
			44534		2,14,373.90
4.	जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर	मैसर्स गौतम ट्रान्सपोर्ट ब्यावर	2580	2.23	5,753.40
			2,580		5753.40
		कुल योग :	47114	—	2,20,127.30
		वर्ष 1981-82			
1.	मैसर्स जे. के. सीमेन्ट निम्बाहेड़ा	ताराचन्द बड़जात्या ब्यावर	6000	6.45	38,700 00
2.	जयपुर उद्योग	विष्णु कुमार गुप्ता टोंक	39,590	3.21	1,27,083.90
			45,590		1,65,783.90
		वर्ष 1982-83			
1.	जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर	विष्णु कुमार गुप्ता टोंक	18060	3.21	57,9,72.60
			18060	3.21	57,9,72.60

1	2	3	4	5	6
2.	जे. के. सीमेन्ट निम्बाहेड़ा	ताराचन्द बड़जात्या ब्यावर	9996	6.45	64474.20
3.	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स	—दू—	6000	6.73	40380.00
			15996		104854.20
		कुल योग :	34056	—	162826.80

प्रपत्र "ख"–3 (सिचाई खण्ड अजमेर)

1.	मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा	मैसर्स जी. एम. खान, अजमेर	7940	रु. 3.70 प्रति बैग	रु. 29378
2.	मैसर्स उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स उदयपुर	मैसर्स सरस्वती गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी उदयपुर	1250	रु. 3.50 प्रति बैग	रु. 4375
3.	मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा	मैसर्स एल. के. खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी, अजमेर	6000	रु. 4.37 प्रति बैग	रु. 25220
4.	मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा	श्री टीकमचन्द गोयल अजमेर	6200	रु. 79.35 प्रति में टन	रु. 24598.50
5.	मैसर्स उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स उदयपुर	मैसर्स सरस्वती गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी उदयपुर	3160	रु. 3.75	रु. 11850
		कुल खर्चा : 1980–81	24,550		रु. 96,421.50

वर्ष 1981–82

1.	मैसर्स जे. के. सीमेन्ट निम्बाहेड़ा	मैसर्स एल. के. खण्डे-एण्ड कम्पनी, अजमेर	2180	रु. 4.37 प्रति बैग	रु. 9526.60
2.	मैसर्स बिरला सीमेन्ट	मैसर्स एल. के. खण्डे-	10206	रु. 3.95	रु. 40313.70

2945

1	2	3	4	5	6
	वर्क्स चित्तौड़गढ़	एण्ड कम्पनी अजमेर		प्रति बैग	
3.	मैसर्स उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स उदयपुर	सर्स सरस्वती गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी उदयपुर	280	रु. 3.75 प्रति बैग	रु. 1050
4.	मैसर्स उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स उदयपुर	मैसर्स कमल किशोर गोयल अजमेर	10860	रु. 3.93 प्रति बैग (-) 1/2 प्रतिशत डिस्काउन्ट	रु. 42466
5.	जे. के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा	मैसर्स गौतम ट्रांसपोर्ट कम्पनी ब्यावर	5240	रु. 03.91 प्रति बैग	रु. 20283.50
		कुल खर्चा वर्ष 81-82 बैग	28,766		रु. 1,13,640.22

वर्ष 1982-83

—शून्य—

कुल खर्चा वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 बैग 53316 रु. 210061.72

प्रपत्र "ख"-4 (बाढ़ नियंत्रण खण्ड अजमेर)

1.	80-81	—	—	—	—	—
	81-82	—	—	—	—	—
	82-83	मैसर्स बिरला सीमेन्ट वर्क्स चित्तौड़गढ़	मैसर्स राजेन्द्र कुमार कासलीवाल, अजमेर	600 मै.ट. 12000 थैले	80.70 रुपये प्रति टन	रु. 51420/-

परिशिष्ट III

3. प्राप्त हुई सीमेन्ट में से निर्माण कार्यो हेतु इश्यू की गई सीमेन्ट की कुल मात्रा वर्ष 1980-81 में 86826 थैले, वर्ष 1981-82 में 1,02,224 थैले एव वर्ष

295

1982–83 में 69 397 थैले रही जिसका खण्डवार ब्यौरा एवं कितनी-2 सीमेन्ट किस-किस निर्माण कार्य हेतु इश्यू की गई का ब्यौरा प्रपत्र ग-1, ग-2, ग-3, ग-4, ग-5 एवं ग-6 पर संलग्न है।

इसके अलावा वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 के अन्त तक विवादास्पद तथा भण्डारण में बैलेंस थैले निम्न प्रकार थे :—

वर्ष	विवादास्पद थैले (सिचाई खण्ड अजमेर)	भण्डारण में बैलेंस विवादास्पद थैलों के अलावा (सिचाई खण्ड, अजमेर)		भण्डारण में बैलेंस थैले टोंक खण्ड	बाढ़ नियंत्रण खण्ड, अजमेर
80–81	अन्त 1773	200	(141 उपयोगी व 59 अनुपयोगी)	12512	....
81–82	,, 4587	1604	(1191 थैले अनुपयोगी)	4161	....
82–83	,, 6677	1604	(,, ,, ,,) (अजमेर स्थित भण्डारों में 379 थैले बसुन्दनी साइट भण्डार में 252 थैले केकड़ी उपखण्ड व खण्डीय भण्डार में 583 थैले ब्यावर उपखण्ड भण्डार में 24 थैले कल्याणी पुरा चैनल भण्डार में 212 थैले अन्य 154 थैले कुल 1604 थैले	13458 अधिकांश टौंक भण्डार में	....

प्रपत्र ग–1

कार्य पर खर्च की गई सीमेन्ट की सूचना (थैलों में)

वर्ग 1	सिचाई खण्ड अजमेर 2	सिचाई खण्ड टौंक 3	4	बाढ़ नियंत्रण खण्ड अजमेर 5	वृत्त का योग 6
80–81	42877 (देखें प्रपत्र ग–3)	43949 (देखें प्रपत्र ग–2)		–	86,826

81-82	40393 (देखें प्रपत्र ग-4)	61831 ,,	(देखें प्रपत्र ग 3) ,,	–	1,02,224
82-83	29798 (देखें प्रपत्र ग-5	27599	12,000 प्रपत्र ग-6)		69,397

(अजमेर शहर बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर)

नोट :– विस्तृत विवरण संलग्न तालिका के अनुसार

टोंक खण्ड के विभिन्न बंधों पर
इश्यू की गई सीमेन्ट का ब्यौरा

क्र. सं.	नाम बांध	80-81	81-82	82-83	योग
1	2	3	4	5	6
1.	माशी	22779	45338	8871	76988
2.	गलवा	11090	1760	2720	15570
3.	गलवानिया	102	–	48	150
4.	देवली सेक्शन	25	–	–	25
5.	सिदोलिया	280	–	–	280
6.	मलिक सागर	650	–	–	650
7.	छान	25	–	–	25
8.	भारत स्पेन पाइप (टेण्डर में शर्तों के कारण)	183	–	–	183
9.	लाम्बा	320	–	–	320
10.	चन्दलाई (मत्स्य)	3421	5010	700	9131
11.	राज कटला अवा.	230	–	–	230
12.	प्रताप सागर	250	–	–	250
13.	अधिशाषी अभियन्ता भवन टोंक	1000	1050	–	2050
14.	मोती सागर	530	1618	700	2848
15.	सूथड़ा	50	–	5918	5968
16.	सोहदरा	250	700	330	1280
17.	रतनपुरा	400	–	–	400

(297)

1	2	3	4	5	6
18.	बगड़ी	50	200	800	1050
19.	बनेठा	68	718	–	786
20'	दौलत सागर	50	1600	1782	3432
21.	टोरड़ी सागर	100	–	643	743
22.	मालपुरा सैक्शन	600	–	–	600
23.	लाम्बा जनार्दन	40	–	–	40
24.	साखना	187	163	–	350
25.	टोडाराय सिंह सैक्शन	100	256	380	736
26.	नासिरदा	135	–	–	135
27.	मैंढ़सागर डिग्गी	192	–	–	192
28.	अधिशाषी अभियन्ता वटर रिसोर्सेज जयपुर	–	30	–	30
29.	सिरोही	–	313	–	313
30.	दतोब	–	365	–	365
31.	दूनी सागर	–	200	–	200
32.	अधिशासी अभियन्ता निवास	–	240	87	327
33.	लाम्बा हरिसिंह	–	226	262	488
34.	उनियारा सैक्शन	–	142	182	324
35.	बोरखण्डी	–	169	–	169
36.	अगरा बिलासपुरा	–	300	–	300
37.	मोहम्मद गढ़	–	110	–	110
38	रामपुरा	–	250	564	814
39.	गोठड़ा	–	73	–	73
40.	चन्दलाई	–	1000	100	1100
41.	सदरपुरा	–	–	400	400
42.	थावला	–	–	100	100
43.	अधिशाषी अभियन्ता पी. एच. डी टोंक	–	–	200	200
44.	श्योदानपुरा	–	–	1280	1280
45.	हरछन्द्रेड़ा	–	–	950	950
46.	पचाला जोन	842	–	189	1031

1	2	3	4	5	6
47.	डाक बंगला निवाई	–	–	100	100
48.	चान्दली	–	–	283	283
	योग :–	43949	61831	27599	133379

प्रपत्र-ग-3

सिंचाई खण्ड अजमेर में विभिन्न बांधों पर इश्यू की गई सीमेण्ट का ब्यौरा
वर्ष 1980-81

1.	अजगरा फिश फार्म	3945
2.	बसुन्दनी प्रोजेक्ट	2916
3.	तिलोरा बांध	2240
4.	रणजीत सागर आनहेड़ा	1120
5.	लसाड़िया प्रोजेक्ट	1233
6.	राजगढ़	2565
7.	गोपाल सागर मुण्डिया खेड़ा	700
8.	सुरखेली सागर अराई	275
9.	काली बावर	600
10.	सिन्दूर सागर सरवाड़	185
11.	शिवसागर रिचमालिया	535
12.	रघुनाथ सागर बडला खेड़ा	300
13.	गोपाल सागर सराना	6
14.	हनुमान सागर वरना	398
15.	बीर केनाल	350
16.	करनी सागर नासून	134
17.	जवासिया श्यामगढ़ मसूदा	154
18.	बलाड टैंक	150
19.	लोरिया टैंक नागेलाव	316

2-99

1	2	3
20.	बालासागर नागेवाल	100
21.	रणजीत सागर नादसी	475
22.	देवीसागर रामगढ़	310
23.	खवास टैंक	100
24.	डण्ड तालाब	100
25.	ब्यावर सैक्शन	200
26.	भिभाय सैक्शन	400
27.	बड़ा तालाब गुडा	200
28.	हाइड्रोलोजी लैबोरेटरी	2
29.	बडला जाल का खेड़ा	380
30.	शेरशाह फतेहगढ़	200
31.	सीतोलाव सावरिया	150
32.	कल्याण सागर फाग्वियद	150
33.	बड़ा तालाब नागेलाव	190
34.	बड़ा तालाब नाईकी	450
35.	घोला तालाब नाईकी	370
36.	भवानी सागर कटसूरा	459
37.	मसूदा सैक्शन	150
38.	बड़ा तालाब मोरकिया	240
39.	बड़ी बाला नाई खेड़ा	140
40.	काण्डोलाव नाई खेड़ा	260
41.	छापरिया देव गांव	400
42.	बडलिया अमरगढ़	190
43.	नाखोलाव हनुमसिया	79
44.	भवानी खेड़ा	545
45.	बलवता टैंक नर्सीराबाद	200
46.	शिव सागर न्यारा	391
47.	शिवसागर उगम खेड़ा	150
48.	माना घाटा फीडर	120
49.	दुबालिया टैंक	360
50.	सूरा सूरी केकड़ी	165
51.	घोबी घाटा बान्दर सिन्दरी	662

(300)

1	2	3
52.	मोर सागर मुहामी	247
53.	बाके सागर	214
54.	वैशाली	100
55.	डण्ड तालाब मनोदिया	123
56.	पारा द्वितीय	200
57.	ऊटडा	410
58.	जगपुरा	1090
59.	रनतभद नया गांव	60
60.	बड़ा तालाब अलोली	28
61.	सारोठ फीडर नया गांव	1200
62.	मरम्मत कार्य अधीक्षण अभियन्ता बगला	20
63.	मरम्मत कार्य अधिशासी अभियन्ता	10
64.	गोपाल सागर गोपाल पुरा	49
65.	भैसा सागर साबला	33
66.	बुवानिया टैंक	12
67.	शाह सागर मथाना	343
68.	चावण्ड सागर चावण्डिया	25
69.	काजी पुरा रपट	80
70.	नोसर रपट	82
71.	चान्दमा रपट	150
72.	बाजेरा रपट	175
73.	बाजोरा फीडर	45
74.	विजय सागर लाम्बा	326
75.	नील को नाडो	130
76.	चावण्डी सागर सरसेड़ी	274
77.	राब सागर टिकाबड़ा	581
78.	बड़ा तालाब कोहड़ा	67
79.	परबत सागर सरगांव	353
80.	सुरखेली सागर अराई	200
81.	कारनोस टैंक	70
82.	कुंवर पाडा बिडला	300
83.	गज सागर	125

1	2	3
		8
84.	सूरज सागर जतीपुरा	7
85.	लखीना टैंक	6
86.	दिलवाड़ा टैंक	3
87.	बांचला टैंक निमोद	
88.	बड़ा सालाज भाजमा	4
89.	शक्ति सागर खरबा	
90.	खरी की भाव	1
91.	कापड तालाब	5
92.	फूल सागर मवाड़ी	1
93.	सीतोलाव सेकरिया	1
94	कल्याण सागर फार्राकब्ज	[illegible]
95.	मोडा सागर भटसूरी	
96.	वीर डाक बंगला	
97.	चारो लाव सावर	
98.	गुहाना टैंक	
99.	मावडवाली	
100.	देवाता टैंक	
101.	भुजा रेल	
102.	राजीयावास	
103.	इन्द्र कोट व रोड	
104.	केश सेल अधिशासी अभियन्ता, सार्व. निर्माण विभाग, राष्ट्रीय मार्ग अजमेर	2
105.	गोपाल सागर जालिया	
106.	रणजीत सागर	
	योग :—	42

प्रपत्र-ग-4

सिचाई खण्ड अजमेर से विभिन्न कार्यो पर इश्यू की गई सीमेन्ट का ब्योरा

1.	जगपुरा टैंक	1
2.	बसुन्धनी प्रोजेक्ट	

1	2	3
		800
3.	रिचमालिया टैंक	200
4.	गोपाल सागर गोपालपुरा	300
5.	तारागढ़ बन्ध रोड	200
6.	हनुमान सागर वरना	650
7.	चापानेरी देव गांव	750
8.	भुजारेल रपट	910
9.	अजगरा फिश फार्म	450
10.	पारा प्रथम	1073
11.	सातोलाव एकलसीगा	583
12.	नया तालाव एकलसीगा	90
13.	अलख सागर वान्दनवाड़ा	300
14.	अलख सागर वालापुरा	700
15.	नावा फीडर	360
16.	पारा द्वितीय	800
17.	मदन सरोवर धानवा	200
18.	बडली वान्ध	875
19.	बाला टोला बागमल	135
20.	प्रेम सागर कालीजर	16
21.	गुण्डोलाव खुर्द	400
22.	लोरडी वान्ध	200
23.	प्रताप सागर केलू	310
24.	पृथ्वी सागर गुदलीया	150
25.	जवाजा	200
26.	जालिया पिसावास	100
27.	लोटियाना	100
28.	राजियावास	200
29.	नाहर दाता कारनोस	200
30.	बड़ा तालाब सराना	200
31.	आनन्द सागर टाटोटी	2[illegible]0
32.	बन्डी वाला नाई खेड़ा	

1	2	3
33.	घयालिया टैंक जूनिया	200
34.	ऊंटड़ा बांध	326
35.	धुलाई टैंक	200
36.	केसरपुरान रपट	743
37.	भीम सागर तिहारी	30
38.	बड़ी वाला नाई का खेड़ा	50
39.	भीम मोडोलाव	150
40.	काबरा टैंक	150
41.	राजगढ़	60
42.	पीसांगन सैक्शन	36
43.	रामगढ़ टैंक नावां	40
44.	भीमा देव प्रोजेक्ट	150
45.	नसीराबाद सैक्शन	20
46.	अजमेर सैक्शन	18
47.	गुदलिया टैंक मेवदाकलां	250
48.	फ्लड प्रोटेक्शन अजमेर सिटी	4741
49.	रसूलपुरा टैंक	100
50.	अरडका टैंक	250
51.	पुष्कर फीडर	200
52.	कायड़ टैंक	10
53.	वैशाली	25
54.	फूल सागर गवाड़ी	20
55.	जालिया पितावास	350
56.	लसाड़िया	750
57.	सीकोलाव तालाब अडका	100
58.	पिविनिया तालाब केरिया	200
59.	विजय सागर केरिया खेड़ी	200
60.	बस्केरिया तालाब बड़गांव	300
61.	शिव सागर चापानेरी	279
62.	काला तालाब बडला	400

1	2	3
63.	तुलसी की रपट	400
64.	जसवन्त सागर शेरगढ़	200
65.	सरवाड III	25
66.	सावर सैक्शन	25
67.	केकड़ी सैक्शन	25
68.	आर. सी. सी. पाइप राजस्थान सीमेन्ट पाइप प्रोडेक्ट	463
69.	आर. सी. सी. पाइप स्पेन पाइप झोटवाड़ा (जयपुर)	200
70.	आर. सी. सी. पाइप मैसर्स भारत स्पेन पाइप जयपुर	89
71.	केश सैल एसस्टेड एक्जीक्यूटिव आफिस वाटर रिजोर्सेज सब डिवीजन अजमेर	150
72.	ताज सरोवर अरनिया	100
73.	सैल सागर किटाव	200
74.	बड़ा तालाब बान्दवाड़ा	200
75.	पिनिया तालाब केरिया	200
76.	बीर डाक बंगला	130
77.	किशन सागर ख्वास	116
78.	चावण्डिया तालाब चावण्डिया	200
79.	राम सरोवर बान्दरसिन्दरी	200
80.	अमर बालूपुरा	250
81.	हनुमान सागर	200
82.	शिव सागर एकलसिंगा	250
83.	गुण्डोलाब तालाब	250
84.	हाथी पट्टा फारकिया	192
85.	रायसिंह पुरा	69
86.	गोपाल सागर सराना	727
87.	चारलोव सावर	42
88.	फूल सागर गवाड़ी	20
89.	ट्रान्सफर बान्दवाड़ा	800
90.	ट्रान्सफर सबडिवीजन (फ्लड)	400

1	2	3
91.	ट्रान्सफर सबडिवीजन केकड़ी	200
92.	ट्रान्सफर सबडिवीजन ब्यावर स्टोर	200
	कुल योग :-	40,393

प्रपत्र-ग-5

सिचाई खण्ड अजमेर में विभिन्न कार्यों पर ईश्यू की गई सीमेन्ट
ब्यौरा वर्ष 1982-83

1.	जवाजा टैंक	22
2.	दूदालेश्वर टैंक	40
3.	पाडाबगड टैंक	175
4.	माधोसागर खरवा	15
5.	नारदाता कारनोस	850
6.	काबरा टैंक	15
7.	लसानी टैंक	35
8.	नीम सागर शिवपुरी	50
9.	खातोलाई श्यामगढ़	50
10.	लालोलाव टैंक	60
11.	बारावास टैंक	65
12.	सरबिना टैंक	35
13.	राता भाटा टैंक	2
14.	देवी सागर खीमपुरा	25
15.	भुजा रेल रपट	70
16.	रिदूवास टैंक	55
17.	देवाता टैंक	30
18.	शेरो का बाला	2
19.	देहू सागर बडर्ला	50

1	2	3
20.	नायला टैंक	500
21.	बबुग्रा का तालाब टाटगढ़	1050
22.	भीमगोला टैंक	28
23.	भीमादेह रपट	850
24.	लोटियाना टैंक	80
25,	नारायण सागर	200
26.	शिवसागर शिव नगर	200
27.	ग्रतितमण्ड तालाव	150
28.	मैरू सागर मैरू खेड़े	75
29.	समेटा टैंक देवास	75
30.	मैरू सागर सताना	50
31.	लोरडी टैंक	100
32.	जग्राजा टैंक	60
33.	मसूदा सैक्शन	236
34.	माकडवाली टैंक	450
35.	राम सरोवर बान्दर सींदरी	400
36.	रानीसागर जिलावड़ा	300
37.	केसरपुरा टैंक	200
38.	हाथी पट्टम फोरकिया	100
39.	नया तालाब वरना	80
40.	जवाहर सागर सिरोंज	80
41.	हनुमान सागर बरना	60
42.	ग्रलख सागर कालापुरा	90
43.	हनुमान सागर रलावता	50
44.	सलूस राम सागर नारेली	135
45.	पुष्कर फीडर	365
46.	ग्राम्बा प्रोजेक्ट	94
47.	कानपुरा टैंक	305
48.	जवाहर सागर सिरोंज	222
49.	किशन सागर कागूंदा	78
50.	राम सागर टिकावडा	250

1	2	3	4
51.	राम सागर रामपुरा		250
52.	किशन सागर जैतपुरा		160
53.	लोरकिया तालाब नोगेलाव		100
54.	देवासागर नोगोला		25
55.	झेला सागर रघुनाथपुरा		35
56.	बड़ा तालाब केरिया		200
57.	देह सागर बडली फीडर		794
58.	बगराई रपट		915
59.	जिलावड़ा टैंक		43
60.	गणेश सागर		77
61.	सूरज सागर भिनाय		20
62.	पिपानिया टैंक केरिया		20
63.	श्याम सागर रघुनाथपुरा		15
64.	मानसागर नान्दसी		20
65.	बड़ा तालाब चापानेरी		60
66.	शिव सागर चापानेरी		25
67.	चावण्डसागर चावण्डिया		120
68.	नान्दनवाड़ा स्टोर बिल्डिंग		48
69.	मानसागर जडाना		118
70.	बसुन्दनी सिंचाई परियोजना		5617
71.	मरम्मत कार्य भिनाय सैक्शन		1760
72.	मरम्मत कार्य ससना		153
73.	मरम्मत कार्य केकड़ी सैक्शन		5
74.	मरम्मत कार्य सरवाड सैक्शन		10
75.	मरम्मत कार्य जुनिया सैक्शन		10
76.	मरम्मत कार्य सावर सैक्शन		8
77.	शिव सागर एकलसिंगा		650
78.	लाइनिंग कार्य पारा–II		200
79.	गोविन्द सागर सरवाड़		120
80.	लसाड़िया नगर		4983
81.	पारा–I		70
82.	बालासागर माटोलाव		400

1	2	3
83.	बिछला टैंक नीमोद	11
84.	बड़ा तालाब नाइकी	55
85.	अजगरा बंध व नहर	410
86.	अमरपुरा	10
87.	पारा–II	200
88.	भगत सागर भाटोलावा	65
89.	ताज सरोवर अरनिया	662
90.	गोविन्द सागर	18
91.	बिसन सागर जैतपुरा	150
92.	सलूस जडजोडला तालाब	15
93.	सिंचाई कालोनी	5
94.	रणजीत सागर आनहेड़ा	1615
95.	छोटा तालाब मोलकिया	200
96.	अजगरा फिश फार्म	800
		29,798

प्रपत्र–ग–6

बाढ़ नियन्त्रण खण्ड अजमेर में कार्यों पर पर ईश्यू की गई सीमेन्ट का ब्यौरा

वर्ष 1980–81 व 1981–82

यह खण्ड 1-1-82 से सृजित हुआ था। वर्ष 1981–82 में कोई सीमेन्ट कार्यों पर ईश्यू नहीं किया।

वर्ष 1982–83

कल्याणीपुरा बाई पास चेनल एवं चैक डैम्स	8000 थैले
हाउसिंग बोर्ड अजमेर	2000 थैले
सिंचाई उप-खण्ड केकड़ी	2000 थैले
कुल योग :–	12000 थैले

309

परिशिष्ट IV

(4) विभिन्न कार्यों में प्रयोग होने वाली सीमेन्ट की संभावित मात्रा को ध्यान में रखते हुए सीमेंट की मांग अग्रिम कार्यवाही के रूप में की जाती है (क्योंकि सीमेंट की प्राप्ति में लम्बा समय लगता है) ताकि आवश्यक निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहे।

वर्ष 1983-84 के लिए 57100 थैले सीमेंट का क्रय किया गया है। जिसका ब्यौरा प्रपत्र "घ" पर सलंग्न है।

प्रपत्र "घ"

वर्ष 1983-84 में क्रय की गई सीमेंट का ब्यौरा

सिंचाई खण्ड, अजमेर	सिंचाई खण्ड टोंक		बाढ़ नियन्त्रण खण्ड अज		वृत्त का योग
36100 थैले	1. बिरला सीमेंट	3,000	1. बिरला सीमेंट	4,000	
	2. मोडक सीमेंट मोडक	10,000	2. जे. के. सीमेंट	4,000	
		13,000 थैले		8,000 थैले	57,100 थैले

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 410 की प्रति)

डा. रणवीर सिंह
एम. बी. बी. एस. डीपीउच

कार्यालय
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
(प. क) झुन्झुनू

अ. शा पत्रांक गोप/संस्था/3196-97 दिनांक 27-5-83

विषय–मातृ शिशु क. केन्द्र मण्डावा पर कार्यरत डा. स्वामी द्वारा मरीजों के साथ खिलवाड़।

आदरणीय डा. जैन साहब,

जो जांच आपने मुझे दी थी वह मेरे द्वारा दिनांक 8-4-83 को मण्डावा पहुंच कर की गयी तथा जांच प्रतिवेदन भी आपको इस कार्यालय के क्रमांक गोप/संस्था/2544 दिनांक 18-4-83 के द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी थी लेकिन आपने उक्त प्रतिवेदन आपके कार्यालय के क्रमांक 686 दिनांक 20-4-83 के द्वारा वापस लौटा दी। इसकी अनुपालना में इस कार्यालय के पत्रांक 2925 दिनांक 3-5-83 के द्वारा आपको फिर से प्रस्तुत कर दी गयी। इसके पश्चात पत्र क्रमांक 1591 दिनांक 25-5-83 के द्वारा पूर्ण जांच विवरण चाहने हेतु इस कार्यालय को वापस कर दिये जाने के परिणामस्वरूप आपके आदेशानुसार गोलियों के बचे नम्बर एवं एक्सपायरी डेट आदि का मण्डावा के स्टाक रजिस्टर से मिलान करने हेतु दिनांक 26-5-83 को मण्डावा पहुंचा।

जांच के दौरान यह पाया गया कि (दिनांक 8-4-83) को (एमसीडब्लूसी) के कैम्पस में आइरन और फोलिक एसिड की गोलियां शिकायतकर्ताओं के द्वारा मुझे दिखाई गयी तथा देखने पर यह ज्ञात हुआ कि गोलियां काफी मात्रा में गड़ी हुई थीं तथा उनमें से जो गोलियां नमूने के लिये लायी गई थीं वो जांच प्रतिवेदन के साथ आपको इस कार्यालय के पत्रांक 2025 दिनांक 2-5-83 के द्वारा भिजवादी गई थीं। इस बारे में डा. शंकर लाल स्वामी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, एम. सी. डब्लू., मण्डावा से दिनांक 26-5-83 को पूछने पर उन्होंने कबूल किया कि कुछ आइरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां जो कि एक्सपायरी डेट की थीं उनको गडवाने के लिए मैंने एल. एच. वी. से कहा था तथा शायद ये वो ही गोलियां हो सकती हैं। इन्होंने इस संबंध में लिखित मे भी दिया है (जो कि संलग्न है)। इसी प्रकार से एल. एच. वी. ने भी लिखित रूप में दिया है कि जो डाक्टर

311

साहब ने आइरन फोलिक एसिड की गोलियां जो कि एक्सपायरी डेट की थीं उनको गड़वाने के लिए कहा था। (इनका भी बयान संलग्न है)

जांच के दौरान एम. सी. डब्लू. सी. के पुराने स्टाक रजिस्टर के पेज नं. 63 को देखने पर पाया गया कि दिनांक 2-8-78 को लास्ट बैलेन्स इस पेज पर 10500 गोलियां बतलाया गया है तथा जहां शेष दर्शाया गया है उसके नीचे एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है। बैलेन्स 10500 बतलाया है तथा इस बैलेंस को अन्य जगह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है तथा आगे कोई भी खर्चा नहीं दिखलाया गया है तथा बैलेंस निल दिखाया हुआ नहीं है। शायद हो सकता है कि वही गोलियां हों जो गड़ी हुई पायी गयीं। इसके अलावा पुराने रजिस्टर के पेज नं. 64 पर अलग से उक्त गोलियों का विवरण दिखाया गया है जिसमें पहले वाली शेष 10500 गोलियों को जोड़ा नहीं गया है। पेज नं. 64 पर जो गोलियों का हिसाब है वह नये स्टाक रजिस्टर के पेज नं. 79 पर लाया गया है जिसमें 1-4-81 का शेष कुछ भी नहीं दिखाया गया है। एम. सी. डब्लू. सी. मण्डावा एवं ब्यूरो के स्टाक रजिस्टरों में एक्सपायरी डेट एवं बैच नहीं अंकित किया हुआ है क्योंकि मूल इनडेन्ट वाउचर पर जहां से उक्त गोलियां इस संस्थान में प्राप्त हुई थीं, में भी एक्सपायरी डेट एवं बैच नं. अंकित नहीं है।

शिकायत कर्ता श्री रामप्रसाद चन्द्रेलिया, सदस्य, नगर पालिका मण्डावा की धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी स्वीपर के पद पर एम. सी. डब्लू. मण्डावा में कार्यरत है तथा जांच के दौरान मुझे ऐसा भी आभास हुआ है कि डा. स्वामी एवं श्रीमती शीला देवी स्वीपर में कुछ मनमुटाव भी है। हो सकता है इसी के परिणामस्वरूप झगड़ा बढ़ता गया तथा दोनों तरफ से शिकायतें होने लगीं। श्रीमती शीला देवी का उक्त चिकित्सक द्वारा पांच माह का वेतन भी रोक लिया गया था तथा उपस्थिति पंजिका में उक्त स्वीपर का रोजाना आने तथा जाने का समय दर्शाने लगे तथा अनुपस्थिति विवरण पत्र में भी उपस्थिति की ही तरह समय दर्शाया गया जिसकी वजह से कर्मचारी का वेतन बिल पारित नहीं किया जा सकता तथा इस कार्यालय द्वारा डा. स्वामी को यह निर्देश दिये जाने पर कि अनुपस्थिति विवरण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही भेजा जावे तब इनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कर्मचारी के अनुपस्थिति विवरण पत्र भेजे गये। इसके पश्चात् इस कार्यालय द्वारा इनके वेतन बिल कोष कार्यालय से पारित करवा कर संस्था को भेज दिये गये। जांच के दिन यह देखा गया कि संस्था में पूर्ण रूप से सफाई नहीं की हुई थी।

टेबल प्रेक्टिस एवं मरीजों के साथ चिकित्सक द्वारा किये जाने वाले सलूक के सम्बन्ध में तीनों शिकायतकर्ताओं ने जो बयान दिये हैं उनसे आप कृपया स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लें।

मेरी राय में डा. शंकर लाल स्वामी एव शीला देवी स्वीपर दोनों का ही कहीं

अन्यत्र अलग अलग स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया जावे तो उचित होगा ।

संलग्न मूल सभी

हस्ताक्षर
(डा. रणवीर सिंह)

मैं किशन लाल वोहरा, सदस्य, नगर पालिका वार्ड न. 8 मडावा जिला झुन्झुनू आज दिनांक 8. 4. 83. को समय सांय 7.30 बजे उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प 0 नि 0 झुन्झुनु कैम्प मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मडावा में डा. शंकरलाल स्वामी के विरुद्ध निम्न बयान मेरी सत्यता से करता हूं :—

1. यह कि डा. शंकर लाल स्वामी जो कि मेरे वार्ड में इस मातृ शिशु कल्याण केन्द्र है मेरे वार्ड में ज्यादा संख्या, भंगी, हरिजन एवं अल्पसंख्यक लोग हैं। डा. स्वामी हरिजनों के घर नहीं जाते हैं तथा इस दवाखाने में हरिजनो के आने पर उन्हें भंगोडि कहे जाते है तथा उनसे छुआछुत का बर्ताव किया जाता है । आज के दो रोज पूर्व मैं स्वयं एक रोगी के साथ जिसके जिसके डिलीवरी होने वाली थी और बहुत ही मुसीबत जिन्दगी व मौत के बीच स्थिति थी, मेरे सामने डाक्टर स्वामी ने हरिजन होने के कारण डिलीवरी करने, भर्ती करने से इन्कार कर दिया। ऐसी सूरत में हरिजन लड़की के पेट में ही बच्ची मर गई । प्राइवेट डाक्टरों के अधिक प्रयास करने पर जच्चा हरिजन महिला को बचाया गया ।

यह महिला हरिजन जच्चा श्रीमती माया देवी पुत्री महावीर प्रसाद भंगी वार्ड नं. 8 मण्डावा की है।

2. यह कि डा. स्वामी टेबिल प्रेक्टिस करते है तथा सरकारी दवा, जो कि गरीब जनता को फ्री दी जानी चाहिए, सरे आम बाजार में डाक्टर द्वारा बेच दी जाती है तथा सरकार द्वारा सहायतार्थ दी जाने वाली दवा, टेबलेट, इन्जेक्शन की कीमत मरीजो मे दवा। खाने में ही वसूल करता है ।

3. यह कि डा. स्वामी दवाइयां सुइयां, जो कि फ्रिज में रखी जानी अति आवश्यक है।मगर डाक्टर अपने पास निवास स्थान पर उन दवाओं को रखता है और मनचाहा पैसा वसूल करता है ।

4. यह कि डा. ड्यूटी समय में उपस्थित नहीं रहते है तथा खुलेआम राजनीतिक पार्टियों में भाग लेकर गरीब जनता के साथ ईर्ष्यापूर्वक बदले की भावना रखते हैं । जिसका शिकार इस केन्द्र की एक गरीब महिला स्वीपर कर्मचारी श्रीमती शीला देवी को

(313)

दबा रखा है। हमारी जानकारी में श्रीमती शीला स्वीपर बराबर ड्यूटी देती है फिर भी चार माह से वेतन रोक रखा है तथा कहता है कि शीला का पति वार्ड सदस्य न. प. मण्डावा मेरे पैर पकड़े तो तनख्वाह दिलवा दूंगा।

5. यह कि कस्बा मंडावा की जनता डाक्टर स्वामी से बड़ी परेशान है। यहां तक कि डाक्टर स्वामी के यहां रहने मे शरीफ घराने की बहू बेटियां गर्भ रहने पर भी जांच जच्चा बच्चा के लिए करवानी चाहिए वह नहीं करवाती है क्योंकि डा. स्वामी पर बद-नियती की शंका रहती है। यहां पर लेडी डाक्टर का होना चाहिए।

6. यह कि डाक्टर स्वामी ने सरकारी दवा गरीबों को देनी चाहिये थी आज अचानक डा. रणवीर सिंह जो की जांच अधिकारी आये थे ने गढ़ी हुई दवाइयां निकाल कर पाया कि जो डाक्टर ने दवाखाने की बाउन्ड्रीवाल के पास गाड़े रखी थी।

ह० 8-4-83

(किशन लाल बोहरा)

सदस्य,

न. पा. वार्ड सं. 8 मण्डावा।

बयान

मैं राधेश्याम धावाई, सदस्य, नगर पालिका मण्डावा, वार्ड नं. 9 जिला झुन्झुनू आज दिनांक 8-4-83 शाम 7-30 बजे स्थान उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कैम्प मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, मण्डावा में डा. शंकर लाल स्वामी के विरुद्ध बयान मेरो सत्यता से करता हूं—

1. यह कि डा. शंकरलाल जी स्वामी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मण्डावा को अपना निजी संस्थान मान कर गरीब मरीजों से इन्जेक्शन लगाने के 2/- दो रुपया टेबल प्रेक्टिस के लेते हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली दवाई इन्जेक्शन तमाम बिक्री कर देते हैं। और मेडिकल स्टोरों से अपना कमीशन तय कर रखा है। तमाम दवाइयां बाजार की लिखते हैं। सरकार से फ्री मिलने वाली दवाइयां नहीं देता है।

2. श्री डा. शंकरलाल जी स्वामी डिलीवरी कराने के 101/- एक सौ एक रुपया से कम नहीं लेते और पहले यह तय कर लिया है। जाता उस समय गरीब मरीज परेशान होकर रुपया देने के लिये मजबूर भी हो जाता है। अभी ताजा केस एक महीने पहले का है। कन्हैयालाल दरोगा मण्डावा वार्ड नं. 9 का है जो अस्पताल के सामने चाय की दुकान करता है उससे जबरदस्ती 101-00 रुपये तय कर डिलीवरी कराई। उस

314

समय उसके पास पैसा नहीं था तो अपने पड़ोसी से ले कर 50/- नक़दी दिया। बाकी रुपयों के लिये अब भी तंग करते हैं। बच्चा भी खत्म हो गया है। दूसरा रतन लाल अहीर के मण्डावा वार्ड नं. 9 का रहने वाला है उससे भी 101/- नकदी डिलीवरी का लिया है। इसी प्रकार सभी के साथ डिलीवरी के मामले में तो यही व्यवहार रहता है।

3. श्री डा. शंकर लाल स्वामी मण्डावा की राजनीति में भी पूरा भाग लेते हैं। किसी भी जमीन का झगड़ा सुलटाते और समय-समय पर चुनावों में भी भाग लेते हैं। गरीबों को कहते हैं कि अगर आपने जिसके लिये कहता हूं उसको वोट देना पड़ेगा, नहीं मैं अस्पताल में आपको दवा इन्जेक्शन नहीं दूंगा।

4. यह है कि डा. शंकर लाल जी स्वामी राज्य सरकार से गरीबों को दी जाने वाली दवाइयां अस्पताल में पूर्व की तरफ की दीवार के पास ढेर सारी गोलियां गड़ी पाई जो श्रीमान् जांच अधिकारी को भी दिखाई हैं।

ह. राधेश्याम घावाई

दिनांक 8-4-83

सदस्य, न. प. वार्ड नं. 9

श्री रामप्रताप चन्देलिया, सदस्य वार्ड नं. 6, नगर पालिका, मण्डावा..

यहां पर जो मरीज आता है उससे इन्जेक्शन के पैसे प्रेक्टिस के वतौर ड्यूटी टाइम पर डाक्टर साहब वसूल करते हैं। यहां पर मरीज भर्ती होने के बाद जच्चा वगैरह के जो ग्लूकोज या इन्जेक्शन लगाये जाते हैं वे सरकारी होते हैं तथा डाक्टर साहब उनके भी पैसे मरीजों से लेते हैं। डाक्टर साहब ड्यूटी समय में गांवों में जा कर डिलीवरी करवाते हैं तथा डिलीवरी करवाने मे पहले ही 151=00, 300=00 ये रेट के वतौर लेते हैं तथा मरीज से कहते हैं कि यदि आप झुंझुनू जावोगे तब भी किराया भाड़ा आदि इतना पैसा तो आपका लग जावेगा। तथा यदि मरीज मर भी जाता है, तो फिर भी ये उनके घरवालों से फीस नहीं छोड़ते हैं। एवं मण्डावा में वार्ड नं. 6 एवं 8 हरिजन वार्ड है जो कि अस्पताल के नजदीक हैं तथा जब भी मरीज यहां आता है तो गरीब होने के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता है तथा मजबूर हो कर आयुर्वेदिक औषधालय में जाना पड़ता है। तथा यदि यहां इलाज कराते हैं तो गरीबों को पैसे देने पड़ते हैं। डाक्टर साहब ड्यूटी टाइम में बाहर जा कर प्रेक्टिस करते हैं तथा यहां अस्पताल में मरीज परेशान हो कर चले जाते हैं, कभी-कभी सिस्टर थोड़ी बहुत दवा वगैरह दे देती है एवं मरीज तंग आ कर आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं। ये छुआछूत भी करते हैं, क्योंकि जब भी

315

वार्ड नं. 6 एवं 8 की हरिजन जनता अस्पताल में आती है तो ये जाति पूछते हैं एवं जाति का नाम सुनते ही ये उनसे कह देते हैं कि अभी अस्पताल में दवाई नहीं है और यदि बाजार की दवा लिखवाते हैं तो गरीबों को 20 या 25 रुपये की दवा लिखा देते हैं, जिससे गरीब हरिजन लोग ले नहीं पाते हैं। डाक्टर साहब राजनिति से भी प्रेरित हैं। तथा कुत्ते काटे हुए मरीजों के भी यहां से डाक्टर साहब इन्जेक्शन लगाते हैं तथा पैसे भी लेते हैं।

अन्त में मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि यहां पर मेरी पत्नी श्रीमती शील देवी स्वीपर के पद पर कार्य करती है तथा राजनिति से प्रेरित हो कर उनको भी तंग कर रखा है तथा 5 माह से उन्हें वेतन का भी भुगतान नहीं किया है। अस्पताल की पूर्व साइड में दीवार के पास में गड़ी हुई गोलियां भी मैंने जांच अधिकारी को दिखाई है। जब गोलियां गाड़ रहे थे तब मैं एक मरीज को लेकर आया तथा मैंने गाड़ते हुए देखा।

ह. रामप्रताप चन्देलि

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 415 की सूची)

कागजीवाड़ा छीपीवाड़ा कच्ची बस्ती के वर्ष 1981 के अन्तिम रूप से स्वीकृत सर्वेधारी

क्र.सं.	सर्वेधारी का नाम व पिता का नाम	सर्वे नम्बर
1	2	3
1.	श्री गुमानसिंह पुत्र भरतसिंह	1/25051
2.	श्री रामसिंह पुत्र मांगीलाल	2/25052
3.	श्री बाबू पुत्र बुधामल	4/25054
4.	श्री मूरा/ग्याकानाल	5/25055
5.	श्री नन्दकिशोर पुत्र भगवान	6/25056
6.	श्री छीतरराम पुत्र चुन्नीलाल	7/25057
7.	श्री फूलचन्द पुत्र दौलतराम	8/25058
8.	श्री कुशाल चन्द पुत्र गोर्धन	10/25060
9.	श्री श्यामलाल पुत्र खुशीराम	11/25061
10.	श्री घन्नालाल पुत्र कानजी	12/25062
11.	श्री हरिराम पुत्र हरिनारायण	13/25063
12.	श्री किशनलाल पुत्र सीयाराम	14/25064
13.	श्री नानगराम पुत्र केवलचन्द	15/25065
14.	श्री कन्हैयालाल पुत्र भोरीलाल	16/25066
15.	श्री मूराराम पुत्र कानाराम	17/25067
16.	श्री गणेशलाल पुत्र मोहनलाल	18/25068
17.	श्री मूराराम पुत्र मानजी	19/25069
18.	श्री रामदेव पुत्र वृद्धिचन्द	20/25070
19.	श्री भैरूलाल पुत्र वृद्धिचन्द	21/25071
20.	श्री बालूराम पुत्र गगावक्स	22/25072
21.	श्री वेनाराम पुत्र मूराराम	23/25073
22.	श्री घासीराम पुत्र नानगराम	24/25073
23.	श्री रूपनारायण पुत्र कानाराम	26/27226

317

1	2	3
24.	श्री गंगाराम पुत्र नानगराम	25/25075
25.	श्री बनवारीलाल पुत्र डूंगरमल	27/27227
26.	श्री शिवनारायण पुत्र बालूराम	28/27228
27.	श्री गेंदालाल	29/27229
28.	श्री मदनलाल पुत्र रामदास	30/27230
29.	श्री सुवाराम पुत्र सुल्तानसिंह	32/27232
30.	श्री कैलाश चन्द पुत्र मदनलाल	31/27231
31.	श्री जगदीश पुत्र रुडमल	33/27233
32.	श्री पोपसिंह पुत्र दाताराम	34/27234
33.	श्री राधेश्याम पुत्र मुन्नालाल	35/27235
34.	श्री शंकरलाल पुत्र रामेश्वर	36/27236
35.	श्री रामपतसिंह पुत्र प्रहलादसिंह	37/27237
36.	श्री रामेश्वर पुत्र रामप्रताप	38/27238
37.	श्री गोपाल लाल पुत्र हनुमान	39/27239
38.	श्री महेश कुमार पुत्र बृजमोहन	41/27241
39.	श्री गणपत पुत्र जगन्नाथ	40/27240
40.	श्री कान्हाराम पुत्र सूडाराम	42/27242
41.	श्री भगवान सहाय पुत्र लादूराम	43/27243
42.	श्री ग्यारसीलाल पुत्र छीतर	44/27244
43.	श्री भोलाराम	45/27245
44.	श्री जगनलाल पुत्र भौंरीलाल	46/27246
45.	श्री मांगीलाल	47/2724[illegible]
46.	श्री बल्लाराम	48/27248
47.	श्री श्योराम पुत्र महादेव	50/2725[illegible]
48.	श्री रेवड पुत्र हरलाराम	51/2725[illegible]
49.	श्री सून्डाराम पुत्र ईशरा	53/2725[illegible]
50.	श्री गुलाबचन्द पुत्र नानगराम	54/2725[illegible]
51.	श्री रामचन्द पुत्र रामनारायण	55/2725[illegible]
52.	श्री गंगाराम पुत्र भगताराम	56/2725[illegible]
53.	श्री भैरू पुत्र माग्या	57/2725
54.	श्री रामचन्द पुत्र रामनारायण	58/2725[illegible]
55.	श्री कजोड़ पुत्र नानगराम	59/2725[illegible]

318

1	2	3
56.	श्री किशनलाल पुत्र गैंदीलाल	60/27260
57.	श्रीमती लाडा देवी पत्नी गैंदीलाल	61/27261
58.	श्री ओम प्रकाश पुत्र प्रभातीलाल	62/27262
59.	श्री सोनीराम पुत्र मूलचन्द	63/27263
60.	श्री कन्हैयालाल पुत्र नाथूलाल	65/27265
61.	श्री सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ	66/27266
62.	श्री उत्तमचन्द पुत्र टीकमचन्द	67/27267
63.	श्री गोवर्धन सिंह पुत्र रामसिंह	69/27269
64.	श्री दामोदर पुत्र मांगीलाल	71/27271
65.	श्री राधेश्याम पुत्र नारायण	72/27272
66.	श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी हुस्ते भण्डारी	73/27273
67.	श्री रामपाल योगी	74/27274
68.	श्री रामजीलाल पुत्र गब्बूराम	75/27275
69.	श्री रामगोपाल पुत्र चौथमल	76/27276
70.	श्री नारायण लाल पुत्र ग्यारसीलाल	77/27277
71.	श्री रामकुंवार योगी पुत्र कन्हैयालाल	78/27278
72.	श्री कन्हैयालाल पुत्र गणेशलाल	79/27279
73.	श्री राजू गूजर पुत्र भौरीलाल	80/27280
74.	श्री भैरू मीणा पुत्र नानछा	83/27283
75.	श्री गोरीराम पुत्र देवबक्श	84/27284
76.	श्री भंवरलाल पुत्र मांगीलाल	85/27285
77.	श्री शंकरलाल पुत्र मांगीलाल	87/27286
78.	श्री गोपाल लाल पुत्र मांगीलाल	87/27287
79.	श्री लल्लूलाल पुत्र धासीराम	88/27288
80.	श्री बाबूलाल पुत्र घासीराम	89/27289
81.	श्री जगन्नाथ मीणा	91/22291
82.	श्रीमती मूली पत्नी भौरीलाल	93/27293
83.	श्री हरीसिंह पुत्र ओमसिंह	94/26294
84.	श्री अमरसिंह पुत्र ओमसिंह	95/27295
85.	श्री बाबूलाल पुत्र लादूराम	96/27296
86.	श्री कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल	98/27298
87.	श्री भवानी शंकर पुत्र रूपनारायण	100/27300

1	2	3	4	5
88.	श्री रमेशचन्द पुत्र मथुरा प्रसाद			101/27301
89.	श्री रामनाथ मीणा पुत्र रुघनाथ			104/27304
90.	श्री महादेव मीणा पुत्र छोटू			105/27305
91.	श्री छोटू पुत्र नानगराम			107/27307
92.	श्री भौंरीलाल पुत्र महादेव			108/27308
93.	श्री मूलचन्द पुत्र भौंरीलाल			109/27309
94.	श्री गोपीराम पुत्र दुर्गालाल			110/27310
95.	श्री हनुमान पुत्र गोपीराम			111/27311
96.	श्री बालूराम पुत्र सूरजमान			113/27313
97.	श्री किशन पुत्र गोपीराम			114/27314
98.	श्री लादूराम पुत्र गोपीराम			115/27315
99.	श्री रामचन्द्र पुत्र गोपीराम			116/27316
100.	श्री धूकलराम पुत्र जगन्नाथ			117/27317
101	श्रीमती गीता देवी पत्नी गोपाल सिंह			118/27318
102.	श्री रुगनाथ पुत्र मंगलराम			119/27319
103.	श्री लालाराम पुत्र मंगलराम			120/27320
104.	श्री श्रवण लाल पुत्र किशनाराम			121/27321
105.	श्रीमती गुलाब देवी पत्नी गोपाल			123/27323
106.	श्रीमती भौंरी देवी पत्नी गोपाल			124/27324
107.	श्री कैलाश पुत्र गोपाल			125/27325
108.	श्रीमती सुंजा बेवा पत्नी गोविन्द			126/27351
109.	श्री रुघनाथ पुत्र गंगाराम			128/27353
110.	श्री रामकिशन पुत्र मूलचन्द			129/27354
111.	श्री नाथू पुत्र पांचूलाल			130/27355
112.	श्री हीरालाल पुत्र पांचूलाल			131/27356
113.	श्रीमती फूला बेवा पत्नी पांचूराम			132/27357
114.	श्री मदनलाल पुत्र कल्याण			134/27359
115.	श्री अमरीश पुत्र मदनलाल			135/27360
116.	श्री गणेश पुत्र नानूराम			136/27361
117.	श्री नानूराम पुत्र देवीलाल			137/27362
118.	श्री भगवान पुत्र घासीराम			138/27363
119.	श्री दुर्गालाल पुत्र श्योनाथ			139/27364

	2	3
120.	श्री लल्लूलाल पुत्र श्योनाथ	140/27365
121.	श्री मोतीलाल पुत्र गोविन्दनारायण	141/27366
122.	श्री गोविन्द पुत्र वृद्धिचन्द	142/27367
123.	श्री दामोदर पुत्र किशनलाल	144/27369
124.	श्री दामोदर पुत्र गोपीजी	143/27368
125.	श्री नाथूराम पुत्र नानूराम	146/27371
126.	श्री भैरूलाल पुत्र रामनाथ	150/27375
127.	श्री लक्ष्मी मोहन पुत्र रामदीन	151/27376
128.	श्री गुलाब पुत्र कानाराम	153/27328
129.	श्री नारायण पुत्र महादेव	155/27380
130.	श्री हरिसिंह पुत्र गणेशराम	158/27383
131.	श्री महावीर पुत्र भौंरीलाल	159/27384
132.	श्री गणेश पुत्र नन्दसिंह	161/27385
133.	श्री नाथूलाल पुत्र रुघनाथ	162/27387
134.	श्री जगदीश पुत्र नारायण	163/27388
135.	श्री भगवान पुत्र नारायण	164/27389
136.	श्री इन्द्रजीत पुत्र भगवान सहाय	165/27390
137.	श्री लादूराम	166/27391
138.	श्रीमती सरवाणी देवी पत्नी रामजीलाल	167/27392
139.	श्री हरि	168/27393
140.	श्री रामू पुत्र बद्रीनाथ	169/27394
141.	श्री बदरीनाथ पुत्र महादेव नाथ	170/27395
142.	श्री लल्लूलात्र पुत्र रामदेव	171/27396
143.	श्री दामोदरलाल पुत्र घासीराम	172/27397
144.	श्री सहदेव सिंह पुत्र वंसबहादुर	173/27398
145.	श्री सुरेश पुत्र जीवनराम	174/27399
146.	श्री लालाराम पुत्र घोकलराम	175/27400
147.	श्री चौथमल पुत्र घासीराम	176/30801
148.	श्री रूपनारायण पुत्र घासीराम	177/30802
149.	श्री छोटूराम पुत्र दुर्गालाल	178/30803
150.	श्री नंदलाल पुत्र दुलीचन्द	180/30805

1.	2	3
151.	श्री भोलाराम पुत्र रुडमल	179/30804
152.	श्री दुलाजी पुत्र चेताजी	182/30807
153.	श्री कैलाशनाथ	183/30808
154.	श्री हीरालाल पुत्र कानाराम	187/30812
155.	श्री रामपाल पुत्र चौथूराम	188/30813
156.	श्री मोहनलाल पुत्र कानाराम	189/30814
157.	श्री भौंरीलाल पुत्र गंगा	191/30816
158.	श्री भूरा पुत्र भौंरीलाल	192/30817
159.	श्री मोती पुत्र भौंरीलाल	193/30818
160.	श्री हरीनारायण पुत्र भौंरीलाल	194/30819
161.	श्री किशनलाल पुत्र चौथूराम	195/30820
162.	श्रीमती लछमा देवी पत्नी छोटू	196/30821
163.	श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी घीसालाल	198/30823
164.	श्री मिट्ठूलाल पुत्र भौंरीलाल	200/30825
165.	श्री गोपाल लाल पुत्र नानकराम	201/30826
166.	श्री तेजमल पुत्र कोडूमल	202/30827
167.	श्री बछन राजपूत	205/30830
168.	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह	207/30832
169.	श्री प्रभूसिंह पुत्र जयसिंह	208/30833
170.	श्री रामकिशन पुत्र गणपत सिंह	213/30838
171.	श्री गणपतसिंह पुत्र कासीसिंह	214/30839
172.	श्री गुमानसिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह	215/30840
173.	श्रीमती मानकंवर पत्नी गणपतसिंह	216/30841
174.	श्री शिवचरण पुत्र शंकरसिंह	217/30842
175.	श्री गोपालसिंह पुत्र लादूसिंह	218/30843
176.	श्री लाधूसिंह पुत्र गंगा	219/30844
177.	श्रीमती राममूर्ति देवी पत्नी हेमन्द्र दीक्षित	220/30845
178.	श्री जगनसिंह पुत्र बजरंगसिंह	222/30847
179.	श्रीमती छोटामीना पत्नी नारायण	224/30849
180.	श्री हरदेवा पुत्र अमरनाथ	225/30850
181.	श्रीमती तीजा बाई पत्नी रामसुख	226/30851

1	2	3
182.	श्री भौरीलाल पुत्र रामनाथ	227/30852
183.	,, हनुमान सहाय पुत्र बद्रीनारायण	228/30853
184.	श्री प्रभूदयाल पुत्र नारायणलाल	230/30855
185.	,, घासीलाल	231/30856
186.	,, ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल	232/30857
187.	,, रामस्वरूप पुत्र रामप्रताप शर्मा	233/30858
188.	,, गिरधारीलाल पुत्र प्रभुलाल	234/30859
189.	श्री छोटू पुत्र भूरा.	90/27290
190.	,, बनवारी लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण	223/30848
191.	,, प्रभुनाथ पुत्र महादेव	203/30828
192.	,, रूडाजी पुत्र चेताराम	181/30806

कागिजीवाड़ा छीपीवाड़ा कच्ची बस्ती वर्ष 1981 के अन्तिम रूप से स्वीकृत सर्वेधारी

1.	श्री बद्रीनाथ पुत्र गोपाललाल	3/25053
2.	,, गणेश पुत्र ज्ञान	9/25059
3.	,, मंगलराम	49/27249
4.	,, रामनारायण पुत्र मोहन	52/27252
5.	,, सीताराम पुत्र कन्हैयालाल	64/27264
6.	,, रामजीलाल	68/27268
7.	,, हनुमान पुत्र मांगीलाल	70/27270
8.	,, कन्हैयालाल	81/27281
9.	श्री मोती	82/27282
10.	,, महादेव	92/27292
11.	,, श्यामलाल पुत्र गंगाराम	97/27297
12.	,, महेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल	99/27299
13.	,, गोरीशंकर पुत्र मथुरा प्रसाद	102/27302
14.	,, रामधन पुत्र मीणा भौरीलाल	103/27303
15.	,, रामजीलाल पुत्र महादेव	106/27306
16.	,, सुरजा पुत्र देवीलाल	112/27312
17.	,, लुणेखां पुत्र सुजाने खां	122/27322

1	2	3
18.	श्री गंगाराम पुत्र चौथूराम	127/27352
19.	,, रामप्रताप पुत्र नाथूराम	133/27358
20.	श्री देवीलाल पुत्र किशनलाल	145/27370
21.	श्री जगदीश पुत्र भंवरलाल	147/27372
22.	,, नाथूलाल पुत्र भैरूलाल	148/27373
23.	,, जगदीश पुत्र हजारीलाल	149/27374
24.	,, अज्ञात पुत्र लक्ष्मीनारायण	152/27377
25.	,, रामलाल पुत्र कानाराम	154/27379
26.	,, किशोर पुत्र बद्रीनाथ	156/27381
27.	,, सुन्दर पुत्र श्यामलाल	157/27382
28.	श्री मंगलराम पुत्र रामू	160/27385
29.	,, लालूराम पुत्र गोपीनाथ	184/30809
30.	,, बिनानाम का सर्वे	186/30811
31.	श्री ओमप्रकाश पुत्र लालाराम	185/30810
32.	श्रीमती भूरी बेवा पत्नी काना	190/30815
33.	श्री मोतीसिंह पुत्र श्यामसिंह	197/30822
34.	,, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मांगीलाल	199/30824
35.	श्री महेन्द्र पुत्र निरंजन	204/30829
36.	,, प्रेम पुत्र चिरंजीलाल	206/30831
37.	,, हीरालाल पुत्र नानूराम	209/30834
38.	,, छोकार सिंह पुत्र सोडालसिंह	210/30835
39.	श्रीमती कस्तूरी पत्नी सुरजनसिंह	211/30836
40.	श्री देवी सिंह पुत्र घीसासिंह	212/30837
41.	,, रविन्द्र पुत्र हेमेन्द्र दीक्षित	221/30846
42.	श्री मदनलाल पुत्र रूपनारायण	229/30854

परिशिष्ट 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 423 की सूची)

STATEMENT SHOWING THR YEARWISE EXPENDITURE (ITEMWISE
YEAR 1978 to 1983-84

Sr. No.	Item	1978-79	1978-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (upto Jan. 84)	Total
1.	Protection and Maintanance of desert habitates from degradetion.	–	–	85055	150025	147088	35265	417433
2.	Regeneration of desert plants	–	–	250830	1189070	852025	245146	2537071
3.	Development of water holes & water arrangements.	265200	–	806520	304420	346640	54496	1774976
4.	Live stock	–	–	24560	75375	70990	43914	214839
5-	Vehicles	166770	1202	20320	339594	132129	130898	790913
6.	**Service Building**							
	(A) Protection post	–	–	177088	309221	131395	40441	658145

328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(B) Field Director office	–	–	–	300000	–	–	300000
7.	Protection & Maintanance of wood fossils park Akal.	2946	2741	49200	20016	7988	5430	88321
8.	Wireless sets	–	–	59262	250737	–	–	309999
9.	CompEquipment	–	–	35000	–	–	–	35000
10.	Arms and Amunitions	–	–	272160	–	–	–	272160
	Total :–	432216	3943	1779995	2938458	1688255	555590	7398457

326

राष्ट्रीय-मरु उद्यान के तहत की गई तारबन्दी की सूची

क्र. सं.	स्थान	क्षेत्रफल
1.	सुदासरी	700 हे.
2.	म्याजलार	500 हे.
3.	बन्घड़ा	600 हे.
4.	फुलिया	400 हे.
5.	सम	1100 हे.
6.	सुन्दरा	700 हे.

परिशिष्ट 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 424 की सूची)

DETAIL STATEMENT SHOWING THE BUDGET ALLOCATIONS AND CORRESPONDING PHYSICAL TARGETS IN BEGUN DIVISION —RVP CHAMBAL

Year	Name of Water sheds	Physical targets			Budget
		Agrl. lands	Forest lands (in ha. and nos.)	Waste land	allotted
1	2	3	4	5	6
1974-75	Bhutiyaikhal	300	300	100+ 1 Str.	1.41
	Nagdara	500	–	100+ 2 Strs.	1.46
1975-76	Bhutiyakhal	300	200	200+ 2 Strs.	1.97
	Nagdara	500	160	2 Str.	2.12
1976-77	Bhutiyakhal	200	100	200	1.47
	Nagdara	300	–	110+ 2 Strs.	1.84
1977-78	Bhutiyakhal	300	100	200	2.11
	Nagdara	500	–	110	1.86
1978-79	Bhutiyakhal	300	300	200	2.81
	Nagdara	500	–	110	3.26
1979-80	Gopalpura	250	530	900+ 1 Str.	6.91
	Dobia	100	190	150+ 1 Str,	2.72
	Mandawara	515	170	330+ 1 Str.	3.57

1	2	3	4	5	6
1980-81	Gopalpura	150 Str. 1	200	200	3.46
		Bld. 1			
	Dobia	70	Str. 10	334 Str. 2	2.19
	Mandawara	515 Bld. 1	160	80	3.67
1981-82	Gopalpura	250 3 Str.	250	300	4.76
	Dobia	250 13 Strs.	–	250	2.37
	Mandawara	515 Str. 21	–	80	4.11
	Dorai	–	200	–	0.82
1982-83	Gopalpura	225	–	400	2.63
	Dobia	50	200	300+ Str. 5	1.90
	Mandawara	500	–	150+ Str. 7	4.50
1983-84	Gopalpura	–	–	–	–
Up to	Dobia	–	–	1 Str.	0.74
Feb. 1 84	Mandawara	400	–	6 Str.	3.80

329

परिशिष्ट 22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 426 की सूची)

वनों के विभिन्न क्षेत्रों में चराई की दरें तथा चरने वाले पशुओं की अनुमानित संख्या

क्षेत्र–प्रथम

जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, गंगानगर, अजमेर पाली, सिरोही, जालौर

नाम पशु	वनों में चरने वाले पशुओं की अनुमानित संख्या	चराई की दर
गाय, बैल	95,011	2 रु. से 4 रु.
भैंस	22,083	3 रु. से 6 रु.
ऊंट	14,815	2रु. से 20 रु.
भेड़, बकरी	2,42,862	0.37 रु. से 2.50 रु.
अन्य (गधे घोड़े आदि)	1,384	2 रु. से 5 रु.

क्षेत्र–द्वितीय

उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर

गाय, बैल	2,626	1 रु.
भैंस	6,264	1 रु.
ऊंट	21,173	2 रु.
भेड़, बकरी	28,992	0.20 रु.
अन्य (गधे घोड़े)	260	1 रु.

(330)

क्षेत्र तृतीय

कोटा, बून्दी, झालावाड़

नाम पशु	वनों में चरने वाले पशुओं की अनुमानित संख्या	चराई की दर
गाय बैल	27,575	1 रु. से 2रु.
भैंस	12,836	1 रु. से 6 रु.
ऊंट	25,962	2 रु.
भेड़ बकरी	2,87,971	0. 25 रु. से 0.31 रु.
अन्य (गधा घोड़ा)	3,261	1 रु.

क्षेत्र चतुर्थ

अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू टौंक

गाय बैल	33,795	0.50 रु.
भैंस	44,008	1 रु.
ऊंट	16,864	2 रु. से 3 रु.
भेड़ बकरी	2,60,260	0.13 रु. से 0.50 रु.
अन्य (गधा घोड़ा)	8,528	0.27 रु. से 6 रु.

(331)

परिशिष्ट 23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 427 की सूची)

जिला चित्तौड़गढ़ तहसील बेगू में संचालित आयुर्वेद औषधालयों की सूची
(10 मार्च, 1984 की स्थिति)

क्र. सं	नाम स्थान	
1.	जावदा	
2.	बडौदिया	
3.	बोराव	
4.	मण्डेसरा	
5.	एकलिंगपुरा	
6.	बीछोर	
7.	ठुकराई	
8.	जवाहर नगर	
9.	रावड़दा	
10.	मेखपुरा	(नवीन 1983-84 में स्वीकृत)
11.	बस्सी	(नवीन 1983-84 में स्वीकृत)

इसके अतिरिक्त राजगढ़ में एक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का औषधालय भी संचालित है।

परिशिष्ट 24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 428 की सूची)

नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत नामजद किये गये छात्रों की सूची (वर्ष 1983-84)

क्र. सं	छात्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री भागीरथ प्रसाद शर्मा	श्री मोतीराम
2.	श्री विष्णु चन्द्र शर्मा	,, चिरंजीलाल शर्मा
3.	श्री सत्यनारायण वैष्णव	,, कन्हैया लाल
4.	,, हिम्मतचन्द्र	,, हरजी परमार
5.	,, गणेशीलाल गुप्ता	,, हरफू गुप्ता
6.	,, रामलाल	,, चेतराम कुलाडिया
7.	,, मोहन लाल	,, वीरमराम मेघवाल
8.	,, बरदाराम	,, नैनाराम
9.	,, श्रावड़दान	,, सुमेरसिंह
10.	,, शिवराम सिंह	,, रूपसिंह

नर्स/कम्पाउण्डर्स प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में केवल वर्ष 1983-84 सत्र हेतु 17 नामजद किये गये छात्रों की सूची।

1.	श्री रामेश्वर प्रसाद नापित	श्री केवलराम
2.	,, राजेन्द्र कुमार उपाध्याय	,, लक्ष्मीनारायण शर्मा
3.	,, विष्णु कुमार रावत	,, सुवालाल
4.	,, श्रवणलाल यादव	,, कल्याणमल यादव
5.	,, सूर्य कुमार शर्मा	,, रोडमल शर्मा
6.	,, मल्लाराम	,, कुम्भाराम
7.	,, रामजीलाल शर्मा	,, मोतीलाल
8.	,, वनवारी लाल	,, धन्वन्तरीलाल
9.	,, रामवीर सिंह	,, घनश्याम
10.	,, मदनलाल	,, चिमनलाल यादव
11,	,, बजरंगलाल शर्मा	,, गिर्राज प्रसाद
12.	,, शम्भुलाल शर्मा	,, घासीलाल
13.	विष्णुदत्त	,, बाबूलाल
14.	,, नारायणलाल	,, सामन्ताराम
15.	,, उत्तम कृष्ण	,, जमनालाल
16.	,, मोतीलाल चौधरी	,, गोदाराम
17.	,, श्रोमप्रकाश शर्मा	,, नाथूलाल

परिशिष्ट 25

(अतारांकित प्रश्न संख्या 429 की सूची)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

परिशिष्ट–"क"

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों
स्वीकृति वर्ष 1980-81 पंचायत समिति शिव (बाड़मेर)

क्रम	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
1.	शिव	प्रा.शाला जरू का गांव	पूर्ण
2.	गूंगा	प्रा.शाला रते कुंभार की बस्ती	"
3.	भीयाड़	प्रा.शाला केटड़ी की ढाणी	"
4.	भीयाड़	प्रा. शाला अमर सिंह की ढाणी	"
5.	भीयाड़	ग्राम पंचायत भवन, भीयाड़	"
6.	भीयाड़	पशु चिकित्सालय, भीयाड़	अपूर्ण
7.	भीयाड़	टांका अमर सिंह की ढाणी	पूर्ण
8.	हरसानी	प्राथमिक शाला, हरसानी	"
9.	हरसानी	पशु चिकित्सालय, हरसानी	अपूर्ण
10.	सन्दरा	प्रा शाला बचोपा	पूर्ण
11.	सन्दरा	प्रा. शाला खवड़ाला	"
12.	सन्दरा	प्रा. शाला रोहड़ी	"
13.	सन्दरा	टांका, पोचरली	स्वीकृति रद्द
14.	सन्दरा	कुआं, पते का पार	पूर्ण
15.	सन्दरा	कुआं, बचोपा	"
16.	राजड़ाल	प्रा. शाला देवरा	"
17.	राजड़ाल	प्रा. शाला बरीयाड़ा	"
18.	बन्धड़ा	प्रा. शाला सतरेड़ी	"

1	2	3	4
19.	बन्धड़ा	टांका, त्रिकुटनी	पूर्ण
20.	बन्धेड़ा	टांका, कुन्डल	"
21.	हरसानी	शाला, दूधाड़ा	"
22.	गड़रा रोड़	शाला, बान्डासर	"
23.	गड़रा रोड़	ग्राचूखर किशवाल गड़रा रोड़	"
24.	गिराब	प्रा. शाला, आसाड़ी	"
25.	गिराव	टांका, आसाड़ी	"
26.	खानियानी	प्रा. शाला, लाम्बड़ा	"
27.	खानियानि	टांका खानियानि	स्वीकृति रदद्
28.	उण्डू	प्रा. शाला उण्डू	पूर्ण
29.	उण्डू	पशु चिकित्सालय, उण्डू	"
30.	स्वामी का गांव	शाला, मादली	"
31.	" "	शाला, आतरा	"
32.	" "	कुआ काना का गांव	"
33.	आरंग	प्रा. शाला गढना की ढाणी	"
34.	भणकली	प्रा. शाला तरमनीफा	"
35.	बालेवा	कुंटा चारणान बालेवा	"
36.	काश्मीर	टांका, सेगवाला की ढाणी	"
37.	काश्मीर	टांका खेमथल	"
38.	राणासर	टांका रारची	"
39.	राणासर	कुआ, मुनीफ का	"
40.	कोटड़ा	प्रा. पा. कोटड़ा	"
41.	"	टांका, कोटड़ा	स्वीकृति रदद्
42.	"	टांका, तामलोर	पूर्ण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 1980-81 पंचायत समिति सिणधरी (बाड़मेर)

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	राशि	कार्य की स्थिति
1		2	3	4
1.	नोखेड़ा	पशु चिकित्सालय	67,000/-	पूर्ण
2.	सरलो	प्रा. पा. गंगासरा	13,250/-	"

335

1	2	3	4	5
3.	खुड़ासा	प्रा. पा. वख्से का तला	13,250/-	पूर्ण
4.	सांजटा	प्रा. पा. दुलानियों का तला	13,200/-	"
5.	खुड़ासा	प्रा. पा. वक्से का तला	13,250/-	"
6.	सरणपा	प्रा. पा. सरणपा विस्तार	13,250/-	"
7.	जूनामोठा खेड़ा	आयुर्वेदिक औषधालय	14,260/-	"
8.	सरणू	ध्वजालिया कूप	7,000/-	"
9.	मेहलू	मूढढें का कूप	7,000/-	"
10.	सरणपा	टांका निर्माण सरणपा	12,200/-	"
11.	मूका	टांका मनरणवास	12,200/-	"
12.	बाण्ड	खड़ालो मेगवाल टांका	12,200/-	"
13.	बाण्ड	मेगवाल टांका बाण्ड	12,200/-	"
14.	होड़ू	प्रा. पा. होड़ू टांका	12,200/-	"
15.	निम्बबसोट	प्रा. पा. खेड़वा	13,250/-	"
16.	खूड़ासा	पंचायत घर	22,150/-	"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को स्वीकृति
वर्ष 1980-81 पंचायत समिति धोरीमना (बाड़मेर)

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
1.	धोरीमना	खरड़ का कुंआ	पूर्ण
2.	धोरीमना	मेगवालों का कुंआ	"
3.	धोरीमना	मेगानियों का कुंआ	"
4.	धोरीमना	सुरजानियों का कुंआ	"
5.	धोरीमना	पंचा दुकाने धोरीमना	"
6.	धोरीमना	शिव बन्डी कुंआ कोठाखेली	"
7.	राणासर	रा. प्रा. राणासर	"
8.	नगर	रा. प्रा. वि. गोलीया गवाई	"
9.	मोठड़ा खूर्द	हरखानियों का कुआ कोठा	"
10.	मोठड़ा खूर्द	अमरानियों की बेरी	"
11.	मोठड़ा खूर्द	कुम्हारों की बेरी मरम्मत	"
12.	बमनोर	जुना कुंआ मरम्मत	"

1	2	3	4
13.	बमनोर	सगराम का कुंआ	पूर्ण
14.	बमनोर	सरूपना जाट का कुंआ	,,
15.	बमनोर	रा. प्रा. वि. बामनोर	अपूर्ण
16.	बोर	रा. प्रा. वि. डबोई	पूर्ण
17.	बोर	रा. प्रा. वि. बोर	,,
18.	खारी	रा. प्रा. वि. माड़ा	,,
19.	खारी	पंचायत घर	,,
20.	पीपराली	टांका हेराज का गोल	,,
21.	पीपराली	देराज का कुंआ	,,
22.	पीपराली	प्रा. वि. खूंजाबेरी	,,
23.	पीपराली	पंचायत घर विस्तार	,,
24.	अरनियाली	पंचायत घर विस्तार	,,
25.	नगर	रा. प्रा. वि. घांघलावास	,,
26.	मेरूड़ी	रा. प्रा. वि. वाच्छला	,,
27.	भेड़ाना	टांका भेड़ाना	,,
28.	भेड़ाना	आमलीयाला टांका	,,
29.	भेड़ाना	पंचायत भवन टांका	,,
30.	भेड़ाना	सा. बेरी	,,
31.	भेड़ाना	टांका बोजीनाड़ी	,,
32.	भेड़ाना	प्रा. वि. गोलीया कला	,,
33.	भेड़ामालानी	पंचायत घर	,,
34.	गुड़ामालानी	प्रा. वि. गुड़ा	,,
35.	गुड़ामालानी	पशु चिकित्सालय	,,
36.	गुड़ामालानी	रा. प्रा. वि. डाबड़	,,
37.	गुड़ामालानी	प्रा. वि. मोखाब	,,
38.	रतनपुरा	सार्व बेरी डेडावा	,,
39.	रतनपुरा	रा. प्रा. वि. डेडावास	,,
40.	रतनपुरा	रा. प्रा. वि. रतनपुरा	,,
41.	उड़ासर	रा. प्रा. वि. उड़ासर	,,
42.	उड़ासर	प्रा. वि. उड़ासर	,,
43.	बिसारनिया	भोपो कातला	,,
44.	बिसारनिया	जेठाराम का बेरा	,,

337

1	2	3	4
45.	बिसारनिया	जानियों का बेरा	पूर्ण
46.	बिसारनिया	घमन्डीराम का बेरा	"
47.	बिसारनिया	शेरा राम का बेरा	"
48.	कितनोरिया	रा. प्रा. वि. ठाको का तला	"
49.	कितनोरिया	विश्नोईयों का टांका	"
50.	कितनोरिया	रामजी का कुंआ	"
51.	भीमथल	रा. प्रा. वि. सोलगन	"
52.	भीमथल	रा. प्रा. वि. सनावड़ा	"
53.	भीमथल	पावबेरा कोठा खेली	"
54.	भीमथल	सनावड़ा बेरा कोठाखेली	"
55.	केकड़	रा. प्रा. वि. करटीया	"
56.	बान्टा	रा. प्रा. वि. आलपुरा	"
57.	बान्टा	रा. प्रा. वि. रोली	"
58.	गांधव	रा. प्रा. वि. घोलानाड़ी	"
59.	गांधव	रा. प्रा. वि. डांगरिया	"
60.	ओमाला	पंचायत भवन	"
61.	गंगासर	प्रा. वि. वाघनीया	"
62.	गंगासर	प्रा. वि. बाघी	"
63.	गंगासर	प्रा. बि. गंगासर	अपूर्ण
64.	मांगता	पुराना कुंआ मांगता	पूर्ण
65.	मूनिया	भीलों का बेरा	"
66.	मूनिया	मेगवालेज्ञ का बेरा	"
67.	मूनिया	मेगवालों की बेरी	"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तंगत निर्माण कार्यों को स्वीकृति वर्ष 1980-81
पंचायत समिति चौहटन (बाडमेर)

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण, मय स्थान	कार्य की स्थिति
1.	नेतराड़	प्राथमिक विद्यालय, पोकरानियों का तला	अपूर्ण
2.	नेतराड़	प्राथमिक विद्यालय, साईयों का तला	"
3.	नेतराड़	मिड़िल स्कूल, नेतराड़	"
4.	नेतराड़	खोथो वाला कुंआ, नेतराड़	"

338

1	2	3	4
5.	गोंड का तला	प्राथमिक विद्यालय, सईद का तला	अपूर्ण
6.	भंवरिया	प्राथमिक विद्यालय, नवापुरा	,,
7.	भंवरिया	प्राथमिक विद्यालय, डिडावा	पूर्ण
8.	नवा तला	प्राथमिक विद्यालय, नवातला जेतमाल	,,
9.	जेतमाल	प्राथमिक विद्यालय, भीलों का तला	,,
10.	,,	पंचायत घर नवातला जेतमाल	,,
11.	,,	कूप मरम्मत, नवातला जेतमाल	,,
12.	भंवार	प्राथमिक विद्यालय, भंवार	अपूर्ण
13.	,,	प्राथमिक विद्यालय, सिहानिया	,,
14.	,,	प्राथमिक विद्यालय, पोरू का तला	,,
15.	,,	प्राथमिक विद्यालय अलू का तला	,,
16.	,,	मेगवालों का कुआं, सिसानिया	,,
17.	रमजान को गपन	प्राथमिक विद्यालय, रमजान को गपन	पूर्ण
18.	देदूसर	प्राथमिक विद्यालय देदूसर	,,
19.	मिठे का तला	प्राथमिक विद्यालय, मिठे का तला	अपूर्ण
20.	मूठ राठोड़ान	मिड़िल स्कूल, बावड़ी कल्ला	,,
21.	जानपालिया	प्राथमिक विद्यालय, सोमराड़	,,
22.	सरूपे का तला	प्राथमिक विद्यालय, मिये का तला	,,
23.	नवातला (बाखासर)	प्राथमिक विद्यालय, एकल	,,
24.	,,	प्राथमिक विद्यालय, घुड़ावा	,,
25.	,,	प्राथमिक विद्यालय, नवातला (बाखासर)	,,
26.	हाथला	प्राथमिक विद्यालय, मोटडो	,,
27.	,,	प्राथमिक विद्यालय, बछवाल	,,
28.	,,	प्राथमिक विद्यालय, सुहागो	पूर्ण
29.	,,	प्राथमिक विद्यालय, मोगावा	अपूर्ण
30.	,,	प्राथमिक विद्यालय, साता	पूर्ण
31.	केलनोर	प्राथमिक विद्यालय, शोभाला	,,
32.	हरपालिया	प्राथमिक विद्यालय, सांलारियां	अपूर्ण
33.	हरपालिया	पंचायत घर मरम्मत हरपालिया	,,
34.	आलमसर	प्राथमिक विद्यालय, सुथारों का तला	,,
35.	आलमसर	प्राथमिक विद्यालय, रवासर	,,

B391

1	2	3	4
36.	ग्रांटिया	प्राथमिक विद्यालय, ग्रांटियां	ग्रपूर्ण
37.	ग्रांटिया	प्राथमिक विद्यालय, कापराऊ	,,
38.	,,	प्राथमिक विद्यालय, लखवारा	,,
39	,,	प्राथमिक विद्यालय, ताजानियों की ढाणी	पूर्ण
40.	झड़पा	प्राथमिक विद्यालय, झड़पा	ग्रपूर्ण
41.	,,	प्राथमिक विद्यालय, मूलानो	पूर्ण
42.	,,	प्राथमिक विद्यालय, पकोरों का निर्माण	ग्रपूर्ण
43.	,,	प्राथमिक विद्यालय, लकड़ासर	,,
44.	,,	प्राथमिक विद्यालय, ग्ररटो	पूर्ण
45.	फागलिया	प्राथमिक विद्यालय, सांवलासो	ग्रपूर्ण
46.	,,	प्राथमिक विद्यालय, पांचरला	,,
47.	बाखासर	प्राथमिक विद्यालय, नयागांव	,,
48.	,,	प्राथमिक विद्यालय, बावरवाला	,,
49.	,,	पंचायत घर मरम्मत, बाखासर	,,
50.	,,	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाखासर	,,
51.	बुरान का तला	प्राथमिक विद्यालय, तालासर	,,
52.	सेड़वा	पशु चिकित्सा केन्द्र सेड़वा	पूर्ण

जिला ग्रामीण विकास ग्रभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के ग्रन्तंगत निर्माण कार्यों को स्वीकृति वर्ष 1980-81 पंचायत समिति बाड़मेर (बाड़मेर)

1.	विशाला	गांवाई सड़क	पूर्ण
2.	,,	सुमारगर का कुग्रां	ग्रपूर्ण
3.	,,	प्रा. पा. कालेरों की बेरी	पूर्ण
4.	,,	प्रा. पा. काछबसिह की ढाणी	,,
5.	,,	टाका हरसाणी रोड़ पर	,,
6.	पांधी का पार	धर्मशाला	,,
7.	तारातरा	पंचायत घर चार दिवारी	,,
8.	तारातरा	सांवला जाट का कुग्रां	,,
9.	वाछडाऊ	5 दुकानों का ग्रुप	,,
10.	सनावड़ा	देराज वाला कुग्रां	,,

1	2	3	4
11.	सनावड़ा	मूढों वाला कुआ	पूर्ण
12.	,,	5 दुकानों का ग्रुप	,,
13.	,,	बस स्टैण्ड पर टांका	,,
14.	,,	दलाणियों वाला टांका	,,
15.	,,	जाखड़ों का कुआ पर कोठा खेली	,,
16.	,,	अणदाणियों के कुए पर कोठा खेली	,,
17.	सनाऊ	राहणी कुआ सनाऊ	,,
18.	,,	आंकोड़ा में टांका	,,
19.	लोलसर	बजोवालों वाला कुआ	,,
20.	भादरेस	पंचायत भवन भादरेस	,,
21.	इसरोल	गिरधारी वाला कुआ	,,
22.	,,	टांका इसरोल	,,
23.	,,	कोठाखेलो इसरोल	,,
24.	,,	प्राथमिक पाठशाला गोलोमार	,,
25.	बाड़मेर आगोर	प्राथमिक पाठशाला बाड़मेर आगोर	,,
26.	,,	टांका आगोर	,,
27.	बोन्डे का पार	पंचायत भवन बोने का पार	पूर्ण
28.	,,	प्रा. विद्यालय सजन का पार	अपूर्ण
29	,,	प्रा. विद्यालय, लकड़ो यालो	,,
30.	,,	प्रा. विद्यालय बुकड़ा	पूर्ण
31.	जालोपा	टांका लूण में	,,
32.	,,	प्रा. पा. जालोपा कमरा	,,
33.	,,	प्रा. पा. हापों की ढाणी	,,
34	,,	प्रा. पा. लूण	,,
35.	भाचभर	प्रा. पा. सुहाड़ा	,,
36.	,,	प्रा. पा. तामलोमार	,,
37.	,,	प्रा. पा वल्लेको वेरी	,,
38.	सेतराऊ	प्रा. पा. खारिया गोलिया	,,
39.	सेतराऊ	प्रा. प. खेमाणियों का तला	पूर्ण
40.	सेतराऊ	कोठाखेलो सेतराऊ	,,
41.	सुरा	शाला भवन का बरामदा	,,
42.	सुरा	प्रा. पा. बोला	,,

1	2	3	4
43.	मरूड़ो	धर्मशाला	पूर्ण
44.	बालेरा	टांका रड़वा	,,
45.	बालेरा	प्रा. पाठशाला नीम्बड़ी	,,
46.	नांद	प्रा. विद्यालय दूदाबेरी	अपूर्ण
47.	नांद	प्रा. विद्यालय सोनड़ी	पूर्ण
48.	नांद	प्रा. वि. भणदारियों का तला	,,
49.	नांद	प्रा. वि. आदर्श बस्ती नांद	,,
50.	इन्द्रोई	पंचायत भवन	,,
51.	इन्द्रोई	कोठाखेली बेगरा	,,
52.	इन्द्रोई	कोठाखेली इन्द्रोई	,,
53.	इन्द्रोई	प्रा. वि. जागड़ू	,,
54.	इन्द्रोई	प्रा. वि. इन्द्रोई	,,
55.	भादरेस	भीलों का कुंआ गहरा करना	काम बन्द कर दिया है।
56.	भादरेस	पा. प्रा. भादरेस गांधव	पूर्ण
57.	भादरेस	टांका भादरेस पुनरीया	,,
58.	बूठिया	पंचायत घर	,,
59.	बूठिया	प्रा. वि. चाड़वा	,,
60.	बूठिया	प्रा. वि. चांदे का पार	,,
61.	बूठिया	प्रा. वि. बूठिया	,,
62.	रामसर	पशु चिकित्सालय रामसर	,,
63.	रामसर	पंचायत भवन	,,
64.	रामसर	टांका भीलों की ढाणी	,,
65.	रामसर	टांका बबुगुलरिया	,,
66.	जसाई	कुंआ असाड़ बेरी	,,
67.	जसाई	धमशाला	,,
68.	जसाई	प्रा. वि. मीठड़ी	,,
69.	देरासर	प्रा. वि. ऑफिसर बस्ती	,,
70.	देरासर	प्रा. वि. देरासर	,,
71.	देरासर	प्रा. वि भंवरलाई	,,
72.	चाड़ी	छैनसिंह का कुंआ कखार ढाणी	,,
73.	चाड़ी	प्रा. पा. खारिया राठोड़ान	,,
74.	गंगाला	मेगवालों का कुंआ खारा	अपूर्ण

1	2	3	4
75.	मंगाला	मेगवालों में कुंआ मंगाला	पूर्ण
76.	गांगरिया	टांका मरम्मत	"
77.	गांगरिमा	प्रा. वि. भीलों का पार	"
78.	बूठ	कोठा खेली बुठ	"

सूची अधूरे कार्यों की जिन्हें एन आर ई पी के तहत पूरा कराया गया
वर्ष 1980-81 पंचायत समिति बालोतरा

क्र. सं.	नाम पचायत	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कीटनोद	प्राथमिक पाठशाला, सराना	13,250-00	पूर्ण
2.	कीटनोद	हौज निर्माण सराना	9,715-00	"
3.	कीटनोद	हौज निर्माण कीटनोद	9,7 5-00	"
4.	मूंगड़ा	प्राथमिक पाठशाला	13,250-00	"
5.	जागसा	पंचायत भवन जागसा	22,150-00	"
6.	तिलवाड़ा	प्राथमिक शाला कितपाला	13,250-00	"
7.	आसाड़ा	पंचायत भवन आसाड़ा	22,150-00	"
8.	तिलवाड़ा	प्राथमिक शाला बोरावा	13,250-00	"
9.	दूधवा	टांका निर्माण वागुन्डी	7,000-00	"
10.	उमरलाई	पंचायत भवन उमरला	22 250-00	"
11.	कालेवा	टांका कालेवा	7,000-00	"
12.	आसोतरा	प्राथमिक पाठशाला आसोतरा	13,250-00	"
13.	उमरलाई	थपलिया	5,000-00	"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 1981-82 पंचायत समिति बायत् (बाड़मेर)

1.	केसूम्बला भाटियान	रा. प्रा. वि. के. भाटियान	22,250/-	पूर्ण
2.	जाजवा	रा. प्रा. वि. जाजवा	13,250/-	"
3.	सवाऊ पदमसिंह	आयुर्वेदिक औषधालय सवाऊ पदमसिंह.	17,010/-	"
4.	गिड़ा	भोमियाजी वाड़ा टांका गिड़ा	11,190/-	"
5.	गिड़ा	वार्ड नं. 2 कुंआ गिड़ा	5,000/-	"
6.	खोखरार	मेगवालों का टांका खोखसर	12,200/-	"

1	2	3	4	5
7.	परेऊ	पंचायत घर परेऊ	17,010/–	पूर्ण
8.	हीरा की ढाणी	छात्रावास हीरा की ढाणी	17,663/–	,,
9.	बाटाड़ू	पशु चिकित्सालय, बाटाड़ू	67,000/–	अपूर्ण
10.	बाटाड़ू	हरखाली टांका बटाड़ू	11,190/–	,,
11.	बायतू पनजो	लीला गरुघूली टांका बायतू पनजो	7,000/–	,,
12.	मांनपुरा बरवाला	सार्वजनिक टांका माड़पुरा बरवाला	11,200/–	,,
13.	भाड़खा	हरीयाली टांका भाड़खा	11,000/–	,,
14.	कपूरड़ो	रोहलो टांका, कपूरड़ो	12,000/–	,,
15.	खारापार	खारापार वेरी खारापार	7,000/–	,,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 80-81 के
कार्यों का विवरण पंचायत वाईज

पंचायत समिति सिवाना स्वीकृत कार्य 80-81

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का स्थान, मय विवरण	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
1.	पऊ	प्राथमिक शाला, कांखी	पूर्ण
2.	धारणा	प्राथमिक शीला, सिनेर	,,
3.	धारणा	उ0 प्रा0 शा0 धारणा	,,
4.	राखी	प्रा0 शा0 मोतीसरा	,,
5.	राखी	प्रा. शा. डाबली	,,
6.	अजीत	प्रा. शा. अजीत	,,
7.	अजीत	प्रा. शा. गिराद की ढाणी	,,
8.	मजल	प्रा. शा. कल्या मजल	,,
9.	धीरा	प्रा. शा. मांगी	अपूर्ण
10.	भागवा	प्रा. शा. भागवा	,,
11.	भागवा	प्रा. शा. तेलवाडा	पूर्ण
12.	भागवा	प्रा. शा. धरबला	अपूर्ण
13.	मोकलसर	प्रा. शा. महिलावास	,,
14.	थापन	प्रा. शा. मूठली	,,
15.	थापन	प्रा. शा. थापन	पूर्ण
16.	सेवाली	प्रा. शा. रातडी	,,

1	2	3	4
17.	कुसीप	प्रा. शा. रवारियों की ढाणी	पूर्ण
18.	करमावास	प्रा. शा. कन्या करमावास	,,
19.	पादरु	प्रा. शा. बराईटवाया	अपूर्ण
20.	पादरु	प्रा. शा. पादरु	निरस्त
21.	रामपुरा	पंचायप घर	पूर्ण
22.	धीरा	पंचायत घर	अपूर्ण
23,	रमणिया	पंचायत घर	पूर्ण
24.	मिठौड़ा	पंचायत घर	,,
25.	धाहृणा	पंचायत घर	,,
26.	कुण्ड़ल	पंचायत घर	निरस्त
27.	कुण्डल	आयुर्वेदिक औषधालय	पूर्ण
28.	पादरु	पशु चिकित्सालय	,,
29.	कुण्डल	सार्व. पी चका मुब्रारी	,,
30.	मेली	भीलों का पीचका खाखरलाई	,,
31.	करमावास	सार्व. पीचका बुड	,,
32.	बामसीन	सार्व. पीयका पुरोहितों का देवड़ा	,,
33.	समदड़ी	समदड़ी पुलिस स्टेशन से समदड़ी नदी तक सड़क 2 किमी.	निरस्त
34.	जैन्तरी	चार दिवारी प्राथमिक शाला सिलोर	पूर्ण
35.	थापन	चार दिवारी प्राथमिक शाला मूठली	,,
36.	खण्डप	पक्की नालियां खण्डप	,,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 1981-82 पंचायत समिति–शिव (बाड़मेर)

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का विवरण, मय स्थान	अनुमानित लागत	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	शिव	टाका निर्माण कार्य प्रा. पा. वलाई	13,000/-	पूर्ण
2.	शिव	प्रा. पाठशाला भवन जोरावाड़ा	16,000/-	,,
3.	गड़रारोड़	प्रा. पाठशाला भवन (कन्या) (गड़रारोड़)	16,000/-	,,
4.	निम्बला	प्रा. ढांका प्रा. पा. नागडदा (20 × 15)	13,000/-	,,
5.	बालेवा	प्रा. पा. भवन कपासियों की ढाणी रेडादा	16,000/-	,,
6.	मूंगेरिया	प्रा. पाठशाला भवन मेड़ालिया	16,000/-	,,

(345)

1	2	3	4	5
7.	उण्डू	ग्राम पंचायत भवन, उण्डू	22,150/-	पूर्ण
8.	गूंगा	चक गूंगा नाड़ो	10,000/-	,,
9.	काश्मीर	ग्राम पंचायत भवन, काश्मीर	22,150/-	,,
10.	मोबाब	टांका प्रा. पाठशाला पोसाल	13,000/-	,,
11.	तामलोर	ग्राम पंचायत भवन, तामलोर	22,150/-	,,
12.	राजड़ाल	टांका प्रा. पाठशाला पूसड़	13,000/-	,,
13.	मेदूसर	प्रा. पा. भवन घलोपरा की बावड़ी	16 000/-	,,
14.	राजड़ाल	अपूर्ण कार्य कुआ मरूड़ों की ढ़ाणी	11,375/-	प्रगति पर
15.	राजड़ाल	अपूर्ण कार्य पकोर गोबिन का तला	9,725/-	पूर्ण
16.	हरसानियों	टांका पुलिस चौकी के पास, हरसानी (20 × 15)	13,000/-	,,
17.	हरसानियों	प्रा. पाठशाला भवन सोलकी बस्ती	16,000/-	,,
18.	हरसानियों	प्रा. पाठशाला भवन गोरड़िया	10,000/-	,,
19:	बन्धड़ा	कलतलो नाडों (डावड़)	10,000/-	,,
20.	बन्धड़ा	बिठूसो नाड़ो (बन्धड़ा)	10,000/-	,,
21.	खानियाना	टांका प्रा. पा. करीम का पार	13,000/-	,,
22.	खानियानो	प्रा. पाठशाला भवन लालासर	16,000/-	,,
23.	खानियानो	ग्राम पंचायत भवन खानियानो	22,150/-	,,
24.	जैसिंधर	हमीराणो नाडो जैसिंधर	10,000/-	,,
25.	जैसिंधर	ग्राम पंचायत भवन जैसिंधर	22,150/-	,,
26.	राणासर	प्रा पाठशाला भवन छुड़ापो	16,000/-	,,
27.	राणासर	यूनानी औषधालय भवन गांव देताणी	13,860/-	,,
28.	राणासर	पशु स्वास्थ्य केन्द्र भवन	67,000/-	,,
29.	राणासर	खारची नाड़ो	10,000/-	,,
30.	राणासर	देताड़ो नाड़ो	10,000/-	,,
31.	कानासर	ग्राम पंचायत भवन, कानसर	22,150/-	,,

योग:–5,21,860/-

(346)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 1981–82 पंचायत समिति सिनधरी

क्रम. संख्या	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	दिनांक	कार्य की दशा
1	2	3	4	5	6
1.	सिनधरी	ग्राम सिनधरी में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तथा प्रसूति गृह का निर्माण कार्य	90,000/-	15.10.81	पूर्ण
2.	सिनधरी	ग्राम पंचायत भवन, सिनधरी	22,150/-	11.3.82	,,
3.	सिनधरी	प्रा. पाठशाला भवन, सिनधरी	16.000/-	11.3 82	,,
4.	सेव नियाला	प्रा. पाठशाला भवन, मीठीया बेरी	10,000/-	1.6. 81	,,
5.	ताला महेलान	ग्राम पंचायत भवन, महेलान	22,150/-	11.8.82	प्रगति पर
6.	सरयू चिमनजी	टांका निर्माण कार्य, प्रा. शा. सरयू विमल जी	13,000/-	27.6.81	पूर्ण
7.	चवा	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, चवा	67,000/-	14.9.81	,,
8.	सांजटा	ग्राम पंचायत भवन, सांजटा	22.150/-	11.3.82	,,
9.	भूंका	ग्राम पंचायत भवन, भूंका	22,150/-	11.3.82	,,
10.	कोसनू	प्रा. पाठशाला भवन, टांका	16,000/-	11.3.83	,,
11.	शिनकर	प्रा. पाठशाला, मांसा बेरी	16,000/.	11.3.82	,,
12.	भीसर	प्रा. पाठशाला भवन, भीसर (20 × 15)	13,000/-	20.5.82	,,
13.	भीसर	प्रा. पाठशाला भवन, केरला नाई	16,000/-	11.3.82	,,
14.	सणवा	प्रा. पाठशाला भवन, सणवा	16,000/-	9.6.81	,,
15.	मीसिया जैसमाल	ग्राम पंचायत भवन मीसिया मीसिया जैसमाल	22,150/-	11.3.82	,,

(347)

1	2	3	4	5	6
16.	मीसिया जैसमाल	प्रा. पाठशाला भवन, मीसिया	16,000/-	11.3.82	पूर्ण
17.	घनवा	प्रा. पाठशाला भवन, बोसली	16,000/-	9.6.82	,,
18.	बुडुला	ग्राम पंचायत भवन, बुडुला	22,150/-	11.3.82	,,
19.	रूड़ा	प्रा. पाठशाला, भवन टांका(20 × 15)	13,000/-	20.3.81	,,
20.	डांगवा खुर्द	प्रा पाठशाला भवन	16,000/-	11.3.82	,,
21.	रावतसर	प्रा. पाठशाला भवन लाडू खुमार का बास	16,000/-	9.6.81	,,
2.	घोटू	प्रा पाठशाला भवन, घोटू	16,000/-	11.3.82	,,
23.	आदेरा	प्रा. पाठशाला, भवन स्यार की बेरी	16,000/-	9.6.81	,,
24.	पांचना खुर्द	प्रा. पाठशाला टांका निर्माण	13,000/-	22.5.81	,,
25.	घुडाला	प्रा.पाठशाला टांका(पानी का)	13,000	20.5.81	,,

योग :– 5,46,900/-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 1981-82
पंचायत समिति धोरीमना

1.	लूणवा जागीर	ग्राम पंचायत भवन, लूणवा जागीर	22, 150/-	11-3-82	पूर्ण
2.	बामणोर	प्रा. पाठशाला भवन, आमद का ढाणी	16, 000/-	9-6-81	,
3.	राणासर	प्रा. पाठशाला भवन,	16, 000/-	8-6-81	,,
4.	राणासर	ग्राम पंचायत भवन, राणासर	22, 150/-	11-3-82	,,
5.	गुड़ामालानी	प्रा. पाठशाला भवन,	16, 000/-	9-3-81	,,

(348)

1	2	3	4	5	6
		काधी की ढाणी			
6.	भीमथल	प्रा. पाठशाला भवन, पाबूबेरा	16, 000/-	11-3-82	,,
7.	सिन्धासवा हरनियान	ग्राम पंचायत भवन, सिन्धासवा हरनियान	22,000/-	12-3-82	,,
8.	,,	प्रा. पाठशाला भवन, लूम्बारन	16,000/-	11-3-82	,,
9.	धोरीमना	टांका प्रा. पाठशाला गरडिया 120 × 15	13,000/-	23-5-81	,,
10.	धोरीमना	धोरीमना में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवन के निर्माण	1,52,000/-	16-3-82	,,
11.	अरणीयाली	प्रा. पाठशाला भवन मेगवालों की ढाणी माणकी	16,000/-	9-6-81	,,
12.	अरणीयासी	प्रा. पाठशाला भवन माणकी	16,000/-	11-3-82	,,
13.	बीर कल्यान	टांका प्राथमिक पाठशाला डबोई 20 × 15	13,000/-	23-5-82	,,
14.	बांटा	प्रा. पाठशाला भवन, बांटा	16,000/-	11-3-82	,,
15.	बांटा	प्रा. पाठशाला भवन, मीठी	16,000/-	11-3-82	,,
16.	कोजा	ग्राम पंचायत भवन, कोजा	22,150/-	11-3-82	,,
17.	उड़ासर	टांका प्रा. पाठशाला उड़ासर 20 × 15	13,000/-	23-5-81	,,
18.	उड़ासर	उड़ासर नाड़ी	10,000/-	27-6-81	,,
19.	खारी	टांका प्रा. पाठशाला कबूली 20 × 15	13,000/-	23-5-81	,,
20.	नगर	टांका प्रा. पाठशाला गोलिया	13,000/-	23-5-81	,,
21.	नगर	प्रा. पाठशाला भवन गुलानियों की ढाणी	16,000/-	11-3-82	,,
22.	लूखू	प्रा. पाठशाला भवन भीलों की ढाणी लूखू	16,000/-	9-6-82	,,
23.	गांधव	ग्राम पंचायत भवन, गांधव	22,150/-	11-3-82	,,

(349)

1	2	3	4	5	6
24	गांधव	गांधव में डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण	1,12,000/-	16-3-82	पूर्ण

योग :—6,29,750/-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 1981-82 पंचायत समिति-चोहटन (बाड़मेर)

क. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बाखासर	लालपुरा नाड़ो	10,000/-	पूर्ण
2.	घनाऊ	ग्राम पंचायत भवन, घनाऊ	22,150/-	प्रगति पर
3.	मोठे का तला	ग्राम पंचायत भवन मोठे का तला	22,150/-	पूर्ण
4.	भंवार	भंवार गावाई नाड़ो	10,000/-	,,
5.	सेड़वा	सेड़वा गावाई नाड़ो	10,000/-	,,
6.	कोनरा	ग्राम पंचायत भवन, कोनरा	22,150/-	,,
7.	बूठ राठौड़ान	मेगवालों का कुंआ बावड़ी	13,000/-	,,
8.	सरुप का तला	ग्राम पंचायत भवन, सरुप का तला	22,150/-	,,
9.	बिजराड़	प्रा. पाठशाला भवन, पोसाला	16,000/-	,,
10.	बूरान का तला	पशुओं के पानी पीने के लिए खेली निर्माण कार्य, ट्यूब वेल गांव बूरन का तला के पास	1,830/-	,,
11.	केलनोर	नया कुंआ केलनोर, मेगवालों की बस्ती	10,000/-	,,
12.	आलमसर	मेगवालों का कुंआ, खासर	13,000/-	,,
13.	पनोरिया	छोतरड़ी नाडी	10,000/-	,,
14.	सारला	प्रा. पा. भवन गांधी का निर्माण	16,000/-	प्रगति पर
15.	बीजासर	नाडी बीजासर में	10,000/-	पूर्ण
16.	गोहड़ का तला	मेगवालों का कुंआ, गोहड़ का तला	13,000/-	,,
17.	ढोंक	नया कुंआ निर्माण गांव पराड़िया	13,000/-	प्रगति पर
18.	ढोंक	राम तालाब	10,000/-	पूर्ण

1	2	3	4	5
19.	नेतराड़	मेगवालों का कुंश्रा, नेतराड़	13,000/-	प्रगति पर
20.	फागलिया	ग्राम पंचायत भवन, फागलिया	22,150/-	पूर्ण
21.	मंवरिया	प्रा. पाठशाला भवन रंगवाली	16,000/-	प्रगति पर
22.	मंवरिया	ग्राम पंचायत भवन, मंवरिया	22,150/-	पूर्ण
23.	श्रालमसर	प्रा. पाठशाला भवन, दीनगढ़	16,000/-	"
24.	पनोरिया	प्रा पाठशाला भवन, मदाना	16,000/-	"
25.	पनोरिया	प्रा. पाठशाला भवन, खारी	16,000/-	"
		योग :—	3,65,730/-	

जिला ग्रामीण विकास श्रभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के श्रन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो की सूची वर्ष 1981-82 पंचायत समिति बाड़मेर (बाड़मेर)

1.	बाड़मेर श्रागोर	ग्राम पचायत भवन	22, 150/-	पूर्ण
2.	गागरिया	भीलों का पार नाड़ी	10, 000/-	"
3.	गागरिया	सोहाई नाड़ी	10, 000/-	"
4.	गागरिया	प्रा. पाठशाला भवन, श्रये का पार	16, 000/-	"
5.	गंगाला	ग्राम पंचायत भवन गंगाला	22, 150/-	"
6.	सेतराऊ	शाला टांका उमाणियों का तला (70 × 15)	17, 000/-	"
7.	बूठिया	चाडवा भरटाली नाड़ी	10, 000/-	"
8.	भादरेस	प्रा. पाठशाला भवन, गुडोसर	10, 000/-	"
9.	सणाऊ	सणाऊ ग्राम पंचायत भवन	22, 150/-	"
10.	पांधी का पार	टांका निर्माण कार्य गांव पांधी का पार (20X15)	13, 000/-	"

351.

1	2	3	4	5
11.	रामसर	प्रा. पाठशाला भवन, रामसर कमरे दो व वरंडा	30, 800/-	पूर्ण
21.	राणीगांव	ग्राम पंचायत भवन,	22, 150/-	"
13.	बालेरा	प्रा. पाठशाला भवन, राणीगांव की ढाणी	16, 000/-	"
14.	बालेरा	नोम्बडी नाड़ी रड़वा	10, 000/-	"
15.	महाबार	प्रा. पा. भवन सांसियों का नला	16, 000/-	"
16.	खड़ीन	प्रा. पा. भवन डऊ-कियों की नाली	16, 000/-	"
17.	डालीतला	टांका निर्माण प्रा. पा. डूगरी की ढाणी	13, 000/-	"
18,	हाथीतला	नीम्बासर नाड़ी, राम-देरिया	10, 000/-	"
19.	हाथीतला	प्रा. पाठशाला भवन, डूगरी	14, 800/-	"
20.	देरासर	शाला टांका आलिसरों की ढाणी बस्ती (20×15)	13, 000/-	"
21.	सूरा चारणान	ग्राम पंचायत भवन, सूरा चारणान	22, 150/-	"
22.	सूरा चारणान	प्रा. पाठशाला भवन, सांखरू	16, 000/-	"
23.	बासासर	शाला टांका जेसार गावाई टांका (20×15)	13, 000/-	"
24.	बारासर	कुम्हारों की नाड़ी प्राथमिक पाठशाला भवन	16, 000/-	"
25.	लीलसर	प्रा. पाठशाला भवन पवारियों का तला	16, 000/-	"

1	2	3	4	5
26.	कंटल का पार	ग्राम पंचायत भवन, कंटल का पार	22, 150/-	पूर्ण
27.	कंटल का पार	प्रा. पाठशाला भवन, कंटल का पार	16, 000/-	"
		योग:—	4,37,500/-	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य
वर्ष 1981-82 पंचायत समिति बालोतरा

क्र.सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	दिनांक	कार्य की दशा
1	2	3	4	5	6
1.	मूंचडा	प्रा. पाठशाला भवन, रामसीन	16, 000/-	11.3.82	पूर्ण
2.	कालूड़ी	प्रा. पाठशाला भवन, सिमालिया	16, 000/-	11.3.82	"
3.	कालूडी	प्रा. पाठशाला भवन, धरियां मगजी	16, 000/-	11.3.82	"
4.	असाड़ा	प्रा. पाठशाला भवन, असाड़ा	16, 000/-	11.3.82	"
5.	शिलवाड़ा	स्कूल टांका बोरावात	13, 000/-	20.5.81	"
6.	अरावा	प्रा. पाठशाला भवन, बांकियावास	16, 000/-	9.6.81	"
7.	अरावा	ग्राम पंचायत भवन, अरावा	22, 150/-	11.3.82	"
8.	कोकराना	स्कूल टांका, बासा	13, 000/-	20.5.85	"
9.	कांकराला	प्रा पाठशाला भवन, वारवा	16, 000/-	11.3.82	"
10.	डोली	बाड़मेर-जोधपुर सीमा पर विशेष निर्माण कार्य	4, 12.65	19.9.81	"
11.	डोली	ग्राम पंचायत भवन, डोली	22, 150/-	11.3.82	"
12.	पूम्ली	प्रा. पाठशाला भवन, बगनावास	16, 000/-	11.3.82	"
13.	उमरवास	स्कूल टांका गुलजी की ढाणी (20×15)	13, 000/-	20.5.81	"

(353)

1	2	3	4	5	6
14.	उमरलाई	प्रा. पाठशाला भवन, जानियाना	16, 000/-	9.6.81	पूर्ण
15.	उमरलाई	प्रा. पाठशाला भवन खुलजी की ढाणी	16, 000/-	11.3.82	,,
16.	रोपड़ी	प्रा. पाठशाला भवन, रिछोली	16, 000/-	11.3.82	,,
17.	शडीली	प्रा. पाठशाला भवन नखोड़ा बैरा	16, 000/-	9.6.81	,,
18.	घडनावा	प्रा. पाठशाला भवन सादूसर की डाणी घडसम्मा	16, 000/-	9.6.81	,,
19.	बडनावा	सोलासर गाड़ी बडनावा	10, 000/-	9.6.81	,,
20.	बडनावा	कुशलबाड़ी बडनावा	10, 000/-	9.5.81	,,
21.	बडनावा	सनोटगाड़ी (बडनावा)	10, 000/-	9.6.81	,,
22.	बडनावा	सोमवाड़ी (बडनावा चारणान)	10, 000/-	9.6.81	,,
23.	बडनावा	सोमवाड़ी (बडनावा चारणान)	10, 000/-	9.6.81	,,
24.	बडनावा	प्रा. पाठशाला भवन, सनोडा	10, 000/-	11.3.82	,,
25.	चादोसरा	ग्राम पंचायत भवन, चांदसरा	22, 150/-	11.3.82	,,
26.	डदवा	स्कूल टांका मकेरना	13, 000/-	20.5.81	,,
27.	डदवा	ग्राम पंचायत भवन डदवा	22, 150/-	11.3.82	,,
28.	सादियाली	स्कूल टाक सिंवियों की बेरी	13, 000/-	30.5.81	,,
29.	सादिवाली	प्रा. पाठशाला भवन, साजियाली	16, 000/-	11.3.82	,,
30	थण्डली	प्रा. पाठशाला भवन, डेरिया	16, 000/-	11.3.82	,,
31.	रापडा	प्रा. पाठशाला भवन पनोतडी नाड़ी	16, 000/-	9.6.81	,,
		योग:—	4, 64, 212,65		

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की सूची वर्ष 1982-82 पंचायत समिति बायतू

1.	गिड़ा	टांका निर्माण माडपुरिया (20×15)	13,000/-	20.5.81	पूर्ण
2.	खारापार	ग्राम पंचायत भवन खारापार	22,150/-	11.3.82	,,

3354

1	2	3	4	5	6
3.	खारड़ा भारत सिंह	टांका निर्माण भीलों की वस्ती	13,000/-	20.5.81	पूर्ण
4.	खारड़ा भारत सिंह	ग्राम पंचायत भवन खारड़ा भारत सिंह	22,150/-	11.3.82	"
5.	कपूरड़ी	टांका निर्माण कार्य मेघवालों बस्ती बोलिया	13,000/-	25.6.81	"
6.	कसूम्बला भाटियान	ग्राम पंचायत भवन, कसूम्बलया भाटियान	22,150/-		"
7.	परेऊ	टांका निर्माण लापूवड़ा	13,000/-	20.5-81	"
8.	हीरा की ढाणी	ग्राम पंचायत भवन, हीरा की ढाणी	22,150/-	11.3.82	"
9.	हीरा की ढाणी	प्रा. पाठशाला भवन, हीरा की ढाणी	16,000/-	11.3.82	"
10.	कोसरिया	प्रा.पाठशाला भवन,कुये का लवा	16,000/-	9.6.81	"
11.	कोसरिया	प्रा. पाठशाला भवन, गुडों की ढाणी	16,000/-	11.3.82	"
12.	बायतू भीमजी	टांका निर्माण काकीशों की ढाणी (20 × 15)	13,000/-	22.10.81	"
13.	बायतू भीमजी	गेवाल नाडी गांव बायतू भीमजी	10,000/-	6.7.81	"
14.	बायतू भोपजी	बायतू में डाक बंगले का निर्माण	1,49,500/-	16.3.82	प्रगति पर
15.	शहर	ग्राम पंचायत भवन शहर	22,150/-	11.3.82	"
16.	कवास	प्रा. पाठशाला भवन मानाणियों की ढाणी	16,000/-	9.6.81	पूर्ण "
17.	कवास	प्रा. पाठशाला भवन, कवास (बालक)	16,000/-	9.6.81	"
18.	कवास	प्रा. पाठशाला भवन, कवास (बालिका)	16,000/-	9.6.81	"
19.	भाड़ड़ा	प्रा. पाठशाला भवन मेरीवाला	16,000/-	9.6.81	"

355

1	2	3	4	5	6
20.	बाटाडू	टांका निर्माण सूनाड़ा (20×15)	13,000/-	20-5-81	पूर्ण
21.	माडूपुरा छरवाला	प्रा. पाठशाला भवन मीणाणियों की ढाणी की ढाणी माडूपुरा छरवाला	16,000/-	11.3.82	,,
22.	माडपुरा छरवाला	ग्राम पंचायत भवन पनावड़ा	22,150/-	11.3.82	,,
23.	सवाऊ पदम सिंह	टांका निर्माण भील व मेघवालों की बस्ती गांव सवाऊ पदम सिंह	13,000/,	6.7.81	,,
24.	कोलू	ग्राम पंचायत भवन कोलू	22,150/-	11.3.82	,,
25.	कोलू	प्रा. पाठशाला भवन छत्तर वालों की ढाणी कोलू	16,000/-	11.3.82	,,

योग:–5,49,550

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की वर्ष 81-82 पंचायत समिति सिवाना

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का विवरण मय स्थान	स्वीकृत राशि	दिनांक	कार्य की दशा
1	गोलिया	प्रा. पाठशाला भवन, गुगरोट	16,000/-	9.6.81	पूर्ण
2.	गोलिया	ग्राम पंचायत भवन, गोलिया	22,150/-	11.3.82	,,
3.	कोटड़ी	गोदों का बाड़ा टांका (20×15)	13,000/-	20.5.81	,,
4.	कोटड़ी	लाबेढा प्रा. पाठशाला भवन	16,000/-	12.8.81	,,
5.	धीरा	प्रा. पाठशाला भवन, जिनपुर	16,000/-	9.6.81	प्रगति पर
6.	सेवाली	ग्राम पंचायत भवन, सेवाली	22,150/-	11.3.82	पूर्ण
7.	भागवा	ग्राम पंचायत भवन, भागवा	22,150/-	11.3.82	प्रगति पर
8.	बामसीन	ग्राम पंचायत भवन, बामसीन	22,150/-	11.3.82	पूर्ण
9.	बामसीन	प्रा. पाठशाला भवन, सूभली	16,000/-	11.3.82	,,
10.	जेठन्तरी	जेठन्तरी टांका (20×15)	13,000/-	20-5-81	,,

1	2	3	4	5	6
11.	अजीत	भीलो की वस्ती खेजड़ी-पाली टांका	13,000/-	20.5.81	पूर्ण
12.	अजीत	प्रा. पाठशाला भवन तेजसिंह की ढाणी	16,000/-	11.3.82	प्रगति पर
13.	अजीत	प्रा. पाठशाला भवन पातों का बाड़ा	16,000/-	11.3.82	पूर्ण
14.	पादरू	प्रा. पाठशाला भवन, पादरू (दो कमरे व बरामदा)	30,000/-	—डू—	प्रगति पर
15.	पादरू	प्रा. पाठशाला भवन, पादरू	16,000/-	12.3.82	"
16.	कुण्डल	प्रा. पाठशाला भवन मूठनरी	16,000/-	9.6.81	"
17.	कुण्डल	ग्राम पंचायत भवन कुण्डल	22,150/-	11.3.82	"
18.	पऊ	ग्राम पंचायत भवन पऊ	22,150/-	11.2.82	निरस्त
19.	समदड़ी	प्रा. पाठशाला भवन समदड़ी	26,000/-	29.6.82	पूर्ण
20.	समदडी	प्रा. पाठशाला भवन कन्या समदड़ी	13,000/-	20.3.82	"
21.	राणी टेसीपुरा	हेतरड़ा जाड़ा साफी टांका (20 × 15)	13,000/-	20.5.81	"
22.	करमावास	गांवाई तालाव, करमावास	10,000/-	24.9.81	प्रगति पर
23.	करमावास	तोलानाड़ा तालाब, करमावास	10,000/-	24.9.81	"

कुल योग—3.95,700/-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 1982-83 पंचायत समिति-शिव

1	2	3	4	5	6
1.	जैसिंधर स्टेशन	पंचायत भवन, जैसिंधर	22,150/-	13-12-82	पूर्ण
2.	जैसिंधर स्टेशन	प्रा. पाठशाला नीवाट नयाकवर	16,000/-	11-4-83	"
3.	मेटूसर	पंचायत भवन मेटूसर	22,150 /-	13-4-82	"
4.	स्वामी का गांव	पंचायत भवन स्वामी का गांव	22,150/-	13-12-82	"

357

1	2	3	4	5	6
5.	स्वामी का गांव	प्रा. पाठशाला नेयरक्षा शिवलाल श्री कमर	14,800/-	11-4-83	पूर्ण
6.	जैसिंघर गांव	प्रा. पा. सुथारों का पार	16,000/-	13-12-83	,,
7.	जैसिंघर गांव	आयुर्वेदिक औषधालय जैसिंघर गांव	18,860/-	11-4-83	,,
8.	गिराब	प्रा. पा. जैसिंघर का पार	16,000/-	13-12-82	,,
9.	शिव	प्रा. पा. बागोरिया	16,000/-	13-12-82	,,
10.	निम्बला	आयुर्वेदिक औषधालय निम्बला	18,860/-	13-12-82	,,
11.	निम्बला	प्रा. पा. मणिदड़ी विस्तार अवि. कमरा	14,800/-	11-4-83	,,
12.	उण्डू	आयुर्वेदिक औषधालय उण्डू	18,860/-	12-1-83	प्रगति पर
13.	अणदली	प्रा. पा. कमरों का विस्तार	14,800/-	11-4-83	पूर्ण
14.	खानियानी	प्रा. पा. भवन रावतसर नया भवन	16,000/-	11-4-83	प्रगति पर
15.	कोठड़ा	प्रा. पा. स्वामी की धरती नया भवन	16,000/-	11-4-83	पूर्ण
16.	भीपाड़	प्रा. पा. कोढड़ियों की ढाणी	14,800/-	11-4-83	प्रगति पर
17.	मूंगा	प्रा. पा. मापली मूंगा विस्तार	14,800/-	11-4-83	पूर्ण
18.	सुन्दरा	प्रा. पा. श्री बेगदा	13,000/-	11-4-83	प्रगति पर
19.	मूंगेरिया	प्रा. पाठशाला सुन्दरा टांका	13,000/-	11-4-83	प्रगति पर
20.	राजदूति	प्रा. पाठशाला औषधालय टांका	18,000/-	11-4-83	,,
21.	रामासर	चार दिवारी पंचायत भवन रामासर	9,826/-	11-4-85	पूर्ण
22.	हरसानी	चार दिवारी आयुर्वेदिक औषधालय, हरसानी	9,826/-	11-4-83	,,
		योग :—	351682/-		
23.	रामासर	प्रा. पा. स्वामी	25,565/-	2-4-83	प्रगति पर

358

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 82-83 पंचायत समिति सिणधरी

क. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का विवरण मय स्थान	अनु. लागत	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	सड़ा	प्रा. पा. सड़ा में अति. कमरा	14,800/-	पूर्ण
2.	जूना मिठाखेड़ा	प्रा. पा. जूना मीठाखेड़ा में अति. कमरा	14,800/-	"
3.	सेवनियाला	आयुर्वेदिक औषधालय सेवलियाला	18,860/-	"
4.	सांजटा	मेगवालों का कुआं सांजटा	13,000/-	प्रगति पर
5.	सेवलियाला	प्रा. पा. भोजासर में अति. कमरा	14,800/-	पूर्ण
6.	सांजटा	मोतियाणी कुआं पर कोठा खेली सांजटा	12,200/-	"
7.	आड़ेल	सार्वजनिक टांका जूना ऊंदरी मेगवालों की ढाणी (20 × 15)	13,000/-	"
8.	आड़ेल	प्रा. पा. जूनी उन्दड़ी	16,000/-	निरस्त
9.	खुडाला	सार्वजनिक टांका खुडाला गोयलों की बेरी	13,000/-	पूर्ण
10.	खुडाला	प्रा. पा. भवन सोहारों की बेरी सुहाला	16,000/-	निरस्त
11.	घनवा	टांका निर्माण बालिका स्कूल के पास (20 × 15)	13,000/-	पूर्ण
12.	पायलांकला	सार्वजनिक टांका (20 × 15) पंचायत भवन के पास	13,000/-	"
13.	मेहलू	आयुर्वेदिक औषधालय मेहलू	18,860/-	प्रगति पर
14.	बाण्ड.	गवाई मेगवाल बेरा आडाणियों की ढाणी	8,000/-	निरस्त
15.	होडू	आयुर्वेदिक औषधालय भवन होडू	18,860/-	प्रगति पर
16.	सरली	मेगवालों का कूप पर कोठा खेली सरली	12,200/-	पूर्ण

1	2	3	4	5
17.	सरली	कूप निर्माण (लोगों का कूप) अपूर्ण कार्य पूर्ण करने बाबत	10,000/-	प्रगति पर
18.	निम्बलकोट	पुराना बेरा गावाई निम्बलकोट	13,000/-	पूर्ण
19.	नोखड़ा	पशु चिकित्सालय, अधूरा कार्य पूरा करने हेतु	7,000/-	प्रगति पर
20.	नोखड़ा	मेगवालों का कूप नोखड़ा	13,000/-	"
21.	रावतसर	डंडियों का बेरा, स्कूल भवन निर्माण रावतसर	16,000/-	निरस्त
22.	सणपा	रा. प्रा. पा. विस्तार अति. कमरा सणपा	14,800/-	पूर्ण
23.	कुडला	प्रा. पा. मगने की ढाणी अति. कमरा कुडला	14,800/-	प्रगति पर
24.	कोशलू	प्रा. पा. बनाणियों की ढाणी खारीया खुर्द	16,000/-	"
25.	कोशलू	प्रा. पा. खारिया खुर्द	14,800/-	"
26.	गोलिया जेतमाला	मेगवालों का तला, कूप कोठा खेली निर्माण गोलिया जेतमाला	12,200/-	पूर्ण
			3,61,980/-	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 82-83 पंचायत समिति–धोरीमना

1.	केकड़	पंचायत भवन, केकड़	22,150/-	पूर्ण
2.	बोर	पंचायत भवन, बोर	22,150/-	प्रगति पर
3.	मीठड़ा	पंचायत भवन, मीठड़ा	22,150/-	पूर्ण
4.	मीठड़ा	कुआ भीलों की बेरी का तला कातरला	13,000/-	"
5.	खारी	प्रा. पा. भवन कबूली	16,000/-	"

1	2	3	4	5
6.	अरनियाली	आयुर्वेदिक औषधालय	18,000/-	पूर्ण
7.	धोरीमसा	पंचायत समिति का टांका	13,000/-	"
8.	गुड़ामालानी	टांका निर्माण धोलानाड़ा	13,000/-	"
9.	सिंधासवा हरनियान	आयुर्वेदिक औषधालय सिंधासवा हरनियान	18,860/-	प्रगति पर
10.	भेड़ाणा	आयुर्वेदिक औषधालय, भेड़ाणा	18,860/-	पूर्ण
11.	भाखरपुर	प्रा. पा. भवन सिन्यासवा चौहान	16,000/-	"
12.	दूदू	आयुर्वेदिक औषधालय सूरते की बेरी	18,860/-	प्रगति पर
13.	ओगाला	प्रा. पा. विस्तार अतिरिक्त कमरा ओगाला	14,800/-	"
14.	बिसारनिया	प्रा. पा. विस्तार अतिरिक्त कमरा, हिरानिया का तला	14,800/-	पूर्ण
15.	मांगला	दूदिया, सेवरों की ढाणी कुआं निर्माण मांगला	13,000/-	प्रगति पर
16.	लोहारवा	पूर्व दिशा में टांकी निर्माण लोहारवा	13,000/-	पूर्ण
17.	बामड़ला	टांका कोलियों की बस्ती बामड़ला	13,000/-	पूर्ण
18.	भेरुड़ी	मेगवालों की बस्ती बाखला वखड़ी	13,000/-	"
19.	पीपराली	रा. प्रा. वि. पीपराली	16,000/-	प्रगति पर
20.	लूखू	कोठा खेली मेगवालों की बेरी लूखू	12,200/-	प्रगति पर
21.	राणासर	भीलों का कुआं. भागभरे की बेरी	13,000/-	पूर्ण
22.	बामनोर	पंचायत भवन बामणोर	22,150/-	प्रगति पर
		योग :—	3,57,840/-	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की
स्वीकृति वर्ष 82–83 पंचायत समिति चौहटन

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का विवरण मय स्थान	अनु. लागत	दिनांक	कार्य की दशा
1	2	3	4	5	6
1.	केलनोर	प्राथमिक पाठशाला, नयापुरा	16, 000/-	13.12.82	पूर्ण
2.	जानपालिया	प्राथमिक पाठशाला जूना की बावड़ी	16, 000/-	13.12.82	,,
3.	जानपालिया	मेगवालों का कुआ दीपला	13, 000/-	27.5.83	प्रगति पर
4.	वूढ राटौडान	प्राथमिक पाठशाला बावड़ी कलां	16, 000/-	13.12.82	पूर्ण
5.	कोनरा	कूप निर्माण अरब का तला	13, 000/-	13.12.82	पूर्ण
6.	हरपालिया	कूप निर्माण शरणार्थियों का वास सियार	13, 000/-	13.12.82	,,
7.	गौहड का तला	भीलों का तला	13, 000/-	13.12.82	प्रगति पर
8.	भड़पा	कूप निर्माण फकीरों का निवास	5, 000/-	7.1.83	प्रगति पर
9.	हाथला	कूप निर्माण शरणार्थियों का बरड़ी	5, 000/-	7.1.83	पूर्ण
10.	बावासर	कूप निर्माण ब्राह्मणों की ढाणी	5, 000/-	7.1.83	पूर्ण
11.	नवातला	कूप निर्माण गुलमोहम्मद भाड़ा	12, 000/-	7.1.83	पूर्ण
12.	बीजासर	मेगवालों का कुआं बीजासर	12, 000/-	7.1.83	,,
13.	चौहटन	ग्राम सेवक आवासगृह निर्माण चौहटन	25, 000/-	12.1.83	प्रगति पर
14.	सांवा	प्राथमिक पाठशाला एडसान का तला	16, 000/-	11.4.83	,,
15.	घनाऊ	ग्राम सेवक आवासग्रह घनाऊ	23, 250/-	11.4.83	,,

1	2	3	4	5	6
16.	मीठे का तला	ग्राम सेवक आवासगृह मीठे का तला	23, 250/-	11.4.83	प्रगति पर
17.	सेड़वा	ग्राम सेवक आवास गृह कुन्दनपुरा	24, 250/-	11.4.83	"
18.	सरूप का तला	ग्राम सेवक आवास गृह सरूप का तला	23, 250/-	11.4.83	"
19.	बींजराड़	ग्राम सेवक आवास गृह बींजराड़	23, 250/-	11.4.83	"
20.	आलमसर	ग्राम सेवक आवास गृह आलमसर	23, 250/-	11.4.83	"
21.	पनोरिया	ग्राम सेवक आवास गृह पनोरिया	23, 250/-	11.4.83	"
22.	सारला	ग्राम सेवक आवास गृह सारला	23, 250/-	11.4.83	"
		योग:—	3,66,000/-		

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 82-83 पंचायत समिति बाड़मेर

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	ईसरोल	पंचायत भवन, ईसरोल	22, 150/-	पूर्ण
2.	बूठ जेतमाल	पंचायत भवन, बूठ जेतमाल	22, 150/-	"
3.	गरल	पंचायत भवन गरल	22, 150/-	"
4.	जालीपा	प्रा0 पा0 धोलका में अति. एक कमरा	14, 800/-	"

1	2	3	4	5
5.	धारासर	प्रा. पा. गावाई में कुआं जैसार में एक अति. कमरा	14, 800/-	पूर्ण
6.	सवावड़ा	प्रा. पा. तादुआनिया में एक अति. कमरा	14, 800/-	,,
7.	सनावड़ा	पशु चिकित्सालय भवन सनावड़ा	67, 000/-	प्रगति
8.	रामसर	पंचायत घर रामसर चार दीवारी 100 मीटर की लम्बाई के 8785/- की दर से	15, 000/-	पूर्ण
9.	महाबार	डूरडियों मेगवालो की बस्ती में टांका (20 × 15)	13, 000/-	,,
10.	चाड़ी	कोठा खेली गाडोलियों का तला	22, 200/-	,,
11.	खड़ीन	जाखरों का तला	14, 800/-	,,
12.	बीशाला	ग्राम सेवक आवास गृह	23, 250/-	प्रगति
13.	जसाई	ग्राम सेवक आवास गृह जसाई	23, 250/-	,,
14.	सिहानी	ग्राम सेवक आवास गृह सिहानी	23, 250/-	,,
15.	रामसर	ग्राम सेवक आवास गृह रामसर	23, 250/-	,,
16.	नांद	प्रा0 पा0 विस्तार डूडों की बेरी	14, 800/-	,,
17.	उण्डवा	प्रा0 पा0 विस्तार कुआं	14, 800/-	पूर्ण
18.	तारासरा	टांका निर्माण खेतानियों की ढाणी सार्वजनिक टांका तारासरा	13, 000/-	,,
19.	पांधी का पार	प्रा. पा. विस्तार ऊभरे का पार	14, 800/-	प्रगति
20.	इन्द्रोही	टांका निर्माण चवा	13, 000/-	,,
21.	लीलसर	प्रा. पा. भवन विस्तार	14, 800/-	,,
22.	भादरेस	गुड़ीसर स्कूल पर टांका निर्माण	13, 000/-	,,

योग:— 4, 24, 050/-

364

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 1982-83 पंचायत समिति-बालोतरा

सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्य की दिनांक	कार्य की दशा
	2	3	4	5	6
.	बड़नावा जागीर	टांका निर्माण (20 × 15) बड़नावा	13,000	15.12.82	पूर्ण
.	उमरलाई	टांका निर्माण (20 × 15) उमरलाई	13,000	15.12.82	"
.	उमरलाई	प्राथमिक पाठशाला उमरलाई	16,000	11.4.82	"
.	दूधवा	टांका निर्माण (20 × 15) दूधवा	13,000	15.12.82	"
i.	दूधवा	प्राथमिक पाठशाला भवन, बानावास	16,000	12.1.83	"
.	लिमरखिया	टांका निर्माण गांव सहरढी (20 × 15)	13,000	15.12.82	"
७,	कातूड़ी	टांका निर्माण (20 × 15) कातूड़ी	13,000	16.12.82	"
8.	कांकराला	टांका निर्माण कांकराला	13,000	15.12.82	"
9.	कांकराला	प्रा. पाठशाला भवन, पिछडारना	16,000	12.1.83	"
0.	कालेवा	टांका निर्माण कवरली	13,000	15.12.82	"
1.	कालेवा	क्यार चारपान के टांका निर्माण	13,000	26.12.83	"
2.	थूम्बली	बलाई प्रा. पाठशाला भवन	16,000	18.12.83	"
3.	बागावास	मेगावास में प्राथमिक पाठशाला भवन	16,000	18.12.82	"
4.	पारलू	विश्राम गृह पारलू	30,000	11.4.83	"

365

1	2	3	4	5	6
15.	कनाना	प्रा. पाठशाला कनाना	16,000	11.4.83	पूर्ण
16.	आसोतरा	पंचायत दुकान का निर्माण आसोतरा	20,000	11.4.83	"
17.	जसोल	छात्रावास 2 कमरे जसोल	32,000	11.4.83	"
18.	कल्याणपुरा	प्रा. पाठशाला बागलोप	16,000	11.4.83	अपूर्ण
19	घोब	प्रा. पाठशाला रेवाड़ा जैसमाल	16,000	11.4.83	"
20	मरचड़ी	कुआ मरम्मत सरचड़ी (सार्वजनिक कुआ)	5,000	11.4.83	पूर्ण
21.	दागसा	प्रा.पाठशाला दासा	16,000	11.4.83	"
22.	बापरा	धर्मशाला निर्माण बापरा	20,000	11.4.83	अपूर्ण
23.	साजियाली	प्रा. पाठशाला भवन छीतरिया की बेरी	16,000	5 5.83	"
24.	तिलवाड़ा	टांका निर्माण तिलवाड़ा	13,000	5.5,83	पूर्ण
		योग :-	3,84,000/-		

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 1982-83 पंचायत समिति, बायतु

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का विवरण मय स्थान	अनु. लागत	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	कपूरड़ी	पंचायत भवन, कपूरड़ी	22,150/-	प्रगति पर
2.	कपूरड़ी	प्रा. पा. वि. अति. कमरा, रोहीली	14,800/-	पूर्ण
3.	बान्दरा	पंचायत भवन, बान्दरा	22,150/-	पूर्ण
4.	जाजवा	पंचायत भवन, जाजवा	22,150/-	पूर्ण
5.	सोहड़ा	पंचायत भवन, सोहड़ा	22,150/-	प्रगति पर

1	2	3	4	5
6.	गिड़ा	पंचायत भवन, गिड़ा	22,150/-	पूर्ण
7.	माडपुरा बरवाला	पंचायत भवन, माडपुरा बरवाला	22,150/-	पूर्ण
8.	मुरटिया	पंचायत भवन, मुरटिया	22,150/-	पूर्ण
9.	सवाऊ पदमसिंह	पशु चिकित्सालय भवन, सवाऊ पदमसिंह	67,000/-	पूर्ण
10.	बायतु पनजी	प्रा. पाठशाला विस्तार, अधि. कमरा, बनिया सांडा धोरा	14,800/-	पूर्ण
11.	रतेऊ	प्रा. पाठशाला विस्तार अति. कमरा, पटाली	14,800/-	पूर्ण
12.	अकदड़	प्रा. पाठशाला विस्तार अति. कमरा, खोयों की ढाणी	14,800/-	पूर्ण
13.	बायतु चिमनजी	प्रा. पाठशाला विस्तार अति. कमरा, बायत स्टेशन	14,800/-	पूर्ण
14.	खारड़ा भारतसिंह	प्रा. विद्यालय खारड़ान चारणान	16,000/-	पूर्ण
15.	बाटाडू	प्रा. पा. भवन, बाटाडु	22,150/-	प्रगति पर
16.	कोलू	प्रा. वि. अति. कमरा नरसाली नाडी, कोलू	14,800/-	पूर्ण
17.	उतरनी	प्रा. पाठशाला अति. कमरा उतरनी	14,800/-	पूर्ण
18.	हुनकड़ा	प्रा. वि. अति. कमरा, चिड़िया	14,800/-	पूर्ण
19.	भ़ाक	प्रा. पा. अति. कमरा खीमसा	14,800/-	पूर्ण
		योग—	4,15,550/-	

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत वर्ष 1983-84
पंचायत समिति—शिव

1.	उ. प्राथमिक पाठशाला जूनेजा की बस्ती		36,000/-	पूर्ण
2.	उ. प्राथमिक पाठशाला	नीम्बला	36,000/-	पूर्ण
3.	उ. प्राथमिक पाठशाला, कुडाल	राजडाल	36,000/-	पूर्ण
4.	उ. प्राथमिक पाठशाला	भौखाब	36,000/-	पूर्ण

1	2	3	4	5
5.	उ. प्राथमिक पाठशाला	जैसिन्धर गांव	36,000/-	प्रगति पर
6.	उ. प्राथमिक पाठशाला	गिराब	36,000/-	प्रगति पर
7.	उ. प्राथमिक पाठशाला (कन्या)	गडरारोड	18,000/-	प्रगति पर
8.	प्राथमिक पाठशाला	शिव	18,000/-	प्रगति पर
9.	प्राथमिक पाठशाला गढ़ोथल	गढ़ोथल	18,000/-	पूर्ण
10.	प्राथमिक पाठशाला	आरंग	18,000/-	पूर्ण
11.	प्राथमिक पाठशाला	रातड़	18,000/-	पूर्ण
12.	प्राथमिक पाठशाला	अन्तरा	18,000/-	पूर्ण
13.	प्राथमिक पाठशाला बालासर	मूगेरिया	18,000/-	पूर्ण
14.	प्राथमिक पाठशाला	हरसानी	18,000/-	पूर्ण
15.	प्राथमिक पाठशाला	झणकली	18,000/-	पूर्ण
16.	प्राथमिक पाठशाला बीसू कलां	मूंगा	18,000/-	पूर्ण
17.	प्राथमिक पाठशाला मूठड़ों की ढाणी	ऊण्डू	18,000/-	प्रगति पर
18.	प्राथमिक पाठशाला	राणासर	18,000/-	पूर्ण
19.	प्राथमिक पाठशाला खलीफा की बावड़ी		18,000/-	पूर्ण
20.	प्राथमिक पाठशाला बड़ी खडीन		18,000/-	प्रगति पर
21.	प्राथमिक पाठशाला डाबड़	बन्धड़ा	18000/-	प्रगति पर
22.	प्राथमिक पाठशाला, द्राभा	सुन्दरा	18.000/-	प्रगति पर
23.	आयुर्वेदिक औषधालय	खानियानी	20,000/-	प्रगति पर
		योग:—	5,24,000/-	

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य
वर्ष 1983-84 पंचायत समिति–सिणधरी (बाड़मेर)

1.	उ. प्रा वि. चार कमरे	चवा	64,000/-	प्रगति पर
2.	प्रा. पा. खरिंगों की ढाणी दो कमरे	चवा	32,000/-	"
3.	प्रा. पा. तीन कमरे	मोसर	48,000/-	"

1	2	3	4	5
4.	प्रा. पाठशाला दो कमरे केलरी नाडी	मोंसर	32,000/-	प्रगति पर
5.	प्रा. पाठशाला एक कमरा सोमेसरा नया	मोसर	16,000[-	"
6.	प्रा. पा. दो कमरे	सरनू	32,000/-	"
7.	प्रा. पा. चार दीवारी	सरनू	15,000/-	"
8.	ग्रोषधालय चार दीवारी	सरनू	15,000/-	"
9.	उ. प्रा. पा. सणपा दो कमरे	सणप१	32,000/-	"
10.	उ. प्रा. पा. खरंटिया नया एक कमरा	सणपा	16,000/-	"
11.	उ. प्रा. पा. खरंटिया जूना गांव एक कमरा	सणपा	16,000/-	"
12.	उ. प्रा. वि. एक कमरा	सेवनियाला	16,000/-	"
13.	रा. प्रा. पा. एक कमरा बोड़वा	सेवनियाला	16,000/-	"
14.	उ. प्रा. पा. एक कमरा बोरानाड़ा	सेवनियाला	16,000/-	"
15.	उ. प्रा. पा. एक कमरा भौजासर	सेवनियाला	16.000/-	"
16.	उ. प्रा. पा. चार कमरे	कमठाई	64,000/-	"
17	उ. प्रा. पा. एक कमरा टाकूबेरी	कमंठाई	16,000/-	"
18.	उ.प्रा. पा. एक कमरा घने की ढाणी	कमठाई	16.000/-	"
19.	उ. प्रा. पा. चार कमरे	कौशलू	64,000/-	"
20.	उ. प्रा. पा. चार कमरे	नौखड़ा	64,000/-	"
21.	उ. प्रा. पा. चार कमरे	मेहलू	64,000/-	"
22.	प्रा.पा. दो कमरे शोनाला	शोनाला	32.000/-	"
23.	प्रा. पा. दो कमरे गोलिया	गोलिया	22.000/-	"
24.	प्रा. पा. दो कमरे मीठाबेरी	शोनाला	32.000/.	"

369

1	2	3	4	5
25	रा. उ. प्रा. पा. दो कमरे सरली	सरली	64.000/-	प्रगति पर
26.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	साजटा	32.000/-	"
27.	रा. उ. प्रा. पा. चार कमरे	बाण्ड	64.000/-	"
28.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	चारणों का तला	32.000/-	"
29.	रा. प्रा. पाठशाला एक कमरा	टुलावनियों का तला	16.000/-	"
30.	प्रा. पा. चार कमरे	निम्बल कोट	64.000/-	"
31.	प्रा. पा. छः कमरे	होडू	96.000/-	"
32.	प्रा. पा. तीन कमरे	म्राडेल	48.000/-	"
33.	प्रा. पा. दो कमरे	खार की बेरी	32.000/-	"
34.	प्रा. पा. दो कमरे	खुडाला	32,000/-	"
35.	प्रा. पा. दो कमरे	जालीखेड़ा	32.000/-	"
36.	प्रा. पा. नहरों की ढाणी दो कमरे	नहरों की ढाणी	32.000/-	"
37.	प्रा. पा. चार कमरे	रामसर का कुम्रा	64,000/-	"
38.	प्रा. पा. चार कमरे	रावतसर	64,000/-	"
39.	प्राथमिक पाठशाला तीन कमरे	छोटू	48,000/-	"
				"
40.	रा. मा. पा. चार कमरे	छोटू	64,000/-	प्रगति पर
41.	रा. प्रा. पा. एक कमरा	राणासर खुर्द	16,000/-	प्रगति पर
42.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	लाख	64,000/-	"
43.	रा. प्रा. पाठशाला एक कमरा	खुंडासा	16,000/-	"
44	रा प्रा. पाठशाला दो कमरे	शिवकर	64,000/-	"
45.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	गालाबेरी	32,000/-	"
46.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	कुड़ला	32,000/-	"
47.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	मेगने की ढाणी	32,000/-	"
48.	रा. प्रा. पाठशाला भवन दो कमरे	सिणधरी	64,000/-	"
49.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	इंडाली	64,000/-	"
50.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	जूना मीठा खेड़ा	64,000/-	"
51.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	भाटाला	64,000/-	"
52	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	सड़ा	32,000/-	प्रगति पर

1	2	3	4	5
53.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	पांयला	64,000/-	प्रगति पर
54.	रा. प्रा. पाठशाला मण्डावला दो कमरे	मण्डावला	32,000/-	प्रगति पर
55.	रा. प्रा. पाठशला चार कमरे	लूणा कलां	64,000/-	,,
56.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	पायलां खुर्द	32,000/-	प्रगति पर
57.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	दाखां	64,000/-	प्रगति पर
58.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	उचियों की ढाणी	32,000/-	प्रगति पर
59.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	भूखा भरतसिंह	64,000/-	प्रगति पर
60.	प्रा. पाठशाला दो कमरे	खारा महेचान	32.000/-	प्रगति पर
61.	प्रा. पाठशाला एक कमरा	गहूलालाडी	16,000/-	प्रगति पर
62.	प्रा. पाठशाला दो कमरे	चाढ़ों की ढाणी	32,000/-	प्रगति पर
63.	प्रा. पाठशाला चार कमरे	धनवा	64,000/-	प्रगति पर
64.	प्रा. पाठशाला दो कमरे	बामणी	32,000/-	प्रगति पर
65.	प्रा. पाठशाला चार दीवारी	सिणधरी	15,000/-	प्रगति पर

योग रुपये 26,37,000/-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य 1983-84
पंचायत समिति धोरीमना

1.	रा. उ. प्रा. विद्यालय दो कमरे गोड़ा	ग्रागोला	28,000/-	प्रगति पर
2.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे मांगता	मांगता	28,000/-	,,
3.	रा. प्रा. वि. दो कमरे चार दीवारी	धोरीमना	50,000/-	प्रगति पर
4.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	मीठड़ा	26,000/-	प्रगति पर
5.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	लूणवा	28,0000-	प्रगति पर
6.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	भूणिया	28,000/-	,,
7.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	खारी	28,000/-	प्रगति पर
8.	रा. उ.प्रा. वि. दो कमरे	राणासर	28,000/-	प्रगति पर
9.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	कीतनोरिया	28,000/-	प्रगति पर

(371)

1	2	3	4	5
10.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	अरनीयाली	28,000/-	पूर्ण
11.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	बिलारणिया	28,000/-	प्रगति पर
12.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	कौजा	28,000/-	प्रगति पर
13.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	चामड़ला	28,000/-	प्रगति पर
14.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	पीपराली	28,000/-	प्रगति पर
15.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	गांधव	28,000/-	प्रगति पर
16.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	केकड़	28,000/-	प्रगति पर
17.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	सिघासवा हरियान	28,000/-	,,
18.	रा. प्रा. वि दो कमरे	भाखरपुरा	28,000/-	,,
19.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	लोहारवा	28,000/-	,,
20.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	भीमथल	28,000/-	,,
21.	रा. उ. प्रा. दो कमरे	लूखू	28,000/-	,,
22.	रा. प्रा. वि. दो कमरे भलीखाल	उठासर	28,000/-	प्रगति पर
23.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	मेडाणा	28,000/-	प्रगति पर
24.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	मेरुड़ी	28,000/-	,,
25.	उड़ासर प्रा. पा.	उडासर	28,000/-	,,
26.	छात्रावास गुड़ा	गुड़ा	6,00,000/-	प्रगति पर
27.	प्राथमिक पाठशाला	गुड़ा	28,000/-	,,
			13,48,000/-	

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य वर्ष 1981-84
पंचायत समिति– चौहटन

1.	रा.उ. प्रा. विद्यालय	चौहटन	3,00,000/-	प्रगति पर
2.	राजकीय छात्रावास	चौहटन	2,40,0000/-	,,
3.	राजकीय उ.प्रा. वि.	केरनाड़ा	60000/-	,,
4.	रा. उ. मा. वि.	घनाऊ	60,000/-	,,

1	2	3	4	5
5.	रा उ. मा. वि. बावड़ी कला	बूठ	1,20,000/-	प्रगति पर
6.	राजकीय छात्रावास बावड़ी कला	बूठ	2,00,000/-	"
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक वि.	सांवा	60,000/-	"
8.	रा. उ. प्रा. वि.	टोंक	60,000/-	"
9.	रा. उ. प्रा. विद्यालय	नेतराड़	60000/-	"
10	रा. उ. प्रा. विद्यालय	गोहड़ का तला	60,000/-	"
11.	रा. उ. प्रा. विद्यालय	बाखासर	60000/-	"
12.	रा. उ. प्रा. वि. सिया का तालाब	बींजराड़	60000/-	"
13.	रा. प्रा. विद्यालय	बीजराड़	20,000/-	"
14.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	फागलिया	16 000/-	"
15.	रा. प्रा. वि. मीठड़ाउ	सरम का तला	16,000/-	"
16.	रा. प्रा. विद्यालय	देदूसर	16,000/-	"
17.	रा. प्रा. वि. कापराऊ	ग्रांटिया	16,000/-	"
18.	रा. प्रा. वि इंटारिया	ईटादा	16,000/-	"
19.	रा. प्रा. वि. ग्रांटी	झड़पा	16,000/-	"
20	रा. प्रा. वि. सांसरों का तला	बींजराड़	16000/-	"
21.	रा. प्रा. वि समेलों का तला	नवातला जैतमाल	16,000/-	"
22.	रा. प्रा. वि. दीपला	जानपालिया	16,000/-	"
23.	रा. प्रा. वि. बबेरड़ी	हाथला	16,000/-	"
24.	आयुर्वेदिक औषधालय	कोनरा	50000/-	"
			योग 1,58,000/-	

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में स्वीकृत कार्यों की सूची 1983-84
पंचायत समिति बाड़मेर

1.	धर्मशाला	बाड़मेर आगोर	17,000/-	प्रगति पर
2.	चार दीवारी	जालीपा	15,000/-	पूर्ण

373

1	2	3	4	5
3.	प्राथमिक विद्यालय	भाददेसर	60,000/-	प्रगति पर
4.	सैकण्डरी स्कूल (चार कमरे)	बिशाला	60,000/-	,,
5.	प्राथमिक विद्यालय में दो कमरे	सुरा	30,800/-	,,
6.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	नांद	60,000/-	,,
7.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	मारूड़ी	60,000/-	,,
8.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	देरासर	60,000/-	,,
9.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	सिचानी	90000/-	,,
10.	प्राथमिक विद्यालय में एक कमरा	इन्द्रोही	14,800/-	,,
11.	प्राथमिक विद्यालय चार दीवारी	सुहाड़ा	15,000/-	पूर्ण
12.	प्राथमिक विद्यालय चार कमरे	खड़ीन	60,000/-	प्रगति पर
13.	छात्रावास	रामसर	1,00,000/-	,,
14.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे	कंटल का पार	38,800/-	,,
15.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे	पार्धी का पार	30,800/-	,,
16.	समाज कल्याण छात्रावास	गामरिया	1,00,000/-	,,
17.	पंचायत घर चार दीवारी	बूठिया	30,000/-	,,
18.	औषधालय	सजर का पार	20,300/-	,,
19.	उच्च प्राथमिक वि. चार कमरे	सेतरा	60,000/-	,,
20.	उ. प्रा. वि. चार गडालियों का तला	चाडी	60,000/-	,,
21.	उ. प्रा.वि. चार कमरे	धारासर	60,000/-	,,
22.	औषधालय	गंगाला	20,300/-	पूर्ण
23.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे	सनाऊ	30,800/-	प्रगति पर

(374)

1	2	3	4	5
24.	प्राथमिक विद्यालय चार कमरे	तारातरा	60000/-	प्रगति पर
25.	प्राथमिक विद्यालय चार कमरे	बालेरा	60,000/-	,,
26.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे बलान	राणीगांव	30,800/-	,,
27.	उ. प्रा. विद्यालय चार कमरे	जसाई	30,800/-	,,
82.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे	उण्डखा	30800,/-	,,
29.	उ. प्रा. वि. चार दीवारी	महाबार	45,000/-	पूर्ण
30.	उ. प्रा वि. चार कमरे	गरल	60,000/-	प्रगति पर
31.	धर्मशाला डूंगरों का तला	हाथलीवाला	16,000/-	पूर्ण
32.	उ. प्रा. पाठशाला तीन कमरे	सनावडा	45,000/-	प्रगति पर
33.	उ. प्रा. पाठशाला दो कमरे पूनियों का तला	सनावड़ा	30'800/-	,,
34.	उ. प्रा. वि. बाछड़ाऊ चार कमरे	बाछड़ाऊ	60,000/-	,,
35.	सैकण्डरी स्कूल चार कमरे	लीलसर	60,000/-	,,
36.	उ. प्रा. वि. चार कमरे	इसरोल	60000/-	,,
		योग :-	16,73000/-	

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में स्वीकृत कार्यों की सूची 1983-84

1.	प्रा. वि. भवन, खीम्पसर	झाक	32,000/-	पूर्ण
2.	प्रा. वि. गोदानियों की ढाणी	बायुत भीमजी	16,000/-	प्रगति पर
3.	प्रा. वि. भवन कोलू	कोलू	16,000/-	,,
4.	प्रा. वि. भवन दो कमरे	शहर	32,000/-	,,
5.	प्रा. वि. भवन एक कमरा	बांटाडू	16,000/-	,,
6.	प्रा. वि. भवन दो कमरे जाखड़ों की ढाणी	सवाऊ पदमसिंह	32,000/-	,,

1	2	3	4	5
7.	प्रा. वि. भवन दो कमरे की चिड़िया	सनावड़ा	32,000/-	पूर्ण
8.	प्रा. वि. भवन मनोणियों की ढाणी	बवास	16,000/-	,,
9.	प्रा. वि. भवन लांपला तला	कोसरिया	16,000/-	प्रगति पर
10.	प्रा. वि. भवन कोसरिया	कोसरिया	16,000/-	,,
11.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	भीमडा	60,000/-	,,
12.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	कुम्पलिया	60,000/-	,,
13.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	परेऊ	60,000/-	,,
14.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	रतेऊ	60,000/-	पूर्ण
15.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे नीम्बालियों की ढाणी	माडपुरा बरवाला	60,000/-	प्रगति पर
16.	रा. उ. प्रा. वि. कानोड़ एक कमरा	कानोड़	1,00,000/-	,,
17.	रा. उ. प्रा. वि. एक कमरा	बायतुपाजी	20,000/-	,,
18.	रा. उ. प्रा. वि.	बायतु भीमजी	60,000/-	,,
19.	छात्रावास, बायतु स्टेशन	बायतु चिमनजी	2[illegible],000/-	,,
20.	छात्रावास, सवाऊ पदमसिंह	सवाऊ पदमसिंह	10,000/-	,,
		योग	10,54,000/-	

पंचायत समिति–बालोतरा

1.	उ. प्रा. वि. कलावतों की ढाणी	साजियाली	16,000/-	प्रगति पर
2.	उ. प्रा. पा. रोड़वा	वलाऊ	16,000/-	,,
3.	प्रा. पा. भवन मेकराना	मेकराना	16,000/-	,,
4.	उ. प्रा. वि. बरनावा चारनोर	बरनावा जागीर	16,000/-	,,
5.	उ. प्रा. वि. चोखडों की बेरी		16,000/-	,,
6.	उ. प्रा. पा. कियार चारणान	कालेवा	16,000/-	,,
7.	उ. प्रा. पा. बांडियावास खुर्द	असराबा	16,000/-	,,
8.	शाला भवन, चम्पाबेरी	गोपड़ी	16,000/-	,,
9.	शाला भवन, मालियों की ढाणी	गोपड़ी	16,000/-	,,
10.	शाला भवन, कांकराला	कांकराला	32,000/-	,,
11.	शाला भवन, पचपदरा	पचपदरा	64 000/-	,,

1	2	3	4	5
12.	शाला भवन,ग्रासोतरा	ग्रासोतरा	48,000/-	प्रगति पर
13.	शाला भवन, सरवडी	सरवडी	32000/-	,,
14.	शाला भवन, कालूडी	कालूडी	32,000/-	,,
15.	शाला भवन, साथुनी पुरोहितान	सिमरखियान	16000/-	प्रगति पर
16.	शाला भवन, कल्याणपुरा	कल्याणपुरा	64,000/-	,,
17.	शाला भवन, रानी देसीपुरा	कल्याणपुर	64,000/-	प्रगति पर
18.	शाला भवन, ढोलीकला	ढोलीकला	64,000/-	,,
19.	पंचायत भवन, चार दीवारी	वड़नावा	9,826/-	,,
20.	पंचायत भवन, चार दीवारी	दूदवा	9,826/-	,,
21.	पचायत भवन, चार दीवारी	मूगड़ा	9,826/-	,,
22.	पंचायत भवन, चार दीवारी	कांकराला	9,826/-	,,
23.	पंचायत भवन, चार दीवारी	सरवड़ी	9,826/-	,,
24.	पंचायत भवन, चार दीवारी	चादेसरा	9,826/-	प्रगति पर
25.	ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय	थुम्बली	9,826/-	,,
26.	ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय	बड़नावा	9,826/-	,,
27.	ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय	सिमरखिया	9,826/-	,,
28.	ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय	पारलू	50,000/-	,,
29.	ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय	थोब	50,000/-	,,
30.	प्रा. पाठशाला भवन	मूगड़ा	9,826/-	प्रगति पर
		योग	7,58,260/-	

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत निर्माण कार्यों को स्वीकृति
वर्ष 1980-81 पचायत समिति सिवाना

1.	समदड़ी	प्राथमिक पाठशाला समदड़ी में ग्रति. कमरा मय बरान्डा	14,000/-	पूर्ण
2.	मेली	चार दीवारी प्रा. पा. खाखरलाई चार दीवार 100 मीटर	9,826/-	,,

1	2	3	4	5
3,	रानी देसीपुरा	चार दीवारी, प्रा. पा. होचरड़ा	9,826/-	पूर्ण
4.	रानी देसीपुरा	टांका निर्माण मोखाडी	13,000/-	,,
5.	रानी देसीपुरा	प्रा. पा. अति. कमरा को पूरा कराना भानावास	5,000/-	,,
6.	कोटड़ी	चार दीवारी, प्रा. पा. खारोटा बाउण्ड्रीबाल 100 मीटर	9,826/-	पूर्ण
7.	कोटड़ी	चार दीवारी, प्रा. शाला कैम्पों का बाड़ा बाउण्ड्री बाल 100 मीटर	9,826/-	,,
8.	कोटड़ी	आयुर्वेदिक औषधालय, कोटड़ी	18,860/-	प्रगति पर
9.	जेठन्तरी	चार दीवारी, प्रा. शा. कम्बाबाल बाउण्ड्रीबाल 100 मीटर	9,826/-	,,
10.	अजीत	चार दीवारी, प्रा.शा. तेजसिंह की ढाणी, बाउण्ड्री बाल 100 मीटर	8,826/-	पूर्ण
11.	अजीत	प्रा पा. भवन पातों का बाड़ा चार दीवारी	9,826/-	प्रगति पर
12.	रामपुरा	चार दीवारी, प्रा पा. मियों का बाड़ा बाउण्ड्री बाल 100 मीटर	9,826/-	प्रगति पर
13.	रामपुरा	चार दीवारी, प्रा. पा. चिरडिया	9,826/-	प्रगति पर
14.	मोकलसर	पक्की नालियां मोकलसर	10,696/-	पूर्ण
15.	मोकलसर	ग्राम सेवक आवास गृह की चार दीवारी	9,826/-	प्रगति पर
16.	मजल	चार दीवारी प्रा. पा. कन्या भवन मजल	9,826/-	प्रगति पर
17.	पऊ	सार्वजनिक टांका, कांखी	10,000/-	पूर्ण
18.	करमावास	चार दीवारी पंचायत भवन	9,826/-	प्रगति पर
19.	देवन्दी	चार दीवारी प्रा. पा. देवन्दी	9,826/-	पूर्ण
20.	राखी	प्रा, पा. रोजियों की ढाणी मोतीसरा	16,000/-	प्रगति पर
21.	खण्डप	कन्या प्रा. पा. खण्डप	16,0[illegible]0/-	निरस्त
22.	रमड़िया	काजीघर रमणिया	10,000/-	निरस्त
23.	धारणा	कांजीघर धारणा	10,000/-	प्रगति पर
24.	मीठाड़ा	कांजीघर मीठाड़ा	10,000/-	,,
25.	पादरु	ग्राम सेवक आवास गृह, पादरु	23,250/-	,,

1	2	3	4	5
26.	इन्द्राणा	सार्वजनिक कुंआ मरम्मत व हौज निर्माण	15,000/-	प्रगति पर
27.	कुण्डल	निर्माण कार्य ग्राम कुण्डल नाला	20,000/-	,,
28.	कुण्डल	प्रा. पा. भवन की चार दीवारी मुबारी	9,826/-	,,
29.	धीरा	पंचायत घर चार दीवारी, धीरा 100 मीटर	9,826/-	प्रगति पर
30	धीरा	पंचायत घर पूर्ण करवाने बावत	8,000/-	,,
31.	बामसीन	आयुर्वेदिक औषधालय, बामसीन	18,860/-	पूर्ण
		योग·	3,66,856/-	

परिशिष्ट–"ख"

पंचायत समिति : जैसलमेर

रा. ग्रा. रो. कार्यक्रम 1980 से 1983 तक के पूर्ण व अपूर्ण कार्य : पं. सं. जैसलमेर

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य स्थल नाम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	प्रा. पाठ. निर्माण	पिथला	मूदड़ी	पूर्ण
2.	,,	,,	सता	,,
3.	,,	चांदन	चांदन	,,
4.	अ. प्रा. गृह	मोकला	भादासर	,,
5.	,,	डाबला	चासनपीर	,,
6.	,,	नहडाई	साखला	,,
7.	,,	कबीर बस्ती	कबीर बस्ती	अपूर्ण
8.	,,	नेडाई	नेडाई	,,
9.	ग्राम सेवक आ. गृह	आसकनदा	आसकनदा	पूर्ण

1	2	3	4	5
10.	पटवार घर	माकेला	भादासर	पूर्ण
11.	,,	सोठाकोर	सोठाकोर	,,
12.	,,	डाबला	डाबला	अपूर्ण
13.	,,	चांदन	धायसर	पूर्ण
14.	,,	भे	पिथला	,,
15.	,,	रूपसी	काहला	,,
16.	बस स्टेण्ड	नाचना	नाचना	,,
17.	,,	भागू का गांव	भागू का गांव	,,
18.	,,	रूपसी	छत्रैल	,,
19.	पंचायत घर	सोठाकोर	सोठाकोर	,,
20.	,,	रूपसी	रूपसी	,,
21.	,,	बडोडागांव	बडोडागांव	,,
22.	,,	पाचों का तला	पांचों का तला	अपूर्ण
23.	,,	काणोद	काणोद	पूर्ण
24.	,,	मोहनगढ़	मोहनगढ़	,,
25.	,,	पारेवर	पारेवर	,,
26.	,,	अमर सागर	अमर सागर	अपूर्ण
27.	,,	माकेला	मोकला	पूर्ण
28.	,,	सतयाया	सतयाया	,,
29.	,,	बाहला	बाहला	,,
30.	,,	सुल्ताना	सुल्ताना	अपूर्ण
31.	,,	आसकन्द्रा	आसकन्द्रा	,,
32.	सभा भवन	चांदन	चांदन	,,
33.	,,	लाणेला	लाणेला	,,
34.	,,	काणोद	काणोद	,,
35.	,,	काठोड़ी	काठोड़ी	,,
36.	आयु. औष भवन	नोख	नोख	,,
37.	पशु चिकित्सालय	बडोडागांव	बडोडागांव	,,
38.	होदी निर्माण	सुल्ताना	पालीडिबा	अपूर्ण
39.	भेड़ ऊन केन्द्र	देवा	देवा	पूर्ण
40.	कुंआ	सुलताना	अर्जुना	,,
41.	,,	,,	,,	,,
42.	,,	,,	चुरनवाला	,,

1	2	3	4	5
43.	कुंआ	सुलताना	जिन्देवाला	पूर्ण
44.	,,	,,	सरकारी	,,
45.	,,	सोठोकार	सोठोकार	,,
46.	,,	सतयाया	सतयामा	,,
47.	,,	हमीरा	हमीरा	,,
48.	,,	चांदन	सूजिया	,,
49.	कुंआ गहरा कोठा खोली	परचें का तला	शेखों का तला	अपूर्ण
50.	नाड़ी	पारेवर	नारायणी नाड़ी	पूर्ण
51.	,,	बडोडागांव	जां वघजूनी	,,
52.	,,	डाबला	बासनपीर	,,
53.	,,	सुल्ताना	मादरी	,,
54.	,,	पारेवर	खीयां	,,
55.	,,	काठोड़ी	हेनराजसर	,,
56.	,,	देवा	आसेद	,,
57.	,,	चांदन	सगरा	,,
58.	,,	नेडाई	साखंला	,,
59.	,,	मू	म	,,
60.	,,	नेडाई	मवां	,,
61.	,,	नोख	ढालेरी	,,
62.	,,	अवाय	अवाय	,,
63.	,,	नोख	गवाई	,,
64.	,,	चिन्नु	गवाई	,,
65.	,,	टावरीवाला	बीकासर	,,
66.	,,		टावरीवाला	,,
67.	,,	मोकला	भादासर	,,
68.	,,	आसकन्दा	जालूवाली	,,
69.	,,	नोख	बैठे का गांव	,,
70.	,,	पिथला	घनानाड़ी	,,
71.	,,	आसकंद्रा	अजासर	,,
72.	,,	हमीरा	कुजालड़ी	,,
73.	,,	भारेवाला	भारेवाला	,,
74.	,,	पाचों का तला	पाचों का तला	,,

1		3	4	5
75.	गाड़ी	टावरीवाला	खारा	पूर्ण
76.	,,	चिन्नु	मदासर	,,
77.	,,	चांदन	जेठा	,,
78.	,,	,,	भबारा	,,
79.	,,	कबीर बस्ती	कबीर बस्ती	,,
80.	,,	भेरेवाला	आकलतला	,,
81.	,,	अवाय	भादिड़या	,,
82.	,,	ताड़ाना	ताडाना	,,
83.	,,	टावरीवाला	बीदासर	,,
84.	,,	मू	हासूवा	,,
85.	,,	बाहला	स्याली	,,
86.	टांका	मू	मू	,,
87.	,,	रूपसी	द. छोल	,,
88.	,,	कोठोड़ी	चोंधरिया	,,
89.	,,	बाहाला	बाहाला	,,
90.	,,	सतयाथा	घटियाली	,,
91.	,,	टावरीवाला	पना	चालू
92.	,,	अवाय	अवाय	,,
93.	,,	देवा	लखा	,,
94.	,,	मोहनगढ़	पलोधड़ी	पूर्ण
95.	,,	नोख	मे. वाला	,,
96.	,,	नाचना	कलरीवाला	चालू अपूर्ण
97.	,,	कोठोड़ी	सेलत	पूर्ण
98.	,,	डाबला	जोधा	,,
99.	,,	नोख	बीठे का गांव	,,
100.	,,	नेडाई	मादराउ	अपूर्ण चालू
101.	,,	नेडाई	मघा	,,
102.	,,	रूपसी	छत्रेलउ	पूर्ण
103.	,,	बड़ोडागांव	आशायच	,,
104.	,,	काणोद	देउदा	,,
105.	,,	कोठोड़ी	ढाणी बेलदार की	,,
106.	,,	अमरसागर	जियाजी	,,

	2	3	4	5
107.	टांका	रूपसी	काहला	पूर्ण चालू
108.	,,	बडोडा गांव	जावंधली	,,
109.	,,	मोहनगढ़	में की ढाणी	चालू
110.	,,	वाहला	वाहला	,,
111.	,,	मोहनगढ़	जलघरी	पूर्ण
112.	,,	पारेवर	पारेवर लीला	,,
113.	खडीनकार्य	दामोदरा	दामोदरा	चालू
114.	,,	,,	सलका	,,
115.	टांका	बडोडागांव	नइजावंव	चालू
116.	,,	चांदन	साजियों की ढाणी	,,
117.	सभा भवन	भागूकागांव	भागूकागाव	,,
118.	टांका	रूपसी	चुन्धी	चालू
119.	,,	टावरीवाला	बीकासर	,,
120.	,,	अवाय	भदिडया	,,
121.	,,	पिथला	मुनदी	,,
122.	,,	डविला	धवुआ	,,
123.	,,	देवा	देवा	,,
124.	बैंक भवन	मोहनगढ़	मोहनगढ़	,,
125.	पचांयतघर	नाचना	नाचना	,,
126.		ताडना	ताडना	,,
127.	,,	भारेवाला	भारेवाला	,,
128.	स्कूल भवन	बाहला	बाहला	,,

पंचायत समिति-सम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 1980 से 1983 तक पूर्ण व अपूर्ण कार्य

क. सं.	कार्य का नाम	पंचायत	कार्य स्थल	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1.	नाड़ी	अडवाला	सावरायी	पूर्ण
2.	,,	खुइयाला	सायाम्वर	,,

383

1	2	3	4	5
3.	,,	सम	सम	पूर्ण
4.	,,	सतो	सतो	,,
5.	,,	सानू	सोनू (बीकासर तालाब)	,,
6.	,,	कुण्डा	कुण्डा	,,
7.	,,	खुड़याला	खुड़याला	,,
8.	,,	तेजपाला	पनराजसर	,,
9.	,,	चेलक	चेलक	,,
10.	,,	डेटा	आटेरी	,,
11.	,,	कोटड़ी	कोटड़ी	,,
12.	,,	तेजपाला	गुरडा	,,
13.	,,	अडवाला	भेजीकी ढाणी	,,
14.	,,	दामोदरा	जेठरीनाड़ी	,,
15.	,,	रामगढ़	विपरासरनाड़ी	,,
16.	,,	दामोदरा	बेजनाथ की नाड़ी	,,
17	,,	रामगढ़	देवली तलाई	,,
18.	,,	नरजीगोकी	कोरवा	,,
19.	,,	चेलक	नगराजा	,,
20.	,,	तेजपाला	काकबनाड़ी	,,
21.	,,	डेढ़ा	नथडुगरबाली	,,
22.	,,	हाबूर	जोगनीसर	,,
23.	,,	अडवाला	गेराजा	,,
24.	,,	राघवां	कालेरी	,,
25.	,,	लखा	बारलाई	,,
26.	,,	लखा	भाडली	,,
27.	,,	रीबडी	नीम्बा	,,
28.	,,	मोडा	रणधा	,,
29.	,,	रीबडी	रवडी	,,
30.	,,	कोटड़ी	मदा	,,
31.	,,	करडा	चौहाननाड	,,
32.	,,	कपूरिया	सोगा	,,
33.	,,	रीबडी	भीयासर	,,
34.	,,	रामा	बाचकदेव	,,

1	2	3	4	5
35.	नाडी	ंरसियाला	काबनाड़ी	पूर्ण
36.	,,	डांगरी	मेहरडीनाड़ी	,,
37.	,,	रामगढ़	नेतसी	,,
38.	,,	हाबूर	दिलबरकी ढाणी	,,
39	,,	कपूरिया	पांचा	,,
40.	,,	सम	मेघ की ढाणी	,,
41.	,,	खुहड़ी	बई	,,
42.	,,	रामगढ़	छात्रियों की नाड़ी	,,
43.	नाड़ी	रामा	स्याला	,,
44.	,,	बींदा	बींदा	,,
45.	,,	बींदा	फुरेरी	,,
46.	,,	तेजरावा	सीहडार	,,
47.	,,	कोटडी	आसूलाई	,,
48.	,,	कुण्डा	गुडकाई	,,
49.	,,	म्याजलार	म्याजलार	,,
50.	,,	मोडा	कालूसर	,,
51.	,,	देवीकोट	भीखोरी	,,
52.	,,	सतो	सतेरी	,,
53.	,,	भाडली	वडाई	,,
54.	टांका निर्माण	डेढा	खमिया	,,
55.	,,	डेढा	घुलिया	,,
56.	,,	खीघा	सीपला	,,
57.	,,	म्याजलर	मठराऊ	,,
58.	,,	म्याजलर	केरला	,,
59.	,,	लागढ़	कोडियासर	अपूर्ण चालू
60.	,,	लखा	मेघ की ढाणी	पूर्ण
61.	,,	वइया	बसड़ा	पूर्ण
62.	,,	बइया	मेघ. की ढाणी	,,
63.	,,	वेरिसयाला	धाणोली	अपूर्ण चालू
64.	,,	तेजपाला	साघना	पूर्ण
55.	,,	अंडबाला	अंडबाला	,,
66.	,,	कनोई	केसूम्रों की बस्ती	,,

1	2	3	4	5
67.	टांका निर्माण	बेरिमयाला	खारिया	पूर्ण
68.	,,	खुइयाला	लापडियों की ढाणी	,,
69.	,,	डागरी	सांडा	अपूर्ण चालू
70.	,,	देवड़ा	कोठा	अपूर्ण चालू
71.	,,	देवड़ा	कोठ	अपूर्ण चालू
72.	,,	सम	लक्ष्मणों की बस्ती	अपूर्ण चालू
73.	,,	सम	मेघ. की सम	पूर्ण
74.	,,	लूणार	दबडी	पूर्ण
75.	,,	लूणार	लूणार	,,
76.	,,	लूणार	चगाडियों की बस्ती	पूर्ण
77.	,,	करडा	करडा	अपूर्ण चालू
78.	,,	कोटडी	असालोई	,,
79.	,,	कोटडी	मदा	पूर्ण
80.	,,	देवीकोट	सिडवा	,,
81.	,,	देवीकोट	उण्डा	,,
82.	,,	देवीकोट	भाखरानी	अपूर्ण
83.	,,	देवीकोट	लक्ष्मणशाला के पास	अपूर्ण
84.	,,	कपूरिया	तोगा	अपूर्ण चालू
85.	,,	रासला	नटियाणों की ढाणी	पूर्ण
86.	,,	नरसिंगों की ढाणी	नरसिंग की ढाणी	,,
87.	टांका निर्माण	नरसिंगों की ढाणी	कोरवा	पूर्ण
88.	,,	तेजपाल	भूटोवाला	पूर्ण
89.	,,	नरसिंगों की ढाणी	नरसिंगों की ढाणी	पूर्ण
90.	,,	मूलाणा	ठहररो ठोडा	पूर्ण
91.	,,	सानू	सेराव (मेग)	पूर्ण
92.	,,	खुइयाला	इमरी की ढाणी	चालू
93.	,,	रामगढ़	नेतसी	चालू
94.	,,	लूणार	घानाना	चालू
95.	,,	तेजमालता	गुमानसिंह की ढाणी	चालू

1	2	3	4	5
96.	टांका निर्माण	शाहगढ़	झण्डेवाला	चालू
97.	पंचायत घर	रामगढ़	रामगढ़	चालू
98.	,,	तेजमालता	तेजमालता	पूर्ण
99.	,,	राघवा	राघवा	पूर्ण
100.	,,	मोढा	मोढा	पूर्ण
101.	,,	देवड़ा	देवड़ा	पूर्ण
102.	,,	चेलक	चेलक	चालू
103	,,	नरसिगों की ढाणी	नरसिगों की ढाणी	चालू
104.	कोठा खेली	रामगढ़	तनोट	पूर्ण
105.	,,	रामगढ़	नथूरीबाला	पूर्ण
106.	,,	रामगढ़	कुरिया	पूर्ण
107.	,,	रामगढ़	किशनगढ़	पूर्ण
108.	,,	तेजपाला	बाउवा	पूर्ण
109.	,,	तेजपाला	मुटोवाला	पूर्ण
110.	,,	रामगढ़	लोगेवाला	पूर्ण
111.	,,	रामगढ़	साबोवाला	पूर्ण
122	शाला	तेजपाला	बड़ा	पूर्ण
113.	स्कूल भवन	कुण्डा	महरों की ढाणी	चालू
114.	ग्राम सेवक आवासीय गृह	मोढा	रणधा	पूर्ण
115.	अध्यापक आवास गृह	कुण्डा	कुण्डा	पूर्ण
116.	बस स्टेण्ड	सम	सम	पूर्ण
117.	बस स्टेण्ड	सांगढ	सांगढ	चालू
118.	अध्यापक आवास गृह	झिनझीनयाली	गुहडा	पूर्ण
119.	,,	रामगढ़	रामगढ़	पूर्ण
120.	,,	चेलक	चेलक	पूर्ण
121.	वन विभाग के माध्यम से बुलडोर	चेलक	शेरों की ढाणी	पूर्ण
122.	,,	चेलक	गोरेश	पूर्ण
123.	,,	चेलक	फतेहगढ़	पूर्ण
124.	,,	चेलक	मीनू	पूर्ण
125.	,,	चेलक	देवीकोट	पूर्ण

1	2	3	4	5
126.	पशु चिकित्सालय	झिझनियाली	झिझनियाली	चालू
127.	सभा भवन	राधया	सेऊवा	चालू
128.	सभा भवन	चेलक	चेलक	चालू
129.	फाटक निर्माण	डेढा	कुमार कोठा	पूर्ण
130.	पंचायत घर	म्याजलार	म्याजलार	चालू
131.	,,	अडवाला	अडबाला	चालू
132.	,,	बीदा	बीदा	,,
133.	,,	तेजपाला	तेजपाला	,,
134.	,,	झिझनियाली	झिझनियाली	,,
135.	,,	सत्तो	सत्तो	,,
136.	,,	लखा	भाडली	,,
137.	,,	बईया	वईया	,,
138.	,,	सोनू	सोनू	,,
139.	,,	कोटडी	कोटडी	,,
140.	,,	रामा	रामा	,,
141.	,,	रासला	रासला	,,
142.	,,	कनोई	कनोई	,,
143.	,,	खुहडी	खुहडी	,,
144.	,,	तेजरावा	तेजरावा	,,
145.	,,	छतागढ़	छतागढ़	,,
146.	,,	हरनाऊ	हरनाऊ	,,
147.	टांका	मोढा	रणधा	,,

पंचायत समिति साकड़ा

1.	नाड़ीखुदाई	रामदेवरा	वीरमदेबरा	पूर्ण
2.	,,	उजला	उजला	,,
3.	,,	मांडवा	मांडबा	,,
4.	,,	बारठकानिगांव	भाखरी	,,
5.	,,	बारठकागांव	उचपदरा	,,
6.	,,	रामदेबरा	रामदेवरा	,,
7.	,,	रातडिया	रातडिया	,,
8.	,,	लुवा	घडसर	,,
9.	,,	भेसडा	भेसडा	,,
10.	,,	उजला	बडलीचारण	,,

388

1	2	3	4	5
11.	नाड़ी खुदाई	केलावा	केलावा	पूर्ण
12.	,,	उजला	वडलीचारण	,,
13.	,,	चाचा	चाचा	,,
14.	,,	लंबा	मागोलाई	,,
15.	,,	लाठी	घोलिया	,,
16.	,,	बारठकागांव	मेडवा	,,
17.	,,	बलाड	बलाड	,,
18.	,,	चोक	महेशों की ढाणी	,,
19.	,,	लाठी	धोलिया	,,
20.	,,	खेतोलाई	खेतोलाई	,,
21.	,,	चाचा	चाचा	,,
22.	,,	,,	ओढिनिया	,,
23.	,,	नेडान	भदासर	,,
24.	,,	छायण	राठोडा	,,
25.	,,	साकड़ा	मंगोलाई	,,
26.	,,	,,	रीकोढाणी	,,
27.	टांका निर्माण	लाठी	रतन की बस्ती	,,
28.	,,	रामदेवरा	वीरमदेवरा	,,
29.	,,	रामदेवरा	एका	,,
30.	,,	,,	धुडिया	,,
31.	,,	खेतोलाई	चांदनो	,,
32.	,,	साकड़ा	खुहड़ा	,,
33.	,,	फलसूड	कूपसिह कीढाणी	,,
34.	,,	,,	चमणियोंकीढाणी	,,
35.	,,	भणियाणा	मेग की ढाणी	,,
36.	,,	,,	मालों की ढाणी	,,
37.	,,	जेमला	मेग की ढाणी	,,
38.	,,	माडवा	भीलों की ढाणी	,,
39.	,,	लूणा	दुधिया	अपूर्ण
40.	,,	साकड़ा	साकड़ा	पूर्ण
41.	,,	गडीचम्पावतों की	मेग की ढाणी	,,
42.	,,	दांतल	दांतल	,,

(389)

1	2	3	4	5
43.	टांका निर्माण	भेसड़ा	बेतीना	पूर्ण
44.	,,	भाखोडाई	बरसाणी	,,
45.	,,	बलाड	रूपाणीढाणी	,,
46.	टका	चौक.	महेशों की ढाणी	,,
47.	बूडसर	धूडसर	धूडसर	पूर्ण
48.	टांका	साकड़ा	माधोसिह की ढाणी	,,
49.	,,	भीणयाणा	चनाणियों की ढाणी	,,
50.	,,	थाट	थाट	,,
51.	,,	बलाड	भीखेड ईजूनी	,,
52.	,,	फलसूड	सगतसिह की ढाणी	,,
53.	,,	,,	भाखरो	अपूर्ण
54.	,,	,,	रातडिया	,,
55.	,,	गढ़ चम्पावतोबी	भवरा	,,
56.	,,	बेतीना	बेतीणा	,,
57.	भेड़ ऊन प्रसार केन्द्र	लाठी	लाठी	पूर्ण
58.	,,	भेसड़ा	भेसड़ा	अपूर्ण
59.	अ 0 आवास गृह	लवां	सुथारों की बेरी	,,
60.	,,	चाचा	चाचा	पूर्ण
61.	आ. ओष. भवन	माडाबा	माडाबा	,,
62.	बस स्टेण्ड	लाठी	लाठी	,,
63.	कूप मरम्मत	बान्धेवा	बान्धेवा	,,
64.	,,	लवां	लवां	पूर्ण
65.	साख. वि. केन्द्र	लाठी	भादरिया	पूर्ण
66.	दुग्ध उ. केन्द्र	,,	लोहारकी	पूर्ण
67.	पंचायत घर	लोहारकी	लोहारकी	अपूर्ण
68.	,,	रातडिया	रातडिया	अपूर्ण
69.	,,	बान्धेवा	बान्धेवा	,,
70.	होदी निर्माण	लोहारकी	लोहारकी	,,
71.	,,	चौक	चौक	,,
72.	जनोपयोगी ज्ञानप्रसारक के.	लाठी	भादरिया	,,
73.	टाका	केलावा	केलावा	,,

1	2	3	4	5
74.	टांका	राजगढ़	बेनाड़ा की ढाणी	अपूर्ण
75.	पंचायत घर	बारठघर	बारठघर	,,
76.	,,	नेडान	नेडान	,,
77.	,,	माण्डवा	माण्डवा	,,
78.	,,	दातलं	दातलं	,,
79.	,,	भीखोडाई	भीखोडाई	,,
80.	,,	छायण	छायण	,,
81.	,,	राजमथाई	राजमथाई	,,
82.	स्कूल में वन	भणियाणा	भणियाणा	,,
83.	पंचायत घर	फलसूण्ड	फलसूड	,,

(391)

परिशिष्ट 26

(अतारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची)

जिला बूंदी निर्वाचन क्षेत्रवार सड़क कार्य प्रगति पर /स्वीकृत सड़कों की सूची

निर्वाचन क्षेत्र बूंदी

1. गरड़दा से भोपतपुरा
2. नमाना से गंवार
3. गंवार से गरड़दा
4, बरून्धन तक संपर्क सड़क

निर्वाचन क्षेत्र हिण्डोली

1. एप्रोच रोड धोवड़ा
2. एप्रोच रोड ठीकरदा (2 कि. मी.)
3. एप्रोच रोड वाया कंजर कोलोनी (3 कि. मी.)
4. उमर से मेन रोड
5. उबलाना तक संपर्क सड़क

निर्वाचन क्षेत्र केशोराय पाटन

1. एप्रोच रोड तीरथ (2 कि. मी.)
2. भालीजी के बरेना तक संपर्क सड़क

निर्वाचन क्षेत्र नैनवा

1. नैनावा उनियारा सड़क
2. देह दुगारी सड़क
3. रवलावता से बामन गांव सड़क

3922

परिशिष्ट 27

(अतारांकित प्रश्न संख्या 436 की सूची)

टोंक जिले में वर्ष 1980–81 से अब तक निम्न प्रकार अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई :–

	1980–81	1981-82	1982-83	1983-84
सिंचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	95475	95511	99328	99766

खाद्यान्न का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :-

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1. खाद्यानों का उत्पादन (लाखों टन में)	1.50	2.51	2.59	3.37
2. तिलहन (हजार में)	6000	11000	17000	31000

परिशिष्ट 28

(अतारांकित प्रश्न संख्या 439 से सम्बन्धित प्रस्ताव)

मण्डी समिति सोजत रोड व रानी के पास वर्तमान में बचत की स्थिति एंव खर्च के प्रस्ताव

मण्डी समिति सोजतरोड

फरवरी, 84 को शेष धनराशि 96000000 इस राशि के द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिन पर उनके आगे दर्शाई गई राशि व्यय होने का अनुमान है।

1.	कैटल शेड	12000.00	सोजत रोड
2.	गोदाम (5)	3000.00	,,
3.	शौचालय	2000.00	,,
4.	बैंक भवन	13000.00	,,
5.	रोड लाइट	3000.00	,,
6.	चार दीवारी	50000.00	सोजत सिटी
7.	नीलाम चबूतरा	310000.00	,,
8.	प्याऊ	12000.00	,,
9.	शौचालय	13000.00	,,
10.	कैटल टफ	5500.00	,,
11.	ग्रामीण गो.	55000.00	,,
12.	आन्तरिक सं.	208000.00	,,
13.	बी. टी. रोड	45000.00	सोजत रोड
14.	भवनों की म.	82700.00	,,

कुल योग —814200.00

मण्डी समिति रानी

फरवरी, 84 को शेष राशि 924918.00 इस राशि के द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं जिन पर उनके आगे दर्शाई गई राशि व्यय होने का अनुमान है।

1.	कार्यालय भवन	14000.00
2.	कृषक विश्राम गृह	10000.00
3.	दुकान मय गोदाम नं. 15	60000.00
4.	दुकान मय प्लेटफार्म 10	21000.00
5.	डब्लू. सी यूरिनल	4000.00
6.	प्याऊ	2000.00
7.	पानी की खेल (पशुओं के)	1500.00
8.	दुकान मय गोदाम मय प्लेट फार्म नं. 20	250000.00
9.	फुटकर दुकानें नं. 12	28000.00
10	जल व्यवस्था मय टंकी	205000.00
11.	दुकान मय प्लेट फार्म नं. 10	309900.00
12.	नीलाम चबूतरा	83000.00
13.	विद्युत व्यवस्था	25000.00
14.	आन्तरिक सड़कें	30000.00
15.	ग्रामीण गोदाम 250 मै. ट.	32000.00

योग —1075400.00